SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2024-25 के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या 3

(राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2024-25 के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या 3

(राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	-	vii
कार्यकारी सारांश	-	xi
अध्याय I: राज्य के वित्त का अवलोकन		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
राज्य की जनसांख्यिकी	1.1.1	1
राज्य की अर्थव्यवस्था	1.1.2	2
सकल राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय	1.1.2.1	2
जीएसडीपी में क्षेत्र-वार योगदान	1.1.2.2	3
वित्त का आशुचित्र	1.1.3	4
प्रमुख राजकोषीय मापदंडों का दस वर्षीय प्रवृत्ति विश्लेषण	1.1.4	5
निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग	1.1.5	7
सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं का आशुचित्र	1.1.6	8
राज्य की समेकित निधि	1.2	8
राजस्व प्राप्तियाँ	1.2.1	9
पूँजीगत प्राप्तियाँ	1.2.2	19
वित्त आयोग के अनुमान और वास्तविक आँकड़े	1.2.3	20
व्यय	1.2.4	20
राजस्व व्यय	1.2.4.1	22
पूँजीगत व्यय	1.2.4.2	28
आकस्मिकता निधि	1.3	33
लोक लेखा	1.4	34
निवल लोक लेखा शेष	1.4.1	34
रक्षित निधि	1.4.2	35
नकद शेष	1.4.3	35
राजकोषीय संधारणीयता	1.5	37
लोक देयता प्रबंधन	1.5.1	37
देयताओं की रूपरेखा: घटक	1.5.1.1	38
उधार ली गई निधि का उपयोग	1.5.1.2	40
ऋण प्रोफाइल: परिपक्वता और पुनर्भुगतान	1.5.1.3	41
राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण स्वरूप	1.5.1.4	41
लेखापरीक्षा के पश्चात घाटा संकेतक	1.5.2	42
राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि	1.5.3	43
ऋण संधारणीयता विश्लेषण	1.5.4	45

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
गारंटी की स्थिति - आकस्मिक देनदारियां	1.5.5	47
राजकोषीय गुंजाइश पर अमुक्त देनदारियाँ	1.5.6	48
निष्कर्ष	1.6	48
अच्छी प्रथाएं	1.7	49
अनुशंसाएँ	1.8	49
अध्याय II: बजटीय प्रबंधन		
बजट प्रक्रिया	2.1	51
बजट अनुमान तथा अपेक्षित एवं वास्तविकता के बीच अंतर	2.2	51
बजटीय प्रावधानों और व्यय का घटक-वार विश्लेषण	2.2.1	54
अनुदान संख्या 20 तथा 51 के अंतर्गत बजट और व्यय की संक्षिप्त स्थिति	2.2.2	55
बजट मार्कमैनशिप	2.3	56
विनियोग लेखे	2.4	57
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया	2.5	58
विधि के प्राधिकार के बिना किया गया व्यय	2.5.1	58
आधिक्य व्यय एवं इसका विनियमन	2.5.2	58
कुछ अनुदानों में सतत आधिक्य व्यय	2.5.2.1	60
अनावश्यक एवं आधिक्य अनुपूरक अनुदान	2.5.3	60
निधियों का अनुचित पुनर्विनियोग	2.5.4	62
अप्रयुक्त राशि तथा अभ्यर्पित की गई विनियोग और/या बड़ी बचत/अभ्यर्पण	2.5.5	62
राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण	2.5.6	64
बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएँ और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्तपोषण	2.5.7	65
बाल बजट की समीक्षा	2.5.7.1	65
व्यय का वेग	2.5.8	66
राज्य में केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन	2.6	69
एकल नोडल एजेंसी	2.6.1	69
एकल नोडल एजेंसी-स्पर्श	2.6.2	75
अनुदान संख्या 20 तथा 51 की विस्तृत समीक्षा में देखे गए अन्य मुद्दे	2.7	75
आकस्मिकता निधि	2.8	95
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.8.1	95
निष्कर्ष	2.9	96

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
अनुशंसाएँ	2.10	97
अध्याय III: वित्तीय प्रतिवेदन की प्रथाएं		
राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू/ प्राधिकरणों के माध्यम से बजट के बाहर लिया गया उधार	3.1	99
सरकार की अमुक्त देनदारियाँ	3.2	100
अमुक्त ब्याज देयता	3.2.1	100
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अल्प योगदान	3.2.2	101
भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर	3.2.3	102
स्थानीय निकायों को उपकर का हस्तांतरण नहीं करना	3.2.4	103
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास	3.2.5	103
राज्य खनिज अन्वेषण न्यास/ राज्य खनिज विकास निधि	3.2.6	103
उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने में विलंब	3.3	104
संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र	3.4	106
व्यक्तिगत जमा खाते	3.5	113
लघु शीर्ष-800 का संचालन	3.6	114
प्रमुख उचंत और ऋण, जमा, प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों के तहत बकाया शेष	3.7	114
नकद शेष का समाशोधन	3.8	116
लेखांकन मानकों का अनुपालन	3.9	116
स्वायत्त निकायों/ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की प्रस्तुति	3.10	117
दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि	3.11	119
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	3.12	119
निष्कर्ष	3.13	119
अच्छी प्रथाएं	3.14	120
अनुशंसाएँ	3.15	120
परिशिष्ट		
राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े	1.1	123
2015-16 से 2024-25 के दौरान प्रमुख राजकोषीय और आर्थिक मापदंडों के दस साल के रुझान	1.2	126
वर्ष 2024-25 के लिए प्राप्तियों और संवितरणों का सार	1.3	127
31 मार्च 2025 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	1.4	130
ऐसे मामले जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए	2.1	132

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
ऐसे मामले जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या उससे अधिक) अत्यधिक साबित हुए	2.2	134
निधियों का अनुचित पुनर्विनियोग	2.3	135
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अभ्यर्पण के बाद बड़ी बचत वाले अनुदान (₹ 100 करोड़ से अधिक)	2.4	136
वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सतत बचत (₹ 100 करोड़ से अधिक) वाले अनुदान	2.5	137
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अनुदान-वार बजट उपयोग का प्रतिशत एवं बचत	2.6	138
बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई	2.7	141
मार्च 2025 में ₹ 100 करोड़ से अधिक की राशि का अभ्यर्पण	2.8	144
संशोधित परिव्यय में नीतिगत पहल के साथ संपूर्ण बजट राशि की निकासी	2.9	145
अनुदान संख्या 20 में अंतिम तिमाही के दौरान व्यय का वेग	2.10	146
अनुदान संख्या 20 में मार्च 2025 के महीने में व्यय का वेग	2.11	148
अनुदान संख्या 51 में मार्च 2025 के महीने में व्यय का वेग	2.12	150
अनुदान संख्या 51 के तहत नमूना-जाँच की गई इकाइयों में एसएनए का बचत	2.13	153
एसएनए ब्याज की जमा में विलंब	2.14	156
सतत बचत	2.15	158
अनुदान संख्या 20 में संपूर्ण बजट प्रावधान का अनुपयोग	2.16	159
अनुदान संख्या 51 में संपूर्ण बजट प्रावधान का अनुपयोग	2.17	161
निधियों की अनुपयोगिता	2.18	164
बचत के अभ्यर्पण नहीं होने के कारण व्यपगत राशि	2.19	165
वित्तीय वर्ष के अंत में निधि का अभ्यर्पण	2.20	167
बैंक खातों में पड़ी अवरुद्ध राशि	2.21	168
15वें वित्त आयोग के तहत प्रदान की गई निधि का प्रावधान एवं व्यय	2.22	170
राशियों की निकासी के लिए निर्धारित फॉर्म का उपयोग नहीं किया गया	2.23	171
परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के तहत अंशदान और निवेश का विवरण	3.1	172
अनुदान संख्या 20 में बकाया डीसी विपत्र	3.2	173
वित्तीय वर्ष के अंत में एसी विपत्रों की निकासी	3.3	175

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र विलंब से जमा	3.4	178
संक्षिप्त आकस्मिक राशि का अनुपयोग और कोषागार को प्रेषण	3.5	180
अनुदान संख्या 51 में बकाया डीसी विपत्र	3.6	181

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार की गई है।

झारखण्ड सरकार की राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करना और वित्तीय आँकड़े के लेखापरीक्षा विश्लेषण के आधार पर राज्य विधानसभा को सुझाव प्रदान करना है। प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं।

अध्याय I - राज्य के वित्त का अवलोकन

यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण का वर्णन करता है और राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। इसमें प्रमुख सूचकांकों और राज्यों की राजकोषीय स्थिति का एक वृहद-राजकोषीय विश्लेषण शामिल है, जिसमें घाटा/आधिक्य, ऋण की रूपरेखा और प्रमुख लोक लेखा लेनदेन शामिल हैं।

अध्याय II - बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है और राज्य सरकार के विनियोग और आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

अध्याय III - वित्तीय प्रतिवेदन की प्रथाएं

इस अध्याय में राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के अनुपालन न करने के मुद्दों पर टिप्पणी की गई है।

विभिन्न विभागों में निष्पादन लेखापरीक्षा और लेनदेन की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और सांविधिक निगमों, बोर्डों और सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियों वाले प्रतिवेदन और राजस्व प्राप्तियों पर टिप्पणियों वाले प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अनुसार, किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) का प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जानी है, जो उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष रखने का प्रावधान करेंगे।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे को वार्षिक रूप से संकलित करते हैं, जो राज्य सरकार के नियंत्रण में आने वाले कोषागारों, कार्यालयों और ऐसे लेखों को रखने के लिए जिम्मेदार विभागों द्वारा प्रस्तुत वाउचरों, चालानों और प्रारंभिक तथा सहायक लेखों तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से तैयार किए जाते हैं। इन लेखाओं का प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा किया जाता है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन हेतु मूल आँकड़े प्रदान करते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल है:

- राज्य का बजट: अनुमानों के सापेक्ष राजकोषीय मापदंडों और आवंटन प्राथमिकताओं का आकलन करने के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और संबंधित नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए
- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय द्वारा किए गए लेखापरीक्षा का परिणाम
- विभागीय प्राधिकरणों और कोषागारों (लेखे के साथ-साथ एम.आई.एस.) के अन्य आँकड़े
- जी.एस.डी.पी. आँकड़े और राज्य से संबंधित अन्य सांख्यिकी
- राज्य का राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम
- वित्त आयोग की सिफारिशें
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
- सर्वोत्तम व्यवहारों एवं भारत सरकार के दिशानिर्देश।

16 जून 2025 को झारखण्ड सरकार के वित्त विभाग के साथ एक प्रवेश सम्मेलन हुआ, जिसमें राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने में अपनाए गए लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण के बारे में बताया गया। 25 नवंबर 2025 को वित्त विभाग के साथ समाप्ति सम्मेलन हुआ, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। सरकार के जवाबों को प्रतिवेदन में उचित तरीके से शामिल किया गया है।

सरकारी लेखों की संरचना

राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है।

1. राज्य की समेकित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया गया समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉण्ड, केन्द्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियाँ इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम एवं राज्य सरकार द्वारा ऋणों के अदायगी के लिए प्राप्त किया गया सभी धन समाविष्ट होता है। इस निधि में से कोई धन विधि के अनुरूप और भारत के संविधान में उपबन्धित प्रयोजनों

तथा रीति से अन्यथा विनियोजित नहीं की जायेगी। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (जैसे-संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण का अदायगी इत्यादि), राज्य की समेकित निधि (भारित व्यय) पर प्रभारित होती हैं तथा विधानसभा द्वारा मत के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधान सभा द्वारा दत्तमत होता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि (भारत के संविधान के अनुच्छेद 267(2))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है जो राज्य विधायिका द्वारा विधि से स्थापित की जाती है और राज्य की विधायिका द्वारा ऐसे व्यय प्राधिकृत किए जाने तक अप्रत्याशित व्यय करने के लिए अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल की सुपुर्दगी में रखी जाती है। राज्य की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के व्यय को डेबिट कर उक्त निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

3. राज्य का लोक लेखा (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपर्युक्त के अलावा, अन्य समस्त लोक धन जो सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किया जाता है, जहाँ सरकार बैंकर अथवा न्यासी की तरह कार्य करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। लोक लेखा में प्रतिदेय जैसे- अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, रक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (दोनों अस्थायी शीर्ष है जो अंतिम बुकिंग के लिए लंबित है) शामिल होते हैं। लोक लेखा में सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी शामिल रहता है। लोक लेखा विधायिका के मत के अधीन नहीं है।

सरकारी लेखे की संरचना

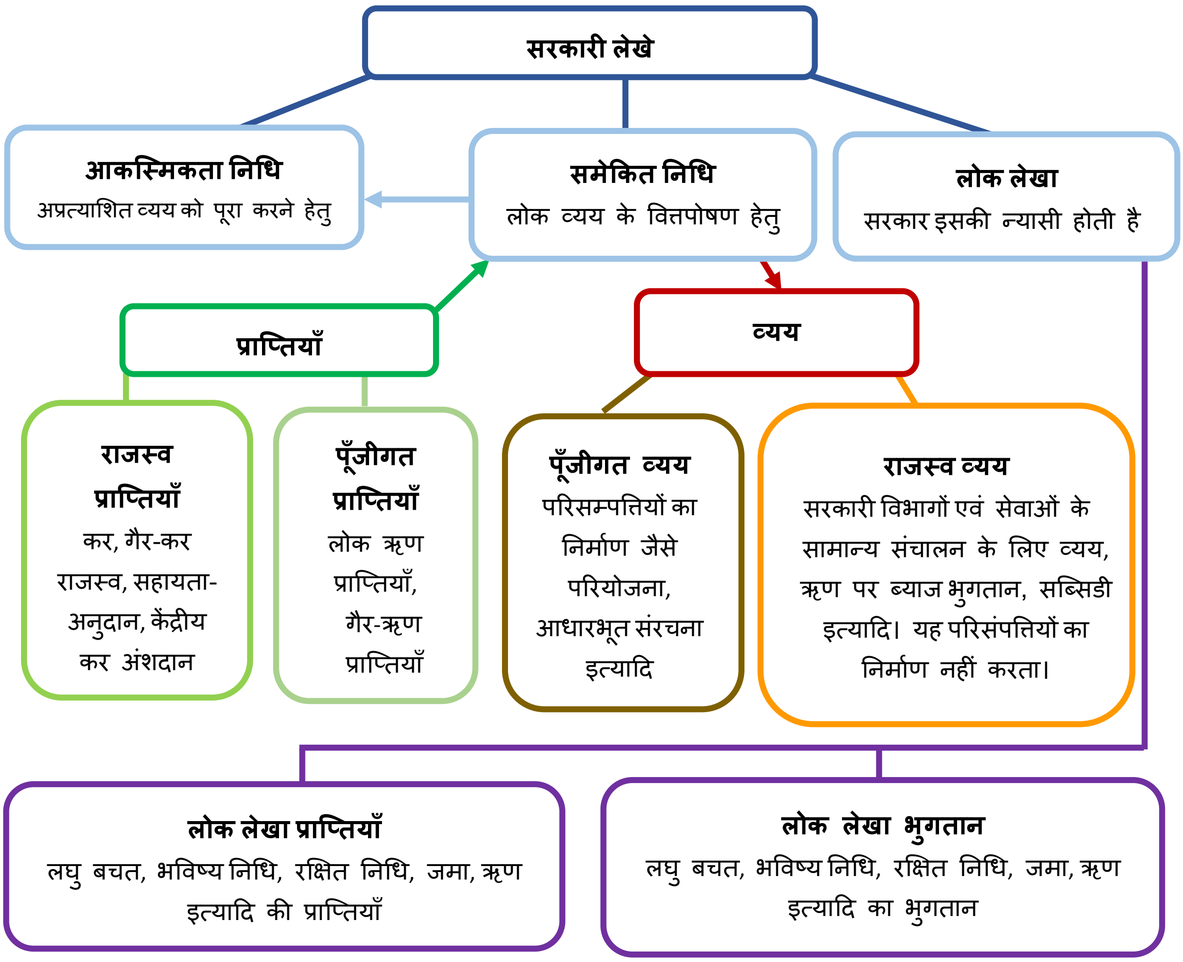

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

झारखण्ड राज्य के वित्त पर यह प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य की वित्तीय स्थिति का एक स्वतंत्र मूल्यांकन प्रदान करती है। यह राज्य के समग्र वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करता है और इसके राजस्व एवं व्यय के रुझानों की समीक्षा करता है, राज्य की ऋण स्थिति और उधार लेने के स्वरूप का आकलन करता है, राजकोषीय जिम्मेदारी कानूनों के अनुपालन का मूल्यांकन करता है और राजकोषीय स्थिति संकेतकों के विरुद्ध इसके प्रदर्शन की तुलना करता है।

राजकोषीय स्थिरता की जांच व्यापक-राजकोषीय मापदंडों जैसे घाटे, ऋण और देनदारियों का स्तर, गारंटी, सब्सिडी आदि के संदर्भ में की जाती है। जहां तक राजस्व और व्यय की तुलना का संबंध है, प्रतिबद्ध व्यय महत्वपूर्ण बाध्यताओं में से एक है, जिसमें वेतन और मजदूरी, पेंशन भुगतान और ब्याज भुगतान शामिल हैं।

राज्य के वित्त का अवलोकन

झारखण्ड की अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान संतुलित वृद्धि दिखाई, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में जीएसडीपी में 10.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। राज्य ने 2024-25 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.56 प्रतिशत का योगदान दिया, जो पिछले पांच वर्षों में लगभग समान था।

प्राप्ति और व्यय

राज्य के पास प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत हैं जैसे कि राज्य का स्व-कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, करों में राज्यों के हिस्से का हस्तांतरण, केंद्र सरकार से सहायता-अनुदान एवं हस्तांतरण और गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियां। राज्य सरकार के व्यय में राजस्व खाते पर व्यय के साथ-साथ पूँजीगत व्यय (परिसंपत्ति निर्माण, ऋण और अग्रिम, निवेश आदि) शामिल था।

2024-25 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियां 7.46 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़ीं, जो केंद्रीय कर हस्तांतरण में वृद्धि के कारण हुई। जीएसडीपी से राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत 2023-24 में 18.88 प्रतिशत की तुलना में 2024-25 में 18.30 प्रतिशत रहा। राज्य के स्व-कर राजस्व में मामूली रूप से 1.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गैर-कर राजस्व (जीएसडीपी का 2.76 प्रतिशत) की वृद्धि मामूली छह प्रतिशत पर रही, और केंद्र से अनुदान पिछले वर्ष के समान ही रहा। राज्य का स्व-राजस्व का प्रदर्शन पिछले वर्ष के स्तर पर बना रहा और केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भरता पर्याप्त रूप से बनी रही। राज्य सरकार को वर्ष के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं (के.प्रा.यो.) के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 6,714.04 करोड़ प्राप्त हुए।

2015-16 से 2024-25 तक, राजस्व प्राप्तियां 9.83 प्रतिशत की सीएजीआर की दर से बढ़ी जो ₹ 40,638 करोड़ से ₹ 94,489 करोड़ हो गईं। 2015-16 से 2024-25 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियाँ ₹ 13,276 करोड़ से घटकर ₹ 9,357 करोड़ रह गईं। केंद्रीय

करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी 11.51 प्रतिशत सीएजीआर के साथ 2015-16 में ₹ 15,969 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 42,557 करोड़ हो गई। भारत सरकार से सहायता-अनुदान 2015-16 में ₹ 7,338 करोड़ से 2024-25 में मामूली रूप से बढ़कर ₹ 9,199 करोड़ हो गई।

राज्य का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम) 2023-24 में ₹ 1,01,537 करोड़ से 7.56 प्रतिशत बढ़कर 2024-25 में ₹ 1,09,212 करोड़ हो गया।

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप राज्य के बुनियादी ढांचे और सेवा नेटवर्क में कोई विस्तार नहीं होता है। राजस्व व्यय 2015-16 में ₹ 36,553 करोड़ से 10.05 प्रतिशत की सीएजीआर की दर से बढ़कर 2024-25 में ₹ 86,565 करोड़ हो गया। पिछले दस वर्षों के दौरान यह लगातार कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (70 से 85 प्रतिशत) बना रहा। 2024-25 के दौरान, राजस्व व्यय जीएसडीपी का 16.77 प्रतिशत था।

प्रतिबद्ध व्यय

प्रतिबद्ध व्यय की मात्रा राजस्व व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा है। प्रतिबद्ध व्यय, जो 2024-25 के दौरान राजस्व व्यय का 37.24 प्रतिशत था, संसाधनों पर पहले प्रभारित होता है और इसमें ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी और पेंशन पर व्यय शामिल हैं।

सब्सिडी पर व्यय

गैर-प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत, सब्सिडी के रूप में 2023-24 में भुगतान की गई राशि ₹ 4,831 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 7,889 करोड़ हो गई। 2024-25 में कुल राजस्व व्यय का 9.11 प्रतिशत सब्सिडी थी, जिसमें ऊर्जा के लिए सब्सिडी (₹ 5,537 करोड़) एक महत्वपूर्ण हिस्सा (70 प्रतिशत) था।

पूँजीगत व्यय

राज्य सरकार ने 2023-24 में ₹ 20,570 करोड़ की तुलना में 2024-25 के दौरान पूँजीगत व्यय पर ₹ 18,410 करोड़ खर्च किए और 2024-25 में पूँजीगत व्यय से जीएसडीपी का अनुपात 3.57 प्रतिशत था। पिछले वर्ष की तुलना में पूँजीगत व्यय में ₹ 2,160 करोड़ की कमी आई और यह बजट स्तर से कम रहा, जो परिसंपत्तियों के निर्माण पर कम महत्व को दर्शाता है।

राजकोषीय मापदंड

वर्ष 2020-21 को छोड़कर जब घाटा हुआ था, राज्य का राजस्व अधिशेष 2015-16 में ₹ 4,085 करोड़ (जीएसडीपी का 1.98 प्रतिशत) से बढ़कर 2024-25 में ₹ 7,924 करोड़ (जीएसडीपी का 1.53 प्रतिशत) हो गया। हालांकि, राज्य का राजस्व अधिशेष 2023-24 में ₹ 11,252 करोड़ के मुकाबले 2024-25 के दौरान घटकर ₹ 7,924 करोड़ हो गया।

इसी प्रकार, राज्य के कुल व्यय और कुल गैर-ऋण प्राप्तियों के अंतर के परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा होता है। राज्य का राजकोषीय घाटा 2023-24 में ₹ 6,332 करोड़ (जीएसडीपी का 1.36 प्रतिशत) के मुकाबले 2024-25 में बढ़कर ₹ 14,527 करोड़ (जीएसडीपी का 2.81 प्रतिशत) हो गया।

आकस्मिक देयताएं

2024-25 के दौरान ₹ 2,175 करोड़ की गारंटी हटा दी गई, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 2,823.38 करोड़ की गारंटी बकाया रही। 2024-25 के दौरान कोई गारंटी लागू नहीं की गयी थी।

एफआरबीएम अपेक्षाएं और राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन

एफआरबीएम अधिनियम/ नियम कुछ सीमाएं निर्धारित करते हैं जिनके भीतर, किसी राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और ऋण को बने रहना चाहिए। 2024-25 में राज्य का राजस्व अधिशेष 1.53 प्रतिशत था; राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम में 3.00 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के सापेक्ष 2.81 प्रतिशत थी और बकाया देनदारी जीएसडीपी के 27 प्रतिशत की सीमा के सापेक्ष 25.34 प्रतिशत थी।

ऋण स्थिरीकरण विश्लेषण के अनुसार, राज्य सरकार की बकाया देनदारियां 2020-21 में ₹ 1,09,184.99 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 1,30,798.56 करोड़ हो गई। राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के मुकाबले कुल ऋण का अनुपात 2020-21 में जीएसडीपी का 36.80 प्रतिशत था, जो 2021-22 से लगातार गिरता रहा और 2024-25 में पांच साल के निचले स्तर 25.34 प्रतिशत पर पहुंच गया।

बजटीय प्रबंधन

वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी बड़े पैमाने पर बचत जारी रही। इस अवधि के दौरान, राज्य के कुल बजट ₹ 1,50,938.84 करोड़ की राशि में से ₹ 31,110 करोड़ (कुल बजट का 20.61 प्रतिशत) की राशि अप्रयुक्त रही। इसके अलावा, ₹ 31,110 करोड़ की कुल बचत में से ₹ 19,648.71 करोड़ की बचत दस अनुदानों में बजट प्रावधानों के सात से 62 प्रतिशत के बीच हुई, जिसके कारणों की व्याख्या विनियोग लेखों में उचित रूप से नहीं की गयी है।

वर्ष 2024-25 के दौरान 46 मामलों में ₹ 5,407 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों तक भी नहीं पहुंचा।

संविधान के अनुच्छेद 205 (1) (बी) के अनुसार राज्य सरकार को अनुदानों/विनियोगों से अधिक व्यय को राज्य विधानसभा द्वारा नियमित कराना होता है। यह देखा गया कि 2024-25 के दौरान विनियोग संख्या 15-पेंशन के तहत राज्य विधानसभा द्वारा किए गए प्राधिकरण से अतिरिक्त ₹ 306.62 करोड़ का संवितरण हुआ। इसके अलावा,

पूर्व के वर्षों से संबंधित ₹ 4,046.43 करोड़ का अतिरिक्त व्यय मार्च 2025 तक नियमित नहीं किया गया था।

2024-25 के दौरान, राज्य सरकार ने पूँजीगत व्यय के तहत राजस्व प्रकृति के सहायता-अनुदान के रूप में ₹ 2,879.71 करोड़ की राशि दर्ज की थी। इसी तरह, ₹ 42.45 करोड़ की राशि को पूँजीगत अनुभाग के बजाय राजस्व अनुभाग में गलत तरीके से दर्ज किया गया था। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष की उस सीमा तक अत्युक्ति हुई।

30 सितंबर 2025 तक, एसएनए के माध्यम से राज्य में चल रही 122 केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से केवल 28 एसएनए को एसएनए-स्पर्श में स्थानांतरित किया गया था।

वित्तीय प्रतिवेदन की प्रथाएं

मार्च 2025 तक, श्रम उपकर की कुल राशि ₹ 945.67 करोड़ में से, पिछले तीन वर्षों में राज्य द्वारा केवल ₹ 473.74 करोड़ हस्तांतरित किए गए, जिससे बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड को हस्तांतरण के लिए ₹ 471.93 करोड़ की बकाया राशि शेष रह गई। उपकर के गैर-हस्तांतरण से राज्य की देनदारियां उस हद तक बढ़ गईं।

31 मार्च 2025 तक, ₹ 1,60,565.80 करोड़ की 52,855 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत करने के लिए बकाया थे। अधिक मात्रा में उपयोगिता प्रमाण पत्र के लंबित होने से लोक धन के दुरुपयोग का खतरा बना रहता है।

31 मार्च 2025 तक, 17,877 एसी विपत्रों के विरुद्ध ₹ 4,531.00 करोड़ के डीसी विपत्र प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत करने के लिए लंबित थे। लंबे समय तक अग्रिम राशि का समायोजन न होने से दुर्विनियोजन का खतरा बना रहता है और इसलिए, डीसी विपत्र के प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित डीडीओ द्वारा गहन निगरानी की आवश्यकता होती है।

व्यक्तिगत जमा खातों के 24 प्रशासकों में से केवल तीन (03) ने कोषागार के आँकड़े (कोषागार में) के साथ अपने शेष राशि का मिलान तथा सत्यापन किया था और उनके द्वारा कोषागार अधिकारी को 03 वार्षिक सत्यापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए गए थे, जिन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को भेजा गया था। कोषागार के आँकड़े के साथ शेष राशि का गैर-समाशोधन पारदर्शिता के मानदंडों की अवहेलना करता है और इस तरह के निधि की निगरानी में बाधा डालता है।

झारखण्ड सरकार ने नवंबर 2025 तक लघु खनिजों से संबंधित अन्वेषण गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए लोक लेखा/ बैंक खाता के तहत राज्य खनिज अन्वेषण न्यास की स्थापना नहीं की थी।

अध्याय-I

राज्य के वित्त का अवलोकन

अध्याय I: राज्य के वित्त का अवलोकन

यह अध्याय 2024-25 के लिए झारखण्ड के वित्त का एक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, जिसमें जनसांख्यिकी, आर्थिक संकेतक और राज्य की वित्तीय संरचना शामिल है। यह राजस्व और व्यय, ऋण स्तर और राजकोषीय घाटे में रुझानों का विश्लेषण, लगातार असंतुलन और उधार पर निर्भरता को उजागर करता है। यह अध्याय कम नकदी शेष, निवेश पर कम प्रतिफल आदि जैसे मुद्दों को भी चिह्नित करता है।

1.1 राज्य की रूपरेखा

झारखण्ड, पूर्वी भारत का मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है, जो 79,716 वर्ग कि. मी. में फैला हुआ है और इसमें 24 जिले और 32,394 गाँव शामिल हैं। जनसंख्या अनुमान (2011-2036) पर तकनीकी समूह के प्रतिवेदन के अनुसार, वर्ष 2025 के दौरान राज्य की जनसंख्या 4.05 करोड़ (भारत की जनसंख्या का 2.87 प्रतिशत) होने का अनुमान है, जिसकी जनसंख्या घनत्व 508 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। यह खंड राज्य की जनसांख्यिकी, जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय का अवलोकन प्रदान करता है।

1.1.1 राज्य की जनसांख्यिकी

राष्ट्रीय औसत की तुलना मे राज्य के जनसांख्यिकीय विवरण नीचे **तालिका 1.1** में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 1.1: राज्य की जनसांख्यिकीय रूपरेखा

	झारखण्ड	राष्ट्रीय औसत
ग्रामीण जनसंख्या (प्रतिशत)	73.48	64.30
शहरी जनसंख्या (प्रतिशत)	26.52	35.70
जनसंख्या घनत्व (जनसंख्या अनुमान 2011-36, एमओएचएफडब्ल्यू)	508	430
प्रति 1,000 पुरुषों पर लिंग अनुपात (भारत की जनगणना, 2011)	948	947
प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर (नमूना पंजीकरण प्रणाली, सांख्यिकीय रिपोर्ट 2020)	29	25
प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर (मातृ मृत्यु बुलेटिन)	4	5
कुल प्रजनन दर (प्रतिशत) (जनसंख्या अनुमान 2011-36, एमओएचएफडब्ल्यू)	2.17	1.94
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष) (तकनीकी जनसंख्या पर रिपोर्ट, 2020)	69.5	70.3
गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (प्रतिशत) (बहुआयामी गरीबी सूचकांक, 2023, नीति आयोग)	28.81	14.96
साक्षरता दर (प्रतिशत) (एनसीएस रिपोर्ट, 2012-18)	76.7	80.9

1.1.2 राज्य की अर्थव्यवस्था

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) और प्रति व्यक्ति आय राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संकेतक है, जैसा कि आगे की कंडिकाओं में चर्चा की गई है। आधार वर्ष 2011-12 के साथ वर्तमान श्रृंखला के अनुसार, वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए जीएसडीपी के आंकड़े बदल गए हैं। तदनुसार, पिछले वर्षों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाशित प्रासंगिक वर्षों के लिए प्रासंगिक तालिकाओं में प्रतिशत/अनुपात में परिवर्तन हुआ है।

1.1.2.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का तात्पर्य एक देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से है, जबकि जीएसडीपी केंद्र के समान राज्य स्तर पर है, और दोनों आर्थिक विकास और समग्र प्रगति को दर्शाते हैं। जीएसडीपी और जीडीपी की प्रवृत्तियाँ **तालिका 1.2** में दी गई हैं। जीएसडीपी और जीडीपी की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि और जीडीपी में जीएसडीपी का योगदान **चार्ट 1.1** में दिया गया है। देश और राज्य की प्रति व्यक्ति आय (प्र.व्य.आ.) को **चार्ट 1.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: भारत के जीडीपी (वर्तमान मूल्यों पर) की तुलना में जीएसडीपी की प्रवृत्तियाँ

वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
जीडीपी (₹ करोड़ में)	1,98,54,096	2,35,97,399	2,68,90,473	3,01,22,956	3,30,68,145
जीएसडीपी (₹ करोड़ में)	2,96,664	3,76,127	4,14,308	4,65,638	5,16,255
प्रति व्यक्ति आय- अखिल भारत (₹ में)	1,27,244	1,50,906	1,69,145	1,88,892	2,05,324
प्रति व्यक्ति आय (झारखण्ड) (₹ में)	69,963	88,500	95,839	1,06,529	1,16,663

स्रोत: एनएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

चार्ट 1.1: वर्ष-दर-वर्ष जीडीपी एवं जीसडीपी की वृद्धि

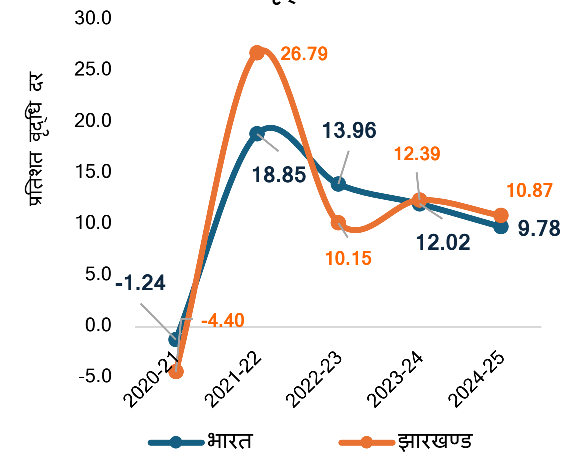

चार्ट 1.2: भारत एवं झारखण्ड की प्रति व्यक्ति आय

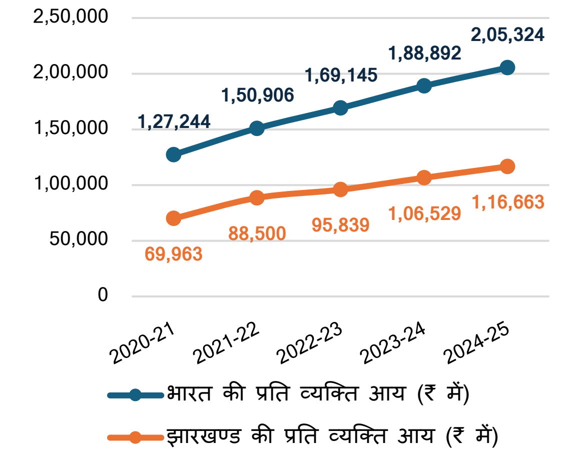

पिछले पांच वर्षों में झारखण्ड की जीएसडीपी की वृद्धि (74 प्रतिशत) भारत की जीडीपी की वृद्धि (67 प्रतिशत) से अधिक थी। हालांकि, 2020-25 के दौरान भारत के जीडीपी में झारखण्ड का योगदान 1.5 प्रतिशत पर लगभग समान रहा। 2020-21 और 2022-23

को छोड़कर, 2020-25 के दौरान भारत के जीडीपी की तुलना में जीएसडीपी की वृद्धि अधिक थी।

2020-25 की अवधि के दौरान झारखण्ड का प्रति व्यक्ति आय भारत के प्रति व्यक्ति आय का 55 से 59 प्रतिशत के बीच था।

1.1.2.2 जीएसडीपी में क्षेत्र-वार योगदान

वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों का क्षेत्र-वार योगदान और पिछले पांच वर्षों के दौरान जीएसडीपी में क्षेत्रीय वृद्धि को क्रमशः **चार्ट 1.3** और **चार्ट 1.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3: 2024-25 में जीएसडीपी में क्षेत्रीय योगदान

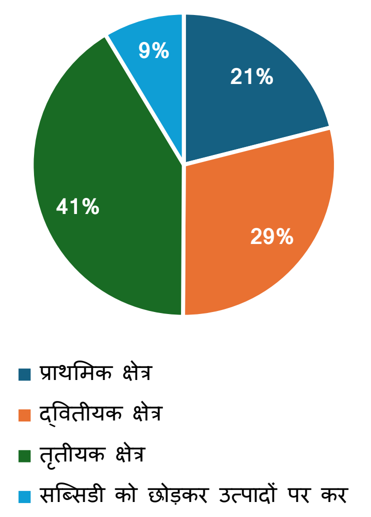

चार्ट 1.4: जीसडीपी में क्षेत्रीय वृद्धि

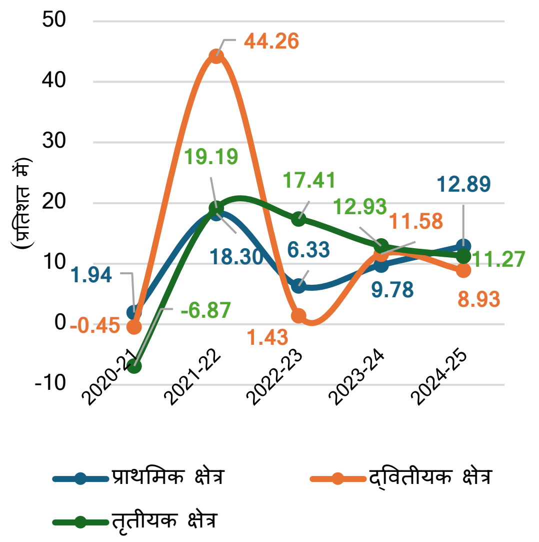

चार्ट 1.5 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रत्येक क्षेत्र के अवयवों को उसके प्रमुख योगदान करने वाले खंडों के संदर्भ में दर्शाता है।

चार्ट 1.5: क्षेत्र-वार वितरण, वित्तीय वर्ष 2024-25

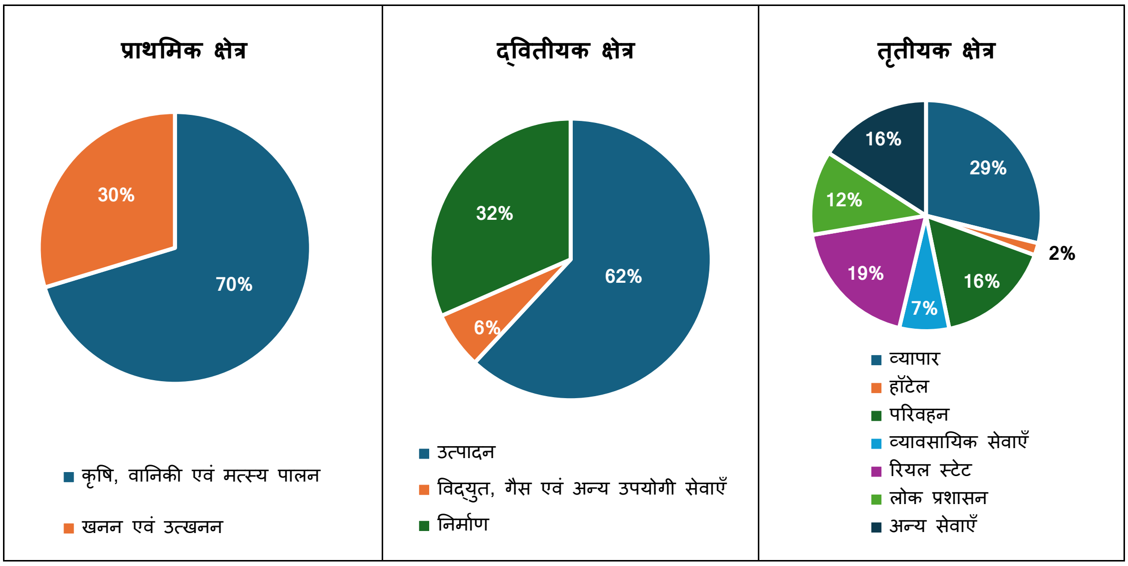

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

पिछले पांच वर्षों के दौरान तृतीयक क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान बना रहा, जबकि द्वितीयक क्षेत्र ने महामारी के बाद सुधार दिखाई और प्राथमिक क्षेत्र ने अपेक्षाकृत स्थिर हिस्सेदारी बनाए रखी।

1.1.3 वित्त का आशुचित्र

तालिका 1.3 में वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान (ब. अ.), संशोधित अनुमान (सं. अ.) और जीएसडीपी से वास्तविक के प्रतिशत के साथ-साथ वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए राज्य के वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण दिखाया गया है।

तालिका 1.3: वित्त का आशुचित्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2023-24 (वास्तविक)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (वास्तविक)	ब.अ. के साथ वास्तविक का प्रतिशत	जीएसडीपी से वास्तविक का प्रतिशत
1	**कर राजस्व**	**65,357.12**	**74,538.22**	**76,385.28**	**71,058.60**	**95.33**	**13.76**
(i)	*स्व-कर राजस्व*	28,004.77	34,196.67	32,827.00	28,501.30	83.35	5.52
(ii)	*संघ के करों / शुल्कों का हिस्सा*	37,352.35	40,341.55	43,558.28	42,557.30	105.49	8.24
2	गैर-कर राजस्व	13,425.12	19,300.43	20,026.54	14,231.39	73.74	2.76
3	केंद्र सरकार से सहायता-अनुदान	9,146.26	16,961.35	13,925.93	9,198.62	54.23	1.78
4	**राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)**	**87,928.50**	**1,10,800.00**	**1,10,337.75**	**94,488.61**	**85.28**	**18.30**
5.	ऋणों और अग्रिमों की वसूली	7,276.70	100	380.61	196.69	196.69	0.04
6	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	उधार और अन्य देनदारियां*	6,331.76	9,499.68	11,482.69	14,526.81	152.92	2.81
8	**पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)**	**13,608.46**	**9,599.68**	**11,863.30**	**14,723.50**	**153.37**	**2.85**
9	**कुल प्राप्तियाँ (4+8)**	**1,01,536.96**	**1,20,399.68**	**1,22,201.05**	**1,09,212.11**	**90.71**	**21.15**
10	**राजस्व व्यय**	**76,676.42**	**91,831.54**	**98,474.22**	**86,565.04**	**94.27**	**16.77**
11	ब्याज भुगतान	6,838.95	7,054.57	7,152.38	5,863.01	83.11	1.14
12	पूँजीगत व्यय	20,569.69	23,987.25	19,095.94	18,409.98	76.75	3.57
13	ऋण और अग्रिम	4,290.85	4,580.89	4,630.89	4,237.10	92.50	0.82
14	**कुल व्यय (10+12+13)**	**1,01,536.96**	**1,20,399.68**	**1,22,201.05**	**1,09,212.12**	**90.71**	**21.15**
15	**राजस्व अधिशेष (+)/ घाटा (-) (4-10)**	**11,252.08**	**18,968.46**	**11,863.53**	**7,923.57**	**41.77**	**1.53**
16	**राजकोषीय अधिशेष (+)/ घाटा (-) {(4+5+6)-14}**	**-6,331.76**	**-9,499.68**	**-11,482.69**	**-14,526.82**	**152.92**	**-2.81**
17	**प्राथमिक घाटा (-) / अधिशेष (+) (16-11)**	**507.19**	**-2,445.11**	**-4,330.31**	**-8,663.81**	**354.33**	**-1.68**

***स्रोत:** राज्य के वित्त लेखे और वार्षिक वित्तीय विवरण*

**उधार और अन्य देनदारियां: लोक ऋण की निवल (प्राप्तियाँ - संवितरण) + आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखे की निवल (प्राप्तियाँ - संवितरण) + नकद शेष की आरंभिक तथा अंत शेष का निवल।*

जैसा कि **तालिका 1.3** से देखा जा सकता है, 2024-25 के दौरान राज्य के पास राजस्व अधिशेष था। हालांकि, पिछले वर्षों से राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की उच्च वृद्धि के कारण राजस्व अधिशेष में काफी कमी आई।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए राज्य सरकार के वित्त का विवरण **परिशिष्ट 1.1** में दिया गया है।

1.1.4 प्रमुख राजकोषीय मापदंडों का दस वर्षीय प्रवृत्ति विश्लेषण

राज्य के प्रमुख राजकोषीय और आर्थिक मापदंडों के 2015-16 से 2024-25 की अवधि के दौरान एक व्यापक दस वर्षीय प्रवृत्ति विश्लेषण किया गया है (**परिशिष्ट 1.2** में प्रस्तुत) ताकि राज्य को राजकोषीय स्थिरता पर एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके। विश्लेषण में दस वर्ष की अवधि में प्रत्येक घटक के लिए सीएजीआर की गणना शामिल है। यह राज्य के वित्त की संरचनात्मक सामर्थ्य और कमियों का आकलन करने में सक्षम बनाता है, उभरते जोखिमों की पहचान करता है और व्यवस्थित रुझानों को उजागर करता है जिन्होंने दशक के दौरान राजकोषीय स्थिति को प्रभावित किया है।

➢ **राजस्व प्राप्तियाँ**

पिछले दस वर्षों में राजस्व प्राप्तियों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें लगभग 9.83 प्रतिशत की सीएजीआर दर्ज की गई। यह वृद्धि मुख्य रूप से उच्च स्व-कर राजस्व और संघीय करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी में वृद्धि के कारण थी। इस दस वर्ष की अवधि में, राजस्व व्यय में वृद्धि को बनाये रखने के लिए राजस्व वृद्धि की गति पर्याप्त थी, जिसके कारण 2020-21 को छोड़कर, 2015-16 से 2024-25 की अवधि के दौरान राजस्व अधिशेष रहा। इस अवधि के दौरान राजस्व अधिशेष 7.64 प्रतिशत की सीएजीआर के साथ बढ़ा।

- **स्व-कर राजस्व**

स्व-कर राजस्व मे 10.63 प्रतिशत की सीएजीआर से वृद्धि हुई। यह वृद्धि एसजीएसटी संग्रह में सुधार और राज्य आबकारी, वाहनों पर कर आदि से अधिक संग्रह के कारण हुआ।

- **गैर-कर राजस्व**

इस अवधि के दौरान गैर-कर राजस्व मे 10.38 प्रतिशत की सीएजीआर से वृद्धि हुई। वर्ष-दर-वर्ष भिन्नता मुख्य रूप से विविध सामान्य सेवाओं, उपयोगकर्ता शुल्क आदि के तहत राजस्व संग्रह और ब्याज प्राप्तियों में भिन्नता के कारण थी।

- **संघीय करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी**

संघीय करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी लगभग 11.51 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ी। महामारी के वर्षों के दौरान गिरावट को छोड़कर, इसने 2015-16 और 2024-25 के बीच लगातार वृद्धि को दिखाया है। यह घटक राज्य की राजकोषीय स्थिरता में प्राथमिक भूमिका निभाता है।

- **भारत सरकार से सहायता-अनुदान**

केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान और जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए अनुदान में कमी के कारण, दस साल की अवधि के उत्तरार्ध में विशेष रूप से 2023-24 और 2024-25 में भारत सरकार से सहायता-अनुदान में भारी गिरावट आई।

➢ **राजस्व व्यय**

राजस्व व्यय में राजस्व प्राप्तियों की तुलना में तेजी से वृद्धि हुई, जो लगभग 10.05 प्रतिशत सीएजीआर की दर से बढ़ी। हालांकि, 2020-21 को छोड़कर पूरे दशक में राज्य का राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से कम था, जो राजकोषीय स्थिरता को दर्शाता है। 2015-16 और 2024-25 के बीच की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 36.65 प्रतिशत और 45.42 प्रतिशत के बीच रहा।

- **ब्याज भुगतान**

लोक ऋण में वृद्धि के कारण ब्याज भुगतान में वृद्धि हुई, और लगभग 6.52 प्रतिशत की सीएजीआर पर वृद्धि हुई। इस प्रकार ब्याज भुगतान 2015-16 और 2024-25 के बीच की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 6.20 प्रतिशत और 10.31 प्रतिशत के बीच था।

- **सब्सिडी**

2015-16 और 2024-25 के बीच की अवधि में सब्सिडी मे लगभग 35.22 प्रतिशत की सीएजीआर से वृद्धि हुई, जिसमें महामारी के दौरान और उसके बाद तेजी से वृद्धि हुई, जो विस्तारित कल्याणकारी व्यय को दर्शाती है। बढ़ते सब्सिडी बोझ के लिए समय-समय पर समीक्षा की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसा व्यय लक्षित बना रहे और राज्य के वित्त पर दबाव न डाले।

➢ **पूँजीगत प्राप्तियाँ**

2015-16 और 2024-25 के बीच पूँजीगत प्राप्तियों में लगभग (-) 3.81 प्रतिशत की सीएजीआर से कमी आई है। गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ, जैसे कि ऋणों और अग्रिमों की वसूली, 2023-24 को छोड़कर अल्प रही।

➢ **पूँजीगत व्यय**

पूँजीगत व्यय में लगभग 9.46 प्रतिशत की सीएजीआर की वृद्धि हुई, जो परिसंपत्ति निर्माण पर बल देता है। पूँजीगत व्यय 2023-24 में सबसे अधिक था और 2024-25 के दौरान थोड़ा कम हो गया।

➢ **राजकोषीय घाटा**

राजकोषीय घाटा (रा. घा.) लगभग 2.61 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा। हालाँकि, 2020-21 को छोड़कर, 2015-16 और 2024-25 के बीच की अवधि के दौरान, यह संबंधित वर्षों के एमटीएफपीएस में निर्धारित लक्ष्यों के नीचे रहा।

➢ **प्राथमिक घाटा**

राज्य के पास 2021-22 से 2023-24 के दौरान प्राथमिक अधिशेष था, जबकि शेष वित्तीय वर्षों (2015-16 और 2024-25 के बीच) में राज्य के पास प्राथमिक घाटा था। पिछले दस वर्षों में प्राथमिक घाटा 0.61 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा।

➢ **बकाया देनदारियां**

पिछले दशक में बकाया देनदारियां दोगुनी से अधिक हो गईं, जो 2015-16 से 2024-25 के दौरान 9.67 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ रही हैं। 2017-21 की अवधि को छोड़कर, एमटीएफपीएस में ऋण-जीएसडीपी अनुपात निर्धारित सीमा से नीचे रहा।

दस साल का वित्तीय रुझान दर्शाता है कि:

- राजस्व व्यय में वृद्धि राज्य की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में अधिक थी, जिससे राजस्व असंतुलन हो सकता है।
- बढ़ती सब्सिडी और प्रतिबद्ध व्यय ने विकास योजनाओं पर व्यय के लिए जगह कम कर दी।
- बढ़े हुए पूँजीगत व्यय ने दीर्घकालिक परिसंपत्ति निर्माण और आर्थिक विकास को दर्शाया।

1.1.5 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के स्रोतों और निधियों के अनुप्रयोग के घटकों की तुलना **चार्ट 1.6** में दी गई है।

चार्ट 1.6: 2024-25 के दौरान निधि के स्रोतों और अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

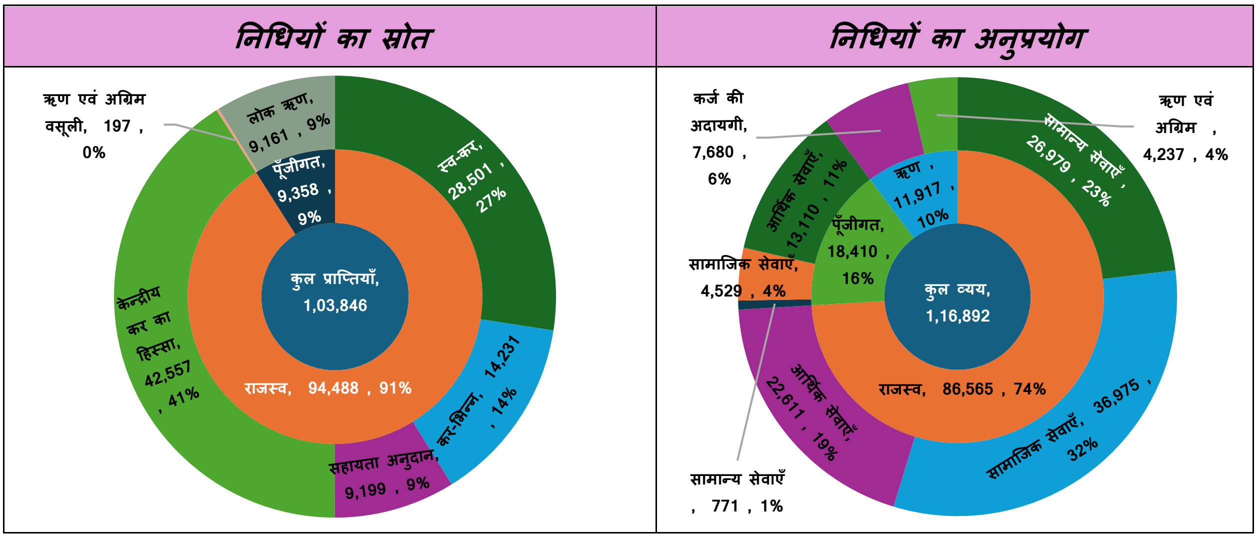

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.3 में वर्तमान वर्ष के साथ-साथ विगत वर्ष के दौरान प्राप्तियों और संवितरणों और राज्य की समग्र वित्तीय स्थिति का विवरण दिया गया है।

1.1.6 सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं का आशुचित्र

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं और व्यय से सृजित परिसंपत्तियों को दर्शाते हैं। **परिशिष्ट 1.4** में ऐसी देयताओं और संपत्तियों का सार दिया गया है, जो 31 मार्च 2025 को विगत वर्ष की संबंधित स्थिति से तुलना है। देयताओं में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम, लोक लेखा और रक्षित निधि से प्राप्तियाँ शामिल हैं। परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत व्यय, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम और नकद शेष शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए परिसंपत्तियों और देयताओं की एक संक्षिप्त स्थिति **तालिका 1.4** में दी गई है।

तालिका 1.4: परिसंपत्तियों और देयताओं की स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

देयताएं					परिसंपत्ति				
		2023-24	2024-25	*प्रतिशत वृद्धि / कमी*			2023-24	2024-25	*प्रतिशत वृद्धि / कमी*
समेकित निधि									
क	आंतरिक ऋण	70,658.82	69,595.32	-1.51	क	सकल पूँजीगत व्यय	1,39,979.87	1,58,389.84	13.15
ख.	भारत सरकार से ऋण और अग्रिम*	16,148.68	15,574.66	-3.55	ख.	ऋण और अग्रिम	25,527.35	29,567.76	15.83
आकस्मिकता निधि		**500**	**500**	**0**					
लोक लेखा									
क	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	1,557.43	2,238.21	43.71	क	विभागीय अधिकारियों के साथ अग्रिम	0	4.22	100
ख.	जमा	30,847.92	31,560.28	2.31	ख.	प्रेषण	0	0	0
ग	रक्षित निधि	10,666.62	14,725.39	38.05	ग	उचंत और विविध	0	0	0
घ	प्रेषण	48.08	224.38	366.68	नकद शेष (कर्णांकित निधियो में निवेश सहित)		10,735.61	3,295.67	-69.30
च	उचंत और विविध	380.83	362.72	-4.76	उचंत और विविध		0.00	0.00	0.00
	व्यय पर प्राप्तियों की संचयी अधिकता	45,434.45	56,476.53	24.30	प्राप्तियों पर व्यय की संचयी अधिकता		0.00	0.00	0.00
कुल		**1,76,242.83**	**1,91,257.49**	**8.52**	**कुल**		**1,76,242.83**	**1,91,257.49**	**8.52**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* *खातों में प्रोफार्मा सुधार करके 2024-25 की आरंभिक शेष राशि में ₹ 3,118.51 करोड़ (बैक-टू-बैक ऋण) की कमी की गई है।*

1.2 राज्य की समेकित निधि

राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए गए सभी ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और ऋण के पुनर्भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन राज्य के समेकित निधि का हिस्सा हैं।

1.2.1 राजस्व प्राप्तियाँ

पांच वर्ष की अवधि (2020-25) में जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति और वृद्धि **तालिका 1.5** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.5: राजस्व प्राप्तियों में प्रवृति

(₹ करोड़ में)

मानदंड	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व प्राप्तियाँ	**56,150**	**69,722**	**80,245**	**87,929**	**94,489**
कर राजस्व	**36,592**	**49,025**	**56,522**	**65,357**	**71,058**
स्व-कर राजस्व	*16,880*	*21,290*	*25,118*	*28,005*	*28,501*
संघ के करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी	*19,712*	*27,735*	*31,404*	*37,352*	*42,557*
गैर-कर राजस्व	**7,564**	**10,031**	**12,830**	**13,425**	**14,231**
भारत सरकार से सहायता-अनुदान	**11,993**	**10,667**	**10,894**	**9,146**	**9,199**
राज्य का स्व-राजस्व (स्व-कर और गैर-कर राजस्व)	24,444	31,321	37,948	41,430	42,732
जीएसडीपी (2011-12 श्रृंखला)	2,96,664	3,76,127	4,14,308	4,65,638	5,16,255
वर्ष-दर-वर्ष विकास दर (प्रतिशत में)					
राजस्व प्राप्तियाँ	-3.88	24.17	15.09	9.58	7.46
राज्य का स्व-राजस्व	-4.22	28.13	21.16	9.18	3.14
राज्य का स्व-कर राजस्व	0.65	26.12	17.98	11.50	1.77
जीएसडीपी	-4.4	26.79	10.15	12.39	10.87
उत्प्लावकता अनुपात					
जीएसडीपी के मुकाबले राज्य के स्व-कर राजस्व में वृद्धि	*	0.97	1.77	0.93	0.16

स्रोत: जीएसडीपी आंकड़ों के लिए एमओएसपीआई और राजस्व प्राप्तियों के लिए वित्त लेखे

** उत्प्लावकता अनुपात की गणना नहीं की गई क्योंकि जीएसडीपी वृद्धि नकारात्मक थी।*

राजस्व प्राप्तियों का जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में और राजस्व प्राप्तियों में विभिन्न स्रोतों का योगदान **चार्ट 1.7** और **चार्ट** 1.8 में दिया गया है।

चार्ट 1.7: जीएसडीपी से राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता

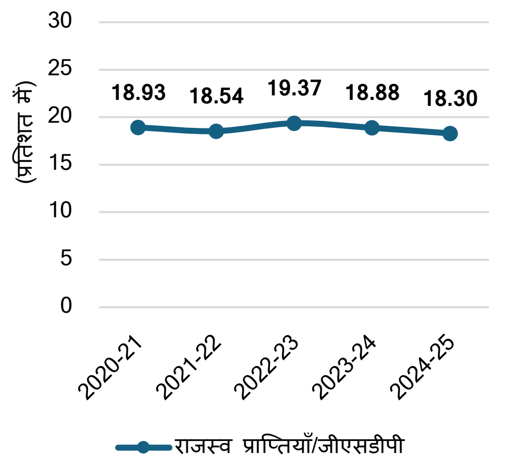

चार्ट 1.8: राजस्व प्राप्तियों में योगदान

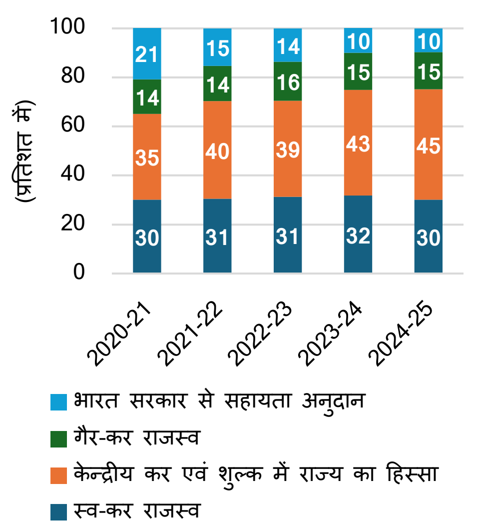

जैसा कि **तालिका 1.5** से देखा जा सकता है, चालू वर्ष में जीएसडीपी के लिए राज्य के स्व-कर राजस्व की उत्प्लावकता में कमी आई है। यह जीएसडीपी की तुलना में

स्व-कर राजस्व की कम वृद्धि के कारण है। इसके अलावा, जैसा कि **चार्ट 1.7** से देखा जा सकता है, राजस्व प्राप्तियों से जीएसडीपी अनुपात में 2022-23 से कमी की प्रवृत्ति दिखाई गई। राजस्व प्राप्तियों में संघीय करों और शुल्कों में राज्य के हिस्से का योगदान पिछले दो वर्षों में बढ़ा है, जैसा कि **चार्ट 1.8** में देखा जा सकता है।

क. राज्य के अपने संसाधन

चार्ट 1.9: राज्य के स्व-राजस्व का विवरण

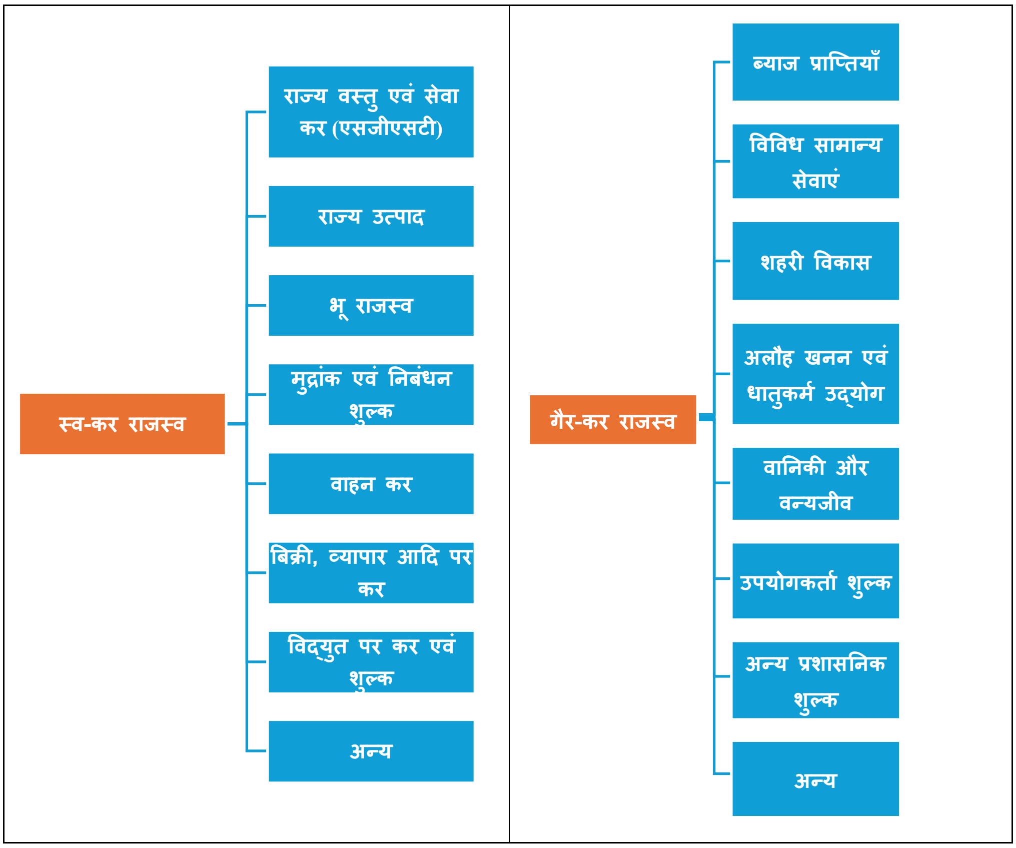

(i) स्व-कर राजस्व

स्व-कर राजस्व वह राजस्व है जो राज्य सरकार द्वारा संविधान के तहत लगाए जाने वाले करों के माध्यम से एकत्र किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के वास्तविक, बजट अनुमान (ब.अ.), पुनरीक्षित अनुमान (पु.अ.), और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्व-कर राजस्व के वास्तविक **तालिका 1.6** में दिए गए हैं।

तालिका 1.6: स्व-कर राजस्व: 2023-24 (वास्तविक) और 2024-25 (बजट अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान, और वास्तविक)

(₹ करोड़ में)

कर राजस्व	2023-24 (वास्तविक)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (वास्तविक)
राज्य उत्पाद एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	12,348	15,375	15,000	13,980
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,949	9,121	9,000	6,686
राज्य उत्पाद शुल्क	2,376	2,700	2,800	2,708
विद्युत पर कर और शुल्क	1,395	1,413	1,450	1,367
भू राजस्व	1,666	1,700	1,700	543
स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क	1,468	1,450	1,500	1,258
वाहनों पर कर	1,756	2,350	2,290	1,912
अन्य	47	88	87	47
कुल	**28,005**	**34,197**	**33,827**	**28,501**

स्रोत: राज्य के वित्त लेखे और बजट दस्तावेज

जैसा कि **तालिका 1.6** से देखा जा सकता है, राज्य के स्व-कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 2024-25 के दौरान मामूली वृद्धि हुई है।

2020-21 से 2024-25 के दौरान स्व-कर राजस्व और इसके घटकों की प्रवृत्तियाँ क्रमशः **चार्ट 1.10** और **चार्ट 1.11** में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 1.10: वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान स्व-कर राजस्व की प्रवृत्तियाँ

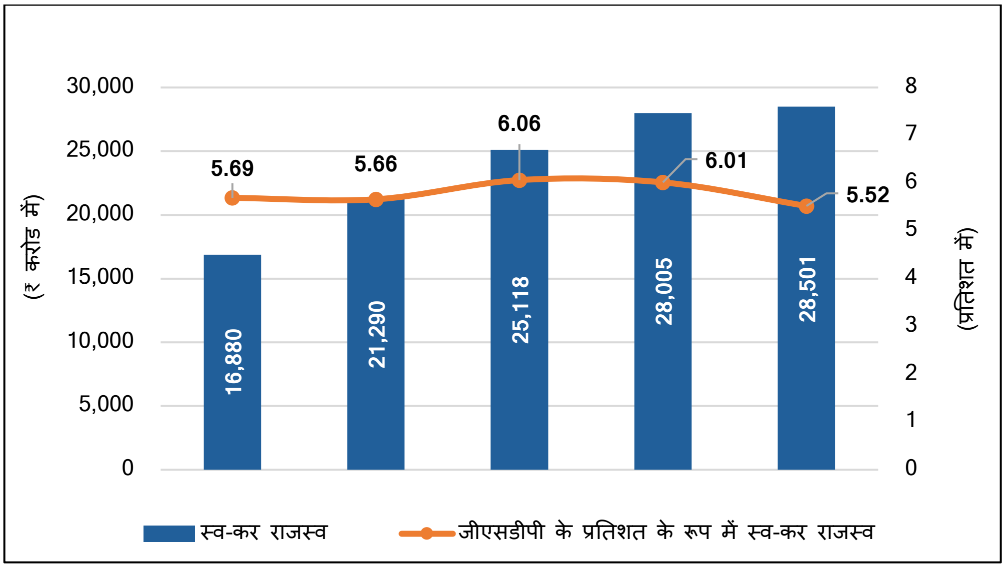

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.11: राज्य के स्व-कर राजस्व के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)

स्रोत: वित्त लेखे

जैसा कि **चार्ट 1.11** से देखा जा सकता है, राज्य के स्व-कर संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली वृद्धि हुई है। हालांकि, एसजीएसटी और भू-राजस्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए, जैसा कि नीचे दिया गया है:

- राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) में ₹ 1,632 करोड़ की वृद्धि हुई। इसमे महत्वपूर्ण वृद्धि एसजीएसटी और आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रॉस यूटिलाइजेशन' और 'एसजीएसटी के कर घटक के हस्तांतरण में आईजीएसटी हस्तांतरण का विभाजन' के कारण हुआ।
- 2024-25 के दौरान भू-राजस्व संग्रह ₹ 1,123 करोड़ से उल्लेखनीय रूप से घटकर ₹ 543 करोड़ रह गया। पिछले तीन वर्षों के दौरान उच्चतर प्राप्तियाँ पट्टे पर सरकारी भूमि के हस्तांतरण के कारण थीं।

(ii) गैर-कर राजस्व

राज्य का गैर-कर राजस्व राज्य सरकार की करों के अलावा अन्य स्रोतों जैसे किराया, शुल्क, रॉयल्टी और अन्य प्राप्तियों से संबंधित है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए गैर-कर राजस्व के वास्तविक, बजट अनुमान (ब. अ.), संशोधित अनुमान (सं. अ.), और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक, **तालिका 1.7** में दिया गया है।

तालिका 1.7: गैर-कर राजस्व: 2023-24 (वास्तविक) और 2024-25 (बजट अनुमान, राजस्व व्यय, और वास्तविक)

(₹ करोड़ में)

गैर-कर राजस्व	2023-24 (वास्तविक)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (वास्तविक)
गैर-लौह अयस्क खनन और धातुकर्म उद्योग	10,597	15,500	17,642	12,086
वानिकी और वन्य जीवन	816	900	100	926
ब्याज प्राप्तियाँ	431	380	572	137
उपयोगकर्ता प्रभार*	283	347	464	386
शहरी विकास	138	267	175	165
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	186	210	200	49
विविध सामान्य सेवाएं	413	946	295	4.
अन्य	561	750	579	578
कुल	**13,425**	**19,300**	**20,027**	**14,231**

**शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और स्वच्छता, सिंचाई, परिवहन और पर्यटन से संबंधित सभी गैर-कर राजस्व, जिसका प्रमुख शीर्ष 0202, 0210, 0700, 0701, 1054 और 1452 से संबंधित हैं, उपयोगकर्ता शुल्क हैं।*

वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान गैर-कर राजस्व और इसके घटकों की प्रवृत्तियाँ क्रमशः **चार्ट 1.12** और **चार्ट 1.13 में** दिखाई गई हैं।

चार्ट 1.12: गैर-कर राजस्व में रुझान

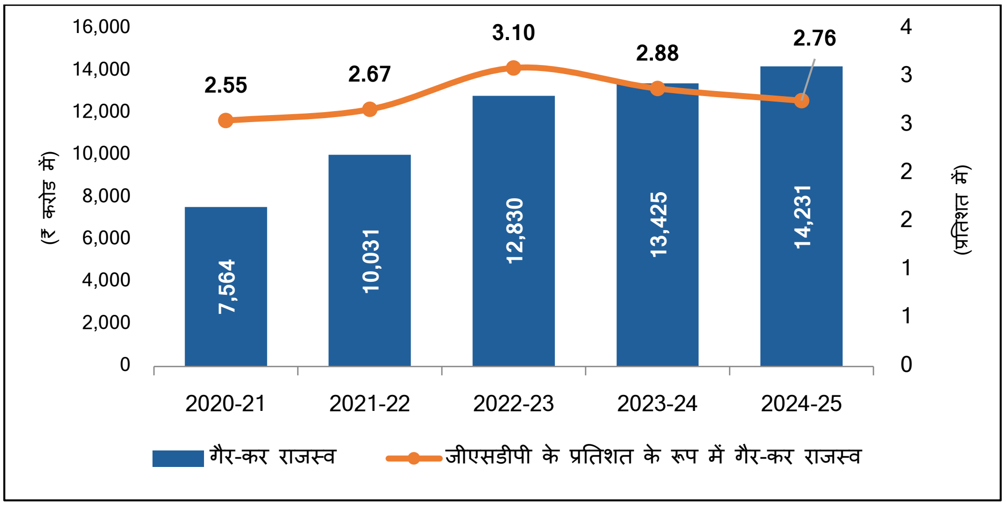

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों के तहत राजस्व संग्रह में वृद्धि के कारण 2024-25 में गैर-कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में छह प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो आंशिक रूप से विविध सामान्य सेवाओं, ब्याज प्राप्तियों और अन्य प्रशासनिक सेवाओं के तहत कम संग्रह से प्रतिपूरित हुई।

चार्ट 1.13: राज्य के गैर-कर राजस्व के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)

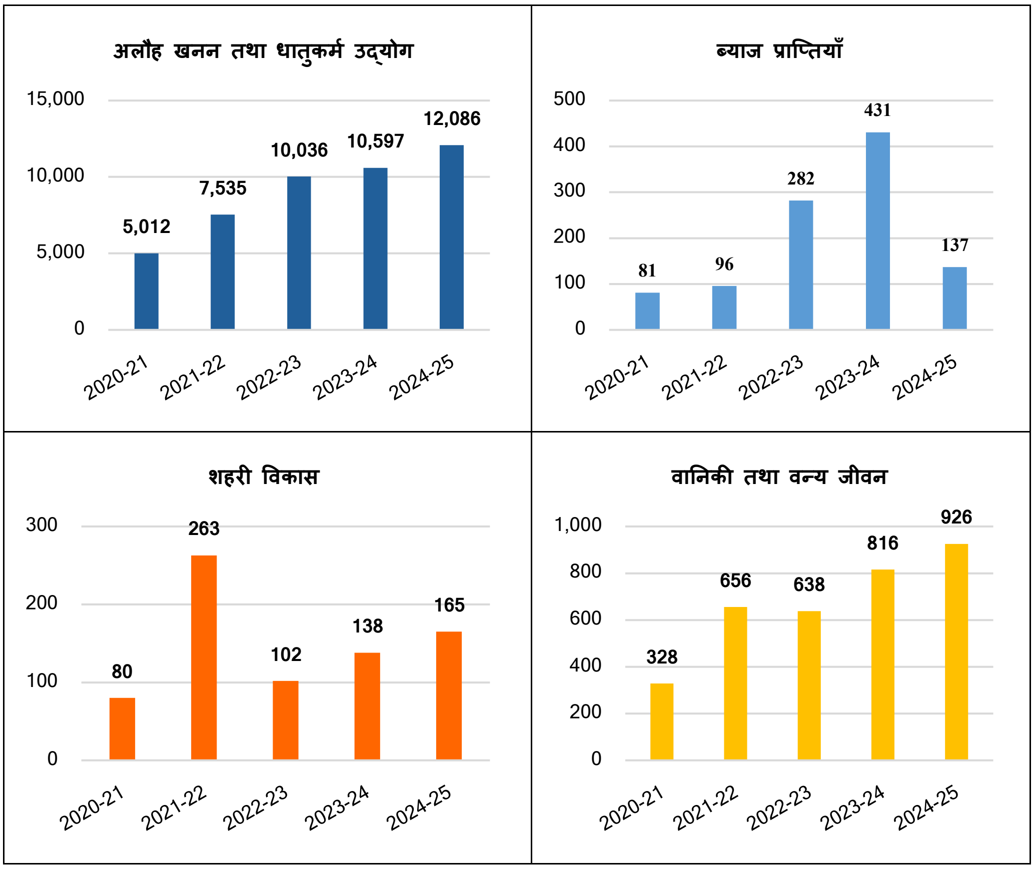

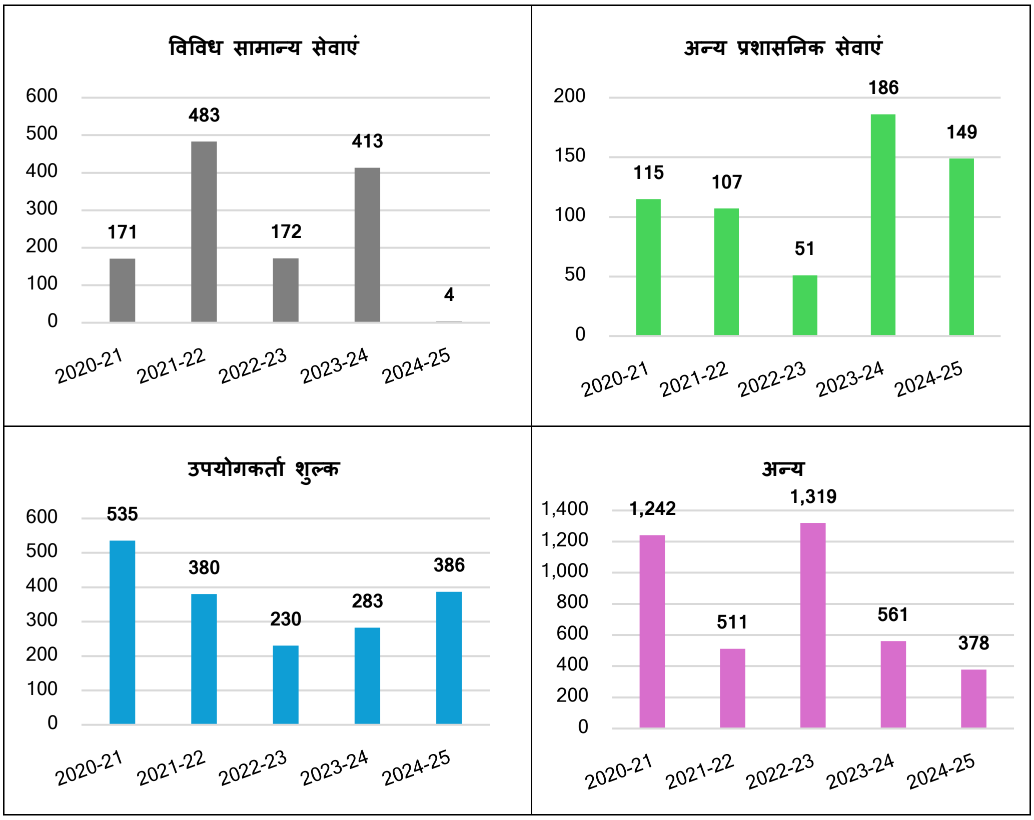

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

यद्यपि अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों के तहत राजस्व संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तथापि राज्य के अनुमान की तुलना में इसका संग्रह बहुत कम रहा है। ब्याज प्राप्तियों और विविध सामान्य सेवाओं का संग्रह भी बजट अनुमानों से काफी कम था।

ख. संघीय करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा

संघीय करों और शुल्कों में राज्य के हिस्से के घटकों का रुझान **तालिका 1.8** में दिखाए गए हैं।

तालिका 1.8: संघीय करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी

(₹ करोड़ में)

घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	5,863	8,367	8,874	11,336	12,429
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आइजीएसटी)	0	0	0	0	0
निगम कर	5,944	7,139	10,529	11,212	12,076
निगम कर के अलावा आय पर कर	6,093	8,693	10,279	12,948	15,400
सीमा शुल्क	1,050	2,060	1,235	1,309	2,165
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	663	1,089	387	495	417
सेवा कर	85	356	49	7	1
अन्य कर	14	31	51	45	69
कुल	**19,712**	**27,735**	**31,404**	**37,352**	**42,557**

स्रोत: वित्त लेखे

जीएसडीपी से केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य के हिस्से का प्रतिशत **चार्ट 1.14** में दिया गया है।

चार्ट 1.14: जीएसडीपी के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य के कुल हिस्से का प्रतिशत

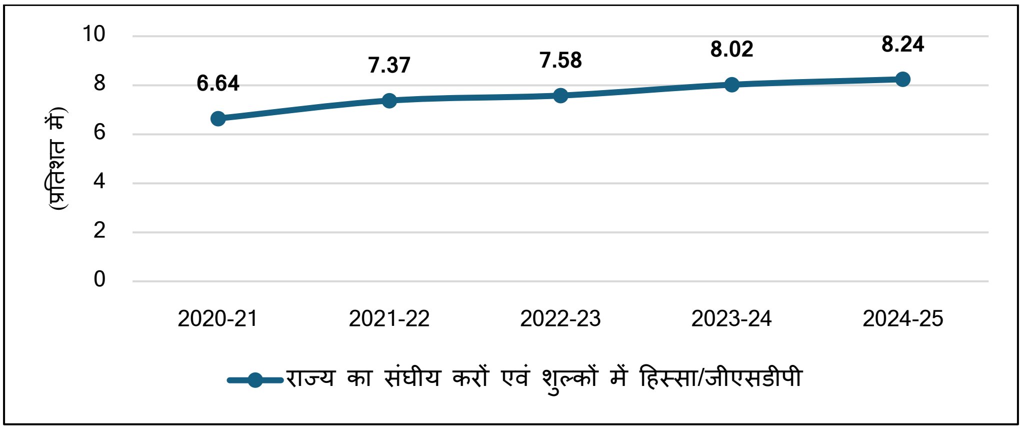

2020-21 से 2024-25 के दौरान संघीय करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी।

वर्ष के दौरान संघीय करों और शुल्कों में राज्य के हिस्से की वृद्धि दर पिछले वर्ष की 19 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में केवल 14 प्रतिशत थी। हालांकि, जीएसडीपी में इसका प्रतिशत 2023-24 में 8.02 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 8.24 प्रतिशत हो गया, जैसा कि **चार्ट 1.14** में देखा जा सकता है।

ग. भारत सरकार से सहायता-अनुदान

भारत सरकार से सहायता-अनुदान और उसके घटकों की प्रवृत्ति **तालिका 1.9** में दिखाई गई है।

तालिका 1.9: भारत सरकार से सहायता-अनुदान

(₹ करोड़ में)

घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
केन्द्र प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान	0.00	0.00	0.00	(-) 63.36	0.00
केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	6,838.85	6,577.16	6,871.79	6,330.07	6,714.04
वित्त आयोग अनुदान	2,990.50	2,198.30	1,826.59	2,378.28	2,144.92
विधायिका वाले राज्यों / संघ शासित प्रदेशों को अन्य अंतरण / अनुदान	2,164.06	1,891.40	2,195.16	501.27	339.65
कुल	**11,993.41**	**10,666.86**	**10,893.54**	**9,146.26**	**9,198.61**

स्रोत: वित्त लेखे

जीएसडीपी से भारत सरकार से सहायता-अनुदान का प्रतिशत **चार्ट 1.15** में दिया गया है।

चार्ट 1.15: जीएसडीपी से भारत सरकार से सहायता-अनुदान का प्रतिशत

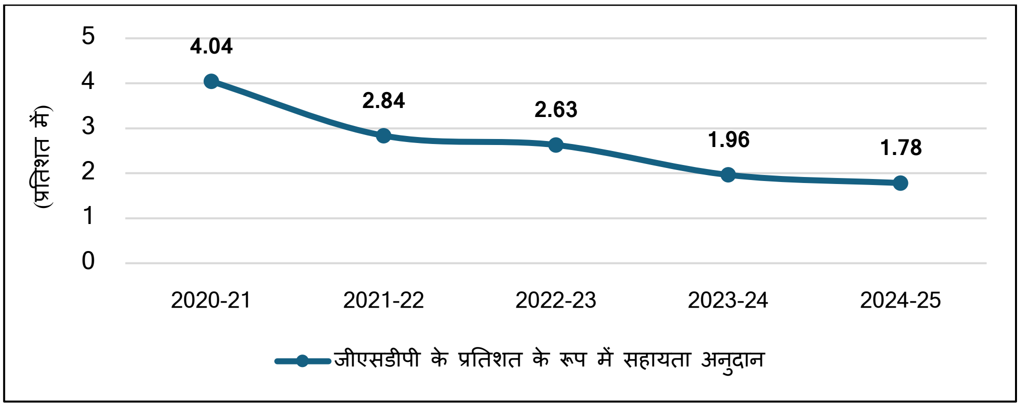

भारत सरकार से सहायता-अनुदान 2020-21 में ₹ 11,993.41 करोड़ से घटकर 2024-25 में ₹ 9,198.61 करोड़ हो गई, जो वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण राजस्व के नुकसान के लिए राज्य को मुआवजे की समाप्ति के कारण हुई थी। हालांकि, 2023-24 और 2024-25 के दौरान सहायता-अनुदान लगभग समान रहा।

(i) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान

वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ₹ 6,714.04 करोड़ के अनुदान में से, **तालिका 1.10** में दर्शाई गई योजनाओं के लिए राज्य के बजट में प्रमुख आवंटन किए गए थे।

तालिका 1.10: अनुदान प्राप्त करने वाली प्रमुख योजनाएं

योजना का नाम	2023-24 राशि (₹ करोड़ में)	2024-25 राशि (₹ करोड़ में)	पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन की प्रतिशतता
सर्व शिक्षा अभियान के तहत समग्र शिक्षा	1,354.00	1,234.00	-8.86
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन	181.73	82.27	-54.73
प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)	162.08	98.35	-39.32
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों और पुलों का निर्माण	231.46	971.77	319.84
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	12.00	658.22	5385.17
इंदिरा गाँधी वृद्धावस्था पेंशन योजना	227.73	259.19	13.81

स्रोत: वित्त लेखे

जैसा कि देखा जा सकता है, 2023-24 और 2024-25 के बीच राज्य को प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए किए गए आवंटन में महत्वपूर्ण भिन्नता थी (समग्र शिक्षा अभियान के मामले को छोड़कर)। हालाँकि, इन अंतरों के कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।

(ii) पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान

पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान स्थानीय निकायों, राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ), राज्य आपदा शमन कोष (एसडीएमएफ) और स्थानीय निकायों (एलबी) के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए राज्यों को प्रदान किए गए थे। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण **तालिका 1.11** में दिया गया है।

तालिका 1.11: अनुशंसित राशि, वास्तविक जारी तथा सहायता-अनुदान का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

हस्तांतरण		2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश	2024-25 के दौरान भारत सरकार द्वारा वास्तविक विमुक्ति	राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई कुल राशि (प्रतिशत में)
(i) पीआरआई को अनुदान		**1,385.00**	**653.50**	**653.50 (47)**
(ए) परफ़ोर्मेंस/ टाइड		831.00	392.10	392.10 (100)
(बी) अनटाइड अनुदान		554.00	261.40	261.40 (100)
(ii) यूएलबी को अनुदान		**713.00**	**0.00**	**0.00**
(ए) मिलियन प्लस शहर (परफ़ोर्मेंस / टाइड अनुदान)		279.00	0.00	**0.00**
(बी) गैर-मिलियन प्लस शहर (60 प्रतिशत टाइड + 40 प्रतिशत अनटाइड अनुदान)		434.00	0.00	**0.00**
(iii) स्थानीय निकाय के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान		**492.10**	**464.22**	**130.24 *(28)***
स्थानीय निकायों के लिए कुल (i+ ii+iii)		**2,590.10**	**1,117.72**	**783.74 *(70)***
राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ)	केन्द्रीय हिस्सा	526.00	1,027.20	465.79 *(45)*
	राज्य का हिस्सा	175.00	0.00	
राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ)	केन्द्रीय हिस्सा	131.55	0.00	227.20[1]
	राज्य का हिस्सा	43.85	0.00	75.60[2]
एसडीआरएमएफ के लिए कुल		**876.40**	**1,027.20**	**768.59[3] (75)**

स्रोत: 15वीं वित्त आयोग प्रतिवेदन एवं वित्त लेखे

पीआरआई - पंचायती राज संस्थाएं और यूएलबी - शहरी स्थानीय निकाय

जैसा कि **तालिका 1.11** से देखा जा सकता है, राज्य ने स्थानीय निकाय के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र' और 'एसडीआरएफ' के लिए भारत सरकार से प्राप्त पूरी राशि को उचित निकायों / खातों में जारी नहीं किया, जिससे न केवल राज्य के लिए देनदारी पैदा हुई, बल्कि इच्छित योजनाओं / उद्देश्यों को भी प्रभावित किया गया।

राज्य को 2024-25 के दौरान मार्च 2024 के बाद पूर्व निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं करने के कारण पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान की दूसरी किस्त प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि राज्यों को अनुदान केवल राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की सिफारिशों पर ही जारी किया जाना था। 2004 और 2024 के बीच चार एसएफसी का गठन किया गया था लेकिन कोई सिफारिश नहीं की गई थी। राज्य द्वारा फरवरी 2024 में 5वें राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है, लेकिन 2024-25 के दौरान सिफारिशों को नहीं अपनाया गया था।

इसके अलावा, पूर्व निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं करने के कारण राज्य को शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए 2024-25 के दौरान भारत सरकार से अनुदान नहीं मिला क्योंकि यूएलबी केवल तभी अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र माने जाएंगे जब

1 2021-22 और 2022-23 के दौरान क्रमशः 2020-21 और 2021-22 के लिए प्रति वर्ष प्राप्त ₹ 113.60 करोड़ 2024-25 के दौरान राज्य द्वारा जारी किए गए।

2 राज्य हिस्से के रूप में 2020-21 और 2021-22 प्रति वर्ष के लिए ₹ 37.80 करोड़, 2024-25 के दौरान राज्य द्वारा हस्तांतरित।

3 कुल में फुटनोट 1 और 2 में दिखाई गई राशि भी शामिल है।

विधिवत निर्वाचित निकाय स्थापित हो जाएं। चूंकि, राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव नहीं हुए हैं, इसलिए यूएलबी अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं थे।

1.2.2 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ शामिल हैं जैसे कि विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋणों और अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों / वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम।

2020-21 से 2024-25 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों और उनके घटकों की प्रवृत्तियाँ **तालिका 1.12** में दिखाई गई हैं।

तालिका 1.12: पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि और संरचना की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
पूँजीगत प्राप्तियाँ	**13,595.36**	**11,131.60**	**9,188.71**	**15,523.83**	**9,357.31**
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋणों और अग्रिमों की वसूली	48.78	1,291.73	46.41	7,276.70	196.69
लोक ऋणप्राप्तियाँ	13,546.58	9,839.87	9,142.30	8,247.13	9,160.62
*आंतरिक ऋण**	*10,958.31*	*6,594.22*	*5,515.20*	*3,120.45*	*6,230.71*
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	*2,588.27*	*3,245.65*	*3,627.10*	*5,126.68*	*2,929.91*
वर्ष-दर-वर्ष विकास दर (प्रतिशत में)					
जीएसडीपी	(-) 4.40	26.79	10.15	12.39	10.87
पूँजीगत प्राप्तियाँ	41.00	(-) 18.12	(-) 17.45	68.94	(-)39.72
लोक ऋण प्राप्तियाँ	41.21	(-) 27.36	(-) 7.09	(-) 9.79	11.08
आंतरिक ऋण	19.54	(-) 39.82	(-) 16.36	(-) 43.42	99.67
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	507.60	25.40	11.75	41.34	(-)42.85

स्रोत: वित्त लेखे

* अर्थोपाय अग्रिम के तहत शुद्ध आंकड़ा सहित

जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत प्राप्तियाँ **चार्ट 1.16** में दर्शाई गई हैं

चार्ट: 1.16 जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत प्राप्तियाँ

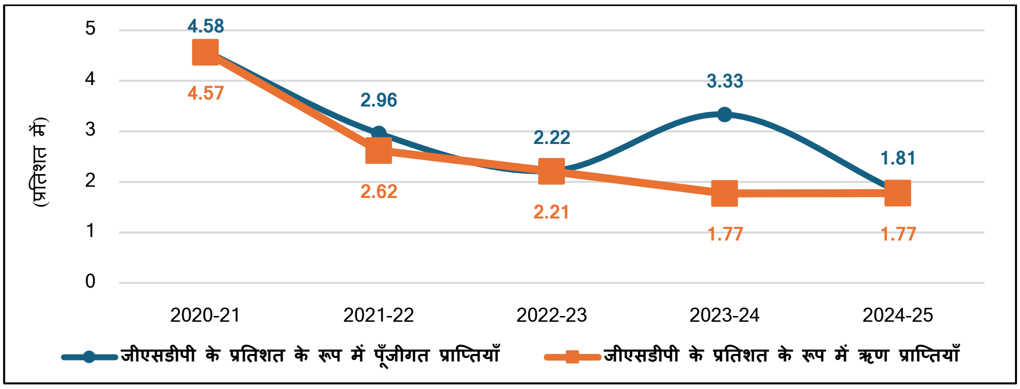

राज्य की ऋण प्राप्तियाँ अधिक नहीं थीं, बल्कि यह देखा जा सकता है कि वे 2020-21 से 2023-24 की अवधि के दौरान घट रही थीं। हालांकि, चालू वर्ष के दौरान इनमें ₹ 913.49 करोड़ की वृद्धि हुई है। जैसा कि **चार्ट 1.16** से देखा जा सकता है**,** 2020-21 से 2023-24 की अवधि के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में ऋण प्राप्तियों ने कमी की प्रवृत्ति दिखाई।

राज्य डिस्कॉम द्वारा ऋणों और अग्रिमों की अप्रयुक्त शेष राशि के अभ्यर्पण के कारण 2023-24 के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत प्राप्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।

1.2.3 वित्त आयोग के अनुमान और वास्तविक आँकड़े

वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 15वें वित्त आयोग के अनुमानित राजस्व, घाटे और जीएसडीपी तथा वास्तविक आंकड़े **तालिका 1.13** में दिए गए हैं।

तालिका 1.13: वास्तविकी के मुकाबले 15वें एफसी का अनुमान

(₹ करोड़ में)

	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
	अनुमान	वास्तविक	अनुमान	वास्तविक	अनुमान	वास्तविक	अनुमान	वास्तविक
जीएसडीपी (2011-12 श्रृंखला - वर्तमान मूल्य)	3,19,220	3,76,127	3,44,757	4,14,308	3,75,786	4,65,638	4,11,485	5,16,255
स्व-राजस्व प्राप्तियाँ	23,962	31,321	26,179	37,948	28,902	41,430	32,079	42,732
राज्य का स्व-कर राजस्व	15,041	21,290	16,472	25,118	18,235	28,005	20,297	28,501
राज्य का गैर-कर राजस्व	8,921	10,031	9,707	12,830	10,667	13,425	11,782	14,231
संघीय करों / शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी	21,780	27,735	24,228	31,405	27,262	37,352	30,972	42,557
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा (+)/ अधिशेष (-)	-2.20	-1.85	-2.70	-3.27	-3.30	-2.42	-3.80	-1.53
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा	4.00	0.69	3.50	1.11	3.00	1.36	3.00	2.81

जैसा कि **तालिका 1.13** से देखा जा सकता है, स्व-कर और गैर-कर प्राप्तियों सहित स्व-राजस्व प्राप्तियों के वास्तविक संग्रह में उपलब्धि, 15वें वित्त आयोग के अनुमानों से अधिक थी।

1.2.4 व्यय

सरकारी व्यय को राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय और ऋण और अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व व्यय में रखरखाव, मरम्मती और विभागों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज के लिए लागत शामिल है, जिसमें प्रशासनिक और स्थापना व्यय भी शामिल हैं। पूँजीगत व्यय परियोजनाओं के प्रारंभिक निर्माण और परिसंपत्तियों में स्वीकृत सुधार या परिवर्धन से संबंधित है। ऋण और अग्रिम में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थाओं को सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि शामिल है, जो समय के साथ वसूल की जा सकती है। व्यय का विवरण, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय और इसके घटकों का हिस्सा क्रमशः **तालिका 1.14**, **चार्ट 1.17** और **चार्ट 1.18** में दिया गया है।

तालिका 1.14: कुल व्यय और उसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

मानदंड	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल व्यय (कु. व्यय)	71,110	73,618	84,908	1,01,537	1,09,212
राजस्व व्यय (रा. व्यय)	59,264	62,778	66,681	76,676	86,565
पूँजीगत व्यय (पूँ. व्यय)	8,466	9,377	14,016	20,570	18,410
ऋण और अग्रिम	3,380	1,463	4,211	4,291	4,237

स्रोत: वित लेखे

चार्ट 1.17: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय

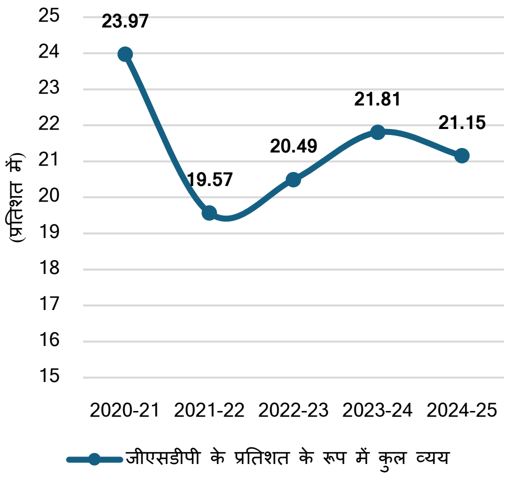

चार्ट 1.18: कुल व्यय में घटक की हिस्सेदारी

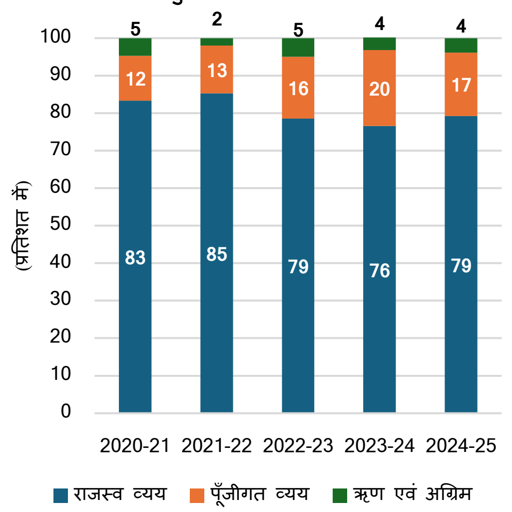

स्रोत: वित लेखे

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य द्वारा किए गए ₹ 1,09,212 करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 653.50 करोड़ पीआरआई और यूएलबी के लिए वित्त आयोग से प्राप्त पास-थ्रू लेनदेन से संबंधित थे।

जैसा कि **चार्ट 1.18** से देखा जा सकता है, कोविड के बाद के वर्षों (2022-23 और 2023-24) में पूँजीगत व्यय की हिस्सेदारी अधिक थी। यह ग्रामीण विकास और परिवहन क्षेत्रों के तहत बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं पर बढ़े हुए व्यय के कारण था। इसके परिणामस्वरूप कुल व्यय में राजस्व व्यय का योगदान 2021-22 में 85.28 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 75.52 प्रतिशत हो गया। इसके बाद 2024-25 में पूँजीगत व्यय में गिरावट के कारण कुल व्यय में राजस्व व्यय की हिस्सेदारी में मामूली वृद्धि हुई।

क्षेत्र-वार कुल व्यय

व्यय की क्षेत्र-वार संरचना **तालिका 1.15** में दी गई है और कुल व्यय में विभिन्न क्षेत्रों की सापेक्ष हिस्सादारी **चार्ट 1.19** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.15: क्षेत्र-वार कुल व्यय

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएं	20,674	22,290	24,134	26,559	27,749
सामाजिक सेवाएं	24,839	26,234	32,861	35,323	41,504
आर्थिक सेवाएं	22,217	23,631	23,702	35,364	35,722
स्थानीय निकायों को अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण और अग्रिम	3,380	1,463	4,211	4,291	4,237
कुल व्यय	**71,110**	**73,618**	**84,908**	**1,01,537**	**1,09,212**

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.19: कुल व्यय में विभिन्न क्षेत्रों की सापेक्ष हिस्सेदारी

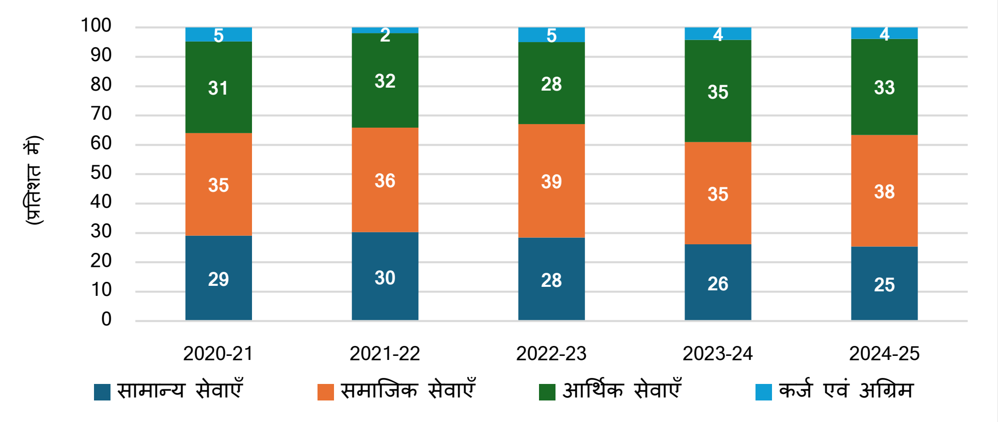

स्रोत: वित्त लेखे

जैसा कि **चार्ट 1.19** में दिखाया गया है, 2020-25 की अवधि के दौरान सामाजिक सेवाओं का कुल व्यय में एक बड़ा हिस्सा था, इसके बाद आर्थिक सेवाओं का था, जबकि सामान्य सेवाओं जैसे प्रशासनिक व्यय में कोविड के बाद के वर्षों में कमी आई।

1.2.4.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्व के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप राज्य के बुनियादी ढांचे और सेवा नेटवर्क में कोई वृद्धि नहीं होती है। राजस्व व्यय में वृद्धि, कुल व्यय के अनुपात में इसकी वृद्धि, जीएसडीपी और राजस्व प्राप्तियाँ **तालिका 1.16** में दिखाई गई हैं।

तालिका 1.16: राजस्व व्यय - बुनियादी मापदंड

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल व्यय (कु. व्यय)	71,110	73,618	84,908	1,01,537	1,09,212
राजस्व व्यय (रा. व्यय)	59,264	62,778	66,681	76,676	86,565
राजस्व प्राप्तियाँ (रा. प्राप्तियाँ)	56,150	69,722	80,245	87,929	94,489
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	105.55	90.04	83.10	87.20	91.61
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	83.34	85.28	78.53	75.52	79.26
राजस्व व्यय/ जीएसडीपी (प्रतिशत)	19.98	16.69	16.09	16.47	16.77
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में)					
राजस्व व्यय	4.97	5.93	6.22	14.99	12.90
जीएसडीपी वृद्धि	-4.40	26.79	10.15	12.39	10.87

स्रोत: वित्त लेखे

क. क्षेत्र-वार राजस्व व्यय

राजस्व व्यय की क्षेत्र-वार संरचना **तालिका 1.17** में दी गई है और राजस्व व्यय में विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्ष हिस्सा **चार्ट 1.20** में दर्शाया गया है। विस्तृत क्षेत्र-वार व्यय **परिशिष्ट 1.3** में दिया गया है।

तालिका 1.17: क्षेत्र-वार राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएं	19,903	21,556	23,261	25,590	26,979
सामाजिक सेवाएं	23,347	24,639	27,640	28,709	36,975
आर्थिक सेवाएं	16,014	16,583	15,781	22,377	22,611
सहायता-अनुदान और योगदान	0	0	0	0	0

स्रोत: वित्त लेखे

सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय का एक बड़ा हिस्सा व्यय हुआ जबकि आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय का एक बड़ा हिस्सा व्यय हुआ।

चार्ट 1.20: राजस्व व्यय में विभिन्न क्षेत्रों की सापेक्ष हिस्सेदारी

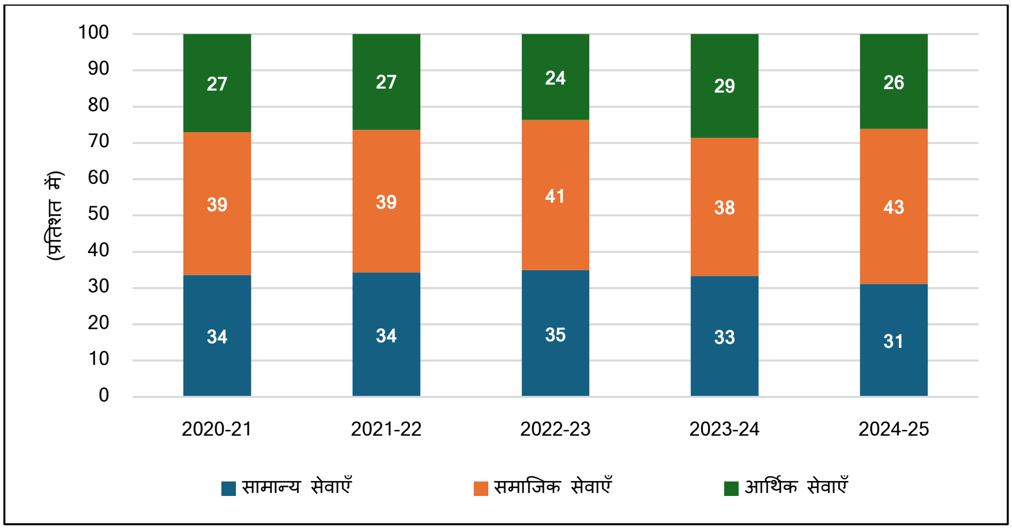

स्रोत: वित्त लेखे

चूंकि झारखण्ड एक राजस्व अधिशेष राज्य है और 2024-25 के दौरान अल्प वृद्धि को छोड़कर कोविड के बाद के वर्षों में इसका राजस्व व्यय का कुल व्यय से अनुपात कम हो गया, जिसके कारण पूँजीगत व्यय के लिए अधिक राजकोषीय गुंजाइश थी। 2020-21 (कोविड वर्ष) को छोड़कर, 2020-25 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय का जीएसडीपी से अनुपात 16 से 17 प्रतिशत के बीच रहा।

जैसा कि **चार्ट 1.20** में दिखाया गया है, सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय का अधिक हिस्सा था, जिसके बाद आर्थिक सेवाओं का था जो संकेत देता है कि राज्य ने विकास गतिविधियों जैसे शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति (₹ 12,775 करोड़), सामाजिक कल्याण और पोषण (₹ 15,928 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 8,674 करोड़) और ऊर्जा (₹ 7,908 करोड़) पर अधिक व्यय किया।

ब. प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान; वेतन और मजदूरी पर व्यय; और पेंशन शामिल हैं। इसका सरकारी संसाधनों पर पहला प्रभार है। प्रतिबद्ध व्यय के घटक **तालिका 1.18** में दिया गया है और राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और अन्य व्यय के लिए शेष राजकोषीय गुंजाइश **चार्ट 1.21** में दिया गया है।

तालिका 1.18: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
वेतन और मजदूरी[4]	12,837	13,929	14,852	15,634	16,849
पेंशन पर व्यय	6,797	7,614	7,803	9,014	9,522
ब्याज भुगतान	5,790	6,286	6,238	6,838	5,863
कुल	**25,424**	**27,829**	**28,893**	**31,486**	**32,234**
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय	42.90	44.33	43.33	41.06	37.24

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.21: राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और शेष राजकोषीय स्थान

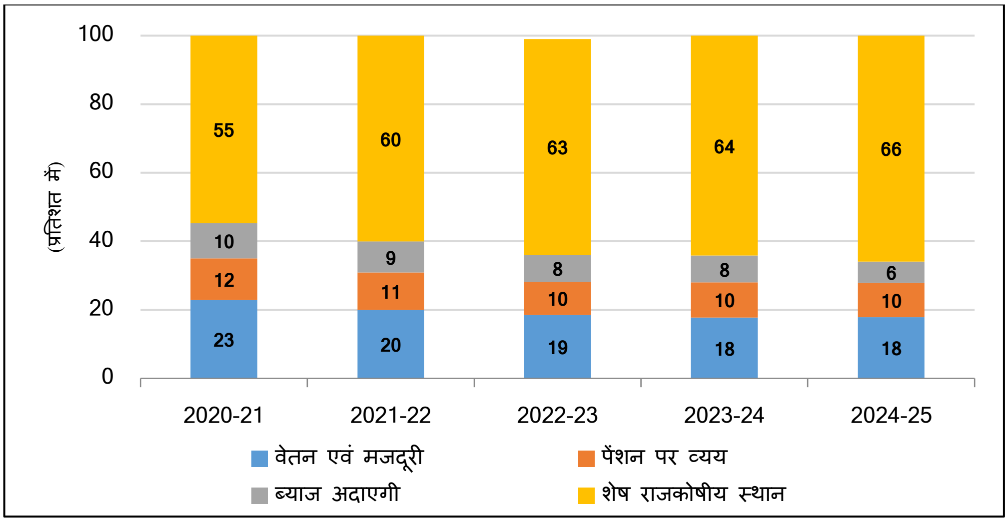

स्रोत: वित्त लेखे

जैसा कि **चार्ट 1.21** में दिखाया गया है, प्रतिबद्ध व्यय के घटकों की संरचना दर्शाता है कि राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय के प्रत्येक घटकों के योगदान में उतार-चढ़ाव के बावजूद, राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय की हिस्सेदारी 2021-22 से लगातार घट रही है, जिससे राज्य को अन्य प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक राजकोषीय स्थान मिल रहा है।

[4] इसमें सहायता-अनुदान (वेतन) शामिल है: 2020-21 (₹ 2,872 करोड़); 2021-22 (₹ 2,915 करोड़); 2022-23 (₹ 3,253 करोड़); 2023-24 (₹ 3,600 करोड़) और 2024-25 (₹ 4,172 करोड़)।

स. सब्सिडी

वर्तमान वर्ष के दौरान सब्सिडी में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 3,058 करोड़ (63.31 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से ऊर्जा सब्सिडी में ₹ 3,237 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

वितीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए विभाग-वार प्रमुख सब्सिडी, **तालिका 1.19** में दिखाई गई है।

तालिका 1.19: वितीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान विभाग-वार सब्सिडी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	फसल व कृषिकर्म	876	2,025	754	615	877
2	ऊर्जा	1,000	2,072	1,890	2,300	5,537
3	सार्वजनिक वितरण	1,243	1,318	1,367	1,689	1,233
4	डेयरी विकास	36	51	35	87	101
5	पशुपालन	40	30	39	133	124
6	अन्य विभाग	13	157	2	7	17
	कुल सब्सिडी	**3,208**	**5,653**	**4,087**	**4,831**	**7,889**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित लेखे, झारखण्ड सरकार

चार्ट 1.22: सब्सिडी का प्रवृत्ति विश्लेषण

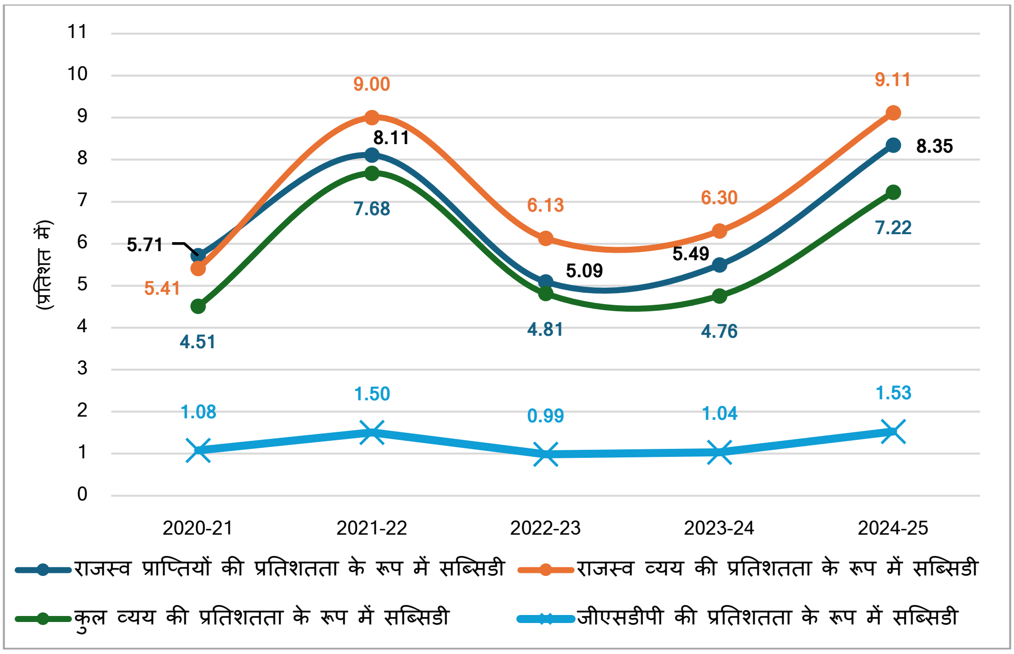

स्रोत: वित लेखे

2024-25 के दौरान सब्सिडी पर व्यय में तेजी से वृद्धि हुई क्योंकि राज्य सरकार ने अगस्त 2024 से प्रत्येक उपभोक्ता के लिए विद्युत की आपूर्ति बढ़ाकर 125 यूनिट से 200 यूनिट तक मुफ्त कर दी थी। 2024-25 के दौरान सब्सिडी में ₹ 3,058 करोड़ की वृद्धि के बावजूद, राज्य के पास वर्ष के दौरान ₹ 7,923.57 करोड़ का राजस्व अधिशेष था, और जीएसडीपी के अनुपात में राजकोषीय घाटा तीन प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे रहा।

प्रतिबद्ध व्यय और सब्सिडी से वित्तीय तनाव

चार्ट 1.23 और **चार्ट 1.24** क्रमशः वित्तीय वर्ष 2020-25 के दौरान राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और सब्सिडी को एक साथ दर्शाते हैं।

चार्ट 1.23 : राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और सब्सिडी

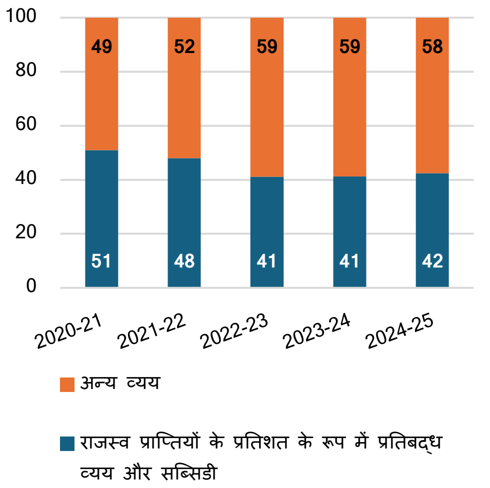

चार्ट 1.24 : राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और सब्सिडी

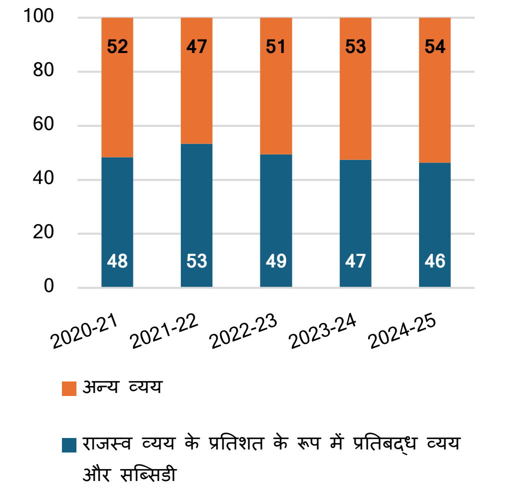

2024-25 में, राज्य के ₹ 32,234 करोड़ के प्रतिबद्ध व्यय में वेतन (₹ 16,849 करोड़), पेंशन (₹ 9,522 करोड़), और ब्याज भुगतान (₹ 5,863 करोड़) शामिल हैं, जो राजस्व प्राप्तियों का 34.11 प्रतिशत है। इसके अलावा, सब्सिडी ₹ 7,889 करोड़ थी, जिससे कुल अनम्य व्यय ₹ 40,123 करोड़ हो गया, जो राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 42.46 प्रतिशत था। इस तरह के व्यय की उच्च और अनम्य प्रकृति राजकोषीय गुंजाइश को महत्वपूर्ण रूप से संकुचित करती है, जिससे राज्य की पूँजीगत निवेश और विकाशशील प्राथमिकताओं के लिए संसाधनों का आवंटन करने की क्षमता सीमित हो जाती है।

वित्तीय लचीलेपन को बढ़ाने और एक स्थायी राजकोषीय मार्ग सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी के युक्तिकरण, बेहतर लक्षितकरण और वेतन एवं पेंशन प्रतिबद्धताओं के विवेकपूर्ण प्रबंधन के माध्यम से व्यय में सुधार किया जाना चाहिए।

द. स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को अनुदान के माध्यम से प्रदान की गई सहायता **तालिका 1.20** में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.20: स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थान	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
क. स्थानीय निकाय					
(i) नगर निगम और नगरपालिकाएँ	1,930.03	1,042.33	1,266.41	940.50	450.50
नगर निगमों और नगर पालिकाओं के पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता-अनुदान	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
(ii) जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थाएं	1,771.20	772.76	1,462.57	2,278.59	5,022.00
पीआरआई के लिए पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता-अनुदान	**78.00**	**125.68**	**95.00**	**750.29**	**4,148.83**
कुल (क) (i) + (ii)	**3,701.23**	**1,815.09**	**2,728.98**	**3,219.09**	**5,472.50**
ख. अन्य					
विश्वविद्यालय	1,771.17	1,807.60	2,393.67	2,423.63	2,410.61
विकास प्राधिकरण	8,283.26	8,751.59	8,033.52	7,154.86	5,888.96
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	2,119.77	2,469.66	1,000.70	2,867.77	3,274.61
अन्य संस्थाएँ	4,202.24	4,786.01	8,037.18	14,372.85	8,164.45
कुल (ख)	**16,376.44**	**17,814.86**	**19,465.07**	**26,819.11**	**19,738.63**
कुल (क+ख)	**20,077.67**	**19,629.95**	**22,194.05**	**30,038.20**	**25,211.13**
पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कुल सहायता-अनुदान	4,207.24	125.68	95.00	750.29	4,148.83
राजस्व व्यय	59,264.00	62,778.00	66,681.00	76,676.00	86,565.00
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	33.88	31.27	33.28	39.18	29.12

स्रोत: वित्त लेखे

वर्तमान वर्ष के दौरान, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 4,827.07 करोड़ (16.07 प्रतिशत) की कमी आई है। यह कमी मुख्य रूप से नगर निगमों और नगरपालिकाओं को सहायता में कमी (₹ 490.00 करोड़: 52.10 प्रतिशत) और अन्य संस्थानों (₹ 6,208.40 करोड़: 43.20 प्रतिशत) अर्थात पेयजल और स्वच्छता के लिए सहायता-अनुदान (₹ 1,916.43 करोड़), विद्युत कंपनियां (₹ 5,658.57 करोड़) के कारण हुई। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को दी जाने वाली कुल वित्तीय सहायता की मात्रा पिछले वर्ष के 39.18 प्रतिशत से घटकर चालू वर्ष के दौरान 29.12 प्रतिशत रह गई।

हालांकि, पीआरआई के लिए पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायता-अनुदान में ₹ 3,398.54 करोड़ की वृद्धि हुई जो मुख्य रूप से अबुआ आवास योजना (₹ 3,482.14 करोड़) मे अधिक धन प्रदान किए जाने के कारण हुई जो पिछले वर्ष अंबेडकर आवास योजना (₹ 100 करोड़) के लिए कम आवंटन से प्रतिपूरित हो गई थी।

1.2.4.2 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय मुख्य रूप से निश्चित बुनियादी ढांचागत परिसंपत्तियों के निर्माण पर व्यय है, जैसे कि सड़कें, इमारतें आदि/ केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर पूँजीगत व्यय बजटीय समर्थन और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों/ ऑफ-बजट उधार से पूरा किया जाता है। इसमें राज्य सरकार द्वारा कंपनियों/ निगमों में किए गए निवेश भी शामिल हैं। पिछले पांच वर्षों, अर्थात 2020-25 के दौरान राज्य में पूँजीगत व्यय की प्रवृत्तियां **चार्ट 1.25** में दी गई हैं।

चार्ट 1.25: राज्य में पूँजीगत व्यय

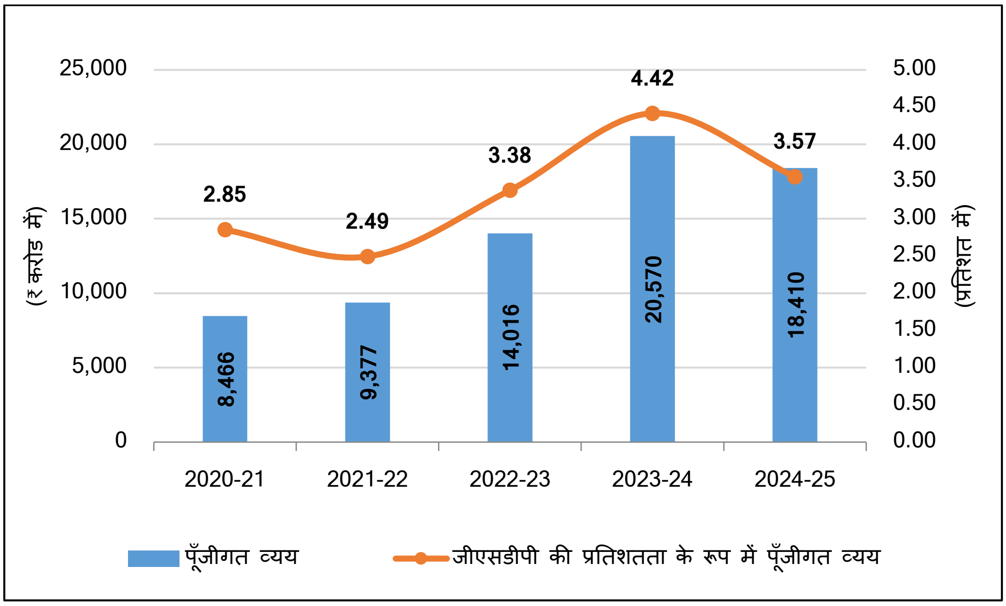

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2021-22 से 2023-24 के दौरान पूँजीगत व्यय से जीएसडीपी के अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई, जो 2024-25 के दौरान घटने से पहले देखी गई।

2024-25 के दौरान ₹ 18,410 करोड़ के पूँजीगत व्यय के अलावा, राज्य सरकार ने पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता-अनुदान के रूप में ₹ 9,633 करोड़ भी हस्तांतरित किए, जिसमें स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को दिए गए ₹ 4,148.83 करोड़ शामिल हैं।

क्षेत्र-वार पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय की क्षेत्र-वार संरचना **तालिका 1.21** में दी गई है। विस्तृत क्षेत्र-वार व्यय **परिशिष्ट 1.3** में दिया गया है।

तालिका 1.21: क्षेत्र-वार पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएं	771	734	873	969	771
सामाजिक सेवाएं	1,492	1,595	5,221	6,614	4,529
आर्थिक सेवाएं	6,203	7,048	7,922	12,987	13,110

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.26: पूँजीगत व्यय में विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्ष हिस्सेदारी

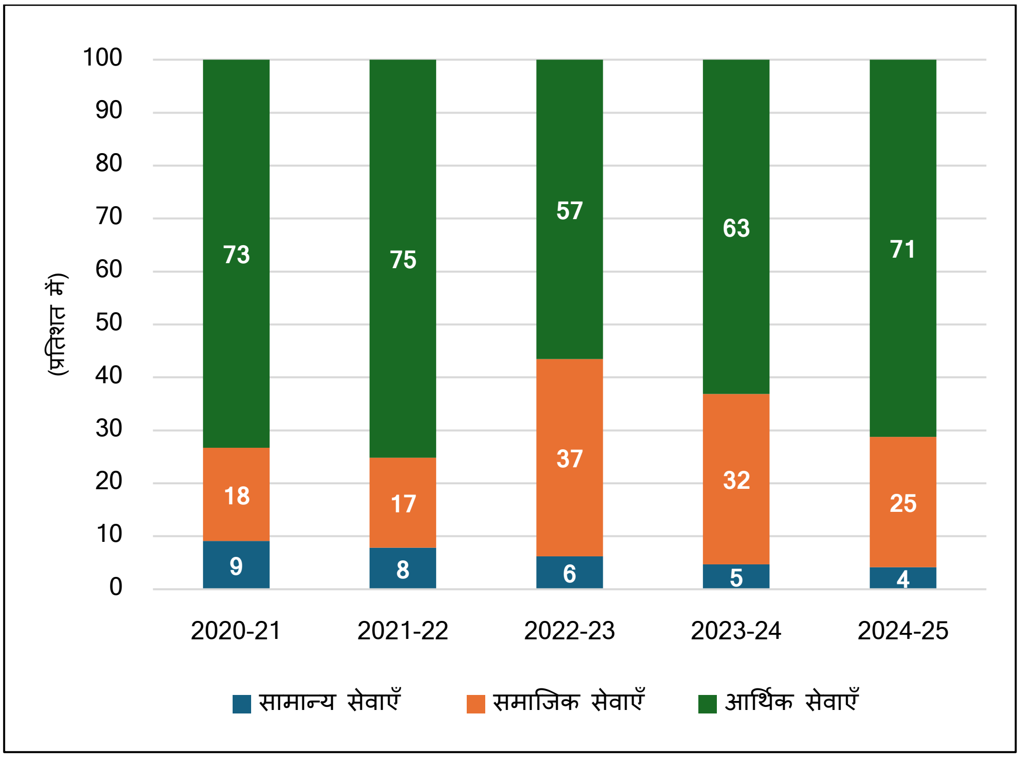

स्रोत: वित्त लेखे

जैसा कि **तालिका 1.24** और **चार्ट 1.26** से देखा जा सकता है, आर्थिक सेवाओं ने पूँजीगत व्यय का प्रमुख हिस्सा प्राप्त किया, जिसमे सर्वाधिक व्यय ग्रामीण विकास (₹ 5,419 करोड़), परिवहन (₹ 5,211 करोड़) और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण (₹ 1,759 करोड़) पर किया गया। 2024-25 के दौरान जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास (₹ 1,548 करोड़) और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण (₹ 250 करोड़) पर कम व्यय होने के कारण सामाजिक सेवाओं पर व्यय में काफी कमी आई।

अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

अधूरी पूँजीगत परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी का आकलन पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता को भी इंगित करेगा। अपूर्ण परियोजनाओं / कार्यों में धन अवरुद्ध करने से व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और लंबे समय तक परियोजनाओं के इच्छित लाभों से राज्य वंचित रह जाता है। इसके अलावा, इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई धनराशि से ऋण और ब्याज देयताओं की सेवा के संदर्भ में अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अपूर्ण परियोजनाओं (90 प्रतिशत तक की भौतिक स्थिति) का विवरण (वर्ष 2024-25 के लिए वित्त लेखे के परिशिष्ट-IX में राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर) **तालिका 1.22** में दिखाया गया है।

तालिका 1.22: अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2025 को अपूर्ण परियोजनाओं की आयु की रूपरेखा				31 मार्च 2025 को अपूर्ण परियोजना का विभाग-वार रूपरेखा		
वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	किया गया व्यय	विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (व्यय)
2011-12	1	56.79	40.80	सड़क निर्माण	43	1,748.72 (942.35)
2013-14	1	12.19	7.66	ग्रामीण विकास	7	54.08 (33.73)
2016-17	2	113.60	72.14	ग्रामीण कार्य	74	812.35 (352.58)
2018-19	3	58.49	38.24	पेयजल एवं स्वच्छता	9	358.61 (264.65)
2019-20	7	598.48	333.59	भवन निर्माण	4	185.27 (57.98)
2020-21	11	501.16	320.95	जल संसाधन	18	720.19 (518.60)
2021-22	5	239.35	184.48			
2022-23	8	112.55	67.62			
2023-24	74	1,416.56	809.14			
2024-25	43	770.05	295.27			
कुल	**155**	**3,879.22**	**2,169.89**	**कुल**	**155**	**3,879.22 (2,169.89)**

2024-25 तक ₹ 3,879.22 करोड़ की अनुमानित लागत में से इन 155 परियोजनाओं पर ₹ 2,169.89 करोड़ व्यय किए गए थे। इन 155 परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण ₹ 2,169.89 करोड़ का पूँजीगत व्यय अवरुद्ध रहा। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लक्षित वर्ष से एक से 12 वर्ष के बीच विलंब हुआ।

वर्ष 2024-25 के वित्त लेखे के परिशिष्ट-IX (सरकार की प्रतिबद्धताएं- अपूर्ण पूँजीगत कार्यों की सूची) में अपूर्ण जानकारी (राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त) के कारण, लेखापरीक्षा वास्तविक प्रगतिशील व्यय, कार्य की भौतिक प्रगति, लंबित भुगतान की स्थिति (भविष्य की देनदारी) और संशोधित लागत 31 मार्च 2025 तक, यदि कोई हो, का पता नहीं लगा सकी।

क. कंपनियों और अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

31 मार्च 2025 तक, कंपनियों और अन्य निकायों में राज्य सरकार का निवेश ₹ 4,311.37 करोड़ था, जिसमे 23 सरकारी कंपनियां (₹ 3,936.37 करोड़), 22 सहकारी समितियाँ (₹ 328.59 करोड़) और एक ग्रामीण बैंक (₹ 46.41 करोड़) शामिल हैं।

कंपनियों, निगमों और सहकारी बैंकों और समितियों में वर्ष के अंत में निवेश की प्रवृत्ति और इस निवेश पर प्रतिफल **चार्ट 1.27** में दर्शाया गया है। सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर के मुकाबले निवेश पर प्रतिफल की दर को **चार्ट 1.28** में दर्शाया गया है।

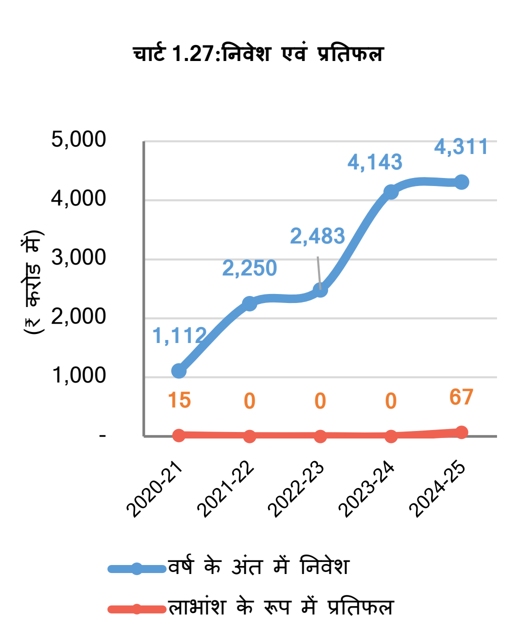

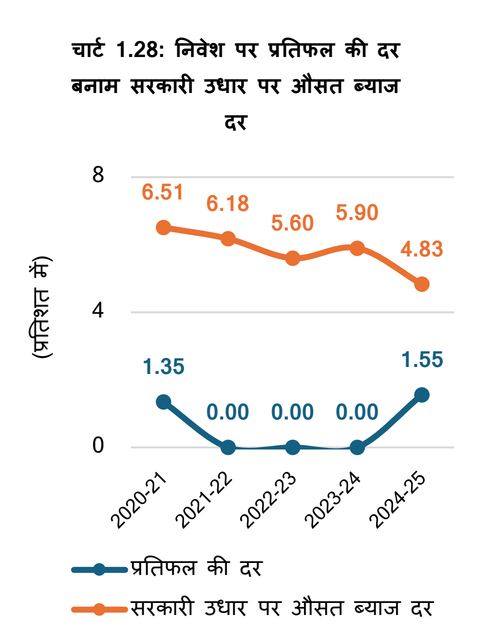

2024-25 के दौरान, निवेश पर प्रतिफल ₹ 66.93 करोड़ (1.55 प्रतिशत) था (शुद्ध वर्तमान मूल्य के आधार पर नहीं, बल्कि ऐतिहासिक लागत के आधार पर)। 2020-25 के दौरान प्रतिफल शून्य और 1.55 प्रतिशत के बीच ही था। इसके अलावा, यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 23 सरकारी कंपनियों में ₹ 3,936.37 करोड़ का निवेश किया गया था, जिनमें से केवल पांच[5] कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 66.93 करोड़ का लाभांश दिया था।

लाभांश नीति की कमी और इसका प्रभाव

एक पूर्ण परिभाषित लाभांश नीति, लाभ कमाने वाले उद्यमों से न्यूनतम प्रतिफल की मांग करती है, राज्य सरकार को पीएसयू में निवेश से अपने प्रतिफल को अनुकूलित करने में सक्षम बनाती है और पीएसयू के वित्तीय प्रदर्शन की निगरानी को बढ़ाती है। यह देखा गया कि राज्य ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के लिए लाभांश नीति तैयार नहीं की है या लागू नहीं की है।

राज्य में 32 पीएसयू हैं, जिनमें से 29 कार्यशील हैं और तीन गैर-कार्यशील हैं। 29 कार्यशील पीएसयू में से, दो[6] पीएसयू ने 2024-25 के वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए थे। इन पीएसयू के वित्तीय विवरणों की जाँच से पता चला कि एक पीएसयू (झारखण्ड राज्य पुलिस आवास निगम लिमिटेड) का शुद्ध लाभ ₹ 9.75 करोड़ था और उसने वर्ष के दौरान ₹ 4.00 करोड़ का लाभांश दिया था।

[5] (i) झारखण्ड राज्य पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड: ₹ 4.00 करोड़ (ii) झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम: ₹ 15.70 करोड़ (iii) झारखण्ड राज्य पेय निगम लिमिटेड: ₹ 20.00 करोड़ (iv) झारखण्ड अन्वेषण और खनन निगम लिमिटेड: ₹ 27.01 करोड़ (v) झारखण्ड चिकित्सा और स्वास्थ्य अवसंरचना विकास खरीद निगम लिमिटेड: ₹ 0.22 करोड़

[6] झारखण्ड राज्य पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड और जेबीवीएनएल

डिस्कॉम के नुकसान का विश्लेषण

झारखण्ड में, एकमात्र डिस्कॉम (झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड) वर्षों से नुकसान उठा रहा है। 2020-21 से 2024-25 तक के नुकसान का विवरण **तालिका 1.23** में दिया गया है।

तालिका 1.23: 2020-25 के दौरान जेबीवीएनएल के हानि की मात्रा

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	लेखापरीक्षित लेखे के अनुसार वार्षिक हानि
2020-21	2,200.00
2021-22	2,088.38
2022-23	3,618.51
2023-24	2,620.56
2024-25	1,999.69

डिस्कॉम को नुकसान की भरपाई या उसे कम करने के लिए राज्य द्वारा कोई सब्सिडी सहायता नहीं दी गई थी। हालांकि, उपभोक्ता विपत्रों से समायोजन के अधीन उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाला विद्युत प्रदान करने के लिए डिस्कॉम को सब्सिडी प्रदान की गई थी।

जाँच के दौरान यह देखा गया कि पीएसयू और अन्य से विद्युत खरीद के बकाया का भुगतान करने के लिए 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में क्रमशः ₹ 2,369.52 करोड़, ₹ 2,105.31 करोड़ और ₹ 1,407.60 करोड़ सरकार ने जेबीवीएनएल को ऋण प्रदान किया।

2015-16 के दौरान, राज्य ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) बॉन्ड के तहत एकमुश्त उधार के रूप में ₹ 5,553.37 करोड़ प्रदान किए। उसके बाद उदय बॉन्ड पर कोई उधार नहीं लिया गया।

यह भी देखा गया कि विपत्र माह सितंबर 2025 के अंत में, राज्य के 31 विभागों में विद्युत की उपभोग के एवज में ₹ 956.16 करोड़ का बकाया था। विद्युत विपत्रों के बड़े बकाया वाले विभागों को **तालिका 1.24** में दिखाया गया है।

तालिका 1.24: 31.10.2025 को विद्युत विपत्रों के बड़े बकाए वाले विभाग

क्र.सं.	विभाग का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
1	शहरी विकास और आवास	423.23
2	पेयजल एवं स्वच्छता	261.95
3	गृह, कारा और आपदा प्रबंधन	57.50
4	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	53.77
5	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विकास	50.87
6	ग्रामीण विकास (पंचायती राज प्रभाग)	21.88
7	कृषि, पशुपालन और सहकारिता	15.88
8	जल संसाधन	13.54

सरकारी विभागों के खिलाफ विद्युत विपत्रों के बड़े बकाए ने घाटे में चल रही डिस्कॉम पर वित्तीय तनाव को बढ़ा दिया।

इसके अलावा, राजस्व संग्रह बढ़ाने और उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत विपत्रों के विलंबित/गैर-भुगतान के जोखिम को कम करने के लिए, जेबीवीएनएल ने मौजूदा मीटरों को प्रीपेड स्मार्ट मीटरों से बदलने की पहल की है। 18.70 लाख के लक्ष्य के मुकाबले, अक्टूबर 2025 तक केवल 10.17 लाख मीटर की प्रतिस्थापना की गई। इसी तरह, 1,37,693 वितरण ट्रांसफार्मरों में मीटर लगाने के लक्ष्य के विरूद्ध, और ग्रामीण और शहरी फीडरों को फीडर-वार ऊर्जा लेखांकन को सक्षम करने के लिए, अक्टूबर 2025 तक केवल 21,667 मीटर स्थापित किए गए थे।

ख. राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कंपनियों में निवेश के अलावा, राज्य सरकार ने भी कई संस्थानों / संगठनों को ऋण और अग्रिम प्रदान किया है। **तालिका 1.25** में 31 मार्च 2025 को ऋणों और अग्रिमों की स्थिति और पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा अपने उधारी पर ब्याज प्राप्तियों को ब्याज भुगतान के साथ साथ दर्शाया गया है।

तालिका 1.25: 2020-25 के दौरान संवितरित और वसूल किए गए ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बकाया ऋण की प्रारंभिक शेष राशि	**20,846.24**	**24,177.23**	**24,348.48**	**28,513.21**	**25,527.36**
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	3,379.77	1,462.98	4,211.14	4,290.85	4,237.10
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	48.78	1,291.73	46.41	7,276.70	196.69
बकाया ऋणों की अंतिम शेष राशि	**24,177.23**	**24,348.48**	**28,513.21**	**25,527.36**	**29,567.77**
शुद्ध योग	3,330.99	171.25	4,164.73	-2,985.85	4,040.41
प्राप्त ब्याज	22.62	35.88	70.55	16.62	35.31
सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज दर	0.11	0.16	0.29	0.06	0.13
सरकारी उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	6.51	6.18	5.60	5.90	4.83
प्राप्त ब्याज दर और भुगतान की गई ब्याज दर के बीच अंतर (प्रतिशत)	(-)6.40	(-)6.02	(-)5.31	(-)5.84	(-)4.70

स्रोत: वित्त लेखे

जैसा कि **तालिका 1.25** से देखा जा सकता है, राज्य के संस्थानों के विरुद्ध ₹ 29,568 करोड़ की बड़ी राशि बकाया थी, जिसमें से ₹ 28,407 करोड़ की बड़ी राशि विद्युत कंपनियों के साथ बकाया थी। पिछले पांच वर्षों के दौरान बकाया राशि के विरुद्ध वसूली की गई राशि बहुत कम थी, सिवाय वर्ष 2023-24 के, जब विद्युत कंपनियों द्वारा ₹ 7,231 करोड़ की अप्रयुक्त राशि वापस कर दी गई थी।

1.3 आकस्मिकता निधि

झारखण्ड सरकार का आकस्मिकता निधि राज्य विधानसभा द्वारा इसके प्राधिकरण के लंबित होने पर अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करने के लिए

अभिप्रेत है। विधानसभा द्वारा अतिरिक्त व्यय को मंजूरी दिए जाने के बाद निधि की वसूली की जाती है। निधि का कोष ₹ 500 करोड़ है।

2024-25 के दौरान विभिन्न बजटीय शीर्षों के तहत निधि से ₹ 635.96 करोड़ निकाले गए थे। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक कुल राशि की वसूली कर ली गई थी। 31 मार्च 2025 को, आकस्मिकता निधि ने ₹ 500 करोड़ की अपनी शेष राशि बरकरार रखी।

आकस्मिकता निधि से किए गए व्यय का विवरण अध्याय-II के कंडिका 2.8 में चर्चा की गई है।

1.4 लोक लेखा

कुछ लेन-देन जैसे कि लघु बचत, भविष्य निधि, रक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि के संबंध में प्राप्तियाँ और संवितरण, जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं हैं, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित लोक लेखे में रखे जाते हैं और राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए सरकार के पास उपलब्ध निधि है।

1.4.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखे में घटक-वार शुद्ध शेष **तालिका 1.26** में दिया गया है।

तालिका 1.26: लोक खाते में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
लघु बचत, भविष्य निधि आदि।	लघु बचत, भविष्य निधि आदि।	-1,194.40	-1,001.19	-1,016.98	-1,557.44	-2,238.21
रक्षित निधि	(ए) ब्याज सहित रक्षित निधि	-6,320.39	-5,904.48	-5,131.79	-7,995.66	-10,680.10
	(बी) ब्याज रहित रक्षित निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00
जमा और अग्रिम	(ए) ब्याज सहित जमा राशि	-25.33	-24.15	-78.94	-79.27	-23.87
	(बी) ब्याज रहित जमा राशि	-24,331.45	-23,585.14	-26,876.14	-30,768.65	-31,536.41
	(सी) अग्रिम	19.67	19.67	17.66	0.00	4.23
उचंत और विविध	(बी) उचंत	-146.35	-119.25	-414.30	-382.43	-364.32
	(सी) अन्य खाते	2,855.90	4,519.46	5,187.74	8,151.32	53.47
	(डी) विदेशी सरकारों के साथ खाते	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ई) विविध	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
प्रेषण	(ए) मनी ऑर्डर, और अन्य प्रेषण	-133.68	-125.38	-87.35	-53.36	-227.05
	(बी) अंतर-सरकारी समायोजन खाता	7.23	12.74	10.81	5.27	2.67
कुल		**-29,267.20**	**-26,206.12**	**-28,387.69**	**-32,678.62**	**-45,757.99**

स्रोत: वित्त लेखे

टिप्पणी: धनात्मक आँकड़े डेबिट शेष दर्शाते हैं और ऋणात्मक आँकड़े क्रेडिट शेष दर्शाते हैं।

2024-25 के दौरान ब्याज सहित रक्षित निधि और लघु बचत, भविष्य निधि में वृद्धि के कारण क्रेडिट शेष में वृद्धि हुई। मुख्य शीर्ष 8443-108-लोक निर्माण जमा और 8448-107-राज्य विद्युत बोर्ड कार्य निधि के तहत ब्याज रहित जमा ने भी क्रेडिट शेष में वृद्धि में योगदान दिया।

1.4.2 रक्षित निधि

राज्य सरकार के लोक लेखे के तहत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए रक्षित निधि बनाई जाती है। ये निधि समेकित निधि या बाहरी अभिकरणों से प्राप्त अंशदान या अनुदान से पूरी की जाती है। इसमें ब्याज सहित रक्षित निधि और ब्याज रहित रक्षित निधि शामिल हैं।

31 मार्च 2025 को तीन ब्याज सहित निधि और दो ब्याज रहित रक्षित निधि थे। 31 मार्च 2025 को इन रक्षित निधियों में बकाया शेष राशि **तालिका 1.27** में दी गई है।

तालिका 1.27: प्रमुख रक्षित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	रक्षित निधि का नाम	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	ब्याज प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31 मार्च 2025 को शेष राशि
क	**ब्याज सहित रक्षित निधि**	**8,395.67**	**3,012.18**	**0.00**	**327.75**	**11,080.10**
1	राज्य आपदा मोचन कोष	3,034.96	1,368.80	0.00	52.88	4,350.88
2	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि	5,209.31	1,491.98	0.00	274.87	6,426.42
3	राज्य आपदा शमन निधि	151.40	151.40	0.00	0.00	302.80
ख.	**ब्याज रहित रक्षित निधि**	**2,270.95**	**1,324.41**	**49.92**	**0.00**	**3,645.28**
1	ह्रास निधि	1,570.87	592.00	0.00	0.00	2,162.87
2	अन्य निधि (पेंशन मोचन निधि)	700.08	732.41	49.92	0.00	1,482.41
	सकल योग	**10,666.62**	**4,336.59**	**49.92**	**327.75**	**14,725.38**

स्रोत: वित्त लेखे

रक्षित निधि के तहत ₹ 14,725.38 करोड़ के कुल अंत शेष में से, केवल ₹ 3,295.28 करोड़ का निवेश किया गया था और शेष राशि राज्य की देयताओं के रूप में बनी रही।

1.4.3 नकद शेष

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक नकद शेष (₹ 0.45 करोड़) बनाए रखना चाहिए। यदि शेष राशि इस न्यूनतम से कम हो जाती है, तो कमी को अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)/विशेष अर्थोपाय अग्रिम)/विशेष निकासी सुविधा/ओवरड्राफ्ट जैसे उपकरणों के माध्यम से पूरा किया जाता है, जिसकी अर्थोपाय अग्रिम सीमा को समय-समय पर आरबीआई द्वारा संशोधित किया जाता है। राज्य सरकार के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा को आरबीआई द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया था (17 अप्रैल 2020 से ₹ 1,152 करोड़, जो बाद में 31 मार्च 2022 से घटकर ₹ 1,067 करोड़ हो गया)। राज्य सरकार को सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 1,225.00 करोड़ थी (31 मार्च 2025 को)।

राज्य सरकार ने साधारण अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिए थे; हालांकि, वर्ष 2024-25 के दौरान सरकार ने मार्च 2025 के महीने में तीन अलग-अलग मौकों पर ₹ 1,327.87 करोड़ की कुल राशि विशेष अर्थोपाय अग्रिम के रूप में ली है, लेकिन मार्च 2025 के महीने में तीन अलग-अलग मौकों पर ₹ 886.94 करोड़ की राशि चुकाई है, जिससे ₹ 440.93 करोड़ की शेष राशि बची है। हालांकि, वर्ष 2024-25 में अर्थोपाय अग्रिम पर कोई ब्याज नहीं लगाया गया है।

राज्य सरकार अधिशेष नकद शेष के साथ-साथ भारत सरकार की प्रतिभूतियों और कोषागार विपत्रों में कर्णांकित रक्षित निधियों को निवेश करती है। इन निवेशों से होने वाली आय '0049-ब्याज प्राप्तियाँ' के तहत जमा की जाती है।

2023-24 और 2024-25 के लिए नकद शेष और निवेश का विवरण **तालिका 1.28** में दिए गए हैं।

तालिका 1.28: नकद शेष और उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष राशि	31 मार्च 2025 को अंत शेष राशि
क. सामान्य नकद शेष		
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा राशि	-86.66	-53.08
नकद शेष निवेश खाते में रखी गई निवेश	8,114.26	0.00
कुल (क)	**8,027.60**	**-53.08**
ख. अन्य नकद शेष और निवेश		
विभागीय अधिकारियों जैसे वन और लोक निर्माण के पास नकद	36.90	53.31
आकस्मिक व्यय के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ स्थायी अग्रिम	0.16	0.16
कर्णांकित निधि का निवेश	2,670.95	3,295.28
कुल (ख)	**2,708.01**	**3,348.75**
कुल (क + ख)	**10,735.61**	**3,295.67**
ब्याज प्राप्त हुआ	**97.12**	**101.19**

स्रोत: वित्त लेखे

कर्णांकित निधि के तहत शेष राशि ₹ 14,725.39 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 3,295.28 करोड़ का निवेश सरकार द्वारा किया गया था और ₹ 11,430.11 करोड़ का उपयोग सरकार द्वारा किया गया था।

पिछले पांच वर्षों के दौरान निवेश खाते में नकद शेष का विवरण **तालिका 1.29** में दिया गया है।

तालिका 1.29: नकद शेष निवेश खाता (प्रमुख शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंत शेष	वृद्धि (+) / कमी (-)	अर्जित ब्याज
2020-21	3,070.62	2,811.20	(-) 259.42	58.58
2021-22	2,811.20	4,480.63	1,669.43	58.63
2022-23	4,480.63	5,149.41	668.78	91.14
2023-24	5,149.41	8,114.26	2,964.85	97.12
2024-25	8,114.26	0.00	(-) 8,114.26	101.19

स्रोत: वित्त लेखे

जैसा कि **तालिका 1.29** से देखा जा सकता है, 2024-25 के अंत में नकद शेष निवेश खाते का अंत शेष शून्य था। सरकार को वर्ष के दौरान ₹ 101.19 करोड़ का ब्याज प्राप्त हुआ।

1.5 राजकोषीय संधारणीयता

राजकोषीय संधारणीयता सरकार की अपनी आय और व्यय को इस तरह से प्रबंधित करने की क्षमता है कि यह सुनिश्चित हो सके कि यह अत्यधिक उधार या अस्थिर ऋण संचय के बिना लोक सेवाओं, बुनियादी ढांचे और ऋण पुनर्भुगतान जैसी अपनी वर्तमान और भविष्य की बाध्यताओं को पूरा कर सके। इसका तात्पर्य दीर्घकालिक रूप से राजस्व सृजन और व्यय के बीच एक स्थिर संतुलन बनाए रखना है। **चार्ट 1.29** और **चार्ट 1.30** क्रमशः वित्तीय वर्ष 2020-25 के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्य की प्राप्तियों और व्यय को दर्शाता है।

चार्ट 1.29: राज्य की प्राप्तियाँ

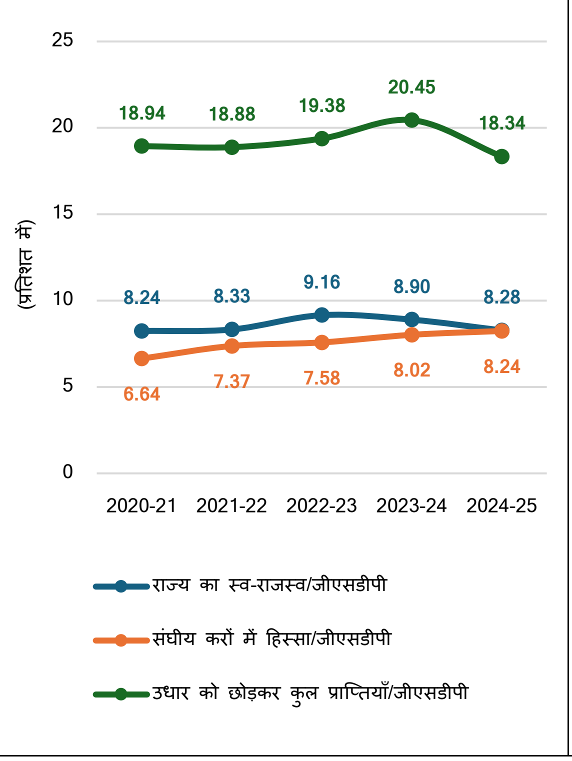

चार्ट 1.30: राज्य के व्यय

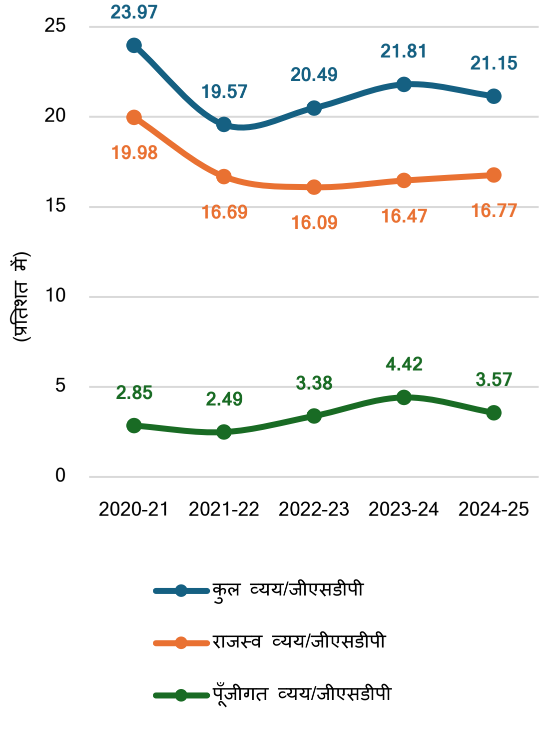

1.5.1 लोक देयता प्रबंधन

वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक जीएसडीपी के लिए राज्य की बकाया देनदारियां और उनका प्रतिशत **चार्ट 1.31** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.31: बकाया लोक देयता और जीएसडीपी में इसका प्रतिशत

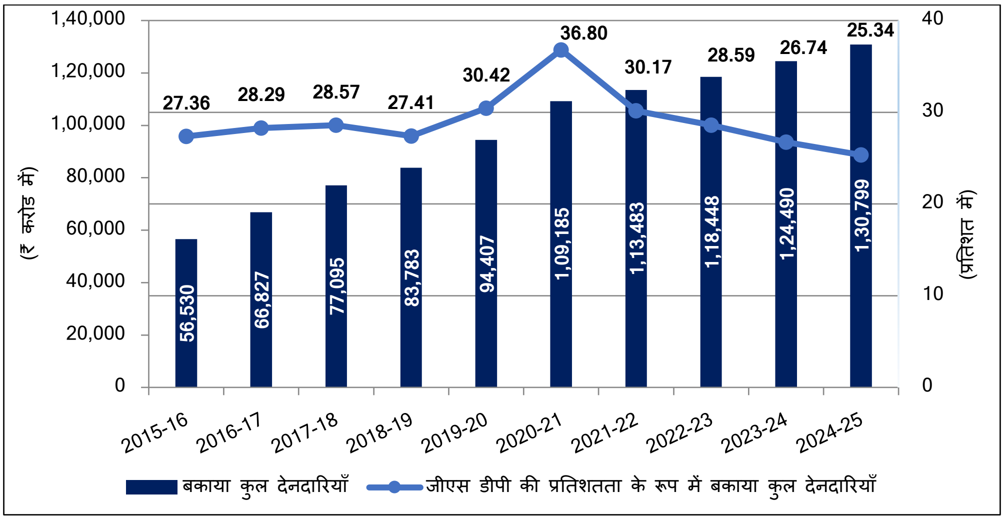

स्रोत: वित्त लेखे

जैसा कि **चार्ट 1.31** से देखा जा सकता है, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में बकाया कुल देयता का अनुपात दस साल की अवधि के उत्तरार्ध में कमी की प्रवृत्ति को दर्शाता है जो राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के संकेत देता है।

1.5.1.1 देयताओं की रूपरेखा: घटक

राज्य सरकार की कुल देयताओं में आम तौर पर राज्य का आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, आरबीआई से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां और वित्तीय संस्थानों से ऋण आदि), केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम एवं लोक लेखा देनदारियां शामिल हैं। वर्ष 2020-21 से शुरू होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए राज्य की घटक-वार देयता की प्रवृत्ति **तालिका 1.30** में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.30: घटक-वार देयता रुझान

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय देयता के घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बकाया कुल देयता	**1,09,184.99**	**1,13,482.47**	**1,18,448.22**	**1,24,490.00**	**1,30,798.56**
लोक ऋण	**76,938.35**	**82,531.53**	**84,944.37**	**83,688.98**	**85,169.98**
आंतरिक ऋण	71,956.90	74,538.31	73,580.43	70,658.82	69,595.32
भारत सरकार से ऋण*	4,981.45	7,993.22	11,363.94	13,030.16	15,574.66
लोक लेखा देनदारियां	**32,246.24**	**30,950.94**	**33,503.85**	**40,801.02**	**45,628.58**
लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	1,194.40	1,001.19	1,016.98	1,557.44	2,238.20
ब्याज सहित रक्षित निधि	6,720.39	6,340.46	5,531.78	8,395.66	11,080.09
ब्याज रहित रक्षित निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
ब्याज सहित जमा राशि	25.33	24.15	78.94	79.27	23.87
ब्याज रहित जमा राशि	24,306.12	23,585.14	26,876.15	30,768.65	31,536.42
कुल बकाया देयता की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.65	3.94	4.38	5.10	5.07
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	296,664	376,127	414,308	465,638	516,255
कुल बकाया देयता / जीएसडीपी (प्रतिशत)	36.80	30.17	28.59	26.74	25.34
उधार और अन्य देनदारियां					
कुल प्राप्तियाँ	32,562.62	25,623.42	31,856.35	44,607.36	41,329.08

राजकोषीय देयता के घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल पुनर्भुगतान	17,784.23	21,325.90	26,890.62	35,447.09	35,020.51
ब्याज भुगतान के बिना उपलब्ध शुद्ध धन	14,778.39	4,297.52	4,965.73	9,160.27	6,308.57
पुनर्भुगतान / प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	54.62	83.23	84.41	79.46	84.74

स्रोत: वित्त लेखे

** वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान, भारत सरकार से ऋण में क्रमशः ₹ 1,689 करोड़ और ₹ 2,484.41 करोड़ शामिल हैं, जो जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले में भारत सरकार से बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त हुए हैं, जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।*

जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले में भारत सरकार से 2020-21 और 2021-22 के दौरान बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 4,173.41 करोड़ से, ₹ 3,118.51 करोड़ को प्रोफार्मा सुधार करके भारत सरकार के ऋण के शेष राशि से समायोजित किया गया था। 2023-24 और 2024-25 के दौरान बकाया देयताओं में ₹ 1,054.90 करोड़ की राशि शामिल थी।

तालिका 1.30 से देखा जा सकता है कि राज्य का आंतरिक ऋण 2022-23 से लगातार कम हुआ है। 2020-21 से 2024-25 के दौरान जीएसटी मुआवजे[7] में कमी के बदले भारत सरकार से बैक-टू-बैक ऋण (₹ 4,173.41 करोड़) और पूँजीगत निर्माण[8] के लिए विशेष सहायता (₹ 10,263.25 करोड़) के कारण भारत सरकार से ऋण में वृद्धि हुई।

जीएसडीपी से कुल देयताओं का अनुपात 2020-21 में 36.80 प्रतिशत से लगातार घटकर 2024-25 में 25.34 प्रतिशत हो गया।

2024-25 के अंत में कुल देयताओं का ब्यौरा **चार्ट 1.32** में दिखाया गया है।

चार्ट 1.32: 2024-25 के अंत में कुल देयताओं का विभाजन

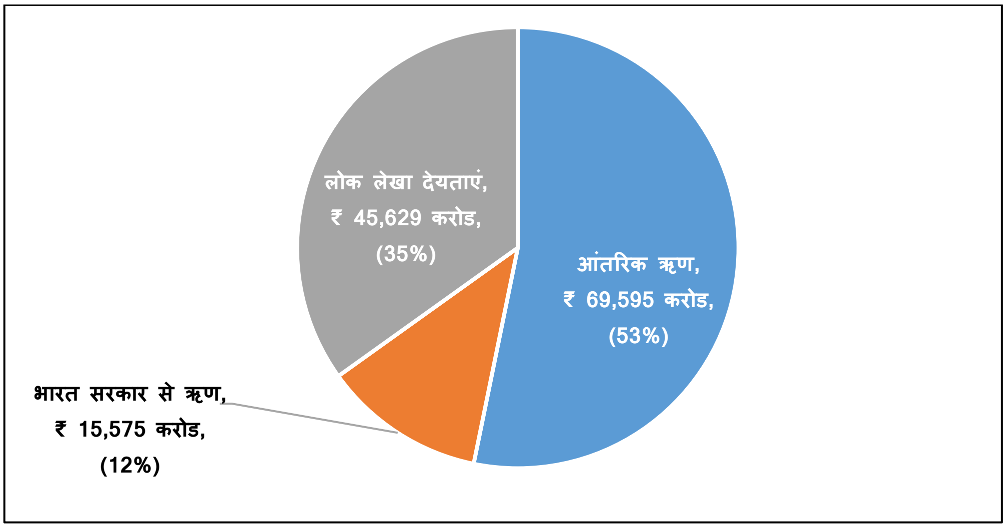

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.33 पांच वर्षों की अवधि यानी 2020-25 के दौरान पुनर्भुगतान के मुकाबले राज्य की आंतरिक ऋण प्राप्तियों की मात्रा को दर्शाता है।

7 2020-21 में ₹ 1,689 करोड़ और 2021-22 में ₹2,484.41 करोड़।

8 2022-23 में ₹ 2,964.32 करोड़, 2023-24 में ₹ 4,580.61 करोड़ और 2024-25 में ₹ 2,718.32 करोड़।

चार्ट 1.33: पुनर्भुगतान के मुकाबले आंतरिक ऋण प्राप्तियाँ

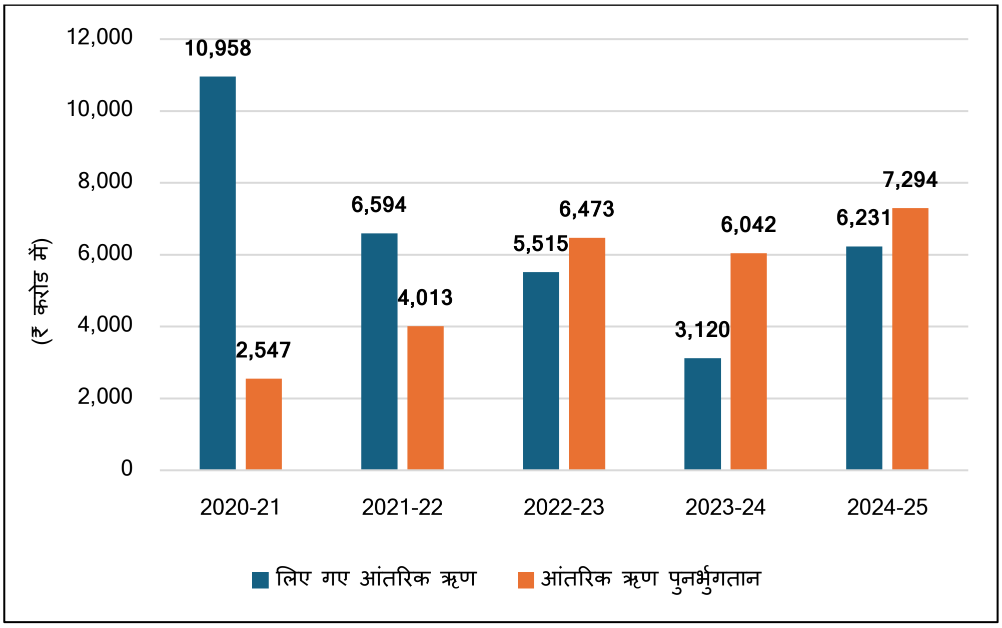

स्रोत: वित्त खाते

जैसा कि **चार्ट 1.33** से देखा जा सकता है, राज्य की आंतरिक ऋण प्राप्तियाँ 2021-22 से 2024-25 के दौरान ₹ 3,120 करोड़ और ₹ 6,594 करोड़ के बीच रही। 2023-24 में, बाजार ऋणों (₹ 1,000 करोड़) के तहत उधार कम था, जबकि 2020-21 में यह काफी अधिक (₹ 10,958 करोड़) था, जो कोविड के कारण राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए था।

विभाजन के लगभग 25 वर्ष बाद भी मार्च 2025 तक बिहार राज्य की वित्तीय देयताओं का विभाजन उत्तराधिकारी राज्यों बिहार एवं झारखण्ड के बीच नहीं किया गया है।

1.5.1.2 उधार ली गई निधि का उपयोग

उधार ली गई निधि का उपयोग आदर्श रूप से पूँजीगत निर्माण और विकाशशील गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान खपत को पूरा करने और बकाया ऋणों पर ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए उधार ली गई निधियों का उपयोग करना एक स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है। **तालिका 1.31** में 2020-25 के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग और प्रवृतियों को दर्शाया गया है।

तालिका 1.31: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.	कुल उधार*	13,546.58	9,839.87	9,142.30	8,247.13	9,160.62
2.	पूर्व के उधार (मूलधन) का पुनर्भुगतान	2,744.82	4,247.08	6,729.46	6,384.02	7,679.63
3.	निवल पूँजीगत व्यय	8,465.66	9,376.90	14,015.59	20,569.69	18,409.97
4.	निवल ऋण और अग्रिम	3,330.99	17.25	4,164.73	-2,985.85	-4,040.39

क्र.सं.	वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
5.	राजस्व व्यय का हिस्सा निवल उपलब्ध उधार से पूरा किया जाता है	इन वर्षों के दौरान राजस्व अधिशेष को देखते हुए, उधार ली गई धनराशि का उपयोग राजस्व व्यय के लिए नहीं किया गया था।				

स्रोत: वित लेखे

* जिसमें 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे में कमी के बदले में भारत सरकार से बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,689 करोड़ में और ₹ 2,484.41 करोड़ में शामिल हैं, जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

राज्य को 2024-25 के दौरान पहले की उधारियों के एवज में ₹ 7,679.63 करोड़ का भुगतान करना था, जिसे वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष से पूरा किया गया था।

1.5.1.3 ऋण प्रोफाइल: परिपक्वता और पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान प्रोफाइल ऋण पुनर्भुगतान या ऋण सेवा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को इंगित करता है। राज्य की ऋण परिपक्वता प्रोफ़ाइल **चार्ट 1.34** में दर्शाई गई है।

चार्ट 1.34: लोक ऋण की परिपक्वता प्रोफ़ाइल

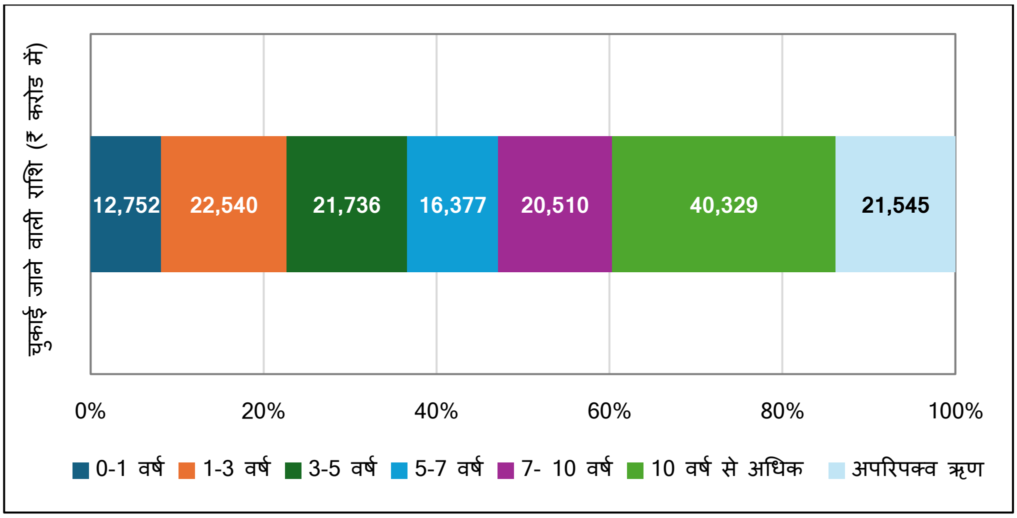

स्रोत: वित लेखे

** 2020-22 के दौरान जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले में भारत सरकार से बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 4,173.41 करोड़ को छोड़कर।*

टिप्पणी: पिछले पांच वर्षों में राज्य द्वारा भुगतान की गई औसत ब्याज दर के आधार पर ऋण पुनर्भुगतान की गणना की गई है।

जैसा कि **चार्ट 1.34** से देखा जा सकता है, राज्य को अगले 10 वर्षों में ₹ 93,915 करोड़ की राशि चुकानी होगी। हालाँकि, राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति के आलोक में मूलधन और ब्याज का भुगतान संधारणीय होगा, लेकिन नए उधार लेने की स्थिति में यह बदल सकता है।

1.5.1.4 राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण स्वरूप

2020-25 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण स्वरूप को **तालिका 1.32** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.32: राजकोषीय घाटे के घटक और इसके वित्तपोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	राजस्व अधिशेष (+)/राजस्व घाटा (-)	-3,114	6,944	13,564	11,252	7,924
2	निवल पूँजीगत व्यय	-8,466	9,377	14,016	20,570	18,410
3	निवल ऋण और अग्रिम	-3,331	171	4,165	-2,986	4,040
राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण पैटर्न						
1	बाजार उधार	8,900	3,746	400	-1,950	-1,450
2	भारत सरकार से ऋण	2,390	3,012	3,372	4,785	2,544
3	एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	-769	-770	-769	-769	-769
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	281	-395	-588	-202	1,156
5	लघु बचत, पीएफ, आदि	-23	-193	16	540	681
6	जमा और अग्रिम	3,215	-722	3,346	3,910	708
7	उचंत और विविध	53	-27	295	-32	-18
8	प्रेषण	44	-14	-36	-28	176
9	रक्षित निधि	1,076	-180	-309	4,131	4,059
10	**कुल घाटा**	**15,167**	**4,457**	**5,727**	**10,385**	**7,087**
11	नकद शेष में वृद्धि / कमी	-256	-1,853	-1,110	-4,053	7,440
12	**सकल राजकोषीय घाटा**	**14,911**	**2,604**	**4,617**	**6,332**	**14,527**

स्रोत: वित्त लेखे

तालिका 1.32 से देखा जा सकता है कि राजकोषीय घाटा (₹ 14,527 करोड़) पूँजीगत व्यय के लिए उधार ली गई धनराशि और राज्य द्वारा ऋणों और अग्रिमों के भुगतान के कारण हुआ। ₹ 14,527 करोड़ के राजकोषीय घाटे को मुख्य रूप से भारत सरकार से ऋण (₹ 2,544 करोड़) और रक्षित निधि (₹ 4,059 करोड़) द्वारा वित्तपोषित किया गया था।

1.5.2 लेखापरीक्षा के पश्चात घाटा संकेतक

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के वित्त लेखे के अनुसार, राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 7,923.57 करोड़ (जीएसडीपी का 1.53 प्रतिशत), राजकोषीय घाटा ₹ 14,526.81 करोड़ (जीएसडीपी का 2.81 प्रतिशत) जबकि प्राथमिक घाटा ₹ 8,663.80 करोड़ (जीएसडीपी का 1.68 प्रतिशत) था। हालांकि, 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार ने राजस्व प्रकृति के सहायता-अनुदान की राशि ₹ 2,879.71 करोड़ को पूँजीगत व्यय के तहत दर्ज की थी। जैसा कि, अध्याय-II के कंडिका 2.5.6 में चर्चा के अनुसार, ₹ 42.45 करोड़ की राशि को पूँजीगत खंड के बजाय राजस्व खंड के तहत दर्ज किया गया था।

इसके अलावा, यह देखा गया कि ₹ 314.10 करोड़ (एसडीआरएफ का ब्याज: ₹ 262.75 करोड़, सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना का ब्याज: ₹ 5.31 करोड़ और ह्रास निधि में अल्प हस्तांतरण: ₹ 46.04 करोड़ में) उनके निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित नहीं किए गए थे।

ब्याज का गैर-हस्तांतरण, निर्दिष्ट निधियों में अल्प हस्तांतरण और कुल ₹ 314.10 करोड़ के व्यय के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष में

अतियुक्ति हुई। इसलिए, लेखापरीक्षा के बाद राजस्व अधिशेष ₹ 4,772.21 करोड़ (जीएसडीपी का 0.92 प्रतिशत) रहा। इसके अलावा, लेखापरीक्षा के बाद राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा क्रमशः ₹ 14,526.81 करोड़ और ₹ 8,663.80 करोड़ के स्थान पर क्रमशः ₹ 14,840.91 करोड़ और ₹ 8,977.90 करोड़ होगा।

1.5.3 राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि

2007 के एफआरबीएम अधिनियम और इसके संशोधनों के अनुसार 15वें वित्त आयोग के अनुरूप राज्य सरकार का लक्ष्य है:

- राजस्व घाटे को समाप्त करना एवं इसके उपलब्धि को पूरा करने पर अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत की अनुमति के साथ राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत की सीमा के अंदर बनाए रखना।
- बकाया ऋण-जीएसडीपी का अनुपात 25 प्रतिशत से कम रखा जाना है।
- ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों के 18 से 25 प्रतिशत तक सीमित रखना, और
- वेतन पर व्यय राज्य की स्व-राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
- झारखण्ड एक मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना (एमटीएफपी) का भी पालन करता है और उसे आकस्मिक देयताओं और लिए गए ऑफ-बजट उधार को प्रकट करने की आवश्यकता है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए राज्य एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों के मुकाबले उपलब्धियां **तालिका 1.33** में विस्तृत हैं।

तालिका 1.33: राज्य एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

वित्तीय मानदंड		एफआरबीएम के तहत तैयार एमटीएफपी में निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले उपलब्धि				
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	लक्ष्य	राजस्व घाटे को शून्य तक कम करना।				
	उपलब्धि	-3,114	6,944	13,564	11,252	7,924
राजकोषीय घाटा (-) / अधिशेष (+) (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)	लक्ष्य	-5.00	-4.00	-3.50	-3.00	-3.00
	उपलब्धि	-5.03	-0.69	-1.11	-1.36	-2.81
जीएसडीपी के कुल बकाया देनदारी का अनुपात (प्रतिशत में)	लक्ष्य	27.00	33.00	33.15	30.60	27.00
	उपलब्धि	36.23	29.06	27.58	26.51	25.13
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान	लक्ष्य	राजस्व प्राप्ति का 18 से 25 प्रतिशत				
	उपलब्धि	10.31	9.02	7.77	7.78	6.20

जैसा कि **तालिका 1.33** से देखा जा सकता है, 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे, जीएसडीपी से बकाया देनदारी का अनुपात और राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान की उपलब्धि एफआरबीएम लक्ष्यों के भीतर थे, सिवाय 2020-21 (कोविड वर्ष)।

चार्ट 1.35: घाटे का प्रवृत्ति विश्लेषण

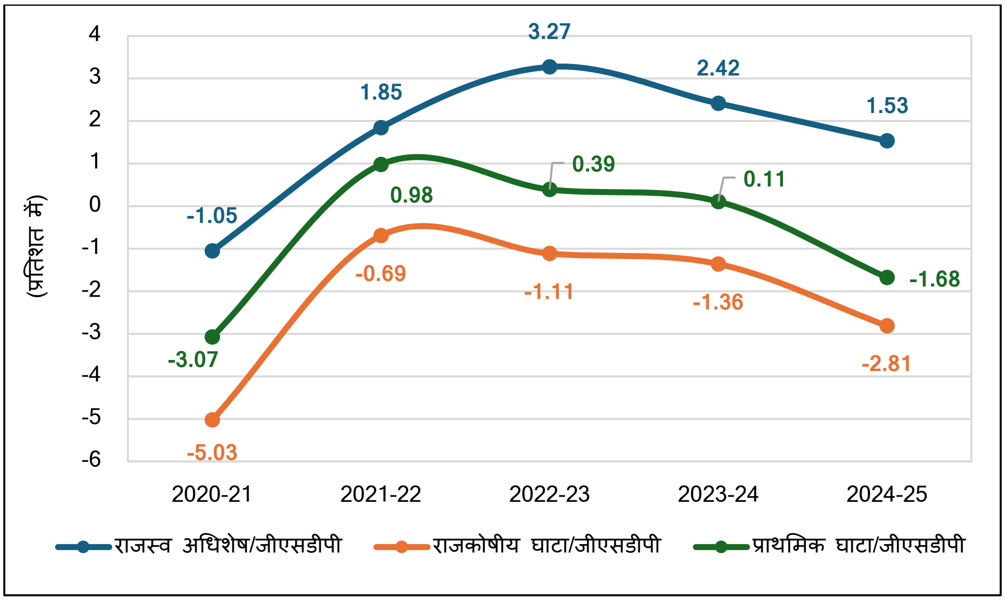

ब्याज के गैर-हस्तांतरण, निर्दिष्ट निधियों में अल्प हस्तांतरण और व्यय के गलत वर्गीकरण पर विचार करते हुए, लेखापरीक्षा के पश्चात जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में घाटा परिवर्तित होगा, जैसा कि **चार्ट 1.36** में दिखाया गया है।

चार्ट 1.36: लेखापरीक्षा के बाद घाटे का रुझान विश्लेषण

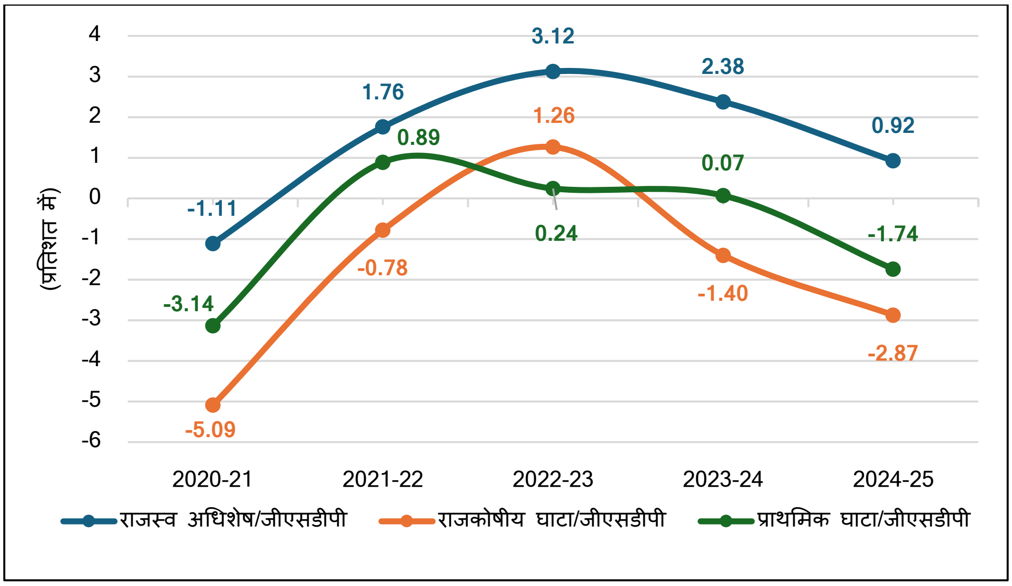

15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य और 2024-25 के दौरान जीएसडीपी के संदर्भ में प्रमुख राजकोषीय समुच्चय के संबंध में उपलब्धियों के संबंध में राज्य के बजट में अनुमानित लक्ष्य **चार्ट 1.37**, **चार्ट 1.38** और **चार्ट 1.39** में दिए गए हैं।

चार्ट 1.37: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व अधिशेष

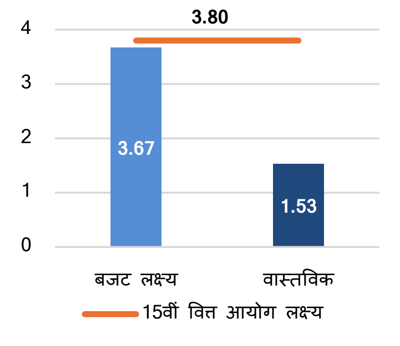

चार्ट 1.38: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा

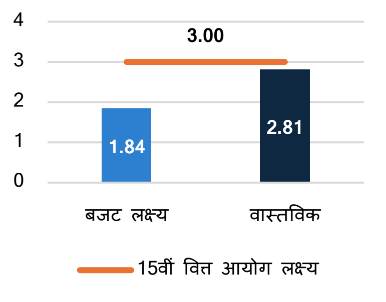

चार्ट 1.39: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में बकाया देनदारी

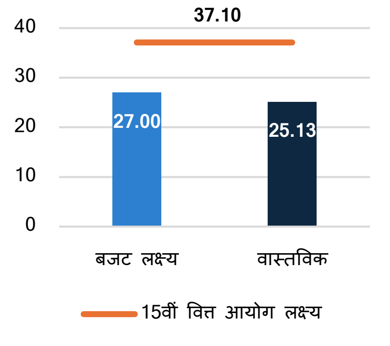

स्रोत: वित्त लेखे और बजट दस्तावेज

2020-21 को छोड़कर, राज्य के पास 2020-25 की अवधि के दौरान राजस्व अधिशेष था। 2020-21 को छोड़कर 2020-25 के दौरान राजकोषीय घाटा निर्धारित लक्ष्य से कम रहा। जीएसडीपी से बकाया देयता का अनुपात झारखण्ड एफआरबीएम अधिनियम के तहत एमटीईएफपी में निर्धारित मापदंडों का वर्ष 2020-21 के दौरान उल्लंघन हुआ, शेष अवधि के लिए लक्ष्य के भीतर था।

1.5.4 ऋण संधारणीयता विश्लेषण

ऋण संधारणीयता से तात्पर्य राज्य की वर्तमान और भविष्य में अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने की क्षमता से है। ऋण संधारणीयता संकेतकों में भिन्नता का विश्लेषण **तालिका 1.34** में दिया गया है।

तालिका 1.34: ऋण संधारणीयता संकेतकों में रुझान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ऋण संधारणीयता संकेतक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	समग्र देनदारियां या समग्र ऋण	1,07,495.99	1,09,309.06	1,14,274.81	1,23,435.09	1,29,743.66
2	समग्र ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.86	1.69	4.54	8.02	5.11
3	जीएसडीपी (नाममात्र रूप से)	2,96,664.00	3,76,126.69	4,14,308.00	4,65,638.00	5,16,255.00
4	नाममात्र जीडीएसपी वृद्धि (प्रतिशत)	-4.40	26.79	10.15	12.39	10.87
5	कुल ऋण / जीएसडीपी (प्रतिशत)	36.23	29.06	27.58	26.51	25.13
6	सकल उधार का पुनर्भुगतान (प्रतिशत)	72.40	107.76	103.99	94.80	98.92
7	सकल उधार के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल उधार	27.60	-7.76	-3.99	5.20	1.08
8	समग्र ऋण पर ब्याज भुगतान	5,790.48	6,286.05	6,238.29	6,838.95	5,863.01
9	समग्र ऋण पर प्रभावी ब्याज दर (प्रतिशत)	7.41	7.48	7.38	8.12	6.85
10	राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान (प्रतिशत)	10.31	9.02	7.77	7.78	6.20
11	राजस्व घाटा / अधिशेष	-3,113.86	6,943.94	13,563.59	11,252.08	7,923.57
12	प्राथमिक राजस्व शेष (पीआरबी)	2,676.62	13,229.99	19,801.88	18,091.03	13,786.58
13	प्राथमिक शेष (पीबी)	-9,119.52	3,682.05	1,621.29	507.19	-8,663.80
14	प्राथमिक शेष / जीएसडीपी (प्रतिशत)	-3.07	0.98	0.39	0.11	-1.68
15	समग्र ऋण पर निवेश पर प्रतिफल$ और प्रभावी ब्याज दर के बीच अंतर	-7.31	-7.33	-7.11	-8.06	-6.48

क्र.सं.	ऋण संधारणीयता संकेतक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
16	चलनिधि प्रबंधन (आरबीआई के पास उपलब्ध वित्तीय समायोजन साधनों का उपयोग) (कई अवसरों में)	शून्य	16.00	शून्य	शून्य	3.00
17	ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम प्रसार + प्राथमिक शेष)	-18,909.64	20,131.87	3,948.57	4,121.54	-5,176.22
18	**डोमर गैप**					
क	जीएसडीपी (स्थिर मूल्यों पर)	2,19,483.31	2,45,855.59	2,63,531.00	2,83,284.00	3,03,178.00
ख	वास्तविक वृद्धि (स्थिर मूल्यों पर)	-5.30	12.02	7.19	7.50	7.02
ग	सीपीआई (प्रतिशत) पर आधारित मुद्रास्फीति	5.32	4.51	6.14	5.73	3.77
घ	प्रभावी ब्याज दर	7.41	7.48	7.38	8.12	6.85
च	वास्तविक प्रभावी ब्याज दर (प्रभावी ब्याज दर-मुद्रास्फीति)	2.09	2.97	1.24	2.39	3.08
छ	वृद्धि ब्याज अंतर (वास्तविक वृद्धि - वास्तविक प्रभावी ब्याज दर)	-7.39	9.05	5.95	5.11	3.95
ज	प्राथमिक शेष (पीबी)	-9,119.52	3,682.05	1,621.29	507.19	-8,663.80

स्रोत: वित्त लेखे

**6003-'आंतरिक ऋण' और 6004-केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम' शीर्षों के तहत बकाया शेष राशि का योग' लोक ऋण राशि है। 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 1,689 करोड़ में और ₹ 2,484.41 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के एवज में भारत सरकार से प्राप्त के बैक-टू-बैक ऋण शामिल नहीं हैं।*

$ प्रभावी ब्याज दर प्राप्तियों द्वारा मापे गए निवेश पर पतिफल

*निवेश पर प्रतिफल(आरओआई) = ब्याज प्राप्तियाँ / वितरित ऋणों और अग्रिमों के प्रारम्भिक और अंतिम स्टॉक का औसत *100*

*** भुगतान की गई ब्याज / (लोक ऋण का आरंभिक शेष + लोक ऋण का अंत शेष/ 2) (प्रतिशत में)*

 # राज्य सरकार के लिए उपलब्ध शुद्ध ऋण की गणना लोक ऋण पुनर्भुगतान पर लोक ऋण प्राप्तियों की अधिकता और लोक ऋण पर ब्याज भुगतान के रूप में की जाती है।

गिरते ऋण-जीएसडीपी अनुपात को स्थिरता की ओर अग्रसर माना जा सकता है। इसके अलावा, ऋण स्थिरीकरण की स्थिति में बताया गया है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ क्वांटम प्रसार शून्य है, तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात स्थिर रहने की प्रवृत्ति होगी या ऋण अंततः स्थिर हो जाएगा। दूसरी ओर, यदि क्वांटम प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा नकारात्मक होता है, तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात बढ़ रहा होगा और यदि यह सकारात्मक है, तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात मे अंततः गिरावट होगी। **तालिका 1.34** से देखा जा सकता है कि:

- राज्य का ऋण भार जीएसडीपी से कुल देयता के अनुपात द्वारा मापा जाता है। महामारी से उबरने के परिणामस्वरूप, राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार शुरू हुआ, जिससे महामारी के बाद के वर्षों में राज्य के ऋण बोझ में लगातार सुधार हुआ और ऋण-जीएसडीपी अनुपात 2020-21 में 36.23 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 25.13 प्रतिशत हो गया। कोविड के बाद के वर्षों में राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के संकेतों को देखते हुए, राज्य लगातार राजस्व अधिशेष हासिल करने में सक्षम रहा है।
- नाममात्र वृद्धि के विपरीत, प्रभावी ब्याज दर मुख्य रूप से मुद्रास्फीति द्वारा संचालित थी जो आरबीआई द्वारा निर्धारित महामारी के बाद की अवधि (2021-25) में उच्च सहनशीलता दायरे (लगभग 4-6 प्रतिशत) में मंडरा रही थी, जो यह

दर्शाता है कि मुद्रास्फीति ने राज्य को वास्तविक ब्याज दर को कम रखने में मदद की ताकि वास्तविक रूप में ब्याज अंतर मे वृद्धि (जीआईडी) अनुकूल रहे।

- जीआईडी के योगदान और राज्य के ऋण भार में परिवर्तन पर प्राथमिक शेष को विघटित करने से पता चलता है कि प्रतिकूल जीआईडी और नकारात्मक प्राथमिक शेष दोनों ने 2020-21 में समग्र देयता-जीएसडीपी अनुपात के वृद्धि में योगदान दिया, जिससे 2021-22 के बाद से समग्र देनदारी-जीएसडीपी अनुपात में लगातार गिरावट मे अनुकूल हो गया।

- डोमार मानदंड से दर्शाता है कि 2020-21 में उधार की लागत को पूरा करने के लिए वृद्धि पर्याप्त नहीं थी, जिससे जीआईडी प्रतिकूल हो गया। हालाँकि, आर्थिक सुधार के संकेतों के बाद, 2021-22 में राज्य ने आधारभूत प्रभाव के कारण 12.02 प्रतिशत की पाँच वर्ष की उच्च वास्तविक वृद्धि देखी, जिससे 9.05 प्रतिशत पर अनुकूल जीआईडी हुआ। 2024-25 तक जीआईडी अनुकूल रहा जबकि 2024-25 में प्राथमिक शेष नकारात्मक ₹ 8,663.80 करोड़ हो गया।

- राज्य का ऋण भार समग्र देयता-जीएसडीपी अनुपात द्वारा मापा जाता है, यदि महामारी वर्ष 2020-21 को उपेक्षित कर दिया जाए तो, राज्य के एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों के भीतर रहा। राज्य 2020-25 के दौरान वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सांकेतिक ऋण भार के भीतर अपने ऋण भार को बनाए रखने में भी सफल रहा।

- ब्याज भुगतान - राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में गिरावट और निवेश पर प्रतिफल तथा कुल ऋण पर प्रभावी ब्याज दर के बीच का अंतर, वर्ष 2020-25 के दौरान राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार का संकेत देता है।

1.5.5 गारंटी की स्थिति - आकस्मिक देनदारियां

गारंटी उधारकर्ता के चूक करने की स्थिति में समेकित निधि पर आकस्मिक देनदारियां हैं। राज्य सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं आदि जैसी संस्थाओं द्वारा जुटाए गए ऋणों के लिए गारंटी देता है। पिछले पांच वर्षों के लिए प्रतिभूति और कुल प्राप्तियों के लिए बकाया प्रतिभूति का विवरण **तालिका 1.35** में दिया गया है।

तालिका 1.35: राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

गारंटी	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
वर्ष के आरंभ में प्रतिभूतियों की बकाया राशि	607.15	607.15	607.15	4,998.38	4,998.38
वर्ष के अंत में बकाया प्रतिभूतियाँ	607.15	607.15	4,998.38	4,998.38	2,823.38

स्रोत: वित्त लेखे और वार्षिक वित्तीय विवरण

31 मार्च 2025 तक ₹ 2,823.38 करोड़ की बकाया गारंटी ऊर्जा (₹ 2,535.38 करोड़) और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (₹ 288 करोड़) के संबंध में थी। हालांकि, 2024-25 के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोई गारंटी नहीं दी गई थी।

राज्य ने प्रत्याभूति मोचन निधि का गठन नहीं किया था और झारखण्ड एफआरबीएम अधिनियम, 2007 में राज्य द्वारा दी जाने वाली प्रतिभूतियों की राशि के संबंध में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

राज्य सरकार ने प्रत्युत्तर में कहा (25 नवंबर 2025) कि प्रत्याभूति मोचन निधि की स्थापना के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी प्राप्त कर ली गई है और इसे उचित समय पर लागू किया जाएगा।

वर्ष 2024-25 की शुरुआत में ₹ 4,998.38 करोड़ की बकाया प्रतिभूति से वर्ष के दौरान राज्य के खातों से ₹ 2,175 करोड़ की प्रतिभूति हटा दी गई, जिससे ₹ 2,823.38 करोड़ की शेष राशि बच गई।

1.5.6 राजकोषीय गुंजाइश पर अमुक्त देनदारियाँ

यदि समय पर ध्यान नहीं दिया गया, तो अप्रत्याशित देनदारियां भविष्य के विकासशील और बुनियादी ढांचे के व्यय के लिए उपलब्ध राजकोषीय गुंजाइश को कम कर देंगी। पारदर्शिता और विश्वसनीयता की कमी पैदा करने के अलावा, यह राज्य की स्थायी तरीके से संसाधन जुटाने की क्षमता को बाधित करता है, जिससे समग्र वित्तीय स्वास्थ्य और दीर्घकालिक स्थिरता प्रभावित होती है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि राज्य सरकार ने वर्षों से कई अविमुक्त देनदारियां जमा कर ली हैं, जिनका राजकोषीय संधारणीयता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसमें शामिल है:

- समेकित ह्रास निधि (सीएसएफ) में ₹ 46.04 करोड़ का अल्प योगदान।
- ₹ 268.06 करोड़ की कुल अप्रतिदेय ब्याज देनदारियां (कंडिका 3.2.1)।

इन अविमुक्त देयताओं का संचयी मूल्य ₹ 314.10 करोड़ था, जो वर्ष 2024-25 के लिए जीएसडीपी का 0.06 प्रतिशत और राजकोषीय घाटे का 2.16 प्रतिशत है।

1.6 निष्कर्ष

राज्य ने झारखण्ड एफआरबीएम अधिनियम में दिए गए समयसीमा से बहुत पहले अपने राजस्व घाटे को शून्य करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है और 2020-21 को छोड़कर पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्व अधिशेष प्राप्त किया। 2020-21 से 2024-25 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा एफआरबीएम लक्ष्यों के अंदर था, सिवाय वर्ष 2020-21 के, जब यह लक्ष्य से थोड़ा अधिक था।

2022-23 के बाद राज्य के स्व-कर राजस्व उत्प्लावकता ने कमी की प्रवृत्ति दिखाई। 2024-25 के दौरान जीएसडीपी के संबंध में उत्प्लावकता 0.77 प्रतिशत अंक कम हो गया।

राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय 2020-21 में 45 प्रतिशत से लगातार घटकर 2024-25 में 34 प्रतिशत हो गया। हालाँकि, राजस्व प्राप्तियों के

प्रतिशत के रूप में सब्सिडी 2022-23 के बाद से बढ़ रही थी। 2024-25 के दौरान यह राजस्व प्राप्तियों का 8.35 प्रतिशत था।

राज्य की कुल देनदारियां 2023-24 में ₹ 1,23,435 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 1,29,744 करोड़ हो गईं। जीएसडीपी से वित्तीय देयताओं का अनुपात 27.00 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 25.13 प्रतिशत था। बिहार और झारखण्ड के उत्तराधिकारी राज्यों के बीच समग्र बिहार राज्य की वित्तीय देयताओं का विभाजन अभी तक नहीं किया गया है।

1.7 अच्छी प्रथाएं

- राज्य सरकार ने ऋणों के परिशोधन के लिए स्थापित समेकित ह्रास निधि में 2024-25 तक ₹ 2,162.87 करोड़ हस्तांतरित किए।
- एक पेंशन मोचन निधि की स्थापना की गई है, और पुरानी पेंशन योजना में बदलाव करने के कारण उत्पन्न होने वाली भविष्य की वित्तीय देयताओं को पूरा करने के लिए 2024-25 तक ₹ 1,482.41 करोड़ हस्तांतरित किए गए थे।

1.8 अनुशंसाएँ

- कर अनुपालन में सुधार करके तथा एक स्पष्ट गैर-कर राजस्व नीति लागू करके, विशेष रूप से लाभांश, खनन और ब्याज प्राप्तियों के लिए, और समय-समय पर उपयोगकर्ता शुल्क और शुल्क को संशोधित करके राजस्व प्राप्ति को मजबूत किया जा सकता है।
- राजस्व व्यय और प्रतिबद्ध देयताओं को युक्तिसंगत बनाएं और विकसात्मक व्यय के लिए राजकोषीय गुंजाईश बनाने के लिए सब्सिडी का बेहतर तरीके से लक्षित करें।
- वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लाभांश नीति तैयार करके और राज्य द्वारा अपनी संस्थाओं और कर्मचारियों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों की निगरानी बढ़ाकर सार्वजनिक निवेश पर प्रतिफल में सुधार करें।
- केंद्र प्रायोजित योजना निधि को एसएनए स्पर्श खातों में समेकित और समय पर हस्तांतरित करके वित्तीय पारदर्शिता और बेहतर निधि प्रबंधन सुनिश्चित करें।

अध्याय-II

बजटीय प्रबंधन

अध्याय II: बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय झारखण्ड की बजटीय प्रक्रिया की समीक्षा करता है, बजट अनुमानों और वास्तविक व्यय के बीच महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करता है, जिसमें सतत बचत और अंतिम समय में निधि का अभ्यर्पण जैसे मुद्दे शामिल हैं। यह वित्तीय योजना, नियंत्रण और अनुपालन में कमजोरियों को उजागर करता है, यथार्थवादी बजट, समय पर निधि का उपयोग और जेंडर एवं हरित बजट जैसी आधुनिक प्रथाओं की आवश्यकता पर जोर देता है।

2.1 बजट प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुपालन में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, राज्य की उस वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)" कहा जाता है, राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाना है। व्यय के अनुमानों में व्यय के भारित और दत्तमत मदों[1] को अलग से दिखाते हैं और राजस्व खातों पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करते हैं। राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय करने से पहले विधायी प्राधिकारण आवश्यक है।

झारखण्ड बजट नियमावली के अनुसार, वित्त विभाग विभिन्न विभागों से अनुमान प्राप्त करके वार्षिक बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। प्राप्तियों और व्यय के विभागीय अनुमानों को विभागों के प्रमुखों की सलाह पर नियंत्रण अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाता है और निर्धारित तिथियों पर वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विभाग अनुमानों को समेकित करता है और 'अनुदान की मांग' नामक विस्तृत अनुमान तैयार करता है। राज्य के बजट में मुख्य रूप से निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं:

- ✓ वार्षिक वित्तीय विवरण
- ✓ अनुदान की मांग
- ✓ एफआरबीएम विवरण
- ✓ मध्यम अवधि की वित्तीय योजना
- ✓ वित्तीय जोखिम विवरण
- ✓ अन्य

2.2 बजट अनुमान तथा अपेक्षित एवं वास्तविकता के बीच अंतर

कर प्रशासन / अन्य प्राप्तियों और लोक व्यय के कुशल प्रबंधन से संसाधनों के इष्टतम उपयोग, योजना कार्यान्वयन और निगरानी क्षमता को मजबूत करने और राजकोषीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संतुलन बनाए रखता है। सतत बचत / अधिशेष अंतर्निहित बजटीय प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता को इंगित करता है।

---

[1] **भारित व्यय**: व्यय की कुछ श्रेणियाँ (यथा संवैधानिक अधिकारियों के वेतन, ऋण की अदाएगी, आदि), राज्य की समेकित निधि पर प्रभार बनाती हैं और विधानसभा द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। **दत्तमत व्यय**: अन्य सभी व्यय विधानसभा द्वारा दत्तमत है।

राज्य विधानसभा से प्राप्त कुल विनियोग, वास्तविक व्यय और बचत का विवरण **तालिका 2.1** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 2.1: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बजट प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत	2024-25 के दौरान अभ्यर्पण	
							राशि	प्रतिशत
दत्तमत	I राजस्व	83,945.47	19,840.64	103,786.11	82,653.85	21,132.26	13,651.91	64.60
	II पूँजीगत	23,987.25	1,836.89	25,824.14	18,562.53	7,261.61	5,568.83	76.69
	III ऋण एवं अग्रिम	4,580.89	145.83	4,726.72	4,237.10	489.62	444.61	90.81
कुल		**1,12,513.61**	**21,823.36**	**1,34,336.97**	**1,05,453.48**	**28,883.49**	**19,665.35**	**68.09**
भारित	I राजस्व	7,886.07	198.48	8,084.55	6,695.73	1,388.82	186.62	13.44
	II पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	III लोकऋण-पुनर्भुगतान	8,500.32	17.00	8,517.32	7,679.63	837.69	4.19	0.50
कुल		**16,386.39**	**215.48**	**16,601.87**	**14,375.36**	**2,226.51**	**190.81**	**8.57**
आकस्मिकता निधि के लिए विनियोग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सकल योग		**1,28,900.00**	**22,038.84**	**1,50,938.84**	**1,19,828.84**	**31,110.00**	**19,856.16**	**63.83**

स्रोत: विनियोग लेखे।

टिप्पणी: ऊपर दिखाया गया व्यय सकल आँकड़े हैं जिसमें राजस्व शीर्ष (₹ 2,784.47 करोड़) और पूँजीगत शीर्ष (₹ 152.56 करोड़) के तहत व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित वसूली को ध्यान में नहीं रखा गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹ 31,110 करोड़ (कुल बजट का 20.61 प्रतिशत) का कुल बचत, 54 दत्तमत अनुदानों और राजस्व अनुभाग के तहत चार विनियोगों में ₹ 22,827.70 करोड़ और पूँजीगत अनुभाग के तहत 39 अनुदानों और एक विनियोग में ₹ 8,588.92 करोड़ की बचत का परिणाम था। राजस्व अनुभाग के तहत एक अनुदान (15-पेंशन) में ₹ 306.62 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

इसके अलावा, यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 31,110.00 करोड़ की कुल बचत में से, ₹ 19,648.71 करोड़ की महत्वपूर्ण बचत, जो 10[2] अनुदानों के तहत बजट प्रावधानों के सात से 62 प्रतिशत के बीच हुई है, जिसके कारणों की विनियोग लेखे में उचित रूप से व्याख्या नहीं की गयी है। इसके अलावा, इन अनुदानों में सतत बचत हुई, जो 2020-21 से 2023-24 के दौरान ₹ 10,398.06 करोड़ से लेकर ₹ 19,881.49 करोड़ तक थी।

विभिन्न शीर्षों के तहत महत्वपूर्ण बचत के साथ-साथ अन्य मामलों में आधिक्य, खराब बजटीय प्रबंधन और आवश्यकताओं के अवास्तविक मूल्यांकन को दर्शाता है।

2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए मूल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय की प्रवृत्तियाँ **तालिका 2.2** में दी गई हैं।

---

[2] 1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), 13-ब्याज संदाय, 18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, 36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, 42-ग्रामीण विकास विभाग, 48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग), 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग), 56-पंचायती राज विभाग और 60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग।

तालिका 2.2: वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
मूल बजट	86,370.00	91,277.00	1,01,101.00	1,16,418.00	1,28,900.00
अनुपूरक बजट	9,908.07	10,309.19	16,516.72	25,080.79	22,038.84
कुल बजट	96,278.07	1,01,586.19	1,17,617.72	1,41,498.79	1,50,938.84
पुनरीक्षित अनुमान	80,007.05	89,207.89	98,990.19	1,20,518.34	1,30,718.34
वास्तविक व्यय	74,458.59	79,070.38	92,983.52	1,08,754.44	1,19,828.84
बचत	21,819.48	22,515.81	24,634.20	32,744.35	31,110.00
मूल प्रावधान से अनुपूरक का प्रतिशत	11.47	11.29	16.34	21.54	17.10
कुल प्रावधान से कुल बचत का प्रतिशत	22.66	22.16	20.94	23.14	20.61
कुल बजट - पुनरीक्षित अनुमान	16,271.02	12,378.30	18,627.53	20,980.45	20,220.50
पुनरीक्षित अनुमान - वास्तविक व्यय	5,548.46	10,137.51	6,006.67	11,763.90	10,889.50
(कुल बजट - पुनरीक्षित अनुमान) कुल बजट के प्रतिशत के रूप में	16.90	12.19	15.84	14.83	13.40
(पुनरीक्षित अनुमान - वास्तविक व्यय) कुल बजट के प्रतिशत के रूप में	5.76	9.98	5.11	8.31	7.21

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण और विनियोग लेखे।

तालिका 2.2 दर्शाता है कि 2024-25 के दौरान अनुपूरक प्रावधान ₹ 22,038.84 करोड़ विगत वर्ष के 21.54 प्रतिशत के विरुद्ध मूल प्रावधान का 17.10 प्रतिशत था।

जैसा कि **तालिका 2.2** से देखा जा सकता है, राज्य की समग्र बचत बहुत अधिक थी और 2020-25 की अवधि के दौरान 20 से 23 प्रतिशत के बीच रही। इस अवधि के दौरान बड़ी बचत अवास्तविक बजट का संकेत था जहाँ योजनाएँ निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार इकाइयों द्वारा प्रदान की गई आवश्यकताओं के आधार पर अनुमान नहीं लगाए गए थे।

चार्ट 2.1 बजट अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान एवं वास्तविकताओं को दर्शाने वाली प्रवृत्ति

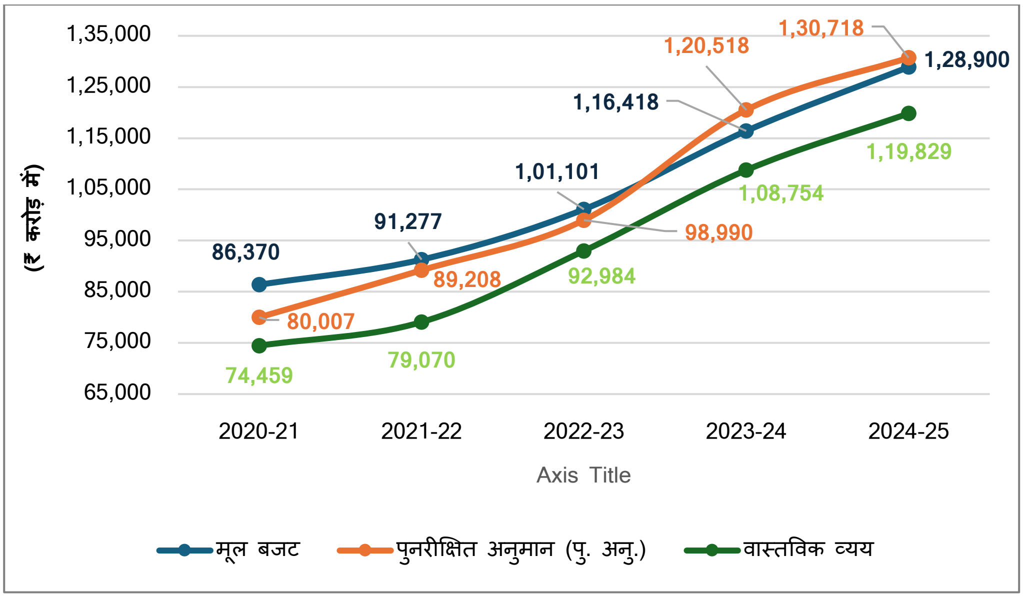

चार्ट 2.1 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान राज्य के मूल बजट, पुनरीक्षित अनुमानों और वास्तविक व्यय के बीच विचलन था। हालाँकि, 2021-22 के बाद से यह अंतर कम होने लगा।

2.2.1 बजटीय प्रावधानों और व्यय का घटक-वार विश्लेषण

2024-25 के बजट और व्यय का घटक-वार विश्लेषण **तालिका 2.3** में संक्षेपित किया गया है। विनियोग लेखे में भिन्नता के मामले में प्राप्त स्पष्टीकरणों का सारांश **चार्ट 2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3: वर्ष 2024-25 के लिए घटक-वार बजट और व्यय

घटक	कुल बजट (₹ करोड़ में)	कुल व्यय (₹ करोड़ में)	कुल बजट का प्रतिशत	कुल व्यय का प्रतिशत	कुल बजट के विरुद्ध व्यय का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3/2*100)
प्रतिबद्ध व्यय	35,322.56	32,311.37	23.40	26.96	91.48
राज्य योजनाएँ	66,289.81	55,239.20	43.92	46.10	83.33
के. प्रा. यो. के लिए केंद्रीय हिस्सा	15,443.62	7,796.82	10.23	6.51	50.49
के. प्रा. यो. के लिए राज्य का हिस्सा	11,526.63	7,347.21	7.64	6.13	63.74

जैसा कि **तालिका 2.3** से देखा जा सकता है**,** केंद्र प्रायोजित योजनाओं (के.प्रा.यो.) पर व्यय और के.प्रा.यो. में राज्य की हिस्सेदारी क्रमशः ₹ 15,443.62 करोड़ और ₹ 11,526.63 करोड़ बजट आवंटन का केवल 50 प्रतिशत और 64 प्रतिशत था।

चार्ट 2.2: विनियोग लेखे में भिन्नता के स्पष्टीकरण का सारांश

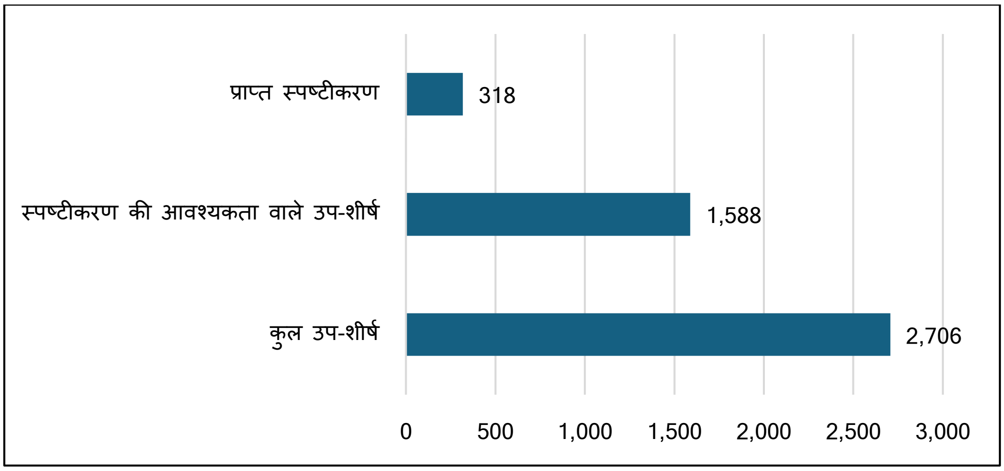

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड का कार्यालय

जैसा कि **चार्ट 2.2** से देखा जा सकता है, 1,588 उप-शीर्षों (योजनाओं) में बजट और व्यय के बीच भिन्नता दस प्रतिशत से अधिक थी, जिसके लिए विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। हालाँकि, यह देखा गया कि 1,270 उप-शीर्षों में, विभागों द्वारा भिन्नता के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

2.2.2 अनुदान संख्या 20 तथा 51 के अंतर्गत बजट और व्यय की संक्षिप्त स्थिति

2024-25 के दौरान, अनुदान संख्या 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग तथा अनुदान संख्या 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (एसटी, एससी एवं बीसी कल्याण प्रभाग) को बजटीय प्रक्रिया विश्लेषण के लिए चुना गया था। अनुदान संख्या 20 और 51 के अंतर्गत बजट और व्यय की संक्षेपित स्थिति नीचे दी गई है:

(अ) राज्य सरकार ने अनुदान संख्या 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत 2024-25 के दौरान ₹ 7,731.83 करोड़ का बजट प्रदान किया। कुल बजट प्रावधान में से, विभाग द्वारा ₹ 5,237.47 करोड़ (68 प्रतिशत) का व्यय किया गया, जिससे ₹ 2,494.36 करोड़ (32 प्रतिशत) की बचत हुई। इसके अलावा, ₹ 2,494.36 करोड़ की कुल बचत में से, ₹ 2,080.32 करोड़ की राशि को अभ्यर्पित कर दिया गया और शेष ₹ 414.04 करोड़ को वर्ष 2024-25 के दौरान व्यपगत होने दिया गया। बजट प्रावधानों और उनके उपयोग का विवरण **तालिका 2.4** में दिखाया गया है।

तालिका 2.4: अनुदान संख्या 20 के तहत 2024-25 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय और बचत का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	दत्तमत पूँजीगत	दत्तमत राजस्व	कुल
मूल अनुदान	919.88	6,303.12	7,223.00
अनुपूरक अनुदान	69.31	439.52	508.83
कुल अनुदान	**989.19**	**6,742.64**	**7,731.83**
व्यय	439.70	4,797.77	5,237.47
बचत	549.49	1,944.87	2,494.36
अभ्यर्पण	502.36	1,577.96	2,080.32
व्यपगत	47.13	366.91	414.04

स्रोत: वर्ष 2024-25 के लिए झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।

जैसा कि **तालिका 2.4** से देखा जा सकता है, अनुदान संख्या 20 में ₹ 2,494.36 करोड़ (राजस्व: ₹ 1,944.87 करोड़ और पूँजीगत: ₹ 549.49 करोड़) की बचत थी, जो रूप प्रमुख से मुख्य शीर्षो '2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य और '4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय' के तहत थी। इसलिए, ₹ 508.83 करोड़ (राजस्व: ₹ 439.52 करोड़ और पूँजीगत: ₹ 69.31 करोड़) का अनुपूरक अनुदान पूरी तरह से अनावश्यक साबित हुआ और जहाँ आवश्यक था, इसे सांकेतिक राशि तक सीमित किया जा सकता था।

(**ब**) राज्य सरकार ने अनुदान संख्या 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए 2024-25 के दौरान ₹ 3,721.65 करोड़ का बजट उपलब्ध कराया। बजट प्रावधान के विरुद्ध, ₹ 2,576.27 करोड़ (69.22 प्रतिशत) व्यय की गई, जिसके परिणामस्वरूप कुल 1,145.38 करोड़ (30.78 प्रतिशत) की बचत हुई। इसके अलावा, ₹ 1,145.38 करोड़ की कुल बचत में से, ₹ 913.85 करोड़ की राशि को अभ्यर्पित कर दिया गया और शेष

₹ 231.53 करोड़ को व्यपगत होने दिया गया। बजट प्रावधान और इसके उपयोग का विवरण **तालिका 2.5** में दिया गया है।

तालिका 2.5: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय और बचत का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	पूँजीगत	राजस्व	कुल
मूल अनुदान	523.62	2,648.11	3,171.73
अनुपूरक अनुदान	0.00	549.92	549.92
कुल अनुदान	**523.62**	**3,198.03**	**3,721.65**
व्यय	351.88	2,224.39	2,576.27
बचत	171.74	973.64	1,145.38
अभ्यर्पण	117.94	795.91	913.85
व्यपगत	53.80	177.73	231.53

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।

₹ 1,145.38 करोड़ (राजस्व: ₹ 973.64 करोड़ और पूँजीगत: ₹ 171.74 करोड़) की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 549.92 करोड़ (राजस्व: ₹ 549.92 करोड़) का अनुपूरक अनुदान पूरी तरह से अनावश्यक साबित हुआ और जहाँ आवश्यक था, इसे सांकेतिक राशि तक सीमित किया जा सकता था। बचत मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएमजनमन) (₹ 41.00 करोड़), ओबीसी के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (₹ 111.00 करोड़), ओबीसी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (₹ 237.00 करोड़), एसटी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (₹ 153.00 करोड़), विशेष केंद्रीय सहायता के लिए अनुदान (अतिरिक्त केंद्रीय सहायता) (₹ 100.00 करोड़) के तहत थी।

2.3 बजट मार्कमैनशिप

व्यय अवयव परिणाम

व्यय अवयव परिणाम यह मापता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुनर्आवंटन ने किस हद तक व्यय अवयव में भिन्नता में योगदान दिया है।

अनुदान, आधिक्य और बचत का वर्ष-वार विश्लेषण राज्य द्वारा बजट निष्पादन एवं वित्तीय प्रबंधन की दक्षता में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसे **चार्ट 2.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3: वर्ष-वार अनुदान, आधिक्य और बचत

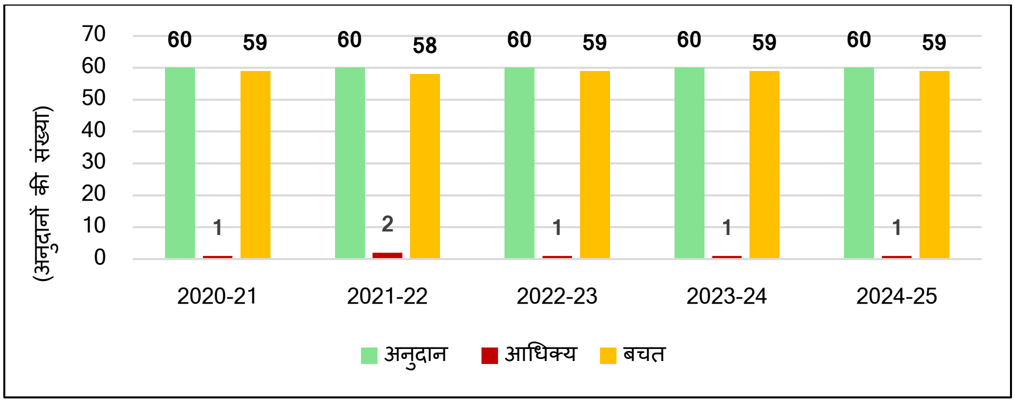

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्यय अवयव का परिणाम **तालिका 2.6** में दिया गया है।

तालिका 2.6: व्यय अवयव समग्र विचलन-वित्तीय वर्ष 2024-25

अनुभाग	समग्र विचलन (प्रतिशत)	विचलन की सीमा (प्रतिशत)	अनुदानों की संख्या
राजस्व (दत्तमत)	9.03	0 से ± 25	25
	34.95	± 25 से ± 50	21
	61.98	± 50 से ± 100	8
	103.32	≥ 100	1
पूँजीगत (दत्तमत)	11.58	0 से ± 25	14
	32.87	± 25 से ± 50	9
	61.40	± 50 से ± 100	16
राजस्व (भारित)	8.67	0 से ± 25	4
	31.46	± 25 से ± 50	2
	-	± 50 से ± 100	0
पूँजीगत (भारित)	9.84	0 से ± 25	1
	-	± 25 से ± 50	0
	-	± 50 से ± 100	0
हालाँकि, पूँजीगत अनुभाग के 20 अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।			

राजस्व अनुभाग में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन 8.67 प्रतिशत और 103.32 प्रतिशत के बीच था। ऐसा 29 अनुदानों में 0 और (+/-) 25 प्रतिशत के बीच, 23 अनुदानों में (+/-) 25 प्रतिशत से (+/-) 50 प्रतिशत के बीच, आठ अनुदानों में (+/-) 50 प्रतिशत से (+/-) 100 प्रतिशत के बीच और एक अनुदान में 100 प्रतिशत से अधिक विचलन के कारण हुआ। 2024-25 के दौरान, विगत वर्ष के 28 अनुदानों की तुलना में 31 अनुदानों में (+/-) 25 प्रतिशत से (+/-) 100 प्रतिशत के बीच विचलन था।

पूँजीगत अनुभाग में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन 9.84 प्रतिशत और 61.40 प्रतिशत के बीच था। ऐसा 15 अनुदानों में 0 और (+/-) 25 प्रतिशत के बीच, नौ अनुदानों में (+/-) 25 प्रतिशत से (+/-) 50 प्रतिशत के बीच और 16 अनुदानों में (+/-) 50 प्रतिशत से (+/-) 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण हुआ। 2024-25 के दौरान, पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत विगत वर्ष के 19 अनुदानों की तुलना में 25 अनुदानों में (+/-) 25 प्रतिशत से (+/-) 100 प्रतिशत के बीच विचलन था।

अधिक अनुदानों में व्यय के परिणाम में बड़ा विचलन कार्य के निष्पादन के लिए जिम्मेदार क्षेत्र इकाइयों से यथार्थवादी अनुमान प्राप्त किए बिना बजट की तैयारी का संकेत था।

2.4 विनियोग लेखे

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियम के संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत किए गए अनुदानों और भारित विनियोगों की राशि की तुलना में विनियोग लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण और

पुनर्विनियोजन के सापेक्ष वास्तविक व्यय को सकल आधार पर अलग-अलग स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने का प्रयास करता है कि विभिन्न अनुदानों के तहत किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकरण के अनुरूप है तथा संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के तहत भारित किए जाने वाले आवश्यक व्यय को इस प्रकार भारित किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि किया गया व्यय विधिसंगत, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

2.5 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया

2.5.1 विधि के प्राधिकार के बिना किया गया व्यय

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा पारित विनियोग को छोड़कर राज्य की समेकित निधि से कोई भी राशि की निकासी नहीं होगी। झारखण्ड बजट नियमावली के नियम 114 में प्रावधान है कि अनुपूरक अनुदान द्वारा अतिरिक्त निधि को छोड़कर निधि के प्रावधान के बिना नई योजना पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, यह देखा गया कि वर्ष 2024-25 के दौरान मूल बजट अनुमानों/अनुपूरक मांगों में कोई प्रावधान किए बिना और इस संबंध में कोई पुनर्विनियोजन आदेश जारी किए बिना अनुदान संख्या 14-ऋणों के पुनर्भुगतान में एक उप-शीर्ष के तहत ₹ 246.52 करोड़ (**तालिका 2.7**) का व्यय किया गया था।

तालिका 2.7: बजट प्रावधान या पुनर्विनियोजन के बिना व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम / विवरण	खाते का शीर्ष	किया गया व्यय	बिना प्रावधान के व्यय
1	14	ऋणों का पुनर्भुगतान	6004-09-101-02	246.52	(+) 246.52
कुल				**246.52**	**(+) 246.52**

आगे लेखे के विश्लेषण से पता चला कि '6004-09-101-02-ब्लॉक ऋण 01.04.2017 से प्राप्त' के स्थान पर '6004-09-101-01-ब्लॉक ऋण 1989-90 से प्राप्त' शीर्ष के तहत बजट प्रावधान त्रुटिपूर्ण ढंग से किया गया जिसके कारण **तालिका 2.7** के अनुसार आधिक्य हुआ।

2.5.2 आधिक्य व्यय एवं इसका विनियमन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि राज्य विधानसभा द्वारा अनुदानों / विनियोगों से आधिक्य व्यय को विनियमित किया जाए। यद्यपि अनुच्छेद के तहत व्यय के विनियमन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तथापि लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखे पर चर्चा पूरी होने के बाद आधिक्य व्यय का विनियमन किया जाता है।

अ. चालू वर्ष के दौरान आधिक्य व्यय

वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य विधानसभा द्वारा एक विनियोग के तहत किए गए प्राधिकार पर ₹ 306.62 करोड़ का आधिक्य संवितरण हुआ जैसा कि **तालिका 2.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.8: 2024-25 के दौरान विनियमन की आवश्यकता वाले आधिक्य व्यय

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं	अनुदान विवरण	विनियमित करने के लिए आवश्यक आधिक्य राशि
15	पेंशन	306.62
कुल		**306.62**

स्रोत: विनियोग लेखे

ब. विगत वित्तीय वर्षों के आधिक्य व्यय का विनियमन

राज्य विधानसभा द्वारा विनियमन के लिए विगत वर्षों से संबंधित आधिक्य संवितरण **तालिका 2.9** में दिखाया गया है।

तालिका 2.9: विनियमन की आवश्यकता वाले विगत वर्षों से संबंधित आधिक्य व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान / विनियोग की संख्या	अनुदान / विनियोग का नाम	नियमित करने के लिए आवश्यक आधिक्य राशि
2001-02	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	*
	32	विधानसभा	0.04
2002-03	32	विधानसभा	0.08
2003-04	46	पर्यटन विभाग	0.29
2004-05	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	@
2006-07	38	निबंधन विभाग	$
2010-11	32	विधानसभा	0.10
2011-12	14	ऋण की वापसी/अदायगी	219.56
	15	पेंशन	200.60
	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	^
2012-13	7	निगरानी	0.07
	14	ऋण की वापसी/अदायगी	556.01
	15	पेंशन	703.44
	42	ग्रामीण विकास विभाग	3.66
2013-14	13	ब्याज संदाय	139.42
	14	ऋण की वापसी/अदायगी	181.58
	15	पेंशन	373.05
2014-15	13	ब्याज संदाय	191.68
	42	ग्रामीण विकास विभाग	169.53
2016-17	14	ऋण की वापसी/अदायगी	10.42
	32	विधानसभा	0.33
2017-18	13	ब्याज संदाय	193.69
	15	पेंशन	71.81
2019-20	13	ब्याज संदाय	120.64
	15	पेंशन	192.68
2020-21	13	ब्याज संदाय	144.95

वर्ष	अनुदान / विनियोग की संख्या	अनुदान / विनियोग का नाम	नियमित करने के लिए आवश्यक आधिक्य राशि
2021-22	13	ब्याज संदाय	98.89
	15	पेंशन	189.97
2022-23	14	ऋण की वापसी/अदायगी	15.92
2023-24	15	पेंशन	268.02
		कुल	**4,046.43**

स्रोत: संबंधित वर्ष के विनियोग लेखे

**आधिक्य राशि केवल ₹ 8,807 थी*

@ आधिक्य राशि केवल ₹ 1,072 थी

$ आधिक्य राशि केवल ₹ 81,665 थी

^ आधिक्य राशि केवल ₹ 11,160 थी

राज्य की संचित निधि से व्यय पर विधायी निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए, इन आधिक्य व्यय (₹ 4,046.43 करोड़) को जल्द से जल्द विनियमित करने की आवश्यकता है और इस तरह के आधिक्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

लोक लेखा समिति (लो. ले. स.) की सिफारिशों पर राज्य विधानसभा द्वारा 2010-11 तक ₹ 8,120.12 करोड़ की राशि के प्रावधानों पर आधिक्य व्यय को विनियमित किया गया था (13 जनवरी 2014)। इसके बाद, लो. ले. स. द्वारा सिफारिशों की कमी के कारण प्रावधानों पर आधिक्य व्यय को विनियमित नहीं किया गया है।

2.5.2.1 कुछ अनुदानों में सतत आधिक्य व्यय

लेखापरीक्षा से पता चला कि विगत पाँच वर्षों के दौरान मुख्य रूप से विनियोग 13 एवं 14 और अनुदान 15 के तहत आधिक्य व्यय किया गया था जैसा कि **तालिका 2.9** में दिखाया गया है।

2021-22 (₹ 189.97 करोड़), 2023-24 (₹ 268.02 करोड़) और 2024-25 (₹ 306.62 करोड़) के दौरान अनुदान संख्या 15, मुख्य शीर्ष 2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ में आधिक्य व्यय हुआ।

इसी तरह, 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 144.95 करोड़ और ₹ 98.89 करोड़ का आधिक्य '2049-ब्याज अदायगी के तहत हुई, मुख्य रूप से ब्लॉक ऋणों, अन्य गैर-योजना मदों के लिए ऋण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए हुई।

2.5.3 अनावश्यक एवं आधिक्य अनुपूरक अनुदान

झारखण्ड बजट नियमावली (ब. नि.) के नियम 117 में कहा गया है कि व्यय की नई विशिष्ट मदों को पूरा करने या दत्तमत अनुदान में संभावित आधिक्य को पूरा करने के लिए वित्त विभाग के परामर्श से अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा, ब. नि. के नियम 57 के नीचे टिप्पणियों के अनुसार, अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यय की जा सकने वाली राशि से अधिक राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

46 मामलों (**परिशिष्ट 2.1**) मे यह देखा गया कि, वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 5,407.00 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान किए जाने के बावजूद व्यय मूल प्रावधानों तक नहीं पँहुचा। इसी प्रकार, 16 मामलों में ₹ 16,122.96 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ दो करोड़ से अधिक) आधिक्य साबित हुए (**परिशिष्ट 2.2**) क्योंकि अनुपूरक प्रावधानों की सम्पूर्ण राशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार (25 नवंबर 2025) ने कहा कि बजट आकलन, निगरानी तथा नियंत्रण तंत्र को मजबूत किया जाएगा।

अनुदानों की विस्तृत समीक्षा का विश्लेषण नीचे दिया गया है:

(अ) अनुदान संख्या 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, विभाग ने 16 योजनाओं के तहत ₹ 1,610.33 करोड़ के कुल प्रावधान में से केवल ₹ 1,258.12 करोड़ का उपयोग किया था, जिससे ₹ 352.21 करोड़ की बचत हुई। मूल प्रावधानों के उपयोग नहीं होने के बावजूद, बजट नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अनुपूरक बजट के माध्यम से इन योजनाओं को ₹ 144.77 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई। विवरण **तालिका 2.10** में दिया गया है।

तालिका 2.10: परिहार्य अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष	मूल	व्यय	बचत	अनुपूरक
1	2210-01-001-A4	56.74	45.23	11.51	2.24
2	2210-01-110-71	35.00	32.25	2.75	15.00
3	2210-01-110-A3	274.03	272.03	2.00	43.10
4	2210-01-796-85	8.00	5.33	2.67	0.35
5	2210-03-101-02	91.02	72.01	19.01	9.34
6	2210-03-103-21	475.47	371.81	103.66	2.96
7	2210-03-110-04	69.60	44.52	25.08	0.03
8	2210-04-103-01	0.63	0.52	0.11	0.04
9	2210-05-105-04	0.50	0.48	0.02	0.06
10	2210-05-105-39	113.52	94.89	18.63	1.30
11	2210-06-101-13	2.94	2.05	0.89	0.13
12	2210-06-102-01	3.07	2.95	0.12	0.30
13	2211-00-103-01	6.36	6.05	0.31	0.07
14	2251-00-090-07	5.95	5.85	0.10	0.54
15	4210-01-110-26	2.50	1.33	1.17	0.09
16	4210-01-110-45	465.00	300.82	164.18	69.22
कुल		**1,610.33**	**1,258.12**	**352.21**	**144.77**

स्रोत: वर्ष 2024-25 के लिए झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।

(ब) इसके अलावा, अनुदान संख्या 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (एसटी, एससी, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग) के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विभाग ने आठ योजनाओं में ₹ 231.61 करोड़ के मूल प्रावधान में से केवल

₹ 197.00 करोड़ का उपयोग किया था, जिससे ₹ 34.61 करोड़ की बचत हुई। मूल प्रावधानों के उपयोग नहीं होने के बावजूद, अनुपूरक बजट के माध्यम से इन योजनाओं को ₹ 21.83 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई थी। विवरण **तालिका 2.11** में दिया गया है।

तालिका 2.11: परिहार्य अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना	मूल	मूल प्रावधान से व्यय	अनुपूरक प्रावधान
1	2225-01-01-01-निर्देशन एवं प्रशासन	42.81	21.40	1.50
2	2225-01-789-13- साइकिल योजना	19.00	17.50	3.50
3	2225-02-277-26-झारखण्ड जनजातीय अनुसंधान संस्थान, राँची	2.81	2.73	0.17
4	2225-02-277-69-पहरिया डे स्कूल	2.68	2.31	0.25
5	2225-02-282-01-आयुर्वैदिक ठक्कर कुष्ठ निवारण केंद्र	2.31	2.17	0.01
6	2225-02-796-13-साइकिल योजना	26.00	23.80	5.80
7	2225-03-277-10-साइकिल योजना	31.00	28.60	5.60
8	2225-03-796-89-प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 1 से 8)	105.00	98.49	5.00
कुल		**231.61**	**197.00**	**21.83**

स्रोत: 2024-25 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे

यह इंगित करता है कि वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना अनुपूरक बजट का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे गए थे।

2.5.4 निधियों का अनुचित पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोजन एक अनुदान के अंतर्गत विनियोग की एक इकाई से दूसरी इकाई में निधि का हस्तांतरण है, जहाँ अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है। 2024-25 के दौरान, 28 अनुदानों के अंतर्गत ₹ 867.14 करोड़ का पुनर्विनियोजन आदेश जारी किए गए थे।

पाँच योजनाओं में, **(परिशिष्ट 2.3)** प्रावधान का संवर्धन अनावश्यक/आधिक्य साबित हुआ क्योंकि व्यय या तो मूल/अनुपूरक बजट प्रावधान के स्तर तक नहीं आया या पुनर्विनियोजन राशि का केवल आंशिक रूप से उपयोग किया गया था।

2.5.5 अप्रयुक्त राशि तथा अभ्यर्पित की गई विनियोग और/या बड़ी बचत/अभ्यर्पण

बजट प्रस्तावों मे सभी संभावित व्यय को उचित व्यय स्तरों तक अनुकूलित करने का प्रयास करना चाहिए ताकि व्यय की गुणवत्ता को संतुलित किया जा सके और बजटीय निधियों के कम उपयोग को कम किया जा सके। व्यय इकाइयों द्वारा समय पर अभ्यर्पण अनुमोदित बजट के अंदर इष्टतम पुनर्आवंटन के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है।

अनुदानों और विनियोगों के विश्लेषण से पता चला कि वर्ष 2024-25 के दौरान 25 मामलों में (22 अनुदानों के तहत), बचत (अभ्यर्पण को छोड़कर) प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक थी (**परिशिष्ट 2.4**)। यह भी देखा गया कि तीन अनुदानों में,

कुल अनुदान, जो कि ₹ 24.32 करोड़ है, के विरुद्ध वर्ष 2024-25 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया, जैसा कि **तालिका 2.12** में दिखाया गया है।

तालिका 2.12: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अप्रयुक्त सम्पूर्ण अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या और नाम	राशि
1	35-योजना एवं विकास विभाग (पूँजीगत - दत्तमत)	0.19
2	45-सूचना प्रावैधिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग (पूँजीगत - दत्तमत)	19.13
3	54-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग) (पूँजीगत - दत्तमत)	5.00
कुल		**24.32**

स्रोत: विनियोग लेखे

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान 23 अनुदानों के तहत 28 मामलों में, प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक की सतत बचत हुई (**परिशिष्ट 2.5**)।

2024-25 के दौरान कुल बचत के साथ उपयोग के प्रतिशत के अनुसार समूहीकृत अनुदान का विवरण **परिशिष्ट 2.6** और **चार्ट 2.4** में दिखाया गया है।

चार्ट 2.4: कुल बचत के साथ बचत के प्रतिशत के अनुसार समूहीकृत अनुदानों/ विनियोगों की संख्या का वितरण

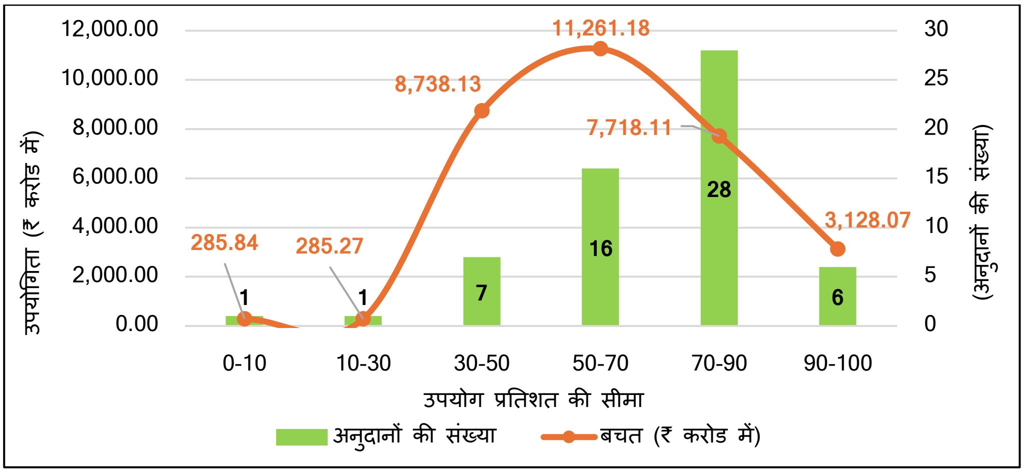

स्रोत: विनियोग लेखे

यह देखा गया कि 52 अनुदानों और चार विनियोगों (**परिशिष्ट 2.7**) के तहत ₹ 31,101.04 करोड़ की बचत में से ₹ 11,560.49 करोड़ अभ्यर्पित नहीं किए गए थे। मार्च 2025 में अभ्यर्पित की गई बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक) का विवरण **परिशिष्ट 2.8** में दिया गया है।

इसके अलावा, कुल बचत की राशि, बचत का अभ्यर्पण और मार्च 2025 में किए गए अभ्यर्पण को **चार्ट 2.5** में दिखाया गया है।

चार्ट 2.5: वर्ष 2024-25 के लिए बचत और अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

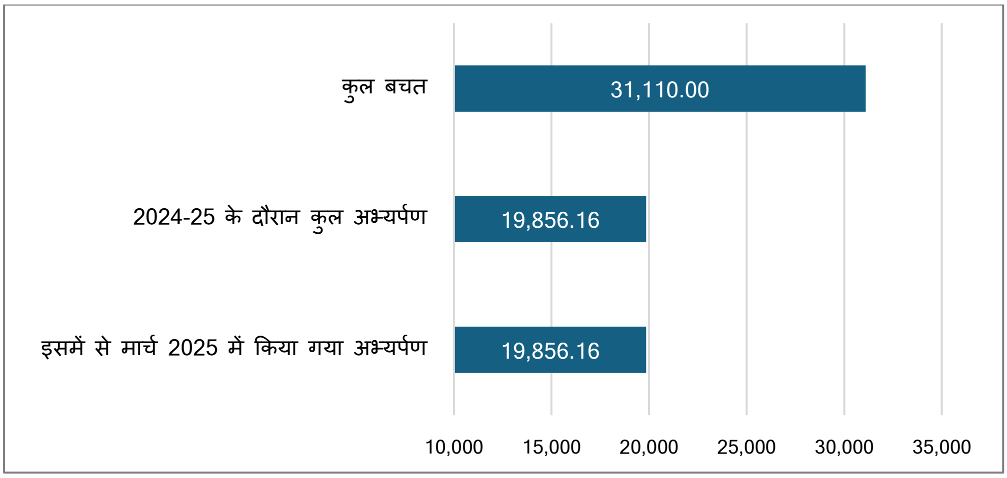

स्रोत: विनियोग लेखे

चार्ट 2.5 से देखा जा सकता है कि 2024-25 के दौरान केवल ₹ 19,856.16 करोड़ (63.83 प्रतिशत) की बचत को ही अभ्यर्पित की गई थी। मार्च 2025 में सम्पूर्ण राशि अभ्यर्पित कर दी गई थी।

राज्य सरकार ने (25 नवंबर 2025) कहा कि बजट आकलन, निगरानी और नियंत्रण तंत्र को मजबूत किया जाएगा।

2.5.6 राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण

सरकारी लेखा नियम (स. ले. नि.) 1990 के नियम 30 के अनुसार, जिस व्यय से ठोस, भौतिक और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, उसे पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार ने पूँजीगत व्यय (पूँ. व्य.) के रूप में ₹ 18,409.97 करोड़ दर्ज किए थे। जाँच के दौरान यह पाया गया कि ₹ 18,409.97 करोड़ में से राजस्व प्रकृति के सहायता-अनुदान पर ₹ 2,879.71 करोड़ का व्यय पूँजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया था। ₹ 2,879.71 करोड़ में से, ₹ 2,803.31 करोड़ परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए, ₹ 22.68 करोड़ नकद राहत के लिए, ₹ 51.20 करोड़ सहायता-अनुदान (गैर-वेतन), ₹ 2.00 करोड़ छात्रवृत्ति और वजीफे के रूप में और ₹ 0.52 करोड़ मोटर वाहन ईंधन और मरम्मत पर दर्ज किए गए थे। सरकारी लेखा नियम 1990 के नियम 31 (2) (बी) के अनुसार, ऐसे व्यय से संबंधित सभी प्रभार राजस्व खाते में डाले जाने चाहिए। शेष राशि ₹ 2,803.31 करोड़ झारखण्ड सरकार के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए हस्तांतरित की गई थी। स. ले. नि. 1990 के नियम 30(1) के नीचे दिए गए टिप्पणी के अनुसार, इस राशि को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना था।

इसी प्रकार, 'नई मोटर वाहन की खरीद' पर व्यय की गई राशि ₹ 42.45 करोड़ को पूँजीगत अनुभाग के बजाय राजस्व अनुभाग के तहत गलत तरीके से दर्ज किया गया था।

₹ 2,837.26 करोड़ के गलत वर्गीकरण के शुद्ध प्रभाव के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष को उस हद तक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया। परिणामस्वरूप, (लेखापरीक्षा के बाद) राज्य का राजस्व अधिशेष खातों में दिखाए गए ₹ 7,923.57 करोड़ के स्थान पर ₹ 5,086.31 करोड़ होगा। इसके अलावा, गलत वर्गीकरण के प्रभाव के कारण, पूँजीगत व्यय को भी उस हद तक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया था। इस प्रकार, लेखापरीक्षा के बाद राज्य का पूँजीगत व्यय खातों में दिखाए गए ₹ 18,409.97 करोड़ के स्थान पर ₹ 15,572.71 करोड़ होगा।

राज्य सरकार ने आश्वासन दिया (25 नवंबर 2025) की आगामी बजट चक्र में आवश्यक सुधार किए जाएंगे।

2.5.7 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएँ और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्तपोषण

सरकार द्वारा शुरू की गई कई नीतिगत योजना दिशानिर्देशों/तौर-तरीकों की मंजूरी नहीं मिलने, प्रशासनिक मंजूरी के अभाव में कार्यों के शुरू न होने, बजट जारी न होने आदि के कारण पूरी तरह या आंशिक रूप से कार्यान्वित नहीं हो पाई। यह देखा गया कि सात योजनाओं के तहत, ₹ 23.26 करोड़ का संशोधित परिव्यय था, लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट 2.9** में दर्शाया गया है।

2.5.7.1 बाल बजट की समीक्षा

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1989 के आधार पर, झारखण्ड सरकार ने 2024-25 में बाल कल्याण बजट की घोषणा की।

2011 की जनगणना के अनुसार, झारखण्ड में 0-18 वर्ष की आयु के बच्चों की जनसंख्या 1.46 करोड़ थी जो राज्य की कुल जनसंख्या का 44.25 प्रतिशत थी। इनमें से 75.66 लाख लड़के और 70.34 लाख लड़कियाँ थीं। जनवरी 2024 तक, बच्चों की आबादी बढ़कर 1.79 करोड़ हो जाने का अनुमान था, जो कुल जनसंख्या का 41.61 प्रतिशत है। इसमें से 86 लाख लड़कियाँ और 92 लाख लड़के होने का अनुमान है।

बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित, बाल बजट को 2024-25 के वार्षिक बजट में पेश किया गया था, जिसमे कुछ विभागों के तहत बाल विशिष्ट योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए बजटीय प्रावधान शामिल थे।

इन योजनाओं और कार्यक्रमों को **तालिका 2.13** में दिए गए अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाना था।

तालिका 2.13: बाल कल्याण योजनाओं के लिए किए गए बजटीय प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	बजट अनुमान	व्यय
1	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	3,143.88	1,018.84
2	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	1,818.86	1,466.86
3	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	1,993.07	1,044.19
4	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1,881.50	1,243.74
5	नगर विकास एवं आवास विभाग	29.38	29.38
कुल		**8,866.69**	**4,803.01**

चूंकि, विशिष्ट लेखा शीर्षों को बाल बजट दस्तावेजों में नहीं दिखाया गया था और बाल बजट तथा सामान्य बजट में प्रदान की गई योजनाओं का नाम मेल नहीं खाता था। इसलिए, उप-शीर्षकों के नामकरण से पहचाने गए बच्चों से संबंधित योजनाओं पर व्यय का विश्लेषण किया गया।

2.5.8 व्यय का वेग

झारखण्ड बजट नियमावली के नियम 113 के साथ पठित सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 62 (3) में प्रावधान है कि व्यय का वेग, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है तथा इससे बचना चाहिए। राज्य में व्यय की वेग का विवरण **तालिका 2.14** में दिया गया है।

तालिका 2.14: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान व्यय का वेग

	राशि (₹ करोड़ में)	वर्ष में कुल व्यय का प्रतिशत
वर्ष की अंतिम तिमाही (जनवरी से मार्च 2025)	46,146.38	38.49
वर्ष का अंतिम महीना (मार्च 2025)	27,440.17	22.89

संपूर्ण वर्ष में व्यय की एक स्थिर गति बनाए रखना लोक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय का वेग न केवल बजट नियमावली के प्रावधानों के विरुद्ध था, बल्कि खराब योजनाबद्ध व्यय की संभावना को बढ़ाती है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल मासिक व्यय की प्रवृत्ति **चार्ट 2.6** में दिखाया गया है।

चार्ट 2.6: व्यय का प्रवृत्ति विश्लेषण (माह-वार)

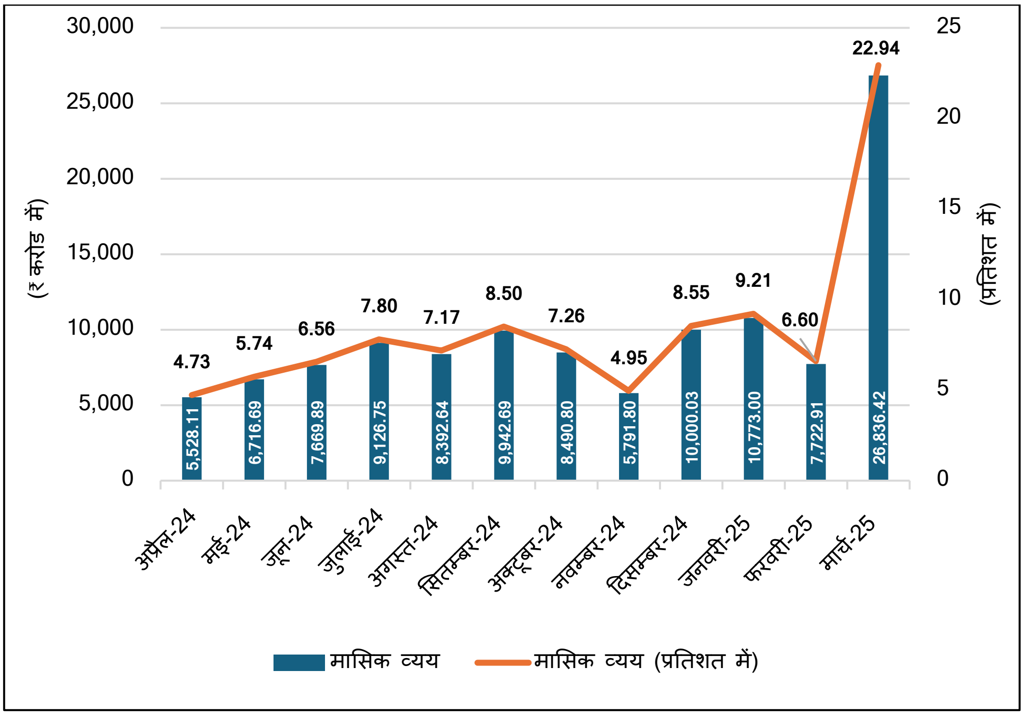

स्रोत: झारखण्ड के मासिक सिविल लेखे

चार्ट में दर्शाया गया मासिक व्यय प्रवृत्ति वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही, विशेष रूप से मार्च में, की ओर एक स्पष्ट झुकाव को दर्शाता है।

2.5.8.1 अनुदान संख्या 20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

यह देखा गया कि ₹ 5,237.38 करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 2,082.55 करोड़ (40 प्रतिशत) का व्यय अंतिम तिमाही (जनवरी से मार्च 2025) के दौरान तथा ₹ 989.29 करोड़ (19 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2025 में किया गया था।

आगे जाँच से पता चला कि 144 उप-शीर्षों में से 55 में, अंतिम तिमाही के दौरान व्यय (₹ 1,679.48 करोड़) 42 से 100 प्रतिशत के बीच था। 144 उप-शीर्षों में से 28 में, मार्च में व्यय (₹ 662.02 करोड़) कुल व्यय के 32 से 100 प्रतिशत के बीच था।

नमूना-जाँच इकाइयों में, यह देखा गया कि विगत तिमाही (**परिशिष्ट 2.10**) के दौरान विभिन्न शीर्षों के तहत व्यय 36 से 100 प्रतिशत और मार्च में 25 से 100 प्रतिशत के बीच था (**परिशिष्ट 2.11**)।

चयनित इकाइयों द्वारा संधारित एकल नोडल खातों (एसएनए) से व्यय की नमूना-जाँच से यह भी पता चला कि व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (33 प्रतिशत से 64 प्रतिशत और 20 प्रतिशत से 58 प्रतिशत के बीच) क्रमश: अंतिम तिमाही और वित्तीय वर्ष के अंतिम माह के दौरान किया गया था। विवरण **तालिका 2.15** में दिया गया है।

तालिका 2.15: व्यय का वेग (एसएनए)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यालयों का नाम	कुल व्यय	विगत तिमाही में व्यय	मार्च में व्यय
1	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), झारखण्ड (राज्य)	1,614.25	683.76 (*42%*)	376.67 (*23%*)
2	एनएचएम (मुख्यालय)	213.19	135.79 (*64%*)	124.41 (*58%*)
3	सिविल सर्जन सह सीएमओ, धनबाद	70.91	30.91 (*44%*)	15.43 (*22%*)
4	सिविल सर्जन सह सीएमओ, खूँटी	37.23	12.33 (*33%*)	9.48 (*25%*)
5	सिविल सर्जन सह सीएमओ, जमशेदपुर	75.89	28.35 (*37%*)	1.52 (*20%*)
6	सदर अस्पताल, जमशेदपुर	1.57	0.78 (*49%*)	0.57 (*36%*)
7	सिविल सर्जन सह सीएमओ, सरायकेला-खरसावां	50.97	19.67 (*39%*)	11.67 (*23%*)
8	सिविल सर्जन सह सीएमओ, बोकारो	72.06	31.86 (*44%*)	15.54 (*21%*)
9	सदर अस्पताल, बोकारो	5.12	1.92 (*38%*)	1.65 (*32%*)
10	सदर अस्पताल, राँची	2.72	0.97 (*36%*)	0.59 (*22%*)
कुल		**2,143.91**	**943.49 (*44%*)**	**560.38 (*26%*)**

स्रोत: जिला लेखा प्रबंधकों (जि. ले. प्र.), सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया आँकड़ा।

2.5.8.2 अनुदान संख्या 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)

वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹ 2,576.27 करोड़ के कुल व्यय में से, मार्च 2025 में ₹ 455.01 करोड़ (18 प्रतिशत) व्यय किया गया था तथा वर्ष की अंतिम तिमाही में ₹ 875.05 करोड़ (34 प्रतिशत) व्यय किया गया था जैसा कि **तालिका 2.16** में दिखाया गया है।

तालिका 2.16: अनुदान 51 में व्यय का वेग

	राशि (₹ करोड़ में)	कुल व्यय का प्रतिशत
वर्ष की अंतिम तिमाही (जनवरी से मार्च 2025)	874.25	33.93
वर्ष का अंतिम महीना (मार्च 2025)	455.01	17.66

चार्ट 2.7: 2024-25 के दौरान अनुदान संख्या 51 के तहत माह-वार व्यय

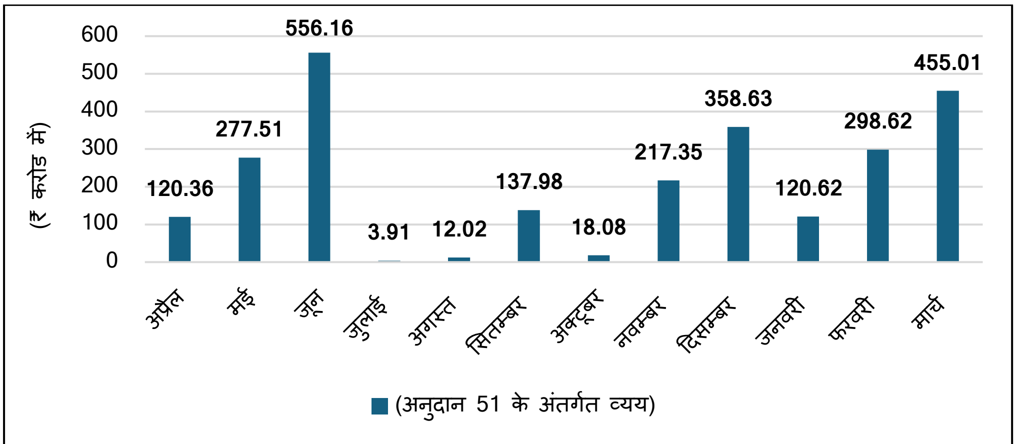

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) झारखण्ड का डैशबोर्ड

नमूना-जाँच इकाइयों में, यह देखा गया कि मार्च में 100 उप-शीर्षों के तहत व्यय 25 से 100 प्रतिशत के बीच था, जो वित्तीय नियमों के प्रावधानों के विरूद्ध था। जैसा कि **परिशिष्ट 2.12** में विस्तृत है।

2.6 राज्य में केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (के. प्र. यो.) के तहत एक एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) के माध्यम से प्रत्येक के. प्र. यो. के तहत राशि जारी करने और उनके उपयोग की निगरानी करने का आदेश दिया (मार्च 2021)। प्रत्येक एसएनए के पास अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एक निर्दिष्ट बैंक खाता होना चाहिए। राज्य सरकार को प्राप्त केंद्रीय हिस्से के साथ-साथ संगत राज्य हिस्से को भी संबंधित एसएनए खाते में हस्तांतरित करना होगा।

राज्य सरकार एकल नोडल एजेंसियों के माध्यम से के. प्र. यो. पर होने वाले व्यय का प्रबंधन कर रही है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में अलग-अलग बैंक खाते संधारित किए जा रहे हैं। जिनका विवरण निम्नलिखित कंडिकाओं में दिया गया है।

2.6.1 एकल नोडल एजेंसी

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, प्रत्येक के. प्र. यो. के लिए एसएनए खातों के माध्यम से प्रत्येक के. प्र. यो. के तहत राशि जारी करने और उनके उपयोग की निगरानी करने का आदेश दिया (मार्च 2021)। प्रत्येक एसएनए के पास अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एक निर्दिष्ट बैंक खाता होना चाहिए। राज्य सरकार को केंद्रीय हिस्सेदारी प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर प्राप्त केंद्रीय हिस्से के साथ-साथ संगत राज्य हिस्से को संबंधित एसएनए खाते में स्थानांतरित करना आवश्यक था।

एसएनए पीएफएमएस प्रतिवेदन के साथ प्र. महा. (ले. एवं हक.) के कार्यालय में वाउचर लेवल कंप्यूटराईजेशन (वीएलसी) आँकड़ा के विश्लेषण से पता चला कि केंद्रीय और राज्य हिस्से को एसएनए खातों में हस्तांतरित करने में विसंगतियां हैं, जैसा कि **तालिका 2.17** में दिखाया गया है।

तालिका 2.17: केंद्रीय और राज्य हिस्से के हस्तांतरण में विसंगतियां

(₹ करोड़ में)

आँकड़े का स्रोत	प्राप्त केंद्रीय हिस्सा	हस्तांतरित की गई केंद्रीय हिस्सेदारी	हस्तांतरित की गई राज्य हिस्सेदारी	राज्य द्वारा जारी की गई कम (-) / अधिक (+) राशि
वीएलसी	6,714.05	7,769.36	7,115.10	(+) 1,055.31
एसएनए पीएफएमएस प्रतिवेदन	6,453.77	6,151.83	5,114.43	(-) 301.94
अंतर	**260.28**	**1,644.99**	**2,232.78**	**(+) 753.37**

स्रोत: वित्त लेखे के टिप्पणियाँ

जैसा कि **तालिका 2.17** से देखा जा सकता है कि वीएलसी और पीएफएमएस प्रतिवेदन के आँकड़ों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर था। ऐसा आरबीआई से प्राप्त क्लीयरेंस मेमो और पीएफएमएस में प्रतिबिंबित राशि के आधार पर वीएलसी में दर्ज की गई राशि के बीच भिन्नता के कारण देखा गया था।

2.6.1.1 अनुदान संख्या 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के विश्लेषण के दौरान देखे गए मुद्दे

(i) एकल नोडल खाते में व्यय के आँकड़ों में विसंगति

वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), राँची (मुख्यालय) द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यय विवरण के अनुसार, आठ चयनित इकाइयों में से सात द्वारा व्यय की गई राशि ₹ 491.93 करोड़ दिखाई गई थी, जबकि सिविल सर्जन (सीएस)-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सीएमओ) के तहत काम करने वाले जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समितियों (डीआरएचएस) द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यय प्रतिवेदन के अनुसार, इन इकाइयों द्वारा किया गया व्यय मात्र ₹ 476.62 करोड़ था, जैसा कि **तालिका 2.18** में विस्तृत है।

तालिका 2.18: चयनित इकाइयों में व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	इकाइयों का नाम	एनएचएम, राँची (मुख्यालय) के अनुसार व्यय	डीआरएचएस के अनुसार व्यय	अंतर	टिप्पणियाँ
1	डीआरएचएस, धनबाद	71.90	70.91	0.99	
2	डीआरएचएस, खूँटी	36.59	37.23	(-) 0.64	
3	डीआरएचएस, जमशेदपुर	77.83	75.89	1.94	
4	डीआरएचएस, सरायकेला	51.97	50.97	1.00	
5	डीआरएचएस, हजारीबाग	65.90	-	-	एसएनए का विवरण नहीं दिया गया है
6	डीआरएचएस, गुमला	63.48	59.56	3.92	
7	डीआरएचएस, बोकारो	72.48	72.06	0.42	
8	डीआरएचएस, राँची	117.68	110.00	7.68	
	कुल	**557.83**	**476.62**	**15.31**	

स्रोतः एनएचएम, राँची और चयनित इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराया गया व्यय प्रतिवेदन।

इसलिए जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समितियों को अपने व्यय को राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ समाशोधित करने की आवश्यकता है।

2.6.1.2 अनुदान संख्या 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (एसटी, एससी एवं बीसी कल्याण प्रभाग) के विश्लेषण के दौरान देखे गए मुद्दे

(i) अप्रयुक्त राशि का एकल नोडल खातों में हस्तांतरित नहीं होना

एकल नोडल खाता के संबंध में दिशानिर्देशों (मार्च 2021) के कंडिका 13 में कहा गया है कि योजना के लिए एसएनए के खुलने के बाद और कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए शून्य-शेष सहायक खाता खोलने से पहले या उन्हें राज्य स्थानीय प्रशासन खाते से आहरण अधिकार प्रदान करने से पहले, सभी स्तरों पर कार्यान्वयन एजेंसियां अपने खातों में पड़े सभी अप्रयुक्त धन को राज्य स्थानीय प्रशासन के एकल नोडल खाते में वापस कर देंगी। यह संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित

करे कि सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा सभी अप्रयुक्त धन एकल नोडल खाते में वापस कर दिया जाए।

आठ जिलों में जिला कल्याण पदाधिकारियों के कार्यालय के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 12 के. प्र. यो. के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी के नाम पर 12 अलग-अलग एकल नोडल खाते (बाल खाते) संचालित किए जा रहे थे। यह देखा गया कि इन योजनाओं से संबंधित अप्रयुक्त राशि, एसएनए में हस्तांतरित न कर अन्य बैंक / पीएल खातों में रखा गया था। जैसा कि **तालिका 2.19** में वर्णित है।

तालिका 2.19: एकल नोडल खातों में हस्तांतरित नहीं किए गए अप्रयुक्त राशि

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	कार्यालय/डीडीओ	के. प्र. यो. का नाम	जिसमें राशि रखा गया	राशि जो एसएनए खातों में जमा नहीं की गई
1	खूँटी	जिला कल्याण पदाधिकारी, खूँटी	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम)	पीएल	4.27
2				पीएल	102.00
3			पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (एसटी)	पीएल	105.90
4			पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (एससी)	पीएल	37.37
5			पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (बीसी)	पीएल	0.27
6			पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	रोकड़बही	7.23
7			नागरिक अधिकारों के संरक्षण को लागू करने के लिए मशीनरी का सुदृढीकरण	पीएल	5.45
8			जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता	पीएल	15.37
कुल (क)					**277.86**
1	सरायकेला-खरसावां	जिला कल्याण पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावां	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (सीसीडी) का विकास	पीएल	296.15
2			पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	रोकड़बही	609.01
कुल (ख)					**905.16**
1	पश्चिम सिंहभूम	जिला कल्याण पदाधिकारी, चाईबासा	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (एसटी)	पीएल	0.14
2			पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (एससी)	पीएल	0.26
3			पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (बीसी)	पीएल	0.85
4			पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	रोकड़बही	115.00
5			नागरिक अधिकारों के संरक्षण को लागू करने के लिए मशीनरी का सुदृढीकरण	रोकड़बही	16.50
कुल (ग)					**132.75**
1	साहिबगंज	जिला कल्याण पदाधिकारी, साहिबगंज	पीएमजेवीके (एमएसडीपी)	पीएल	351.15
2			नागरिक अधिकारों के संरक्षण को लागू करने के लिए मशीनरी का सुदृढीकरण	रोकड़बही	6.88
3			पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (एससी / एसटी)	पीएल	54.24
4			पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (ओबीसी)	पीएल	0.56
5			जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता	रोकड़बही	331.07
कुल (घ)					**743.90**
1	राँची	जिला कल्याण पदाधिकारी, राँची	जनजातीय उप-क्षेत्रों को विशेष केंद्रीय सहायता	पीएल	0.24
2			पोस्ट मैट्रिक (एसटी और एससी)	पीएल	85.31
3			पोस्ट मैट्रिक (बीसी)	पीएल	11.87
4			पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	रोकड़बही	72.76
कुल (ङ)					**170.18**

क्र. सं.	जिला	कार्यालय/डीडीओ	के. प्र. यो. का नाम	जिसमें राशि रखा गया	राशि जो एसएनए खातों में जमा नहीं की गई
1	गढ़वा	जिला कल्याण पदाधिकारी, गढ़वा	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	रोकड़बही	44.29
2			नागरिक अधिकारों के संरक्षण को लागू करने के लिए मशीनरी का सुदृढीकरण	रोकड़बही	1.56
कुल (च)					**45.85**
1	गुमला	जिला कल्याण पदाधिकारी, गुमला	जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता	पीएल	54.98
2			जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता	रोकड़बही	525.86
3			पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	पीएल	22.22
कुल (छ)					**603.06**
1	लोहरदगा	जिला कल्याण पदाधिकारी, लोहरदगा	जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता	पीएल	78.09
2			पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	रोकड़बही	0.26
कुल (ज)					**78.35**
सकल योग (क+ख+ग+घ+ड़+च+छ+ज)					**2,957.11**

यह देखा गया कि आठ जिलों में इन योजनाओं का पूर्व शेष ₹ 29.57 करोड़ सितंबर 2025 तक एसएनए में हस्तांतरित नहीं किया गया था।

(ii) एकल नोडल खाते में ₹ 596.03 करोड़ का महत्वपूर्ण शेष

एकल नोडल खातों के दिशानिर्देशों (मार्च 2021) के कंडिका 12 में कहा गया है कि किसी भी वित्तीय वर्ष के शुरुआत में, मंत्रालयों / विभागों द्वारा उस वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के लिए आवंटित राशि का 25 प्रतिशत से अधिक राशि राज्य को जारी नहीं करनी चाहिए। दिशानिर्देशों के अनुसार, अतिरिक्त केंद्रीय हिस्सेदारी को एकल नोडल खाते में निर्दिष्ट राज्य हिस्सेदारी के हस्तांतरण और पूर्व में निर्गत की गई राशि (राज्य और केंद्रीय दोनों हिस्सेदारी) के कम से कम 75 प्रतिशत उपयोग के अधीन जारी किया जाएगा।

अनुदान संख्या 51 के अभिलेखों की जाँच के दौरान, यह देखा गया कि 18 के. प्र. यो. के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 18 अलग-अलग एकल नोडल खाते (मूल खाते) संचालित किए जा रहे थे। इन 18 एसएनए में से, 13 खातों में 2024-25 के अंत में महत्वपूर्ण शेष राशि देखी गई, जैसा कि **तालिका 2.20** में विस्तृत है।

तालिका 2.20: एकल नोडल खातों में महत्वपूर्ण शेष राशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	एसएनए योजना	राशि (आवंटन + प्रारंभिक शेष)	व्यय	शेष	उपयोग की गई धनराशि (प्रतिशत)
1	जनजातीय उप योजना (टीएसएस) को झारखण्ड विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए)	330.77	30.07	300.70	9.09
2	प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (ओबीसी)	95.88	91.51	4.37	95.44
3	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (ओबीसी)	717.13	705.04	12.09	98.31
4	प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (एससी)	30.69	17.11	13.58	55.75
5	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (एससी)	61.50	32.06	29.44	52.13
6	प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (एसटी)	99.38	73.13	26.25	73.59
7	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (एसटी)	490.12	336.97	153.15	68.75
8	झारखण्ड ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट (टीआरआई को सहायता)	2.57	2.47	0.10	96.11
9	नागरिक अधिकारों के संरक्षण को लागू करने के लिए मशीनरी का सुदृढीकरण	2.93	2.28	0.65	77.82
10	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना	45.18	21.42	23.76	47.41
11	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास	13.27	4.33	8.94	32.63
12	प्रधानमंत्री जन जाति आदिवासी न्याय महा अभियान	2.12	0.62	1.50	29.25
13	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	25.09	3.60	21.49	14.35
	कुल	**1,916.63**	**1,320.61**	**596.02**	**68.90**

स्रोत: अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अभिलेख

तालिका 2.20 से देखा जा सकता है कि 13 केंद्र प्रायोजित योजनाओं को ₹ 1,916.63 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ, जिसमें से वर्ष के दौरान ₹ 1,320.61 करोड़ व्यय किया गया, जिससे ₹ 596.02 करोड़ (31.10 प्रतिशत) शेष रह गया। इसके अलावा, यह देखा गया कि 13 में से नौ एसएनए में राशि का उपयोग 75 प्रतिशत से कम था।

नमूना-जाँच की गई इकाइयों के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि एकल नोडल खाते संचालित करने वाले आठ जिलों में से पाँच ने कुल आवंटन का 75 प्रतिशत से भी कम उपयोग किया था। **जैसा कि परिशिष्ट 2.13** में विस्तृत है।

(iii) योजनाओं के केंद्रीय हिस्से पर अर्जित ब्याज का विलंब से हस्तांतरण

एसएनए में निर्गत किए गए निधि से अर्जित ब्याज को प्रेषण की प्रक्रिया के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों (15 जुलाई 2022) के अनुसार, राज्य को प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना के लिए विगत वित्तीय वर्ष में एकल नोडल खाते में प्राप्त ब्याज की गणना अप्रैल के पहले सप्ताह में करनी चाहिए। अर्जित ब्याज को के. प्र. यो. के अनुमोदित वित्तपोषण पैटर्न के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच एसएनए द्वारा विभाजित किया जाएगा और संबंधित समेकित निधि में जमा किया जाएगा।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित एकल नोडल खातों की जाँच के दौरान, यह देखा गया कि 2022-23 से 2024-25 के दौरान, विभिन्न एसएनए में केंद्रीय हिस्से के रूप में प्राप्त ब्याज को भारत की समेकित निधि में 21 से 247 दिनों की देरी से जमा किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट 2.14** में विस्तृत है।

एसटी, एससी, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने अप्रैल के पहले सप्ताह में ब्याज की गणना और हस्तांतरण के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया।

(iv) रोकड़बही और एकल नोडल खाते के अंत शेष के बीच महत्वपूर्ण अंतर

वित्त प्रभाग, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा जारी निर्देशों (06 नवंबर 2019) के अनुसार, प्रत्येक महीने रोकड़बही शेष का मिलान बैंक शेष के साथ किया जाना चाहिए। किसी भी अंतर की स्थिति में, अंतर के कारणों का पता लगाने के लिए बैंक समाशोधन विवरण तैयार किया जाना चाहिए।

जाँच के दौरान, यह देखा गया कि 13 में से 12 एसएनए में, 31 मार्च 2025 को एसएनए के संबंध में रोकड़बही शेष और बैंक शेष के बीच कुल ₹ 379.39 करोड़ का महत्वपूर्ण अंतर था। विवरण **तालिका 2.21** में दिखाया गया है।

तालिका 2.21: रोकड़बही और एसएनए में अंत शेष के बीच अंतर

(₹ लाख में)

क्र. सं.	एसएनए योजना	रोकड़बही के अनुसार शेष राशि	एसएनए के अनुसार शेष राशि	अंतर
1	जनजातीय उप योजना (टीएसएस) के लिए झारखण्ड विशेष केंद्र सहायता (एससीए)	18,914.33	29,717.61	(-) 10,803.28
2	प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (ओबीसी)	0.00	497.16	(-) 497.16
3	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (ओबीसी)	0.00	891.67	(-) 891.67
4	प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (एससी)	0.00	1,358.59	(-) 1,358.59
5	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (एससी)	485.49	3,012.05	(-) 2,526.56
6	प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (एसटी)	0.00	2,704.27	(-) 2,704.27
7	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (एसटी)	312.83	14,738.25	(-) 14,425.42
8	झारखण्ड जनजातीय अनुसंधान	7.52	12.31	(-) 4.79
9	नागरिक अधिकारों के संरक्षण को लागू करने के लिए मशीनरी का सुदृढीकरण	12.51	80.54	(-) 68.03
10	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना	0.00	1,896.06	(-) 1,896.06
11	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास (सीसीडी)	15.52	876.42	(-) 860.90
12	प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान	150.00	150.00	0.00
13	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	137.06	2,039.25	(-) 1,902.19
कुल		**20,035.26**	**57,974.18**	(-) **37,938.92**

रोकड़बही और बैंक खातों में शेष राशि के बीच भारी अंतर का कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया गया।

2.6.2 एकल नोडल एजेंसी-स्पर्श

के. प्र. यो. के तहत निर्गत राशि की उपलब्धता और उपयोग की निगरानी बढ़ाने के लिए, व्यय विभाग, भारत सरकार ने निधि प्रवाह प्रक्रियाओं के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी की। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य भुगतान के लिए 'जस्ट-इन-टाइम रिलीज' के सिद्धांतों को लागू करना है, जिससे केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर अधिक कुशल नकदी प्रबंधन सुनिश्चित हो सके। इस प्रयास के तहत, के. प्र. यो. निधियों के एकीकृत और त्वरित हस्तांतरण के लिए एक वैकल्पिक निधि प्रवाह तंत्र एसएनए-स्पर्श–एक जस्ट-इन-टाइम प्रणाली–शुरू की गई थी। यह प्रणाली लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), राज्य एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएफएमआईएस) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ई-कुबेर को एकीकृत करने वाले एक निर्बाध ढांचे के माध्यम से संचालित होती है, जिससे कुशल और पारदर्शी निधि वितरण में मदद मिलती है।

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने एसएनए स्पर्श मॉडल का उपयोग करके धनराशि के जस्ट-इन-टाइम प्रवाह के संबंध में (13 जुलाई 2023) अधिसूचना जारी की। केंद्र प्रायोजित योजनाओं को स्पर्श प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड किया जाना था। भारत सरकार की अधिसूचना (13 जुलाई 2023) के अनुसार, सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में एसएनए स्पर्श के माध्यम से लागू करने के लिए 29 के. प्र. यो. को अधिसूचित किया गया है।

इस संबंध में, यह निर्णय लिया गया कि 01 जुलाई 2025 से, विधानसभा वाले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसएनए स्पर्श के माध्यम से 37 अतिरिक्त के. प्र. यो. लागू किए जाने थे। इसके अलावा, 01 नवंबर 2025 से, सभी के. प्र. यो. को राज्यों और विधानसभा वाले सभी केंद्र शासित प्रदेशों में एसएनए स्पर्श के माध्यम से लागू करने की आवश्यकता थी।

अभिलेखों के विश्लेषण से पता चला कि एसएनए के माध्यम से राज्य में 122 केंद्र प्रायोजित योजनाएँ चल रही थीं। हालाँकि, 30 सितंबर 2025 तक, केवल 28 एसएनए को एसएनए-स्पर्श में हस्तांतरित किया गया था और उनके लेखे प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) को प्रेषित किए गए थे।

2.7 अनुदान संख्या 20 तथा 51 की विस्तृत समीक्षा में देखे गए अन्य मुद्दे

2.7.1 सतत बचत

(अ) विगत चार वर्षों (2021-25) के बजट और व्यय के प्रविष्टियों के विश्लेषण से पता चला कि अनुदान संख्या 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के पास इस अवधि के दौरान सतत बचत थी। बजट अनुमानों की तुलना में बचत का विवरण प्रतिशत के साथ **तालिका 2.22** में दिखाया गया है।

तालिका 2.22: अनुदान संख्या 20 में 2021-22 से 2024-25 के दौरान बचत की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
2021-22	राजस्व	4,035.01	1,864.62	5,899.63	4,324.74	1,574.89	25
	पूँजीगत	398.20	160.00	558.20	488.68	69.52	
	कुल	**4,433.21**	**2,024.62**	**6,457.83**	**4,813.42**	**1,644.41**	
2022-23	राजस्व	5,159.66	972.61	6,132.27	4,674.15	1,458.12	21
	पूँजीगत	459.17	255.10	714.27	624.56	89.71	
	कुल	**5,618.83**	**1,227.71**	**6,846.54**	**5,298.71**	**1,547.83**	
2023-24	राजस्व	5,986.62	260.83	6,247.45	4,902.85	1,344.60	29
	पूँजीगत	1,054.28	528.93	1,583.21	650.78	932.43	
	कुल	**7,040.90**	**789.76**	**7,830.66**	**5,553.63**	**2,277.03**	
2024-25	राजस्व	6,303.12	439.52	6,742.64	4,797.77	1,944.87	32
	पूँजीगत	919.88	69.31	989.19	439.70	549.49	
	कुल	**7,223.00**	**508.83**	**7,731.83**	**5,237.47**	**2,494.36**	

स्रोत: विनियोग लेखे 2021-25

जैसा कि **तालिका 2.22** में देखा जा सकता है, विभाग के पास 2021-22 से 2024-25 के दौरान 21 से 32 प्रतिशत तक सतत बचत थी, जो न केवल विभाग को प्रदान की गई धनराशि का उपयोग करने में असमर्थता का संकेत है, बल्कि परिणामस्वरूप बजट दस्तावेजों में परिकल्पित योजनाओं के पूरा न होने को भी दर्शाता है।

(ब) अनुदान संख्या 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (एसटी, एससी एवं बीसी कल्याण प्रभाग) के विगत चार वर्षों (2021-25) के बजट और व्यय की प्रवित्तियों की समीक्षा से पता चला कि विभाग ने इस अवधि के दौरान सतत बचत की थी। बजट अनुमानों की तुलना में, इन सभी वर्षों में बचत का प्रतिशत बहुत अधिक था, जैसा कि **तालिका 2.23** में दिखाया गया है।

तालिका 2.23: अनुदान संख्या 51 में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 के दौरान बचत की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत	बचत (प्रतिशत)
2021-22	राजस्व	1,536.87	97.16	1,634.03	1,080.74	553.28	32.34
	पूँजीगत	366.40	2.60	369.00	274.55	94.45	
	कुल	**1,903.27**	**99.76**	**2,003.03**	**1,355.29**	**647.73**	
2022-23	राजस्व	1,627.75	1,654.11	3,281.85	2,460.39	821.46	22.76
	पूँजीगत	336.46	300.24	636.70	566.14	70.56	
	कुल	**1,964.21**	**1,954.35**	**3,918.55**	**3,026.53**	**892.01**	
2023-24	राजस्व	2,231.49	838.40	3,069.89	2,039.14	1,030.75	31.32
	पूँजीगत	459.27	234.76	694.03	546.02	148.01	
	कुल	**2,690.76**	**1,073.16**	**3,763.92**	**2,585.16**	**1,178.76**	
2024-25	राजस्व	2,648.11	549.92	3,198.03	2,224.39	973.64	30.78
	पूँजीगत	523.62	0.00	523.62	351.88	171.74	
	कुल	**3,171.73**	**549.92**	**3,721.65**	**2,576.27**	**1,145.38**	

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

विभाग के पास 2021-22 से 2024-25 के दौरान भारी सतत बचत थी, जो विभाग को प्रदान की गई धनराशि का उपयोग करने में असमर्थता का संकेत था।

इसके अलावा, लेखों की जाँच से पता चला कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, विशेष केंद्रीय सहायता के लिए अनुदान, शहीद ग्राम विकास योजना आदि जैसी कई योजनाओं के तहत बचत, जो समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़े वर्गों को लाभ प्रदान करने के लिए थी, बजट प्रावधान के 27 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच थी, जैसा कि **परिशिष्ट 2.15** में विस्तृत है।

2.7.2 बजट अनुमान का विलंब से प्रस्तुतीकरण

झारखण्ड बजट नियमावली (ब. नि.) के नियम 62 में राज्य के लिए सही और ससमय बजट तैयार करने के लिए बजट कैलेंडर प्रदान करता है। वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार ने बजट नियमावली में निर्धारित तिथि 01 अक्टूबर के विरूद्ध स्थापना व्यय और सामान्य बजट के अनुमान प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथियों को संशोधित (अक्टूबर 2023) कर क्रमशः 24 नवंबर 2023 और 15 दिसंबर 2023 कर दिया गया था।

(अ) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अभिलेखों के विश्लेषण से पता चला है कि स्थापना व्यय के लिए बजट अनुमान (ब. अनु.) ससमय अर्थात 22 नवंबर 2023 को प्रस्तुत किए गए थे, जबकि सामान्य बजट के लिए ब. अनु. वित्त विभाग द्वारा तिथि के विरूद्ध 45 दिनों की देरी से 29 जनवरी 2024 को प्रस्तुत किया गया था।

इसके अलावा, विभागीय निर्देशों (अक्टूबर 2023) के अनुसार, वर्ष 2024-25 के लिए स्थापना व्यय (गैर-योजना) और सामान्य बजट (योजना) का बजट अनुमान संकलन और वित्त विभाग को प्रस्तुत करने के लिए क्रमशः 03 नवंबर 2023 और 16 नवंबर 2023 तक विभाग को प्रस्तुत किए जाने थे।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि सामान्य बजट के अनुमान क्षेत्र कार्यालयों द्वारा तैयार नहीं किए गए थे, जबकि स्थापना व्यय के बजट अनुमान विभाग को एक से 175 दिनों की देरी के साथ प्रस्तुत किए गए थे जैसा कि **तालिका 2.24** में दिखाया गया है।

तालिका 2.24: क्षेत्र कार्यालयों द्वारा स्थापना व्यय के बजट अनुमानों के प्रस्तुतीकरण में देरी

क्र. सं.	जिलों का नाम	कार्यालयों का नाम	प्रस्तुतीकरण की वास्तविक तिथि	देरी (दिनों में)
1	धनबाद	सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सीएस सह सीएमओ)	09.11.2023	06
2	खूँटी	सीएस सह सीएमओ	14.11.2023	11
		सदर अस्पताल	14.11.2023	11
3	हजारीबाग	शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (सदर अस्पताल)	प्रस्तुत नहीं किया गया	....
		शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय	04.11.2023	01

क्र. सं.	जिलों का नाम	कार्यालयों का नाम	प्रस्तुतीकरण की वास्तविक तिथि	देरी (दिनों में)
4	गुमला	सीएस सह सीएमओ	06.11.2023	03
		सदर अस्पताल	06.11.2023	03
5	बोकारो	सीएस सह सीएमओ	प्रस्तुत नहीं किया गया	--
		सदर अस्पताल	26.04.2024	175
6	राँची	सीएस सह सीएमओ	10.11.2023	07
		सदर अस्पताल	10.11.2023	07

(ब) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अभिलेखों के विश्लेषण से पता चला कि स्थापना व्यय के लिए बजट अनुमान (ब. अनु.) वित्त विभाग को 06 दिसंबर 2023 को अर्थात 12 दिनों की देरी से प्रस्तुत किए गए थे, जबकि सामान्य बजट के लिए ब. अनु. वित्त विभाग को 26 फरवरी 2024 को अर्थात वित्त विभाग द्वारा निर्धारित तिथि के विरूद्ध 73 दिनों की देरी से प्रस्तुत किए गए थे। विवरण **तालिका 2.25** में दिया गया है।

तालिका 2.25: बजट अनुमानों के प्रस्तुतीकरण का विवरण

क्र. सं.	के लिए बजट अनुमान	ब. अनु. प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि	विभाग द्वारा ब. अनु. प्रस्तुत करने की तिथि	ब. अनु. प्रस्तुत करने में देरी
1	स्थापना व्यय	24.11.2023	06.12.2023	12 दिन
2.	सामान्य बजट	15.12.2023	26.02.2024	73 दिन

नमूना-जाँच इकाइयों में, यह देखा गया कि दो इकाइयों द्वारा निर्धारित तिथि के विरुद्ध स्थापना व्यय के बजट अनुमान 110 से 115 दिनों के अंतराल के साथ प्रस्तुत किए गए थे, जैसा कि **तालिका 2.26** में विस्तृत है, जबकि सात इकाइयों[3] द्वारा स्थापना के लिए बजट अनुमान बिल्कुल भी प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

तालिका 2.26: क्षेत्र कार्यालयों द्वारा बजट अनुमान प्रस्तुतीकरण में देरी

क्र. सं.	कार्यालयों / डीडीओ के नाम	प्रस्तुत करने की नियत तिथि	डीडीओ द्वारा प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि	देरी (दिनों में)
1	जिला कल्याण पदाधिकारी, राँची	17.11.2023	10.04.2024	115 दिन
2	जिला कल्याण पदाधिकारी, खूँटी		05.04.2024	110 दिन

क्षेत्र कार्यालयों द्वारा बजट अनुमानों के विलंब से प्रस्तुतीकरण से नियंत्रण अधिकारियों द्वारा जाँच के लिए कम / कोई समय नहीं बचता है और अवास्तविक बजट निर्माण का जोखिम बढ़ जाता है।

---

3 (i) जिला कल्याण पदाधिकारी (डीडब्ल्यूओ), गुमला (ii) डीडब्ल्यूओ, सरायकेला-खरसावां, (iii) डीडब्ल्यूओ, पश्चिम सिंहभूम (iv) डीडब्ल्यूओ, साहिबगंज (v) डीडब्ल्यूओ, गढ़वा (vi) डीडब्ल्यूओ, लोहरदगा तथा (vii) विशेष पहरिया पदाधिकारी, साहिबगंज।

2.7.3 अनुदान संख्या 51 में जिला इकाइयों से आवश्यकताएँ प्राप्त किए बिना बजट अनुमान तैयार करना

बजट नियमावली (ब. नि.) के नियम 65 के अनुसार, नियंत्री अधिकारी (नि. अ.) को वितरण अधिकारियों (वि. अ.) से प्राप्त बजटों का परीक्षण यह देखने के लिए करना चाहिए कि वे सही हैं, सभी विस्तृत ब्योरे एवं स्पष्टीकरण दिए गए हैं, तथा स्पष्टीकरण पर्याप्त हैं।

जाँच से पता चला कि ब. नि. के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था और सामान्य बजट (राज्य, केंद्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं) के लिए बजट अनुमानों को क्षेत्र इकाइयों से वास्तविक आवश्यकताओं को प्राप्त / आकलन किए बिना विभागीय स्तर पर तैयार किया गया था जो वास्तव में विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने और निधि का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी थे। इकाइयों से आवश्यकता प्राप्त किए बिना बजट अनुमान तैयार करना वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 3,721.65 करोड़ के कुल बजट प्रावधान में से ₹ 1,145.38 करोड़ (30.78 प्रतिशत) की बड़ी बचत का एक कारण हो सकता है।

2.7.4 संपूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग नहीं होना

बजट नियमावली के नियम 57 के नीचे टिप्पणियों के अनुसार, अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यय की जा सकने वाली राशि से अधिक राशि का कोई प्रावधान न हो।

(अ) अनुदान संख्या 20 के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान क्षेत्र कार्यालयों से प्राप्त अनुमानों के आधार पर 44 उप-शीर्षों के तहत ₹ 334.76 करोड़ का बजट प्रदान किया गया था। हालाँकि, वित्तीय वर्ष के अंत में संपूर्ण राशि को अभ्यर्पित / पुनर्विनियोग किया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट 2.16** में विस्तृत है।

इसके अलावा, कुछ उप-शीर्षों के तहत ₹ 12.64 करोड़ का संपूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था, जैसा कि **तालिका 2.27** में विस्तृत है।

तालिका 2.27 संपूर्ण बजट प्रावधान का अप्रयुक्त रहना और अभ्यर्पण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिलों का नाम	कार्यालय का नाम	उप-शीर्ष	आवंटन	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण की तिथि
1	खूँटी	सिविल सर्जन सह सीएमओ	01	6.50	6.50	31.03.25
2	धनबाद	सदर अस्पताल	02	0.17	0.17	29.03.25
3	जमशेदपुर	सिविल सर्जन सह सीएमओ	04	41.18	41.18	29.03.25
		सदर अस्पताल	01	0.37	0.37	29.03.25
		एमजीएम महाविद्यालय	04	19.00	19.00	28.03.25
		एमजीएम चिकित्सा अस्पताल	04	401.67	401.67	29.03.25
4	सरायकेला-खरसावां	सिविल सर्जन सह सीएमओ	08	18.74	18.74	29.03.25
		सदर अस्पताल	02	0.59	0.59	29.03.25

क्र. सं.	जिलों का नाम	कार्यालय का नाम	उप-शीर्ष	आवंटन	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण की तिथि
5	हजारीबाग	सिविल सर्जन सह सीएमओ	14	72.25	72.25	31.03.25
		शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल	01	0.50	0.50	28.03.25
6	गुमला	सिविल सर्जन सह सीएमओ	02	0.93	0.93	26.03.25
		सदर अस्पताल	01	0.50	0.50	31.03.25
7	बोकारो	सिविल सर्जन सह सीएमओ	04	0.92	0.92	04.03.25 और 17.03.25
8	राँची	सिविल सर्जन सह सीएमओ	03	700.45	700.45	29.03.25
कुल			**51**	**1,263.77**	**1,263.77**	

(ब) अनुदान संख्या 51 के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विभाग द्वारा 57 उप-शीर्षों के तहत ₹ 343.33 करोड़ के बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया और संपूर्ण प्रावधान को अभ्यर्पित कर दिया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट 2.17** में विस्तृत है और **तालिका 2.28** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 2.28: संपूर्ण बजट प्रावधान का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रकृति	उप शीर्षों की कुल संख्या	बजट प्रावधान	अभ्यर्पित की गई राशि	अनुदान 51 में कुल बचत	कुल बचत का प्रतिशत
1	राजस्व	35	227.71	227.71	973.64	23.39
2	पूँजीगत	22	115.62	115.62	171.74	67.32
कुल		**57**	**343.33**	**343.33**	**1,145.38**	**29.98**

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे

जैसा कि **तालिका 2.28** से देखा जा सकता है, 57 शीर्षों में ₹ 343.33 करोड़ का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त था और संपूर्ण प्रावधान को अभ्यर्पित कर दिया गया था।

जाँच से यह भी पता चला कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 20 उप-शीर्षों के तहत ₹ 248.50 करोड़ का संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं होने के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2024-25 में उसी उप-शीर्षों में ₹ 292.00 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी, जो पुन: अप्रयुक्त रही, जैसा कि **परिशिष्ट 2.18** में विस्तृत है।

नमूना-जाँच इकाइयों में अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 79 शीर्षों / उप-शीर्षों के तहत किए गए ₹ 92.60 लाख का संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था और अंततः वित्तीय वर्ष के अंत में अभ्यर्पित कर दिया गया। जैसा की **तालिका 2.29** में दिखाया गया है।

तालिका 2.29: नमूना-जाँच इकाइयों में संपूर्ण बजट प्रावधान का अप्रयुक्त रहना और अभ्यर्पण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिले का नाम	कार्यालयों का नाम	उपशीर्षों की संख्या	आवंटन	अभ्यर्पण
1	पश्चिम सिंहभूम	जिला कल्याण कार्यालय, चाईबासा	14	29.74	29.74
2	सरायकेला-खरसावां	जिला कल्याण कार्यालय, सरायकेला-खरसावां	6	3.59	3.59
3	साहिबगंज	जिला कल्याण पदाधिकारी , साहिबगंज	9	1.13	1.13

क्र. सं.	जिले का नाम	कार्यालयों का नाम	उपशीर्षों की संख्या	आवंटन	अभ्यर्पण
4		पहरिया कल्याण पदाधिकारी, साहिबगंज	6	1.75	1.75
5	गढ़वा	जिला कल्याण पदाधिकारी, गढ़वा	10	8.85	8.85
6	राँची	जिला कल्याण पदाधिकारी, राँची	7	7.50	7.50
7	गुमला	जिला कल्याण पदाधिकारी, गुमला	10	16.39	16.39
8	लोहरदगा	जिला कल्याण पदाधिकारी, लोहरदगा	9	15.04	15.04
9	खूँटी	जिला कल्याण पदाधिकारी, खूँटी	8	8.61	8.61
कुल			**79**	**92.60**	**92.60**

2.7.5 बचत का अभ्यर्पण नहीं होने के कारण निधि का व्यपगत होना

ब. नि. के नियम 112 के अनुसार, सभी प्रत्याशित बचतों को वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना, जैसे ही उनका पूर्वानुमान हो, तुरंत सरकार को अभ्यर्पित दिया जाना चाहिए। भविष्य के संभावित आधिक्य के लिए कोई बचत रक्षित नहीं रखी जानी चाहिए।

विनियोग लेखे की जाँच से पता चला कि अनुदान संख्या 20 के तहत 65 उप-शीर्षों के तहत ₹ 4,188.79 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध, ₹ 2,505.05 करोड़ (60 प्रतिशत) की राशि व्यय की गई, जिससे कुल बचत ₹ 1,683.74 करोड़ (40 प्रतिशत) रह गई, जिसमें से ₹ 1,134.99 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई और ₹ 548.75 करोड़ की राशि को व्यपगत होने दिया गया। वित्तीय वर्ष के अंत में सात उप-शीर्षों के तहत ₹ 134.71 करोड़ के अतिरिक्त व्यय से इसकी प्रतिपूर्ति की गई, जैसा कि **परिशिष्ट 2.19** में विस्तृत है।

अपेक्षित बचत का अभ्यर्पित न होना बजट नियमावली के नियम 112 के विरुद्ध था।

2.7.6 वित्तीय वर्ष के अंत में निधि का अभ्यर्पण

बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार, सभी प्रत्याशित बचतों को वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना, जैसे ही उनका पूर्वानुमान हो, तुरंत सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। भविष्य के संभावित आधिक्य के लिए कोई बचत रक्षित नहीं रखी जानी चाहिए। इसके अलावा, ब. नि. के नियम 135 के अनुसार, जब अभ्यर्पण की आवश्यकता स्वयं प्रकट होती है, तो नियंत्री अधिकारी को सावधानीपूर्वक उस राशि का अनुमान लगाना चाहिए जिसे वह अभ्यर्पित कर सकता है।

(अ) अनुदान संख्या 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की जाँच से पता चला है कि ₹ 2,080.32 करोड़ के कुल अभ्यर्पण में से, विभाग ने वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में ₹ 1,047.16 करोड़ (पूँजीगत शीर्ष के तहत ₹ 51.18 करोड़ और राजस्व शीर्ष के तहत ₹ 995.98 करोड़) का अभ्यर्पण किया।

इसके अलावा, चयनित नमूना-जाँच इकाइयों के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में ₹ 29.18 करोड़ (कुल प्रावधानों का 60 प्रतिशत) का अभ्यर्पण 'निधि का विलंब से आवंटन', 'व्यय की प्रत्याशा' आदि जैसे कारणों से किया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट 2.20** में विस्तृत है।

(ब) अनुदान संख्या 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति**,** अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग (एसटी, एससी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग प्रभाग) की जाँच से पता चला कि ₹ 3,721.65 करोड़ (पूँजीगत शीर्ष के तहत ₹ 523.62 करोड़ और राजस्व शीर्ष के तहत ₹ 3,198.03 करोड़) के बजट प्रावधान के विरूद्ध, वित्तीय वर्ष के अंत में विभाग द्वारा ₹ 913.85 करोड़ (पूँजीगत शीर्ष के तहत ₹ 117.94 करोड़ और राजस्व शीर्ष के तहत ₹ 795.91 करोड़) का अभ्यर्पण किया गया था।

नमूना-जाँच इकाइयों के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 20.23 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया था, जैसा कि **तालिका 2.30** में विस्तृत है।

तालिका 2.30: वित्तीय वर्ष के अंत (29 मार्च 2025) में अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला	कार्यालय/डीडीओ	आवंटन	व्यय	अभ्यर्पित राशि
1	खूँटी	जिला कल्याण कार्यालय, खूँटी	54.15	52.82	0.83
2	सरायकेला-खरसावां	जिला कल्याण पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावां	69.40	68.50	0.90
3	पश्चिम सिंहभूम	जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिम सिंहभूम	73.87	69.14	4.73
4	साहिबगंज	जिला कल्याण पदाधिकारी, साहिबगंज	66.86	46.93	1.63
5		विशेष पहरिया पदाधिकारी, साहिबगंज	9.34	7.58	1.76
6	राँची	जिला कल्याण पदाधिकारी, राँची	28.53	24.87	3.66
7	गढ़वा	जिला कल्याण पदाधिकारी, गढ़वा	54.66	52.37	2.29
8	गुमला	जिला कल्याण पदाधिकारी, गुमला	46.51	42.95	3.56
9	लोहरदगा	जिला कल्याण पदाधिकारी, लोहरदगा	7.70	6.83	0.87
कुल			**411.02**	**371.99**	**20.23**

वित्तीय वर्ष के अंत में अभ्यर्पण होने के कारण सरकार के लिए अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर उपलब्ध निधि का उपयोग करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा, जो निधि की कमी के कारण अधूरे रह गए होंगे।

2.7.7 व्यक्तिगत बही खातों में अप्रयुक्त निधियों का अवरूद्ध रहना

झारखण्ड कोषागार संहिता (झा. को. सं.) के नियम 174 के अनुसार, मांग की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों की व्यपगतता को रोकने के लिए कोषागार से कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी। इसके अलावा, झा. को. सं. के नियम 334 के अनुसार, जमा प्रशासक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करेगा। लगातार दो वित्तीय वर्षों के बाद बिना अव्यवहृत राशि को आगे व्यय नहीं किया जाना चाहिए तथा शेष राशि को व्यय में कटौती के रूप में संबंधित सेवा शीर्ष में हस्तांतरित किया जाना चाहिए, जिससे धनराशि की निकासी की गई थी।

(अ) अनुदान संख्या 20 की नमूना-जाँच इकाइयों के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 31 मार्च 2025 तक व्यक्तिगत बही (पीएल) खातों (8448-स्थानीय निधियों की जमा) में ₹ 77.32 करोड़ रखे गए थे, जिनमें से ₹ 26.87 करोड़ तीन वर्षों से अधिक समय तक अप्रयुक्त रहे, जैसा कि **तालिका 2.31** में दिखाया गया है।

तालिका 2.31: 31 मार्च 2025 को पीएल खातों में रखी गई राशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अभिकरण / कार्यालय का नाम	राशि	तीन वर्षों से अधिक समय तक बिना व्यय की गई राशि
1	झारखण्ड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेएमएचआईडीपीसीएल)	51.41	26.87
2	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)	25.91	--
कुल		**77.32**	**26.87**

इसके अलावा, जेएमएचआईडीपीसीएल, राँची के तहत योजनाओं की जाँच से पता चला कि दो योजनाओं के तहत प्राप्त कुल राशि ₹ 24.90 करोड़ तीन वर्षों से अधिक समय तक अप्रयुक्त रही। विवरण **तालिका 2.32** में दिए गए हैं।

तालिका 2.32: तीन वर्षों से अधिक समय तक पीएल खातों में पड़े अप्रयुक्त राशि

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	जाँच की गई योजनाओं के नाम	01.04.2022 का अवशेष	31.03.2023 का अवशेष	31.03.2024 का अवशेष	31.03.2025 का अवशेष
1	राज्य औषधि नियामक प्रणाली का सुदृढीकरण (के.प्र.यो.)	4.90	4.90	4.90	4.90
2	सैनिटरी नैपकिन का क्रय	20.00	20.00	20.00	20.00
कुल		**24.90**	**24.90**	**24.90**	**24.90**

इसके अलावा, यह देखा गया कि केंद्र प्रायोजित योजना 'राज्य औषधि नियामक प्रणाली का सुदृढीकरण' के संबंध में 31 मार्च 2025 तक एकल नोडल खाता नहीं खोला गया था, जिसके लिए वर्ष 2019-20 के दौरान जेएमएचआईडीपीसीएल द्वारा ₹ 4.90 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा ₹ 2.67 करोड़ और राज्य हिस्सा ₹ 2.23 करोड़) प्राप्त हुए थे।

(ब) अनुदान संख्या 51 की नमूना-जाँच इकाइयों के अभिलेखों की जाँच के दौरान, यह देखा गया कि 31 मार्च 2025 तक पीएल खातों (8448-स्थानीय निधियों की जमा) में ₹ 666.35 करोड़ जमा थे, जैसा कि **तालिका 2.33** में दिखाया गया है।

तालिका 2.33: 31 मार्च 2025 को पीएल खाते में अवरुद्ध राशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अभिकरण / कार्यालय का नाम	31 मार्च 2025 का अवशेष राशि	तीन वर्षों से अधिक समय तक अव्ययहृत राशि	शामिल योजनाएँ
1	एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण, खूँटी	92.37	34.05	80
2	एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण, सरायकेला-खरसावां	181.17	53.71	38
3	एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण, चाईबासा	100.32	10.94	153
4	एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण, साहिबगंज	64.71	33.03	67
5	एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण, राँची	89.72	44.49	96
6	एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण, गुमला	57.90	30.51	78
7	एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण, लोहरदगा	26.96	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
8	जिला कल्याण कार्यालय, गढ़वा	53.20	11.76	30
कुल		**666.35**	**218.49**	**542**

इसके अलावा, नमूना-जाँच इकाइयों में जाँच से पता चला कि इन योजनाओं में ₹ 666.35 करोड़ के अंत शेष में से ₹ 218.49 करोड़ तीन वर्षों से अधिक समय तक अव्यवहृत रहे।

2.7.8 पीएल खातों के अंत शेष तथा प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) के आँकड़ों में भिन्नता

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 353 के अनुसार, कोषागार पदाधिकारी को अपने मासिक खातों के साथ सभी जमाओं और स्थानीय निधियों के लिए प्लस एवं माइनस ज्ञापन तैयार कर प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) को भेजना चाहिए। उनकी पुस्तकों में वास्तविक क्रेडिट और वास्तविक डेबिट तथा प्रधान महालेखाकार द्वारा सूचित किए गए किसी भी क्रेडिट या डेबिट को केवल उचित कॉलम में दर्ज किया जाना चाहिए, और फिर विगत माह के ज्ञापन में दिखाए गए अंत शेष को प्रारंभिक शेष के रूप में आगे ले जाया जाना चाहिए और उसके बाद महीने का अंत शेष तैयार किया जाना चाहिए। यह सब स्वतंत्र रूप से और निधियों के प्रशासकों के संदर्भ के बिना किया जाना चाहिए। प्रधान महालेखाकार को ज्ञापन प्रस्तुत करने से पहले, पासबुक के आँकड़ों के साथ सत्यापन किया जाना चाहिए और ज्ञापन के मुख्य भाग पर उस प्रभाव का प्रमाण पत्र दर्ज किया जाना चाहिए। यदि इस सत्यापन के दौरान कोई विसंगतियां पाई जाती है, तो उसे तुरंत मिलान के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और ज्ञापन पर टिप्पण बनाना चाहिए कि कैसे मिलान की गई है या इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

(अ) अनुदान संख्या 20 की चयनित इकाईयों के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 31 मार्च 2025 को पीएल खातों का अंत शेष ₹ 77.32 करोड़ था, जबकि प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) के पास उपलब्ध आँकड़ा (प्लस एवं माइनस ज्ञापन) के अनुसार अंत शेष ₹ 415.66 करोड़ था। इसप्रकार, इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराए गए अंत शेष और कोषागार द्वारा प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) को उपलब्ध कराए गए अंत शेष के बीच ₹ (-) 338.34 करोड़ का अंतर था। जैसा कि **तालिका 2.34** में विस्तृत है।

तालिका 2.34: 31 मार्च 2025 को पीएल खातों के अंत शेष का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यालयों / इकाइयों का नाम	अंत शेष (सीबी)		
		इकाईयों के पास उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार	कोषागार द्वारा प्र. महा. (ले. एवं हक.) को उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार	अंतशेष में अंतर
1	झारखण्ड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेएमएचआईडीपीसीएल), राँची	51.41	171.58	(-) 120.17
2	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)	25.91	244.08	(-) 218.17
कुल		**77.32**	**415.66**	**(-) 338.34**

स्रोत: प्र. महा. (ले. एवं हक.) के अभिलेख एवं नमूना-जाँच इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराए गए पीएल खातों का शेष

(ब) अनुदान संख्या 51 की नमूना-जाँच इकाइयों में अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 31 मार्च 2025 को अंत शेष ₹ 666.35 करोड़ थी, जबकि प्र. महा. (ले. एवं हक.) की पुस्तकों के अनुसार अंत शेष ₹ 540.51 करोड़ थी। इसलिए, इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराए गए अंत शेष और प्र. महा. (ले. एवं हक.) कार्यालय की पुस्तकों में अंत शेष के बीच ₹ 72.64 करोड़ का अंतर था। विवरण **तालिका 2.35** में दिया गया है।

तालिका 2.35: 31 मार्च 2025 को पीएल खातों के अंत शेष का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यालयों / इकाईयों का नाम	अंत शेष (सीबी)		
		इकाइयों के पास उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार	प्र. महा. (ले. एवं हक.) के अभिलेखों के अनुसार	अंत शेष में अंतर
1	एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण, खूँटी	92.37	98.41	(-) 6.04
2	एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण, सरायकेला-खरसावां	181.17	162.36	18.81
3	एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण, चाईबासा	100.32	26.44	73.88
4	एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण, साहिबगंज	64.71	69.78	(-) 5.07
5	एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण, राँची	89.72	87.89	1.83
6	एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण, गुमला	57.90	60.12	(-) 2.22
7	एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण, लोहरदगा	26.96	35.51	(-) 8.55
8	जिला कल्याण कार्यालय, गढ़वा	53.20	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
कुल		**666.35**	**540.51**	**72.64**

स्रोत: *प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.)* कार्यालय तथा *नमूना-जाँच इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराए गए पीएल खातों का शेष विवरणी।*

2.7.9 अनुदान संख्या 20 के तहत वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में पीएल खाते में हस्तांतरित की गई राशि

झारखण्ड कोषागार संहिता (झा. को. सं.) के नियम 174 के अनुसार माँग की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों की व्यपगतता को रोकने के लिए कोषागार से कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी।

एनएचएम और जेएमएचआईडीपीसीएल, राँची के अभिलेखों की जाँच के दौरान, यह देखा गया कि वर्ष के अंत (मार्च 2025) में विभाग द्वारा ₹ 37.54 करोड़ की निकासी की गई थी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राँची (₹ 15.00 करोड़) और जेएमएचआईडीपीसीएल, राँची (₹ 22.54 करोड़) के पीएल खाते में हस्तांतरित किया गया था। जैसा कि **तालिका 2.36** में विस्तृत है।

तालिका 2.36: मार्च 2025 में राशि का आहरण कर पीएल खातों में हस्तांतरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	द्वारा निकासी	आहरण की तिथि	आहरित राशि	जेएमएचआईडीपीसीएल / एनएचएम के पीएल में हस्तांतरित राशि
1	अवर सचिव, खाद्य सुरक्षा आयुक्त का कार्यालय, झारखण्ड सरकार	28.03.2025	112.74	112.74
2	निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवा का कार्यालय, झारखण्ड सरकार	17.03.2025	2,025.56	2,025.56
3		12.03.2025	115.90	115.90
4		27.03.2025	1,500.00	1,500.00
कुल			**3,754.20**	**3,754.20**

वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में समेकित निधि से धन की निकासी और पीएल खातों में हस्तांतरण वित्तीय औचित्य के विरूद्ध था।

2.7.10 अप्रयुक्त एवं बैंक खातों में राशि का अवरूद्ध रहना

झा. को. सं. के नियम 174 के अनुसार माँग की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों की व्यपगतता को रोकने के लिए कोषागार से कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी। इसके अलावा, वित्त विभाग ने यह भी निर्देश दिया है (13 अप्रैल 2022) कि कोषागार से राशि निकालकर इसे लंबे समय तक अप्रयुक्त रखना वित्तीय अनुशासन के विरूद्ध है। न केवल बैंक खाते में जमा और अप्रयुक्त राशि को समेकित निधि में जमा करना आवश्यक है, बल्कि ऐसी निधियों पर अर्जित ब्याज को भी समेकित निधि में जमा किया जाना चाहिए।

अनुदान संख्या 20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में देखे गए मुद्दे

(अ) अनुदान संख्या 20 के तहत नमूना-जाँच इकाईयों के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि मार्च 2025 तक बैंक विवरण के अनुसार अंत शेष राशि ₹ 33.67 करोड़ था जिसमें से ₹ 22.97 करोड़ (ब्याज सहित) वित्तीय नियमों के उल्लंघन करते हुए एक से आठ साल की अवधि के लिए बैंक खाता में रखा गया था। जैसा की **परिशिष्ट 2.21** में विस्तृत है।

नमूना-जाँच इकाइयों के डीडीओ द्वारा जवाब में (दिसंबर 2025) में कहा गया कि सत्यापन के बाद अप्रयुक्त राशि को कोषागार में प्रेषित कर दिया जाएगा।

(ब) ट्रॉमा सेंटर, कर्मचारियों एवं संसाधनों के साथ एक ऐसा अस्पताल है जिसमें कार दुर्घटना, गिरने या अन्य बड़ी दर्दनाक घटनाओं से पीड़ित रोगियों के लिए विशेष देखभाल प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि भारत सरकार द्वारा शहीद निर्मल महतो (एसएनएम) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, धनबाद को धनबाद में एक ट्रॉमा सेंटर के निर्माण के लिए ₹ 80 लाख (31 मार्च 2012) प्रदान किए गए थे। कुल निधि (₹ 1.25 करोड़ जिसमें ₹ 44.75 लाख ब्याज भी शामिल है) का उपयोग नहीं किया

गया और 31 जनवरी 2025 तक बचत बैंक खाते (बैंक ऑफ इंडिया खाता संख्या 470110110005200) में रखा रहा।

इसी प्रकार, ट्रामा सेंटर, हजारीबाग के लिए प्रदान की गई कुल धनराशि ₹ 185.64 लाख (मई 2012) में से, एम्बुलेंस सेवाओं (₹ 11.75 लाख), कार्यालय उपकरण (₹ 3.20 लाख), संचार (₹ 1.00 लाख) तथा सिविल कार्य (₹ 9.25 लाख) के तहत कुल ₹ 25.20 लाख अप्रयुक्त रही। ब्याज की राशि ₹ 126.83 लाख सहित शेष राशि 10 वर्षों से अधिक समय तक बचत बैंक खाते में रखा गया था।

प्रावधानों के उपयोग नहीं होने का कारण इकाईयों द्वारा नहीं दिए गए थे।

अनुदान संख्या 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग (एसटी, एससी एवं ओबीसी प्रभाग) में देखे गए मुद्दे

(अ) वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान कक्षा 8 में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (एसटी, एससी एवं ओबीसी प्रभाग) के छात्रों को साइकिलों के वितरण के लिए, जनजातीय कल्याण आयुक्त कार्यालय द्वारा नमूना-जाँच किए गए (जि. क. पदा.-जिला कल्याण पदाधिकारियों) को डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करने के लिए राशि प्रदान किया गया था (नवंबर 2023)।

₹ 48.95 करोड़ के कुल हस्तांतरित में से, ₹ 4,500 प्रति छात्र, ₹ 10.58 करोड़ भुगतान विफलताओं के कारण लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित नहीं किया गया था। 2023-24 अवधि के लिए असफल लेनदेन (₹ 10.58 करोड़) से संबंधित राशि सितंबर 2025 तक जि. क. पदा. के बैंक खाते में बिना व्यय का पड़ा हुआ था। विवरण **तालिका 2.37** में दिया गया है।

तालिका 2.37: जि. क. पदा. के खाते में अवरूद्ध साइकिल योजना की अवितरित राशि का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	कार्यालय	असफल लेनदेन की संख्या	कुल राशि
1	खूँटी	जिला कल्याण पदाधिकारी, खूँटी	1,198	53.91
2	सरायकेला-खरसावां	जिला कल्याण कार्यालय, सरायकेला-खरसावां	2,760	124.20
3	गढ़वा	जिला कल्याण पदाधिकारी, गढ़वा	19,500	877.50
4	साहिबगंज	जिला कल्याण पदाधिकारी, साहिबगंज	50	2.25
कुल			**23,508**	**1,057.86**

इसी प्रकार, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत, राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1-8 में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जानी थी।

खूँटी, सरायकेला और गढ़वा के जि. क. पदा. के नमूना-जाँच के दौरान, यह देखा गया कि भुगतान विफलता के कारण डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में ₹ 8.78 करोड़ हस्तांतरित नहीं किए गए थे और संबंधित राशि सितंबर 2025 तक एक से तीन वर्षों तक जि. क. पदा. के बैंक खाते में अप्रयुक्त पड़ी थी। विवरण **तालिका 2.38** में दिया गया है।

तालिका 2.38: जि. क. पदा. के खाते में अवरूद्ध प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 1-8) की अवितरित राशि का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	कार्यालय	राशि
1	खूँटी	जिला कल्याण पदाधिकारी, खूँटी	26.70
2	सरायकेला-खरसावां	जिला कल्याण कार्यालय, सरायकेला-खरसावां	2.88
3	गढ़वा	जिला कल्याण पदाधिकारी, गढ़वा	848.49
कुल			**878.07**

इसप्रकार, साइकिल और प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत कुल ₹ 19.36 करोड़ की राशि एक वर्ष से अधिक समय तक जि. क. पदा. के बैंक खातों में अवरूद्ध पड़ा रहा।

(ब) जिला कल्याण पदाधिकारी, चाईबासा एवं गुमला तथा आईटीडीए, राँची के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि सितंबर 2025 तक विगत सात वर्षों में बैंक ब्याज राशि ₹ 11.22 करोड़ उनके बैंक खातों में अवरूद्ध था। विवरण **तालिका 2.39** में दिया गया है।

तालिका 2.39: सरकारी खाते में जमा नहीं किए गए बैंक ब्याज का विवरण

क्र. सं.	डीडीओ का नाम	ब्याज की राशि (₹ लाख में)
1	जिला कल्याण पदाधिकारी, चाईबासा	291.62
2	आईटीडीए, राँची	19.47
3	जिला कल्याण पदाधिकारी, गुमला	811.10
कुल		**1,122.19**

(स) मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखण्ड में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा विकलांग युवाओं को ऋण और ऋण सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य उद्यमिता और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिस्पर्धी दरों (आसानी से सुलभ और तुलनात्मक रूप से कम ब्याज दरों) पर ऋण प्रदान करना है।

सरायकेला-खरसावां और चाईबासा जिलों में जाँच की गई इकाईयों के अभिलेखों की जाँच के दौरान, यह देखा गया कि जिला कल्याण पदाधिकारियों को निगमों[4] से 1,189 लाभार्थियों को ऋण वितरण के लिए ₹ 27.51 करोड़ प्राप्त हुए थे जिसमें से

[4] झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक एवं विकास निगम, झारखण्ड राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम लिमिटेड तथा झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड।

₹ 22.63 करोड़ 989 लाभार्थियों को वितरित किए गए थे, शेष ₹ 4.88 करोड़ (200 लाभार्थियों को अवितरित) था। विवरण **तालिका 2.40** में दिए गए है।

तालिका 2.40: मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अवरूद्ध राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यालय	वित्तीय वर्ष	अनुमोदित आवेदन	अनुमोदित राशि	वितरित		शेष	
					संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	जि. क. पदा., सरायकेला-खरसावां	2021-22 से 2022-23	1,046	20.16	864	16.68	182	3.48
2		2023-24	22	1.50	19	1.09	3	0.40
कुल (अ)			**1,068**	**21.66**	**883**	**17.77**	**185**	**3.88**
1	जि. क. पदा., चाईबासा	2021-22	83	3.60	70	2.78	13	0.82
2		2022-23	21	0.58	20	0.54	1	0.04
3		2023-24	17	1.68	16	1.55	1	0.14
कुल (ब)			**121**	**5.86**	**106**	**4.87**	**15**	**1.00**
कुल योग (अ+ब)			**1,189**	**27.52**	**989**	**22.64**	**200**	**4.88**

स्रोत: नमूना-जाँच इकाईयों के अभिलेख

2020-21 से 2023-24 की अवधि से संबंधित ₹ 4.88 करोड़ की अवितरित राशि सितंबर 2025 तक जि. क. पदा. द्वारा संधारित बैंक खातों में अवरूद्ध रहा।

2.7.11 अनुदान संख्या 20 में 15वें वित्त आयोग के तहत प्रदान की गई धनराशि का अप्रयुक्त तथा अवरूद्ध रहना

15वें वित्त आयोग (वि. आ.) की सिफारिश के आलोक में भारत सरकार ने झारखण्ड में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सहायता-अनुदान के रूप में 2021-22 से 2025-26 के दौरान ₹ 2,370 करोड़ की राशि निर्धारित की है।

चयनित इकाईयों के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 2021-22 से 2024-25 के दौरान 15वें वित्त आयोग के तहत सहायता-अनुदान के रूप में प्रदान किए गए ₹ 95.71 करोड़ में से केवल ₹ 22.62 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया था, जिससे ₹ 73.09 करोड़ की शेष राशि इन इकाईयों द्वारा 15वें वित्त आयोग के निधि के लिए खोले गए बैंक खातों में अवरूद्ध रहा। विवरण **परिशिष्ट 2.22** में दिखाया गया है।

प्रावधानों का उपयोग नहीं होने का कारण इकाईयों द्वारा नहीं दिए गए थे।

2.7.12 राजस्व प्राप्तियों का सरकारी खाते में जमा नहीं होना

झा. को. सं. के नियम 39 के अनुसार, प्राप्त सभी राजस्व को बिना विलंब के सरकारी खाते में जमा किया जाना चाहिए। प्राप्त राशि का विभागीय व्यय को पूरा करने के लिए विनियोजित नहीं किया जाएगा या अन्यथा सरकारी खाते से बाहर नहीं रखा जाएगा।

अनुदान संख्या 20 के तहत चयनित इकाईयों के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि नामांकन एवं शिक्षण शुल्क, पंजीकरण तथा क्लिनिकों के नवीनीकरण आदि के विरूद्ध ₹ 1.26 करोड़ प्राप्त किए गए थे, जिसमें से केवल ₹ 24.37 लाख (30.08.2023)

सरकारी खाते में प्रेषित किए गए। शेष ₹ 101.74 लाख सरकारी खाते से बाहर रहा और झा. को. सं. के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बैंक खातों में रखा गया, जैसा कि **तालिका 2.41** में विस्तृत है।

तालिका 2.41: कोषागार को प्रेषित नहीं किए गए राजस्व का विवरण

(₹ लाख में)

कार्यालय का नाम	राजस्व का स्रोत	प्राप्त राजस्व	कोषागार को प्रेषित	शेष	टिप्पणियाँ
शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय, हजारीबाग	नामांकन एवं शिक्षण शुल्क	80.72	24.37	56.35	शेष राशि चालू बैंक खाते में रखी गई थी
सिविल सर्जन-सह-सीएमओ, सरायकेला-खरसावां	क्लिनिक का पंजीकरण तथा नवीनीकरण	3.72	0.00	3.72	शेष राशि बचत बैंक खाते में रखी गई थी
	पीसी एवं पीएनडीटी	16.36	0.00	16.36	
सिविल सर्जन-सह-सीएमओ, जमशेदपुर	क्लिनिक का पंजीकरण तथा नवीनीकरण	25.31	0.00	25.31	शेष राशि बचत बैंक खाते में रखी गई थी
कुल		**126.11**	**24.37**	**101.74**	

2.7.13 अंत शेष में विसंगति

वित्त विभाग, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा जारी निर्देशों (06 नवंबर 2019) के अनुसार, प्रत्येक माह बैंक शेष का मिलान रोकड़बही शेष से किया जाना चाहिए। किसी भी अंतर की स्थिति में, बैंक समाधान विवरण आहरण एवं वितरण पदाधिकारी द्वारा तैयार किया जाना चाहिए ताकि अंतर के कारणों का पता लगाया जा सके। बिना उपयोग के बैंक खाते में पडी किसी भी राशि को जल्द से जल्द कोषागार / निधि प्रदान करने वाली एजेंसी को भेजा जाना चाहिए।

(अ) अनुदान संख्या 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित नमूना-जाँच इकाईयों में अभिलेखों की जाँच से पता चला कि छह इकाइयों के बैंक विवरण के अनुसार 31 मार्च 2025 तक ₹ 193.93 करोड़ का अंत शेष था, जबकि रोकड़ बही के अनुसार अंत शेष ₹ 778.14 करोड़ था, परिणामस्वरूप ₹ 584.21 करोड़ का अंतर आया। जैसा कि **तालिका 2.42** में दिखाया गया है।

तालिका 2.42: अंत शेष में विसंगति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यालयों का नाम	रोकड़ बहियों का नाम	बैंक विवरण के अनुसार शेष राशि	रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि	अंतर
1	एसएनएमएम चिकित्सा महाविद्यालय, धनबाद	सामान्य (मुख्य)	111.76	109.86	1.90
		पीजी कोर्स	1.56	2.72	(-) 1.16
		पीजी अपग्रेडेशन	1,228.75	1,228.44	0.31
2	सदर अस्पताल, खूँटी	सामान्य	2.37	0.00	2.37
3	सीएस-सह-सीएमओ, जमशेदपुर	डीआरएचएस पूर्वी सिंहभूम आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल	430.08	399.81	30.27

क्र. सं.	कार्यालयों का नाम	रोकड़ बहियों का नाम	बैंक विवरण के अनुसार शेष राशि	रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि	अंतर
		गंभीर बीमारी	145.73	395.49	(-) 249.76
		अटल मोहल्ला	22.07	19.90	2.17
4	सीएस-सह-सीएमओ, सरायकेला-खरसावां	सामान्य	4.75	7.32	(-) 2.57
5	सीएस-सह-सीएमओ, बोकारो	मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना (असाध्य रोग)	166.23	152.21	14.02
		एड्स नियंत्रण और डीएमएफटी	31.84	31.67	0.17
		साहिया, झारखण्ड स्वस्थ प्रहरी	283.73	278.18	5.55
		पीसीपीएनडीटी	43.19	38.88	4.31
		क्लिनिक स्थापना	42.06	38.81	3.25
6	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), राँची	एनएचएम	16,878.97	75,110.69	(-) 58,231.72
कुल			**19,393.09**	**77,813.98**	**(-) 58,420.89**

स्रोतः इकाईयों द्वारा प्रदान की गई रोकड़बही तथा बैंक विवरणी।

जैसा कि **तालिका 2.42** से देखा जा सकता है, रोकड़बही और बैंक विवरणी के शेष में ₹ 584.21 करोड़ का भारी अंतर, एक गंभीर अनियमितता को बताता है और निधि के दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

अंतर को न तो समाशोधन किया गया और न ही इसके कारण बताए गए।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक (वित्त) ने बताया (जनवरी 2026) कि अंतर केवल ₹ 15.89 करोड़ था जो समाशोधन के अधीन है। हालाँकि, निदेशक, एनएचएम द्वारा कोई अनुषंगी दस्तावेज प्रदान नहीं किया गया था।

(ब) जिला कल्याण पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावां (अनुदान संख्या 51) के कार्यालय के अभिलेखों की जाँच के दौरान, यह देखा गया कि 31 मार्च 2025 को रोकड़बही के अनुसार ₹ 3,201.07 लाख का शेष था। आगे की जाँच से पता चला कि जिला कल्याण पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावां के विभिन्न बैंक खातों में ₹ 2,397.35 लाख पड़ा था, विभाग में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता, कर्मचारियों आदि को अग्रिम के रूप में ₹ 1,129.82 लाख दिए गए थे, जबकि ₹ 19.77 लाख बिना समायोजित अभिश्रव[5] (कुल ₹ 3,546.94 लाख) के विरूद्ध दिखाए गए थे, जिनमें से सभी का कुल योग ₹ 345.87 लाख से अधिक था। विसंगति के कारणों को नहीं बताया गया।

2.7.14 धन निकासी के लिए निर्धारित प्रपत्रों का उपयोग नहीं किया जाना

झारखण्ड कोषागार संहिता में विभिन्न प्रकार के धन निकासी के लिए अलग-अलग प्रपत्र निर्धारित हैं। सहायता-अनुदान को प्रपत्र 41 पर जबकि एसी विपत्रों को प्रपत्र 26 पर निकासी किया जाना है आदि।

5 धन की प्रत्याशा में किया गया भुगतान।

अनुदान संख्या 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की नमूना-जाँच इकाइयों के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) विपत्र तथा सहायता-अनुदान विपत्र गलत प्रपत्रों पर तैयार की गई थी। जिसके कारण, इन विपत्रों पर निकासी की गई राशि को प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) की पुस्तकों में एसी विपत्र तथा सहायता-अनुदान विपत्र के रूप में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे बकाया एसी विपत्र तथा बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की कम गणना हुई, जैसा कि **परिशिष्ट 2.23** में विस्तृत है।

2.7.15 अप्रयुक्त राशि का अभ्यर्पण नहीं होना

अनुदान संख्या 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (एसटी, एससी एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग) की जाँच से पता चला कि ₹ 1,145.38 करोड़ (पूँजीगत अनुभाग के तहत ₹ 171.74 करोड़ तथा राजस्व अनुभाग के तहत ₹ 973.64 करोड़) की बचत में से, ₹ 913.85 करोड़ (पूँजीगत अनुभाग के तहत ₹ 117.94 करोड़ तथा राजस्व अनुभाग के तहत ₹ 795.91 करोड़) को अभ्यर्पित कर दिया गया, जबकि ₹ 231.53 करोड़ (पूँजीगत अनुभाग के तहत ₹ 53.80 करोड़ तथा राजस्व अनुभाग के तहत ₹ 177.73 करोड़) की बचत को वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत होने दिया गया। समय पर प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण नहीं होना बजट नियमावली के नियम 112 के विरुद्ध है।

2.7.16 ₹ 4.21 करोड़ का आधिक्य बजट प्रावधान

बजट नियमावली के नियम 57 के नीचे टिप्पणियों के अनुसार, अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यय की जा सकने वाली राशि से अधिक राशि का कोई प्रावधान न हो। आगे, बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार, सभी प्रत्याशित बचतों को वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना, जैसे ही उनका पूर्वानुमान हो, तुरंत सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। भविष्य के संभावित आधिक्य के लिए कोई बचत रक्षित नहीं रखी जानी चाहिए। इसके अलावा, ब. नि. के नियम 135 के अनुसार, जब अभ्यर्पण की आवश्यकता स्वयं प्रकट होती है, तो नियंत्री अधिकारी को सावधानीपूर्वक उस राशि का अनुमान लगाना चाहिए जिसे वह अभ्यर्पित कर सकता है।

अनुदान संख्या 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (एसटी, एससी एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग) में लोहरदगा, खूँटी और सरायकेला-खरसावां में जि. क. पदा. कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि जनजातीय कल्याण आयुक्त कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के लिए कक्षा आठ में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को साइकिल वितरण के लिए राशि (नवंबर 2023 में) प्रदान किया गया था। इस उद्देश्य के लिए राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों को हस्तांतरित की जानी थी।

यह देखा गया कि जनजातीय कल्याण आयुक्त कार्यालय द्वारा तीन नमूना-जाँच जि. क. पदा. के अनुरोध पर ₹ 25.25 करोड़ के विरूद्ध ₹ 29.47 करोड़ आवंटित किए गए थे। आयुक्त कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए ₹ 4.21 करोड़ का आधिक्य अक्टूबर 2025 तक बैंक खातों में निष्क्रिय पड़ा थी, जैसा कि **तालिका 2.43** में विस्तृत है।

तालिका 2.43: डीडीओ द्वारा प्राप्त आधिक्य आवंटन का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय	वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की कुल संख्या	राशि प्रति लाभार्थी (₹)	आवश्यक राशि	प्राप्त आवंटन	आधिक्य आवंटित राशि
1	जि. क. पदा., खूँटी	2020-21	3,190	4,500	143.55	167.09	23.54
2	जि. क. पदा., सरायकेला-खरसावां	2020-21	13,228	4,500	595.26	651.74	56.48
		2021-22	13,836	4,500	622.62	701.24	78.62
		2022-23	12,793	4,500	575.69	651.55	75.86
3	जि. क. पदा., लोहरदगा	2020-21	3,037	4,500	136.67	222.12	85.45
		2021-22	4,499	4,500	202.46	288.72	86.26
		2022-23	5,534	4,500	249.03	264.20	15.17
कुल			**56,117**	**4,500**	**2,525.28**	**2,946.66**	**421.38**

स्रोत: नमूना-जाँच इकाइयों के अभिलेख

₹ 4.21 करोड़ के आधिक्य आवंटन से संकेत मिलता है कि जनजातीय कल्याण आयोग द्वारा यथोचित जाँच के बिना राशि प्रदान किया गया था जिससे सरकारी राशि अवरुद्ध हो गया। सितंबर 2025 तक डीडीओ द्वारा आधिक्य राशि वापस नहीं किया गया था।

2.7.17 सहायता-अनुदान में पर्याप्त बचत

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (एसटी, एससी एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग) से संबंधित अनुदान संख्या 51 का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों**,** अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यकों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए सहायता-अनुदान (बजट का 16.43 प्रतिशत) प्रदान करना है। हालाँकि, यह देखा गया कि अनुदान के तहत वेतन, गैर-वेतन और पूँजीगत निर्माण के लिए प्रदान की गई सहायता-अनुदान में बड़ी बचत हुई, जैसा कि **तालिका 2.44** में विस्तृत है।

तालिका 2.44: अनुदान 51 के तहत सहायता-अनुदान में बचत

(₹ करोड़ में)

गतिविधि (सहायता-अनुदान)	कुल प्रावधान	व्यय	बचत	बचत (प्रतिशत)
वेतन	0.04	0.00	0.04	100
पूँजीगत निर्माण	0.50	0.00	0.50	100
गैर-वेतन	610.98	429.44	181.54	29.71
कुल	**611.52**	**429.44**	**182.08**	**29.77**

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) झारखण्ड का वीएलसी आँकड़ा

आगे की जाँच से पता चला कि छह योजनाओं में 100 प्रतिशत बचत हुई, जैसा कि **तालिका 2.45** में विस्तृत है।

तालिका 2.45: अनुदान 51 (योजनावार) के तहत सहायता-अनुदान में पर्याप्त बचत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	योजना	कुल प्रावधान.	बचत	बचत (प्रतिशत)
1	2225-02-796-01-06-79	विशेष केंद्रीय सहायता के लिए अनुदान (अतिरिक्त केंद्रीय सहायता)	100.00	100.00	100
2	2225-01-789-AO-06-79	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना	30.00	30.00	100
3	2225-02-277-01-06-79	विशेष केंद्र सहायता के लिए अनुदान (अतिरिक्त केंद्रीय सहायता)	10.00	10.00	100
4	2225-02-796-A7-06-79	संरक्षण सह विकास (सीसीडी)-पीवीटीजी	10.00	10.00	100
5	2225-02-796-AD-06-79	मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना	10.00	10.00	100
6	2225-02-277-AD-06-79	मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना	8.00	8.00	100
कुल			**168.00**	**168.00**	**100**

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) झारखण्ड का वीएलसी आँकड़ा

2.7.18 असमायोजित अग्रिम तथा अभिश्रव

झारखण्ड कोषागार संहिता (झा. को. सं.) 2016 के नियम 174 में प्रावधान है कि यदि विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी के आदेश से अग्रिम राशि निकाली जाती है, तो निकाली गई राशि का शेष यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले, जिसमें राशि निकाली गई है, अगले विपत्र में अल्प निकासी के माध्यम से या चालान के माध्यम से कोषागार को वापस कर दिया जाएगा। आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी द्वारा इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि आकस्मिक विपत्र पर निकाली गई राशि उसी वित्तीय वर्ष के भीतर व्यय की जाएगी और शेष राशि उस वर्ष के 31 मार्च से पहले कोषागार में जमा कर दी जाएगी।

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि सरायकेला-खरसावां, चाईबासा और आईटीडीए, राँची के जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा अग्रिम के रूप में वितरित ₹ 11.92 करोड़ अक्टूबर 2025 तक समायोजन के लिए लंबित थे। इसी प्रकार, 2024-25 के दौरान इन इकाइयों द्वारा व्यय किए गए ₹ 110.78 लाख का असमायोजित अभिश्रव, बिना उपलब्ध राशि के, अक्टूबर 2025 तक समायोजन के लिए लंबित थे।

अग्रिम एवं असमायोजित अभिश्रव का विवरण **तालिका 2.46** में दिया गया है।

तालिका 2.46: असमायोजित अग्रिम एवं अभिश्रव का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	डीडीओ का नाम	शेष की तिथि	राशि
असमायोजित अग्रिम			
1	जिला कल्याण पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावां	21.03.2025	1,129.82
2	जिला कल्याण पदाधिकारी, चाईबासा	31.03.2025	25.61
3	जिला कल्याण पदाधिकारी, राँची	30.08.2025	26.85
4	एकीकृत जनजातीय विकास प्राधिकरण राँची		9.44
कुल			**1,191.72**

क्र. सं.	डीडीओ का नाम	शेष की तिथि	राशि
असमायोजित अभिश्रव			
1	जिला कल्याण पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावां	20.02.25	19.77
2	जिला कल्याण पदाधिकारी, चाईबासा	31.03.25	38.64
3	एकीकृत जनजातीय विकास प्राधिकरण, चाईबासा	31.03.25	8.83
4	जिला कल्याण पदाधिकारी, राँची	30.08.25	40.27
5	एकीकृत जनजातीय विकास प्राधिकरण, राँची		3.27
कुल			**110.78**

2.8 आकस्मिकता निधि

झारखण्ड राज्य आकस्मिकता निधि अधिनियम 2001 के तहत अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए झारखण्ड राज्य की आकस्मिकता निधि में राशि के भुगतान और धन की निकासी से संबंधित सभी मामलों को विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया था। जब राज्य विधानसभा अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करता है तो निधि की वसूली की जाती है। निधि का कोष ₹ 500 करोड़ है।

2024-25 के दौरान, विभिन्न बजटीय शीर्षों के तहत आकस्मिकता निधि से ₹ 635.96 करोड़ निकाले गए थे, जिसे वित्तीय वर्ष के अंत तक वापस ले लिया गया था।

2.8.1 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित एवं आकस्मिक प्रवृति के व्यय को पूरा करने के लिए हीं दी जानी है, जिसे विधानसभा द्वारा अधिकृत किए जाने तक स्थगित करना अनुचित होगा।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, 133 योजनाओं के संबंध में पुलिस, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता तथा मंत्रिमंडल सचिवालय जैसे अनुदानों के तहत मुख्य रूप से अग्रिम के रूप में आकस्मिकता निधि से ₹ 635.96 करोड़ की राशि निकाली गई थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक राशि वसूल कर ली गई थी। मुख्य शीर्ष-वार किए गए व्यय का विवरण **तालिका 2.47** में दिया गया है।

तालिका 2.47: आकस्मिकता निधि से मुख्य शीर्षवार व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	राशि
1	2014 न्याय प्रशासन	1.02
2	2051 लोक सेवा आयोग	17.01
3	2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं	23.94
4	2053 जिला प्रशासन	2.35
5	2055 पुलिस	104.63
6	2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं	31.58
7	2210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	20.30
8	2220 सूचना एवं प्रचार	69.73
9	2230 श्रम, रोजगार और कौशल विकास	0.16
10	2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	318.20
11	2250 अन्य सामाजिक सेवाएं	0.04

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	राशि
12	2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	0.33
13	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	28.81
14	4215 जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	17.86
कुल		**635.96**

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) का कार्यालय

आगे की जाँच से पता चला कि आकस्मिकता निधि से ₹ 214.74 करोड़ का व्यय उन उद्देश्यों के लिए किया गया था जो अप्रत्याशित और आकस्मिक प्रकृति के नहीं थे, जैसे यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय, मोटर वाहनों का क्रय**,** ईंधन और वाहनों का रख रखाव आदि।

2.9 निष्कर्ष

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य के कुल बजट ₹ 1,50,938.84 करोड़ में से, ₹ 31,110 करोड़ (कुल बजट का 20.61 प्रतिशत) की राशि अप्रयुक्त रही। इसके अलावा, ₹ 31,110 करोड़ की कुल बचत में से, ₹ 19,648.71 करोड़ का बचत 10 अनुदानों में हुई, जो बजट प्रावधानों के सात से 62 प्रतिशत के बीच है, जिसके कारणों को विनियोग खातों में उचित रूप से नहीं बताया गया है।

अनुदान संख्या 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में, ₹ 7,731.83 करोड़ के कुल बजट प्रावधानों में से ₹ 2,494.36 करोड़ (32 प्रतिशत) की बचत हुई। इसी प्रकार, अनुदान संख्या 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग) में ₹ 3,721.65 करोड़ के कुल बजट में से ₹ 1,145.38 करोड़ (30.78 प्रतिशत) की बचत हुई।

वर्ष 2024-25 के दौरान, व्यय मूल प्रावधानों तक भी नहीं पहुंचा। इसके बावजूद, ₹ 5,407 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान किए गए।

2024-25 के दौरान विनियोग संख्या 15-पेंशन के तहत राज्य विधानसभा द्वारा किए गए प्राधिकरण पर ₹ 306.62 करोड़ का आधिक्य वितरण हुआ। इसके अलावा, विगत वर्षों के ₹ 4,046.43 करोड़ के आधिक्य व्यय को मार्च 2025 तक विनियमित नहीं किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अनुदान संख्या 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में 44 उप-शीर्षों के तहत प्रदान किए गए ₹ 334.76 करोड़ को वित्तीय वर्ष के अंत में अभ्यर्पित/पुनर्विनियोजन किया गया था। इसी प्रकार, अनुदान संख्या 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग) के तहत, 57 उप-शीर्षों में ₹ 343.33 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था, जिसका उपयोग नहीं किया गया तथा संपूर्ण प्रावधान को अभ्यर्पित कर दिया गया।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार ने पूँजीगत व्यय के तहत ₹ 2,879.71 करोड़ को राजस्व प्रकृति के सहायता-अनुदान के रूप में दर्ज की थी। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष में इतनी अधिक वृद्धि दर्ज की गई।

एकल नोडल खाता (एसएनए) के माध्यम से राज्य में चल रही 122 केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से 30 सितंबर 2025 तक केवल 28 एसएनए को एसएनए-स्पर्श में बदला गया था।

2.10 अनुशंसाएँ

- *राज्य सरकार को बजटीय अनुमानों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित करना चाहिए, साथ हीं आवंटित निधि के अनुपयोग को कम करने के लिए एक कुशल नियंत्रण तंत्र स्थापित करना चाहिए।*
- *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपेक्षित बचत की पहचान की जाए और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उसे अभ्यर्पित किया जाए।*
- *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यय विधानसभा द्वारा अधिकृत राशि से अधिक न हो। विगत वर्षों के आधिक्य व्यय को विनियमित करने के लिए कदम उठाना चाहिए।*

अध्याय-III

वित्तीय प्रतिवेदन की प्रथाएं

अध्याय III: वित्तीय प्रतिवेदन की प्रथाएं

यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत राज्य सरकार के लेखाओं की गुणवत्ता तथा निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।

वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों का अनुपालन, साथ ही प्रतिवेदन की पूर्णता, समयबद्धता और गुणवत्ता, वित्तीय प्रतिवेदन में प्रस्तुत जानकारी की प्रासंगिकता और विश्वसनीयता को बढ़ाती है।

लेखाओं की पूर्णता से संबंधित मुद्दे

3.1 राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू/ प्राधिकरणों के माध्यम से बजट के बाहर लिया गया उधार

भारत के संविधान का अनुच्छेद 293(3) भारत सरकार से ऋण लेने हेतु राज्य सरकार के लिए, यदि उसके पास भारत सरकार से कोई बकाया ऋण या गारंटी है, भारत सरकार की सहमति को अनिवार्य करता है। इसके अलावा, पंद्रहवें वित्त आयोग ने सिफारिश किया था कि 2023-24 से 2025-26 के लिए राज्य सरकारों के लिए सामान्य निवल उधार सीमा (एनबीसी) को जीएसडीपी के तीन प्रतिशत पर निर्धारित किया जा सकता है।

उपर्युक्त निर्धारित निवल उधार सीमा को दरकिनार कर बजट के अतिरिक्त राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों (एसपीएसयू)/ निगमों/ अन्य निकायों के माध्यम से ऋण प्राप्त करना, राज्य द्वारा ऐसे ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए जिम्मेदार होने के बावजूद, राजकोषीय स्थिति और लोक वित्त में पारदर्शिता के लिए अत्यधिक जोखिम पैदा करता है। तदनुसार, राज्य सरकारों के वित्तीय वर्ष के लिए उधार सीमा को अब भारत सरकार द्वारा बजट के बाहर लिये गए (ऑफ-बजट) उधार सीमा तक कम किया जा रहा है।

राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2004 में यह निर्धारित किया गया था कि जहां पुनर्भुगतान का दायित्व राज्य सरकार के आवंटन पर है, राज्य सरकार लोक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष प्रयोजन वाहनों और अन्य समतुल्य उपकरणों द्वारा बजट के बाहर लिए गए उधार से उत्पन्न वास्तविक देनदारियों का खुलासा करते हुए लोक हित में अपने राजकोषीय कार्यों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी। इसके अलावा, राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियम, 2007 में यह प्रावधान है कि बजट दस्तावेजों के साथ विधानसभा के समक्ष रखा गया 'मध्यम अवधि राजकोषीय नीति (एमटीएफपी) विवरण', राज्य

सरकार के राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे और कुल बकाया ऋण[1] के संबंध में पांच साल के रोलिंग लक्ष्य शामिल होंगे।

वर्ष 2024-25 के लिए, विधानसभा में प्रस्तुत एमटीएफपी के अनुसार राज्य के लिए ऋण स्टॉक को जीएसडीपी के 27 प्रतिशत पर लक्षित किया गया था। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी (अक्टूबर 2025) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य द्वारा कोई बजट के बाहर उधार नहीं लिया गया था।

3.2 सरकार की अमुक्त देनदारियाँ

अमुक्त देनदारियां, जैसे कि संग्रहित उपकर का निर्दिष्ट निकायों को हस्तांतरण नही करने से महत्वपूर्ण दीर्घकालिक राजकोषीय और शासन निहितार्थों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। अदत्त देनदारियां समय के साथ बढ़ती हैं, जिससे छिपी हुई देनदारियां पैदा होती हैं जो राज्य की वास्तविक वित्तीय स्थिति को विकृत करती हैं। इसके अलावा, उपकर हस्तांतरण में देरी से अपेक्षित विकास या कल्याणकारी लक्ष्यों में बाधा उत्पन्न होती हैं, जिससे उस उद्देश्य को विफल कर दिया जाता है जिसके लिए इस तरह के उपकर लगाए गए थे। इन वर्षों में, इस तरह की प्रथाएं विश्वास को कम कर सकती हैं, कानूनी देनदारियों को जन्म दे सकती हैं और भविष्य के व्यय दायित्वों को बढ़ा सकती हैं, जिससे राजकोषीय दायरा सीमित हो सकता है और राजकोषीय स्थिरता कमजोर हो सकती है।

3.2.1 अमुक्त ब्याज देयता

सरकार ब्याज-धारित जमा/रक्षित निधि के तहत दिखाई गई राशि प्रदान करने और उस पर ब्याज का भुगतान करने का दायित्व है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 1 अप्रैल 2024 को ब्याज धारित जमा/रक्षित निधि के तहत पड़े ₹ 2,865.63 करोड़ के शेष पर ₹ 268.06 करोड़ ब्याज के रूप में भुगतान किए जाने की आवश्यकता थी जैसा कि **तालिका 3.1** में दिखाया गया है। देय ब्याज का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष की अत्युक्ति और राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति हुई है।

तालिका 3.1: ब्याज-धारित जमा/ रक्षित निधि के संबंध में अदा न की गई देय ब्याज का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ब्याज-धारित जमा का नाम /शीर्ष	1 अप्रैल 2024 को आरंभिक शेष	ब्याज की गणना का आधार	प्रावधान नहीं की गई ब्याज की राशि
1.	सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	79.27	सामान्य भविष्य निधि के लिए देय ब्याज दर (7.1 प्रतिशत) के अनुसार गणना की गई ब्याज।	5.31

[1] जैसा कि राज्य एफआरबीएम अधिनियम में परिभाषित किया गया है, राज्य के कुल बकाया ऋण में आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लघु बचत, भविष्य निधि आदि, रक्षित निधि और जमा शामिल हैं।

क्र. सं.	ब्याज-धारित जमा का नाम /शीर्ष	1 अप्रैल 2024 को आरंभिक शेष	ब्याज की गणना का आधार	प्रावधान नहीं की गई ब्याज की राशि
2.	एसडीआरएफ और एसडीएमएफ	2,786.36 (एसडीआरएफ 2,634.96 एसडीएमएफ 151.40)	आरबीआई ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों (औसत दर 8.46 प्रतिशत) के तहत ओवरड्राफ्ट पर लागू दर पर गणना की गई ब्याज।	262.75
कुल		**2,865.63**		**268.06**

स्रोत: वित्त लेखे 2024-25

समय पर अर्जित ब्याज का भुगतान नहीं करने से न केवल राज्य के कोष पर अतिरिक्त देनदारी उत्पन्न हुई, बल्कि राज्य के राजस्व अधिशेष को भी बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया और राजकोषीय घाटे को कम करके आंका गया। लेखापरीक्षा द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, इस बकाया ब्याज से वर्तमान राजकोषीय घाटा जो कि 2.81 प्रतिशत है, 0.05 प्रतिशत अंक बढ़कर, 2.86 प्रतिशत हो जाएगा।

3.2.2 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अल्प योगदान

1 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भर्ती किए गए राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आते हैं, जो एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के तहत, कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं, जिसके एवज में राज्य सरकार द्वारा मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत (1 अप्रैल 2019 से) का योगदान किया जाता है। संपूर्ण राशि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/ ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंधक को हस्तांतरित की जाती है।

झारखण्ड राज्य सरकार ने 1 सितंबर 2022 से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में वापसी की अधिसूचना जारी की। वर्ष 2024-25 तक, 1,14,494 ने ओपीएस का विकल्प चुना था, 76 ने एनपीएस का विकल्प चुना था और 992 ने कोई विकल्प नहीं चुना था। एनएसडीएल में नियोक्ता का योगदान 2023-24 में ₹ 7.66 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 8.54 करोड़ हो गया।

2024-25 के दौरान, लोक लेखा में एनपीएस का आरंभिक शेष (मुख्य शीर्ष 8342-117-परिभाषित अंशदान पेंशन योजना) ₹ 79.27 करोड़ था, जिसमें कर्मचारी के योगदान के रूप में ₹ 5.29 करोड़ की प्राप्ति हुई। वर्ष के दौरान राज्य द्वारा एनएसडीएल को ₹ 60.69 करोड़ हस्तांतरित किए गए, जिससे 2024-25 के अंत में ₹ 23.87 करोड़ की राशि शेष बची। सरकार का ₹ 8.54 करोड़ का योगदान सीधे एनएसडीएल को हस्तांतरित किया गया।

कर्मचारी अंशदान को इसके संग्रह के तुरंत बाद एनएसडीएल को स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी। हालांकि, यह देखा गया कि कर्मचारियों से एकत्र किए गए ₹ 23.87 करोड़ मार्च 2025 तक स्थानांतरित नहीं किए गए और लोक लेखे में रखे गए।

2008-25 के दौरान एनपीएस के तहत राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के हिस्से से प्राप्तियों, सरकार के योगदान और एनएसडीएल को इसके हस्तांतरण का विवरण **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है।

3.2.3 भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर

भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 3(1) के अनुसार, नियोक्ता/ निर्माणकर्ताओं द्वारा भूमि की लागत और कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत देय किसी भी मुआवजे को छोड़कर, निर्माण की लागत पर एक प्रतिशत की दर से श्रम उपकर एकत्र किया जाना था। सभी विभागों, बोर्डों, स्वायत्त निकायों और स्थानीय प्राधिकरणों को सभी निर्माण गतिविधियों पर यह उपकर एकत्र करने और इसे राज्यों के भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के पास जमा करने का निर्देश दिया गया था। संग्रहित उपकर का उपयोग राज्य में निर्माण श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाना है।

तालिका 3.2 सरकार द्वारा एकत्र किए गए और झारखण्ड भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित श्रम उपकर को दर्शाता है।

तालिका 3.2: सरकार द्वारा एकत्रित और बोर्ड को हस्तांतरित श्रम उपकर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपकर के रूप में प्राप्त राशि	सरकार द्वारा स्थानांतरित राशि	सरकार के पास बकाया राशि
2016-17 तक	312.90	4.83*	471.93
2017-18	80.77	0.00	
2018-19	79.81	0.00	
2019-20	76.70	0.00	
2020-21	59.15	0.00	
2021-22	54.86	0.00	
2022-23	68.81	154.00	
2023-24	93.34	154.00	
2024-25	119.33	160.91	
कुल	**945.67**	**473.74**	**471.93**

*बीओसीडब्ल्यू से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार संशोधित

स्रोत: वित्त लेखे एवं बीओसीडब्ल्यू से प्राप्त विवरण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य द्वारा मुख्य शीर्ष 0230 - श्रम और रोजगार के तहत ₹ 119.33 करोड़ की राशि एकत्र की गई और कुल उपलब्ध निधि का ₹ 160.91 करोड़ हस्तांतरित किया गया। मार्च 2025 तक, उपकर का कुल संग्रह ₹ 945.67 करोड़ था, जिसमें से ₹ 473.74 करोड़ पिछले तीन वर्षों में राज्य द्वारा बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित किया गया था, जिससे ₹ 471.93 करोड़ की बकाया राशि शेष रह गई थी। संग्रहित उपकर के हस्तांतरण न करने से न केवल भवन और निर्माण श्रमिकों के लक्षित कल्याण और सामाजिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बल्कि राज्य की देनदारी भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है।

3.2.4 स्थानीय निकायों को उपकर का हस्तांतरण नहीं करना

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष '0029- भूमि राजस्व' के तहत भूमि उपकर के रूप में ₹ 0.96 करोड़ एकत्र किए। वर्ष 2000-01 से 2024-25 की अवधि के बीच इस लेखे में कुल संग्रह ₹ 202.72 करोड़ था। हालांकि, मार्च 2025 तक राज्य सरकार द्वारा किसी भी निर्दिष्ट निधि में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई थी, जिससे राज्य की देनदारी उसी अनुपात में बढ़ गई थी।

चूंकि भूमि उपकर के संबंध में राज्य द्वारा कोई अधिनियम/ नियम बनाया नहीं गया था, इसलिए संग्रह, हस्तांतरण और इसके उपयोग की शर्तों को लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार (25 नवंबर 2025) ने आश्वासन दिया कि मामले की जाँच की जाएगी और भूमि उपकर के लगाने, संग्रह, हस्तांतरण और उपयोग के संबंध में उचित नीतिगत प्रावधान तैयार किए जाएंगे।

3.2.5 राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) की स्थापना अगस्त 2015 में खान और खनिज (विकास और विनियमन अधिनियम), 1957 की धारा 9सी के तहत की गई थी। इस अधिनियम की धारा 9सी (4) के अनुसार, खनन पट्टे या खनिज रियायत के धारक को ट्रस्ट को भुगतान की गई रॉयल्टी का 2 प्रतिशत योगदान देना आवश्यक है। एनएमईटी नियमों के अनुसार, राज्य सरकार इन अंशदानों को एकत्र करने, उन्हें मुख्य शीर्ष '8449-123-एनएमईटी जमा' के तहत लोक लेखे में जमा करने और भारत की समेकित निधि में मासिक रूप से धन हस्तांतरित करने के लिए जिम्मेदार है।

2024-25 के दौरान, एनएमईटी जमा में आरंभिक शेष राशि ₹ 28.95 करोड़ थी, जिसमें ₹ 140.62 करोड़ जोड़े गए और ₹ 154.85 करोड़ (पिछले वर्षों की शेष राशि से ₹ 14.23 करोड़ सहित) राज्य सरकार द्वारा भारत की संचित निधि में हस्तांतरित किए गए। 2024-25 के अंत में निधि में अंत शेष राशि ₹ 14.72 करोड़ थी।

चूंकि, भारत की समेकित निधि में हस्तांतरण के लिए ₹ 14.72 करोड़ लंबित थे, इसलिए राज्य की नकद शेष राशि को उस सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया था।

3.2.6 राज्य खनिज अन्वेषण न्यास / राज्य खनिज विकास निधि

खान मंत्रालय, भारत सरकार ने (19 नवंबर 2024 को) सभी राज्य सरकारों को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15 की उप-धारा (ए) के खंड (जी) के तहत अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) की तर्ज पर एक राज्य खनिज अन्वेषण न्यास (एसएमईटी)/ राज्य खनिज विकास निधि (एसएमडीएफ) की स्थापना करे।

हालांकि, झारखण्ड सरकार ने (नवंबर 2025 तक) लघु खनिजों से संबंधित अन्वेषण गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए लोक लेखे/ बैंक खाते के तहत एसएमईटी की स्थापना नहीं की थी।

राज्य सरकार ने (25 नवंबर 2025) कहा कि नीति निर्माण और एसएमईटी के गठन की प्रक्रिया चल रही है।

पारदर्शिता से संबंधित मुद्दे

3.3 उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने में विलंब

झारखण्ड वित्तीय नियमों के नियम 342 में यह निर्धारित किया गया है कि जहां सहायता-अनुदान स्वीकृत हो और ऐसे मामले जिसमे सहायता-अनुदान के उपयोगिता के लिये विशेष उद्देश्यों या समयसीमा जिसके भीतर धन खर्च किया जाना हो या किसी और तरह की शर्ते जुड़ी हो तो वह विभागीय अधिकारी जिसके हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर पर सहायता-अनुदान विपत्र आहरित किया गया था, सहायता-अनुदान से जुड़ी शर्तों की पूर्णता प्रमाणित करने के लिए महालेखाकार के प्रति मुख्य रूप से जिम्मेदार होगा।

वर्ष 2024-25 की शुरुआत में, ₹ 1,33,161.50 करोड़ की 47,367 उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.) बकाया थी, जिनमें से ₹ 1,899.29 करोड़ की 86 उ.प्र.प. को 2024-25 के दौरान समायोजित किया गया था। इसके अलावा, चालू वर्ष के दौरान, ₹ 29,303.59 करोड़ की 5,574 उ.प्र.प. प्रस्तुत करने के लिए देय (31 मार्च 2025 तक) हो गई । इस प्रकार, 31 मार्च 2025 तक समायोजन के लिए ₹ 1,60,565.80 करोड़ की 52,855 उ.प्र.प. बकाया थी, जैसा कि **तालिका 3.4** में दिया गया है

तालिका 3.4: उपयोगिता प्रमाण पत्रों की आयु-वार लंबितता

(₹ करोड़ में)

उ.प्र.प. देय वर्ष*	लंबित उ.प्र.प. की संख्या	राशि
2019-20 से पहले	27,985	66,972.00
2019-20	4,417	17,973.69
2020-21	4,556	14,535.30
2021-22	5,144	13,739.71
2022-23	5,179	18,041.51
2023-24 (मार्च 2024 तक स्वीकृत)	5,574	29,303.59
कुल	**52,855**	**1,60,565.80**

स्रोत: वित्त लेखे 2024-25 और प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) झारखण्ड का कार्यालय

**ऊपर उल्लिखित वर्ष "देय वर्ष" से संबंधित है, अर्थात वास्तविक आहरण के 12 महीने बाद।*

चार्ट 3.1: पांच प्रमुख विभाग के संबंध में 31 मार्च 2025 को बकाया उ.प्र.प.

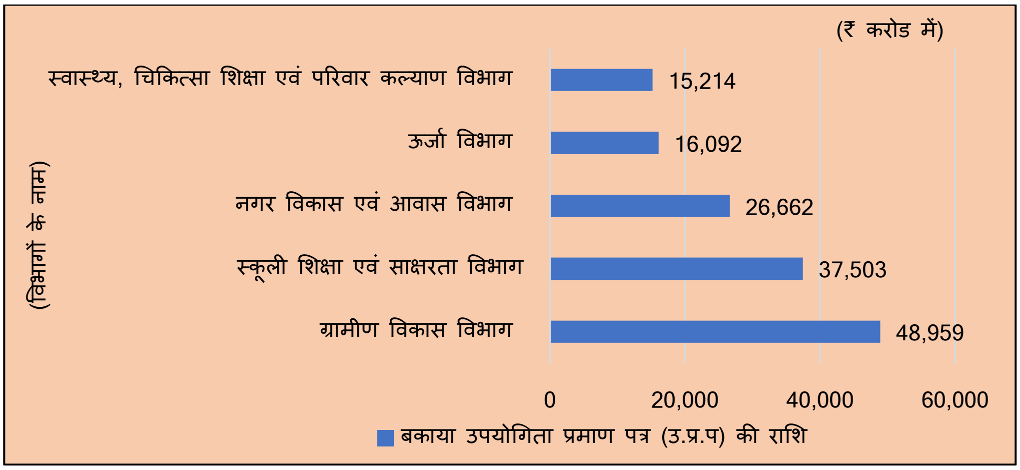

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) का कार्यालय

उ.प्र.प. जमा न करने से सरकारी धन के दुरुपयोग का खतरा होता है। राज्य सरकार को इस पहलू की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए और समय पर उ.प्र.प. जमा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

राज्य सरकार ने (25 नवंबर 2025) आश्वासन दिया कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

3.3.1 अनुदान संख्या 20 और 51 में बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

चयनित अनुदान संख्या 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग और अनुदान संख्या 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (एसटी, एससी एवं बीसी कल्याण प्रभाग) के बजटीय प्रक्रिया विश्लेषण के दौरान 31 मार्च 2025 तक बकाया उ.प्र.प. की राशि और संख्या **तालिका 3.5** में दिखाई गई है।

तालिका 3.5: अनुदान संख्या 20 और 51 के अंतर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में बकाया

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	वित्तीय वर्ष	लंबित उ.प्र.प. की संख्या	राशि
अनुदान संख्या 20			
2210	2021-22 तक	1,319	9,399.54
	2022-23	358	2,907.23
	2023-24	359	2,907.38
कुल		**2,036**	**15,214.15**
अनुदान संख्या 51			
2225	2021-22 तक	341	280.40
	2022-23	772	648.97
	2023-24	495	454.99
4225	2021-22 तक	01	2.99
	2022-23	10	37.24
	2023-24	02	50.00
कुल		**1,621**	**1,474.59**

स्रोत: प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) झारखण्ड का कार्यालय

जैसा कि **तालिका 3.5** से देखा जा सकता है, अनुदान संख्या 20 के तहत ₹ 15,214.15 करोड़ की बड़ी राशि से संबंधित 2,306 उ.प्र.प. और अनुदान संख्या 51 के तहत ₹ 1,474.59 करोड़ की राशि वाले 1,621 उ.प्र.प. विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था, यह कोषागार संहिता के प्रावधान का उल्लंघन है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि सहायता-अनुदान की मंजूरी के 12 महीनों के भीतर उ.प्र.प. प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

अनुदान संख्या 20 के नमूना-जाँच के दौरान, यह देखा गया कि 2021-24 के दौरान 'मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना' के लिए ₹ 91.75 करोड़ आवंटित किए गए थे, जिसमें से ₹ 73.94 करोड़ नमूना-जाँच किए गए जिलों के सिविल सर्जन द्वारा विभिन्न अस्पतालों में हस्तांतरित किए गए थे। ₹ 73.94 करोड़ के कुल हस्तांतरण के विरुद्ध, सितंबर 2025 तक प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) को कोई उ.प्र.प प्रस्तुत नहीं किया गया था। सिविल सर्जन ने कहा कि अस्पतालों से उ.प्र.प. एकत्र किए जा रहे हैं।

इसके अलावा, प्रजनन बाल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए 2021-25 के बीच प्रदान किए गए ₹ 2,288.89 करोड़ का उपयोग किया गया था, लेकिन विभाग द्वारा उ.प्र.प को प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) को नहीं भेजा गया था, जिसके परिणामस्वरूप प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) के अभिलेखों में उ.प्र.प लंबित थे।

उ.प्र.प जमा करने में लंबे समय तक विफलता न केवल वित्तीय जवाबदेही को कमजोर करती है, बल्कि लोक धन के दुर्विनियोजन का गंभीर जोखिम भी उत्पन्न करती है।

3.4 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र

जब अग्रिम में धन की आवश्यकता होती है या जब वे आवश्यक राशि की सटीक गणना करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो आहरण और संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को सेवा शीर्षों को डेबिट करके, संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) विपत्र के माध्यम से, सहायक दस्तावेजों के बिना पैसे निकालने की अनुमति होती है और व्यय को सेवा शीर्ष के तहत एक व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

झारखण्ड कोषागार संहिता (जेटीसी) 2016 के नियम 305 के साथ पठित नियम 187 में यह प्रावधान है कि डीडीओ को ऐसे अग्रिम आहरण की तिथि से छह महीने के भीतर वित्तीय व्यय के समर्थन में वाउचर वाले विस्तृत आकस्मिक (डीसी) विपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। डीसी विपत्रों के विलंबित जमा या लंबे समय तक जमा न करने से लेखों की पूर्णता और सटीकता प्रभावित हो सकती है।

31 मार्च 2025 तक समायोजन हेतु लंबित ए.सी. विपत्रों, का विवरण **तालिका 3.6** में दिया गया है।

तालिका 3.6: आयु-वार समायोजित किए जाने वाले लंबित एसी विपत्र

(₹ करोड़ में)

देय वर्ष	एसी विपत्रों की संख्या	राशि
2020-21 तक	17,416	4,192.27
2021-22	149	100.73
2022-23	294	229.96
2023-24	16	7.91
2024-25*	2.	0.12
कुल	**17,877**	**4,530.99**

स्रोत: वित्त लेखे 2024-25 और प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) का कार्यालय

**सितंबर 2024 तक आहरित विपत्रों को ध्यान में रखा गया है*

2024-25 के दौरान, ₹ 55.99 करोड़ के 151 एसी विपत्र आहरित किए गए, जिनमें से ₹ 22.35 करोड़ के 24 एसी विपत्रों को 31 मार्च 2025 तक समायोजित किए गए। यह भी देखा गया कि मार्च 2025 के महीने में ₹ 15.81 करोड़ (28 प्रतिशत) के 38 एसी विपत्र आहरित किए गए थे। वर्ष के अंत में एसी विपत्रों पर धन की निकासी से संकेत मिलता है कि निकासी मुख्य रूप से बजट प्रावधानों को समाप्त करने के लिए की गई होगी।

राज्य सरकार ने (25 नवंबर 2025) कहा कि एसी विपत्रों के माध्यम से आहरण को अब कम कर दिया गया है और सभी लंबित डीसी विपत्रों के निपटान हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

चार्ट 3.2: पांच प्रमुख विभाग जहां डीसी विपत्र लंबित थे

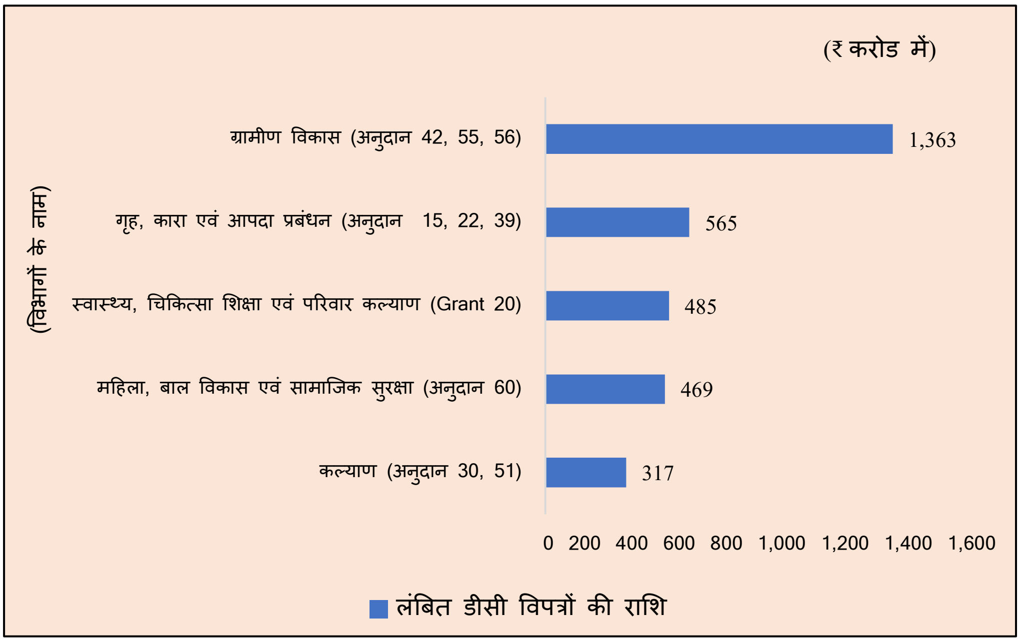

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) का कार्यालय

लंबे समय तक अग्रिम राशि का समायोजन न करने से दुर्विनियोजन का खतरा होता है और इसलिए डीसी विपत्र जमा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित डीडीओ द्वारा कड़ी निगरानी की आवश्यकता होती है।

3.4.1 अनुदान संख्या 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में बकाया डीसी विपत्र

प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार, 2024-25 तक 2210, 2211, 2251 और 4210 शीर्षों के तहत ₹ 2,330.40 करोड़ के 3,642 एसी विपत्र आहरित किए गए, जिनमें से ₹ 1,846.07 करोड़ के 1,386 डीसी विपत्र प्रस्तुत किए गए और ₹ 484.33 करोड़ के 2,256 एसी विपत्र डीसी विपत्र प्रस्तुत करने के लिए बकाया थे, जैसा कि **तालिका 3.7** में विस्तृत है।

तालिका 3.7: अनुदान संख्या 20 में बकाया डीसी विपत्र

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	वर्ष	एसी विपत्र का विवरण		प्रस्तुत डीसी विपत्रों का विवरण		बकाया डीसी विपत्र	
		एसी विपत्र की संख्या	राशि	डीसी विपत्र की संख्या	राशि	डीसी विपत्र की संख्या	राशि
2210	2020-21 तक	1,771	1,20,898.04	833	97,093.10	938	23,804.94
	2021-22	39	49,542.67	10	48,955.08	29	587.59
	2022-23	26	12,884.26	13	12,577.44	13	306.82
	2023-24	15	785.73	08	584.75	07	200.98
	2024-25	140	1,946.57	27	401.19	113	1,545.38
2211	2020-21 तक	1,110	2,213.15	229	162.97	881	2,050.18
	2021-25	00	0.00	00	0.00	00	0.00
2251	2020-21 तक	08	9.57	04	8.20	04	1.37
	2021-25	00	0.00	00	0.00	00	0.00
4210	2020-21 तक	530	44,373.24	262	24,572.95	268	19,800.29
	2021-22	01	132.74	00	0.00	01	132.74
	2022-23	01	4.88	00	4.15*	01	0.73
	2023-24	01	249.38	00	247.34*	01	2.04
	2024-25	00	0.00	00	0.00	00	0.00
कुल		**3,642**	**2,33,040.23**	**1,386**	**1,84,607.17**	**2,256**	**48,433.06**

** डीसी विपत्र आंशिक रूप से प्रस्तुत किए गए*

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) झारखण्ड का कार्यालय

इसके अलावा, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की नमूना-जाँच इकाइयों में, यह देखा गया कि 2024-25 तक ₹ 23.13 करोड़ के 49 एसी विपत्र आहरित किए गए थे, जिनमे से ₹ 11.79 करोड़ के 15 डीसी विपत्र (आंशिक रूप से) प्रस्तुत किए गए थे और डीसी विपत्र प्रस्तुत करने के लिए ₹ 11.34 करोड़ के 36 एसी विपत्र बकाया थे, जैसा कि **परिशिष्ट 3.2** में विस्तृत है।

अनुदान संख्या 20 के तहत नमूना-जाँच इकाइयों में लंबित डीसी विपत्रों पर टिप्पणियाँ:

(i) जेटीसी के नियम 168 के अनुसार, 'आकस्मिक प्रभार' या आकस्मिकताएं' का अर्थ वे सभी आनुषंगिक और अन्य व्यय हैं जो किसी कार्यालय के प्रबंधन के लिए किए जाते हैं, इनमे वे व्यय शामिल नहीं हैं जो व्यय के वर्गीकरण के निर्धारित नियमों के तहत, व्यय के किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत आते हैं जैसे कि 'निर्माण', 'स्टॉक', 'उपकरण और संयंत्र' आदि।

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर के अधीक्षक द्वारा अस्पताल परिसर में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए एसी विपत्रों पर ₹ 1.76 करोड़ आहरित किए गए थे। राशि कार्यपालक अभियंता (का.अ.), बीसीडी, जमशेदपुर को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से हस्तांतरित की गई थी। डीसी विपत्रों के स्थान पर, का.अ., बीसीडी, जमशेदपुर द्वारा सीधे प्र.म.ले. (ले. एवं हक.), झारखण्ड को ₹ 1.04 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे गए थे। चूंकि उपयोगिता प्रमाण पत्र डीसी विपत्रों के स्थान पर भेजे गए थे, इसलिए ₹ 1.04 करोड़ के एसी विपत्रों को प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) की लेखों में समायोजित नहीं किया गया था। इसके अलावा, ₹ 0.72 करोड़ की शेष एसी विपत्रों का विवरण लेखापरीक्षित इकाई द्वारा प्रदान नहीं किया गया था। विवरण **तालिका 3.8** में दिया गया है।

तालिका 3.8: एसी विपत्रों पर आहरित राशि का विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	एसी विपत्र सं.	एसी विपत्रों के माध्यम से निकाली गई राशि	उपयोग की गयी राशि	शेष
1	168/06-07	10.44	9.74	0.70
2	169/06-07	6.84	6.33	0.51
3	208/06-07	25.00	23.65	1.35
4	191/06-07	5.51	5.40	0.11
5	171/07-08	128.10	59.26	68.84
कुल		**175.89**	**104.38**	**71.51**

स्रोत: प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) कार्यालय और नमूना-जाँच की गई इकाई द्वारा प्रदान किए गए आँकड़े

(ii) सिविल सर्जन-सह-सीएमओ, खूँटी द्वारा आदिम जनजातियों के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल पैकेज के लिए आवंटन के पांच महीने बाद एसी विपत्र पर ₹ 9.84 लाख की राशि (01 मार्च 2025) निकाली गई और जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (डीआरएचएस), खूँटी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई। अप्रयुक्त राशि डीआरएचएस के बैंक खाते में ही पड़ी थी सितंबर 2025 तक एसी विपत्रों समायोजन हेतु लंबित थी।

(iii) सिविल सर्जन-सह-सीएमओ, जमशेदपुर द्वारा एसी विपत्र पर ₹ 17.17 लाख की राशि निकाली (08 नवंबर 2004) गई और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन और परिसर की चारदीवारी, कोकपारा के नवीनीकरण के लिए का.अ., बीसीडी, जमशेदपुर को हस्तांतरित की गई, जिसमें से डीसी विपत्र ₹ 16.72 लाख की राशि अठारह साल बाद (26 मई 2023) प्रस्तुत की गई थी। शेष राशि, ₹ 0.45 लाख, का.अ., बीसीडी, जमशेदपुर के पास अप्रयुक्त पड़ी है।

(iv) 2017-18 के दौरान एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर के प्राचार्य द्वारा एसी विपत्र पर ₹ 4.22 करोड़ की राशि आहरित (05 फरवरी 2018) की गई और ई-लाइब्रेरी और ई-क्लास रूम की स्थापना के लिए जैप-आईटी, राँची को हस्तांतरित की गई। ₹ 4.22 करोड़ में से ₹ 2.33 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया और 12 जुलाई 2019 से 29 अप्रैल 2025 के दौरान डीसी विपत्र (पांच भागों में) प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) को प्रस्तुत किए गए। हालांकि, सितंबर 2025 तक ₹ 1.89 करोड़ के डीसी विपत्र जमा करने के लिए लंबित थे।

(v) एसी विपत्र पर ₹ 12.66 लाख की राशि (16 अक्टूबर 2007) निकाली गई और कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, राँची को हस्तांतरित की गई, जिसमें से ₹ 11.24 लाख का उपयोग किया गया और 03.02.2023 को प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) को डीसी विपत्र प्रस्तुत किए गए। सितंबर 2025 तक ₹ 1.42 लाख के डीसी विपत्र जमा करने के लिए लंबित थे।

3.4.1.1 वित्तीय वर्ष के अंत में एसी विपत्रों की निकासी - ₹ 32.51 करोड़

विनियोजन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कोषागार से निकाली गयी धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए। इसके अलावा, जेटीसी के नियम 174 में यह निर्धारित किया गया है कि मांग की प्रत्याशा में या बजट अनुदान के व्यपतगत को रोकने के लिए कोषागार से कोई पैसा नहीं निकाला जाएगा।

प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) के कार्यालय के वाउचर लेवल कंप्यूटरीकरण (वीएलसी) आँकड़े के अनुसार, वित्तीय वर्ष के अंत में 2004-05 से 2024-25 की अवधि के दौरान 2210, 2211 और 4210 शीर्षों[2] के अंतर्गत एसी विपत्रों पर ₹ 32.51 करोड़ आहरित किए

[2] 2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 2211-परिवार कल्याण, 4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

गए। इस अवधि के दौरान कुल आहरण में से, ₹ 2.88 करोड़ के डीसी विपत्र सितंबर 2025 तक जमा करने के लिए लंबित थे, जैसा कि **परिशिष्ट 3.3** में विस्तृत है।

चयनित इकाइयों की नमूना-जाँच के दौरान, निम्नलिखित बाते देखी गयी:

(i) सिविल सर्जन-सह-सीएमओ, खूँटी को 'आदिम जनजाति के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल पैकेज' के तहत ₹ 9.84 लाख की राशि आवंटित (08.10.2024) की गई। सिविल सर्जन-सह-सीएमओ, खूँटी द्वारा धन के आवंटन के पांच महीने (01 मार्च 2025) के बाद एसी विपत्र पर राशि निकाली गई और जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसायटी (डीआरएचएस), खूँटी को हस्तांतरित कर दी गई। इस राशि का उपयोग नहीं किया गया और यह डीआरएचएस के बैंक खातों में पड़ी रही, जिसके परिणामस्वरूप सितम्बर 2025 तक प्रधान महालेखाकार की लेखों में एसी विपत्रों का समायोजन नहीं हो सका।

(ii) नमूना-जाँच के दौरान यह देखा गया कि मेडिकल कॉलेज को सुदृढीकरण करने और उन्नयन करने के लिए केंद्रीय अंश के रूप में एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर के प्राचार्य को ₹ तीन करोड़ (28 जुलाई 2017) आवंटित किए गए थे। यह राशि आहरित (31 मार्च 2018) की गई और डीडीओ के बचत बैंक खाते में रखी गई। इनमे से ₹ 1.34 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया और डीसी विपत्र (चार भागों में) प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) को प्रस्तुत (21 जून 2019 से 02 जनवरी 2025) किए गए। शेष ₹ 1.66 करोड़ की राशि अप्रयुक्त रही और डीडीओ के बैंक खाते में पड़ी रही।

3.4.1.2 डीसी विपत्र जमा करने में विलंब

(ए) प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) के अभिलेखों के अनुसार, अनुदान संख्या 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत मुख्य शीर्षों '2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य' और '4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय' के तहत नमूना-जाँच इकाइयों द्वारा एसी विपत्र पर ₹ 61.44 करोड़ आहरित किए गए थे। यह देखा गया कि उपयोग के बाद, डीडीओ द्वारा डीसी विपत्रों को प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) को दो महीने से लेकर 11 साल तक की देरी के साथ प्रस्तुत किया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट 3.4** में विस्तृत है।

(बी) नमूना-जाँच इकाइयों में, एसी विपत्रों पर ₹ 29.26 करोड़ (2008-09 से 2023-24 तक) निकाले गए, जिनमें से ₹ 20.02 करोड़ का उपयोग मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना और मॉडल स्वास्थ्य उप-केंद्र पर नहीं किया गया। एक से 12 वर्षों के अंतराल के बाद, ₹ 20.02 करोड़ को कोषागार में वापस कर दिया गया और समायोजन के लिए डीसी विपत्रों को प्र.म.ले. (ले. एवं हक.), झारखण्ड को प्रस्तुत किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट 3.5** में विस्तृत है।

3.4.2 अनुदान संख्या 51 में बकाया डीसी विपत्र

प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) के कार्यालय द्वारा प्रदान किए गए आँकड़े के अनुसार, अनुदान संख्या 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (एसटी, एससी एवं बीसी कल्याण प्रभाग) में 2000-01 से 2020-21 के दौरान ₹ 1,432.45 करोड़ के 3,615 एसी विपत्र तैयार किए गए थे। इसमें से, अगस्त 2025 तक ₹ 1,102.12 करोड़ के 1,597 डीसी विपत्र जमा किए गए थे और ₹ 330.35 करोड़ के 2,018 एसी विपत्र बकाया थे, जैसा कि **तालिका 3.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.9: आयु-वार समायोजन हेतु लंबित एसी विपत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	वर्ष	एसी विपत्र का विवरण		प्रस्तुत डीसी विपत्रों का विवरण		बकाया डीसी विपत्रों का विवरण	
			एसी विपत्रों की संख्या	एसी विपत्र राशि	डीसी विपत्रों की संख्या	डीसी विपत्र राशि	डीसी विपत्रों की संख्या	डीसी विपत्र राशि
1	2225	2020-21 तक	3,145	1,002.86	1,415	800.37	1,730	202.50
2	4225		408	429.44	135	301.74	273	127.71
3	2251		62	0.15	47	0.01	15	0.14
कुल			**3,615**	**1,432.45**	**1,597**	**1,102.12**	**2,018**	**330.35**

इसके अलावा, नमूना-जाँच इकाइयों में, यह देखा गया कि 2015-16 तक 203 एसी विपत्र की राशि ₹ 51.15 करोड़ आहरित की गयी थीं, जिनके विरुद्ध ₹ 26.59 करोड़ के डीसी विपत्र प्रस्तुत किए गए थे और अगस्त 2025 तक नौ से 20 वर्षों की अवधि के लिए ₹ 24.56 करोड़ के एसी विपत्र डीसी विपत्र जमा करने के लिए लंबित थी, जैसा कि **परिशिष्ट 3.6** में विस्तृत है।

डीसी विपत्र जमा करने में अत्यधिक देरी न केवल वित्तीय, प्रशासनिक और जवाबदेही मानदंडों का उल्लंघन करती है, बल्कि लोक धन के दुर्विनियोजन/ दुरुपयोग का जोखिम भी उत्पन्न करती है।

राज्य सरकार को निर्धारित समय सीमा के भीतर बकाया डीसी विपत्रों के निपटान के लिए कारवाई करनी चाहिए और समय पर डीसी विपत्र जमा करने में विफलता के लिए अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है।

3.5 व्यक्तिगत जमा खाते

संघ और राज्यों के मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची के अंतर्गत, व्यक्तिगत जमाएँ ब्याज न देने वाली जमाओं की प्रकृति के हैं, जो 8443-सिविल जमा-106-व्यक्तिगत जमा के तहत खोले गए हैं।

जेटीसी, 2016 के नियम 330 के अनुसार और व्यक्तिगत जमा (पीडी) खाता खोलने की शर्तों के अधीन, राज्य की समेकित निधि से पीडी खातों में स्थानांतरित किए गए धनराशि को निर्धारित अवधि के बाद संबंधित लेखा शीर्षों से वापस समेकित निधि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

वित्त विभाग ने सभी जिलों के कोषागार अधिकारियों को दिसंबर 2019 में जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारियों के नाम पर पीडी खाते खोलने का निर्देश दिया। तदनुसार, भूमि अधिग्रहण मुआवजे की धनराशि जमा करने के लिए 24 पीडी खाते खोले गए। ये सभी खाते 2024-25 में परिचालित थे और वर्ष के दौरान ₹ 3,209.70 करोड़ के आरंभिक शेष में ₹ 553.04 करोड़ की राशि जोड़ी गई। इन पीडी खातों में कुल जमा में से, वर्ष के दौरान ₹ 612.98 करोड़ संवितरित किए गए, जिससे मार्च 2025 के अंत में ₹ 3,149.76 करोड़ की राशि शेष बची। 31 मार्च 2025 तक के पीडी खातों का विवरण **तालिका 3.10** में दिया गया है।

तालिका 3.10: वर्ष 2024-25 के दौरान पीडी खातों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

आरंभिक शेष (01-04-2024 को)		वर्ष 2024-25 के दौरान वृद्धि		वर्ष 2024-25 के दौरान संवितरण		अंत शेष (31-03-2025 को)	
प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि
24	3,209.70	शून्य	553.04	शून्य	612.98	24	3,149.76

स्रोत: वित्त लेखे 2024-25 और प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) द्वारा अनुरक्षित आँकड़े

जेटीसी 2016 के नियम 343 के संदर्भ में, व्यक्तिगत जमा खाते के तीन प्रशासकों (24 में से) ने कोषागार के आँकड़े (कोषागार में) के साथ अपने शेष राशि का समाशोधन और सत्यापन किया था और उन्होंने 03 वार्षिक सत्यापन प्रमाण पत्र कोषागार अधिकारी को प्रस्तुत किए थे। प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) के कार्यालय को कोषागार अधिकारियों से ऐसे 03 प्रमाण पत्र प्राप्त हुए। व्यक्तिगत जमा खातों के इक्कीस (21) प्रशासकों ने कोषागार के आँकड़े के साथ अपने शेष राशि का समाशोधन और सत्यापन नहीं किया था।

3.6 लघु शीर्ष-800 का संचालन

अन्य प्राप्तियों और अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष-800 को केवल तभी संचालित किया जाना चाहिए जब लेखे में उचित लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष -800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह लेखों को अपारदर्शी बना देता है। सार्वभौमिक लघु शीर्ष 800 के तहत बड़ी राशि के वर्गीकरण से वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता प्रभावित होती है और आवंटन प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को विकृत करता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, दो मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 683.99 करोड़, जो कुल राजस्व और पूँजीगत व्यय (₹ 1,04,975.01 करोड़) का 0.65 प्रतिशत है, को लेखे में लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय के तहत वर्गीकृत किया गया था।

इसी प्रकार, 44 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 1,065.06 करोड़, जो कुल राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियों (₹ 1,03,845.92 करोड़) का 1.03 प्रतिशत है, को लेखे में 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

राज्य सरकार ने (25 नवंबर 2025) कहा कि लघु शीर्ष 800 के तहत राशि अपेक्षाकृत कम थी, लेकिन सहमति व्यक्त की कि इसके उपयोग को कम से कम किया जाएगा।

मापन से संबंधित मुद्दे

3.7 प्रमुख उचंत और ऋण, जमा, प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों के तहत बकाया शेष

वित्त लेखे उचंत और प्रेषण शीर्षों के तहत निवल शेष राशि को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के तहत बकाया शेष राशि विभिन्न शीर्षों के तहत बकाया डेबिट और क्रेडिट शेष को अलग-अलग जोड़ करके निकाली जाती है। पिछले तीन वर्षों के लिए इन शीर्षों के तहत महत्वपूर्ण शेष राशि **तालिका 3.11** में दिखाई गई है।

तालिका 3.11: उचंत और प्रेषण शीर्षों के तहत शेष

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष		2022-23		2023-24		2024-25	
1		डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
8658	**उचंत लेखा**						
101	वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचंत	137.14	139.16	160.69	195.25	226.39	253.30
	निवल डेबिट (डे.) / क्रेडिट (क्रे.)	**क्रे. 2.02**		**क्रे. 34.56**		**क्रे. 26.91**	
102	उचंत लेखा- (सिविल)	81.45	88.32	81.56	98.08	311.06	332.06
	निवल डेबिट (डे.) / क्रेडिट (क्रे.)	**क्रे. 6.87**		**क्रे. 16.52**		**क्रे. 21.00**	
109	रिज़र्व बैंक उचंत-(मुख्यालय)	-0.27	0.15	-0.53	-0.16	-1.85	1.26
	निवल डेबिट (डे.) / क्रेडिट (क्रे.)	**डे. (-) 0.42**		**डे. (-) 0.37**		**डे. (-) 3.11**	
110	रिज़र्व बैंक उचंत- (केंद्रीय लेखा कार्यालय)	5.43	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00

लेखा शीर्ष		2022-23		2023-24		2024-25	
	निवल डेबिट (डे.) / क्रेडिट (क्रे.)	**क्रे. 0.96**		**0.00**		**0.00**	
112	स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) उचंत	0	405.81	425.41	758.25	1,377.33	1,692.62
	निवल डेबिट (डे.) / क्रेडिट (क्रे.)	**क्रे. 405.81**		**क्रे. 332.84**		**क्रे. 315.29**	
123	एआईएस अधिकारी समूह बीमा योजना	1.83	0.04	1.90	0.05	2.07	0.06
	निवल डेबिट (डे.) / क्रेडिट (क्रे.)	**डे. 1.79**		**डे. 1.85**		**डे. 2.01**	
8782	**एक ही लेखा अधिकारी को लेखा प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के बीच नकद धन-प्रेषण और समायोजन**						
102	लोक निर्माण प्रेषण	8,446.72	8,519.07	11,927.47	11,996.20	13,503.36	13,634.58
	निवल डेबिट (डे.) / क्रेडिट (क्रे.)	**क्रे. 72.35**		**क्रे. 68.73**		**क्रे. 131.22**	
103	वन प्रेषण	988.53	1,003.53	1,225.23	1,209.85	1,239.68	1,335.51
	निवल डेबिट (डे.) / क्रेडिट (क्रे.)	**क्रे. 15.00**		**डे. 15.38**		**क्रे. 95.83**	
8793	**अंतर-राज्यीय उचंत खाता**	10.81	0	5.28	0.00	3.05	0.38
	निवल डेबिट (डे.) / क्रेडिट (क्रे.)	**डे. 10.81**		**डे. 5.28**		**डे. 2.67**	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

इन शीर्षों के तहत बकाया शेष राशि के गैर-समाशोधन से राज्य सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षों (जो वर्ष-दर-वर्ष आगे ले जाए जाते हैं) के अंतर्गत प्राप्ति/व्यय के आँकड़े और शेष राशि की सटीकता प्रभावित होती है।

इन शीर्षों के तहत शेष राशि के निहितार्थ नीचे दिए गए हैं:

- **भुगतान एवं लेखा कार्यालय (पीएओ) उचंत (शीर्ष 8658-101)**

पीएओ उचंत शीर्ष के तहत बकाया डेबिट शेष राशि केंद्रीय सरकारी विभागों के पीएओ की ओर से प्र.म.ले. (ले. एवं हक.), झारखण्ड द्वारा मंजूरी दी गई उन भुगतानों का प्रतिनिधित्व करती है, जिन्हें अभी तक वसूल नहीं किया गया है। बकाया क्रेडिट शेष राशि राज्य सरकार की ओर से पीएओ द्वारा किए गए उन भुगतानों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) को अभी समायोजित करना है। यह देखा गया कि निवल शेष राशि 2023-24 में ₹ 34.56 करोड़ के क्रेडिट शेष से घटकर 2024-25 में ₹ 26.91 करोड़ के क्रेडिट शेष पर आ गई। इस शीर्ष के तहत निवल क्रेडिट शेष राशि (₹ 26.91 करोड़) के निपटान पर, राज्य सरकार की नकद शेष राशि उस सीमा तक कम हो जाएगी।

- **उचंत लेखा (सिविल) (शीर्ष 8658-102)**

लघु शीर्ष 102-उचंत लेखा (सिविल) का उपयोग प्राप्ति (क्रेडिट) और व्यय (डेबिट) को दर्ज करने के लिए किया जाता है, जिसे प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) द्वारा सहायक दस्तावेजों की प्राप्ति पर निपटान करना होता है। इस उचंत शीर्ष के तहत निवल शेष राशि

2023-24 के दौरान ₹ 16.52 करोड़ के क्रेडिट से बढ़कर 2024-25 में ₹ 21.00 करोड़ क्रेडिट हो गई।

नकद प्रेषण की जाँच और एक ही लेखा अधिकारियों को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के बीच समायोजन से पता चला कि मार्च 2025 के अंत में ₹ 227.05 करोड़ की क्रेडिट शेष राशि पारगमन में थी।

3.8 नकद शेष का समाशोधन

प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.), झारखण्ड के लेखों के अनुसार, 31 मार्च 2025 को राज्य सरकार की नकद शेष ₹ 53.08 करोड़ (क्रेडिट) थी, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसे ₹ 8.63 करोड़ (डेबिट) बताया गया था। इस प्रकार, ₹ 44.45 करोड़ (क्रेडिट) का अंतर था, जो प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) झारखण्ड और आरबीआई के बीच समाशोधन के अधीन था।

राज्य में भुगतान के लिए स्टेट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (आईएफएमएस) के साथ ई-कुबेर प्रणाली (आरबीआई के) के एकीकरण के बाद, रिपोर्ट किए गए लेनदेन में अंतर बढ़ गया है क्योंकि राज्य आईएफएमएस रिपोर्ट लेनदेन की तिथि के आधार पर है जबकि ई-कुबेर प्रणाली लेनदेन को स्क्रॉल तिथि के आधार पर रिपोर्ट करती है।

लेन-देन प्रविष्टि करने की तिथि में अंतर के कारण, प्रधान महालेखाकार की लेखों में नकदी शेष और आरबीआई द्वारा रिपोर्ट की गई नकदी शेष में लगातार अंतर बढ़ रहा है। सरकारी खातों में नकदी शेष राशि के आँकड़े की सत्यता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए समय पर और समन्वित मिलान का प्रयास किया जाना चाहिए।

प्रकटीकरण से संबंधित मुद्दे

3.9 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की सलाह पर, संघ और राज्यों के लेखा का प्रारूप निर्धारित कर सकते हैं। सीएजी की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक चार भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों (आईजीएएस) को अधिसूचित किया है। राज्य सरकार द्वारा इन लेखांकन मानकों का अनुपालन तथा 2024-25 के दौरान उनमें पाई गई कमियों का विस्तृत विवरण **तालिका 3.12** में दिया गया हैं।

तालिका 3.12: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्र.सं.	लेखांकन मानक	आईजीएएस का सार	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी
1.	आईजीएएस-1:	सरकार द्वारा दी गई गारंटी - प्रकटीकरण आवश्यकताएं	अनुपालन (वित्त लेखे के विवरणी 9 और 20)	कोई कमी नहीं

क्र.सं.	लेखांकन मानक	आईजीएएस का सार	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी
2.	आईजीएएस-2:	सहायता-अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	आंशिक रूप से अनुपालन (वित्त लेखे का विवरणी 10)	सहायता-अनुदान की कुछ राशि को पूँजीगत अनुभाग के तहत दर्ज की गई।
3.	आईजीएएस-3:	सरकार द्वारा दी गई ऋण एवं अग्रिम	आंशिक रूप से अनुपालन (वित्त लेखे का विवरणी 7 और 18)।	बकाया ऋणों की यथार्थ राशि और ऋणों का भुगतान कब तक किया जाना है, इसका पता नहीं लगाया जा सका। अनिश्चितकालीन ऋण के रूप में स्वीकृत ऋणों और असाधारण लेनदेन के मामलों के बारे में स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया था।
4.	आईजीएएस-4:	पूर्व अवधि समायोजन	अनुपालन (वित्त लेखे के विवरणी 13 का अनुलग्नक)	कोई कमी नहीं

स्रोत: वित्त लेखे

3.10 स्वायत्त निकायों/ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की प्रस्तुति

3.10.1 स्वायत्त निकाय

31 मार्च 2025 तक, 34 प्रतिवेदित किए गए स्वायत्त निकायों (एबी) के संबंध में 364 लेखे लंबित थे, जैसा कि **तालिका 3.13** में विस्तृत है।

तालिका 3.13: 31 मार्च 2025 को स्वायत्त निकायों के लेखों का बकाया

क्र.सं.	निकायों / प्राधिकरण का नाम	से लेखे लंबित	लंबित लेखों की संख्या
1.	झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा)	2023-24	2
2.	झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी)	2012-13	13
3.	झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (एसएचएजे)	2021-22	4
4.	राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स)	2010-11	15
5.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय	2006-07	19
6.	झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड (जेएसएचबी)	स्थापना के बाद से	24
7.	क्षतिपूर्ति वनीकरण प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा)	2010-11	15
8.	झारखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (जेआरईडीए)	स्थापना के बाद से	23

क्र.सं.	निकायों / प्राधिकरण का नाम	से लेखे लंबित	लंबित लेखों की संख्या
9.	राँची तंत्रिका मनोरोग एवं संबद्ध आयुर्विज्ञान (रिनपास)	स्थापना के बाद से	एंट्रस्टमेंट और लेखे प्राप्त नहीं हुए
10.	बाबा बैद्यनाथ-बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बीबीबीएसएडीए)	स्थापना के बाद से	9
11.	जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (24 जिलों में से प्रत्येक में एक)	2015-16	240
कुल			**364**

स्रोत: विभागीय आँकड़े/सूचना

3.10.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)

कंपनी अधिनियम, 2013 में यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कंपनियों के वित्तीय विवरणों को संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर यानी अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर तक अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। समय पर लेखे जमा करने में विफलता, कंपनी के अधिकारियों को अधिनियम के तहत दंडात्मक प्रावधानों के लिए उत्तरदायी बनाती है।

30 सितंबर 2025 तक लेखों को अंतिम रूप देने में पीएसयू द्वारा की गई प्रगति का विवरण नीचे **तालिका 3.14** में दिया गया है।

तालिका 3.14: 30 सितंबर 2025 तक कार्यशील और निष्क्रिय पीएसयू के लेखों को अंतिम रूप देने से संबंधित स्थिति

क्र.सं	ब्योरा	कार्यरत	निष्क्रिय	कुल
1.	पीएसयू की संख्या	29	3	32
2.	पीएसयू की संख्या जिसके लेखे बकाया हैं	22	0	22
3.	बकाया लेखे की संख्या	119	0	119
4(ए)	पांच वर्ष से अधिक के बकाए वाले पीएसयू की संख्या	7	0	7
4(बी)	उपरोक्त पीएसयू में बकाया लेखों की संख्या	60	0	60
5(ए)	तीन से पांच वर्ष के बीच बकाया वाले पीएसयू की संख्या	9	0	9
5(बी)	उपरोक्त पीएसयू में बकाया लेखों की संख्या	41	0	41
6(ए)	एक से दो वर्ष के बीच बकाया वाले पीएसयू की संख्या	13	0	13
6(बी)	उपरोक्त पीएसयू में बकाया लेखों की संख्या	18	0	18
7	बकाये की सीमा (वर्षों में)	1 से 15	0	1 से 15

स्रोत: कंपनियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी से संकलित आँकड़े

सक्रिय प्रयास के बावजूद, चूक करने वाले राज्य स्वायत निकायों और लोक क्षेत्र के उपक्रमों ने लेखों को पूर्ण नहीं किया और लेखापरीक्षित लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत नहीं किया। पीएसयू द्वारा लेखों को अंतिम रूप नहीं देने से

गंभीर कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक परिणाम होते है। यह मुख्य रूप से लोक धन नियंत्रण की कमी को दर्शाता है, जिससे धोखाधड़ी, दुर्विनियोजन और वित्तीय कुप्रबंधन का खतरा होता है।

अन्य मामले

3.11 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि

झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम 31 में यह प्रावधान है कि लोक धन, सरकारी राजस्व, भंडार या अन्य संपत्ति का गबन या अन्य किसी कारण से नुकसान होने पर कार्यालय द्वारा उच्च अधिकारी, वित्त विभाग के साथ-साथ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड को तत्काल रिपोर्ट की जानी चाहिए, भले ही उस नुकसान के लिए जिम्मेदार पक्ष द्वारा उसकी भरपाई कर दी गई हो। जैसे ही संदेह हो कि नुकसान हुआ है ऐसी रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत की जानी चाहिए और जाँच होने के क्रम में देरी नहीं की जानी चाहिए। हालांकि, दिसम्बर 2025 तक राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड को ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है।

3.12 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

प्रत्येक राज्य में, लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.)/ वित्त विभाग को विधानमंडल में प्रतिवेदन के उपस्थापन के एक महीने के भीतर संबंधित विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तुत कंडिका पर एक स्वप्रेरित व्याख्यात्मक टिप्पणी (ई.एन.) प्रदान करने की आवश्यकता होती है। प्रतिवेदन को पेश किए जाने के तीन महीने के भीतर संबंधित विभागों द्वारा महालेखाकार को (पी.ए.सी. को विवीक्षा एवं अग्रतर संचरण हेतु) कृत-कार्रवाई नोट (ए.टी.एन.) उपलब्ध कराने की भी आवश्यकता होती है।

पीएसी की सिफारिशों पर राज्य विधानमंडल द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए राज्य वित्त पर सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किए गए ₹ 8,120.12 करोड़ (पिछले वर्षों से संबंधित) की राशि के प्रावधानों पर अतिरिक्त व्यय को नियमित (13 जनवरी 2014) किया गया था। इसके बाद, प्रावधानों पर अतिरिक्त व्यय को नियमित नहीं किया गया है क्योंकि पीएसी द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई है।

3.13 निष्कर्ष

मार्च 2025 तक, श्रम उपकर संग्रह की कुल राशि ₹ 945.67 करोड़ में से, पिछले तीन वर्षों में राज्य द्वारा केवल ₹ 473.74 करोड़ हस्तांतरित किए गए, जिससे बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड को हस्तांतरण के लिए ₹ 471.93 करोड़ की बकाया राशि शेष रह गई। उपकर के हस्तांतरण न होने के परिणामस्वरूप राज्य की देनदारियां बढ़ गईं और बीओसीडब्ल्यू कल्याणकारी योजनाओं के लिए निधि से वंचित रह गई।

31 मार्च 2025 तक, ₹ 1,60,565.80 करोड़ की राशि के 52,855 उपयोगिता प्रमाण पत्र और ₹ 4,531.00 करोड़ की राशि के 17,877 एसी विपत्रों के विरुद्ध डीसी विपत्र

प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) को प्रस्तुत करने के लिए बकाया थे। लंबे समय तक भारी मात्रा में उ.प्र.प लंबित रहने और डीसी विपत्रों के प्रस्तुत न होने से लोक निधि के दुरुपयोग का खतरा होता है।

जेटीसी 2016 के नियम 343 का पालन व्यक्तिगत जमा खाते के प्रशासकों द्वारा नहीं किया गया था। 24 प्रशासकों में से केवल तीन (03) ने ही कोषागार के आँकड़े (कोषागार में) के साथ अपने शेष राशि का मिलान और सत्यापन किया था और 03 वार्षिक सत्यापन प्रमाण पत्र उनके द्वारा कोषागार अधिकारी को प्रस्तुत किए गए थे, जिन्हें प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) कार्यालय को भेजा गया था। कोषागार के आँकड़े के साथ शेष राशि का समाशोधन न करना पारदर्शिता के मानदंडों के विरुद्ध है और इस तरह के कोष की निगरानी में बाधा डालता है।

झारखण्ड सरकार ने नवंबर 2025 तक लघु खनिजों से संबंधित अन्वेषण गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए लोक लेखे/ बैंक खाते के तहत एसएमईटी की स्थापना नहीं की थी।

3.14 अच्छी प्रथाएं

- श्रम उपकर के हस्तांतरण नहीं करने को लगातार प्रतिवेदित करने के कारण, राज्य ने पिछले तीन वर्षों से एकत्र किए गए उपकर को झारखण्ड भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित करना शुरू कर दिया है।

- प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) के लेखों के साथ राज्य की प्राप्तियों और संवितरणों के गैर-समाशोधन की नियमित प्रतिवेदन के पश्चात, यह परिवर्तन देखा गया कि पिछले तीन वर्षों में विभागीय अधिकारियों द्वारा प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) के लेखों के साथ राज्य की कुल प्राप्तियों और कुल व्यय का 100 प्रतिशत मिलान किया गया है।

3.15 अनुशंसाएँ

- *लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की समय पर प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। अनुदान जारी करने वाले प्रशासनिक विभागों को अनुदान आदेशों में निर्धारित समय से परे लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के संग्रह के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने में चूक करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार उचित कार्रवाई शुरू कर सकती है।*

- *वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए कि सभी नियंत्रक अधिकारी निर्धारित अवधि से परे लंबित सभी एसी विपत्रों को समयबद्ध तरीके से समायोजित करें।*
- *वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए कि सभी व्यक्तिगत जमा (पीडी) खातों के प्रशासक कोषागारों के साथ शेष राशि का मिलान करें और इसकी सूचना प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को दें।*

राँची — **(इंदु अग्रवाल)**

दिनांक: 24 मार्च 2026 — **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली — **(के. संजय मूर्ति)**

दिनांक: 06 अप्रैल 2026 — **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट - 1.1

(कंडिका 1.1.3 देखें)

राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े

(₹ करोड़ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
भाग क. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	**56,150**	**69,722**	**80,245**	**87,929**	**94,489**
(i) कर राजस्व	16,880	21,290	25,118	28,005	28,501
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	7,931	9,557	11,375	12,348	13,980
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	4,301	5,213	6,271	6,949	6,686
राज्य उत्पाद	1,821	1,807	2,057	2,376	2,708
वाहनों पर कर	976	1,263	1,574	1,756	1,912
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	708	987	1,108	1,468	1,258
भू-राजस्व	873	1,621	1,557	1,666	543
विद्युत पर कर और शुल्क	195	792	1,132	1,395	1,367
अन्य कर	75	49	44	46	48
(ii) गैर-कर राजस्व	7,564	10,031	12,830	13,425	14,231
(iii) संघीय करों और शुल्कों में राज्यांश	19,712	27,735	31,404	37,352	42,557
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	11,993	10,667	10,894	9,146	9,199
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	**49**	**1,292**	**46**	**7,277**	**197**
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	**56,199**	**71,014**	**80,292**	**95,205**	**94,685**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**13,547**	**9,840**	**9,142**	**8,247**	**9,161**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	10,958	6,594	5,515	3,120	5,790
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	0	0	0	0	441
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	2,588	3,246	3,627	5,127	2,930
6. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	**69,745**	**80,853**	**89,434**	**1,03,452**	**1,03,846**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**28,511**	**24,644**	**33,446**	**51,123**	**49,335**
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	**98,256**	**1,05,497**	**1,22,880**	**1,54,576**	**1,53,181**
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	**59,264**	**62,778**	**66,682**	**76,676**	**86,565**
योजनाएँ	28,370	32,160	32,353	40,140	48,422
प्रशासनिक	30,894	30,618	34,329	36,536	38,143
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	19,903	21,555	23,261	25,590	26,979
सामाजिक सेवाएँ	23,347	24,639	27,640	28,709	36,975
आर्थिक सेवाएँ	16,014	16,583	15,781	22,377	22,611
सहायता अनुदान और अंशदान	0	0	0	0	0
11. पूँजीगत व्यय	**8,466**	**9,377**	**14,016**	**20,570**	**18,410**
योजनाएँ	8,401	9,377	14,016	20,282	18,457
प्रशासनिक	65	0	0	287	-47

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएँ	771	734	873	969	771
सामाजिक सेवाएँ	1,492	1,595	5,221	6,614	4,529
आर्थिक सेवाएँ	6,203	7,047	7,922	12,987	13,110
12. ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	**3,380**	**1,463**	**4,211**	**4,291**	**4,237**
13. कुल व्यय (10+11+12)	**71,109**	**73,618**	**84,908**	**1,01,537**	**1,09,212**
14. लोक ऋण पुनर्भुगतान	**2,745**	**4,247**	**6,729**	**6,384**	**7,679**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	2,547	4,013	6,473	6,042	7,294
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	0	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	198	234	256	342	385
15. आकस्मिकता निधि से विनियोजन	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. संचित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	**73,854**	**77,865**	**91,638**	**1,07,921**	**1,16,891**
17. आकस्मिक निधि संवितरण	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. लोक लेखा संवितरण	**24,146**	**25,780**	**6,729**	**42,602**	**43,729**
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**98,000**	**1,03,645**	**98,367**	**1,50,523**	**1,60,621**
भाग ग. घाटे					
20. राजस्व घाटा (-)/ राजस्व आधिक्य (+) (1-10)	**-3,114**	**6,944**	**13,564**	**11,252**	**7,924**
21. राजकोषीय घाटा (-)/ राजकोषीय आधिक्य (+) (4-13)	**-14,911**	**-2,604**	**-4,617**	**-6,332**	**-14,527**
22. प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+) (21+23)	**-9,120**	**3,682**	**1,622**	**507**	**-8,664**
भाग घ. अन्य आँकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सन्निहित)	**5,790**	**6,286**	**6,238**	**6,839**	**5,863**
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	**20,078**	**19,630**	**22,194**	**30,038**	**25,211**
25. अर्थोपाय अग्रिम/ उपभोग किए गए ओवरड्राफ्ट (दिन)	**0**	**16**	**0**	**0**	**3**
उपभोग किए गए अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	0	16	0	0	3
उपभोग किए गए ओवरड्राफ्ट (दिन)	0	0	0	0	0
26. अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	**0**	**46**	**0**	**0**	**0**
27. वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	**2,96,664**	**3,76,127**	**4,14,308**	**4,65,638**	**5,16,255**
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अंत में)	**1,09,185**	**1,13,483**	**1,18,448**	**1,24,490**	**1,30,799**
29. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	**607**	**607**	**4,998**	**4,998**	**2,823**
30. अधिकतम प्रत्याभूत राशि (वर्ष के अंत में)	**607**	**607**	**4,998**	**4,998**	**2,823**
भाग ड़. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (प्रतिशत में)					
I संसाधन संग्रहण					
स्व-कर राजस्व/वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी	5.69	5.66	6.06	6.01	5.52
गैर-कर राजस्व/वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी	2.55	2.67	3.10	2.88	2.76
स्व-राजस्व/वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी	8.24	8.33	9.16	8.90	8.28
स्व-राजस्व/कुल व्यय	34.38	42.54	44.69	40.80	39.13
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी	23.97	19.57	20.49	21.81	21.15

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	126.64	105.59	105.81	115.48	115.58
राजस्व व्यय/कुल व्यय	83.34	85.28	78.53	75.52	79.26
सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर व्यय (ऋण व अग्रिम सहित)/कुल व्यय	66.17	67.74	66.62	69.62	70.71
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	11.91	12.74	16.51	20.26	16.86
पूँजीगत व्यय/जीएसडीपी	2.85	2.49	3.38	4.42	3.57
III वित्तीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी	-1.05	1.85	3.27	2.42	1.53
राजकोषीय घाटा/वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी	-5.03	-0.69	-1.11	-1.36	-2.81
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी	-3.07	0.98	0.39	0.11	-1.68
IV ऋण स्थिरता					
बकाया देनदारियाँ/वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी	36.80	30.17	28.59	26.74	25.34
ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियाँ	10.31	9.02	7.77	7.78	6.20

परिशिष्ट - 1.2

(कंडिका 1.1.4 देखें)

2015-16 से 2024-25 के दौरान प्रमुख राजकोषीय और आर्थिक मापदंडों के दस साल के रुझान

क्र. सं.	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
											(₹ करोड़ में)
1	**राजस्व प्राप्तियाँ (1क से 1घ)**	**40,638**	**47,053**	**52,756**	**56,152**	**58,417**	**56,150**	**69,722**	**80,245**	**87,929**	**94,489**
1क	स्व-कर राजस्व	11,478	13,299	12,353	14,752	16,771	16,880	21,290	25,118	28,005	28,501
1ख	गैर कर राजस्व	5,853	5,351	7,847	8,258	8,750	7,564	10,030	12,830	13,425	14,231
1ग	संघ के करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी	15,969	19,142	21,144	23,906	20,593	19,712	27,735	31,404	37,352	42,557
1घ	भारत सरकार से सहायता अनुदान	7,338	9,261	11,412	9,236	12,303	11,994	10,667	10,894	9,146	9,199
2.	**राजस्व व्यय**	**36,553**	**45,089**	**50,952**	**50,631**	**56,457**	**59,264**	**62,778**	**66,682**	**76,676**	**86,565**
2क	ब्याज भुगतान	3,320	4,172	4,662	4,852	5,308	5,790	6,286	6,238	6,839	5,863
2ख	सब्सिडी	522	1,859	1,440	2,092	4,275	3,208	5,653	4,087	4,831	7,889
3	**राजस्व घाटा (-)/ राजस्व अधिशेष (+) (1-2)**	**4,085**	**1,964**	**1,804**	**5,521**	**1,960**	**-3,114**	**6,944**	**13,564**	**11,252**	**7,924**
4	**पूँजीगत प्राप्तियाँ (4क से 4ग तक)**	**13,276**	**7,119**	**8,204**	**7,850**	**9,642**	**13,595**	**11,132**	**9,188**	**15,524**	**9,357**
4क	ऋण और अग्रिमों की वसूली	31	38	42	47	49	49	1,292	46	7,277	197
4ख	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
4ग	ऋण प्राप्तियाँ (उधार)	13,245	7,081	8,137	7,803	9,593	13,546	9,840	9,142	8,247	9,161
5	**समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (1+4)**	**53,914**	**54,172**	**60,960**	**64,002**	**68,059**	**69,745**	**80,854**	**89,433**	**1,03,452**	**1,03,846**
6	**पूँजीगत व्यय**	**8,159**	**10,861**	**11,953**	**10,712**	**9,879**	**8,465**	**9,377**	**14,016**	**20,570**	**18,410**
7	**ऋण और अग्रिम का संवितरण**	**7,480**	**1,335**	**1,852**	**1,486**	**165**	**3,380**	**1,463**	**4,211**	**4,291**	**4,237**
8	**कुल व्यय (2+6+7)**	**52,192**	**57,285**	**64,756**	**62,828**	**66,501**	**71,109**	**73,618**	**84,909**	**1,01,537**	**1,09,212**
9	**राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+) (1+4क+4ख-8)**	**-11,523**	**-10,194**	**-11,933**	**-6,629**	**-8,035**	**-14,910**	**-2,604**	**-4,617**	**-6,332**	**-14,527**
10	**प्राथमिक घाटा (-) / अधिशेष (+) (9-2क)**	**-8,203**	**-6,022**	**-7,272**	**-1,777**	**-2,727**	**-9,120**	**3,682**	**1,621**	**507**	**-8,664**
11	**बकाया देनदारियाँ/ ऋण***	**56,530**	**66,827**	**77,095**	**83,783**	**94,407**	**1,07,496**	**1,09,309**	**1,14,275**	**1,23,435**	**1,29,744**
12	**वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी (2011-12 श्रृंखला)**	**2,06,613**	**2,36,250**	**2,69,816**	**3,05,695**	**3,10,305**	**2,96,664**	**3,76,127**	**4,14,308**	**4,65,638**	**5,16,255**

***बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर**

परिशिष्ट - 1.3

(कंडिका 1.1.5 देखें)

वर्ष 2024-25 के लिए प्राप्तियों और संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

2023-24	प्राप्तियाँ	2024-25	2023-24	संवितरण	2024-25		
					प्रशासनिक	योजना	कुल
खंड अ: राजस्व							
87,928.50	**I. राजस्व प्राप्तियाँ**	94,488.61	**76,676.42**	**I. राजस्व व्यय**	**38,143.30**	**48,421.74**	**86,565.04**
28,004.77	कर राजस्व	28,501.30	**25,590.34**	**सामान्य सेवाएं**	**26,332.91**	**645.84**	**26,978.75**
			28,708.70	**सामाजिक सेवाएं**	**8,729.42**	**28,245.63**	**36,975.05**
13,425.12	गैर-कर राजस्व	14,231.39	11,826.63	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	7,397.52	5,377.60	12,775.12
			4,875.47	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	501.80	3,220.79	3,722.59
37,352.35	संघीय करों में राज्य का हिस्सा	42,557.30	1,582.42	जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	389.88	582.79	972.67
2,378.28	वित्त आयोग अनुदान	2,144.92	347.19	सूचना एवं प्रसारण	141.67	278.92	420.59
501.27	राज्य को अन्य अनुदान	339.65	2,032.40	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	140.64	2,066.74	2,207.38
6,266.71	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	6,714.05	826.67	श्रम और श्रम कल्याण	63.82	843.45	907.27
			7,179.76	सामाजिक कल्याण और पोषण	52.27	15,875.34	15,927.61
			38.16	अन्य	41.82	0.00	41.82
			22,377.38	**आर्थिक सेवाएं**	**3,080.97**	**19,530.27**	**22,611.24**
			2,839.44	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	561.84	2,534.24	3,096.08
			6,721.62	ग्रामीण विकास	641.49	8,032.53	8,674.02
			0.00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
			396.90	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	417.54	0.00	417.54
			9,549.29	ऊर्जा	658.21	7,249.55	7,907.76
			329.34	उद्योग और खनिज	27.66	376.43	404.09
			597.79	परिवहन	571.53	35.47	607.00
			0.00	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	0.00	0.00	0.00
			1,943.00	सामान्य आर्थिक सेवाएं	202.70	1,302.05	1,504.75
			0.00	**सहायता-अनुदान और योगदान**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	II राजस्व घाटा खंड ब में ले जाया गया		**11,252.08**	**II राजस्व अधिशेष खंड ब में ले जाया गया**			**7,923.57**

2023-24	प्राप्तियाँ	2024-25	2023-24	संवितरण	2024-25		
					प्रशासनिक	योजना	कुल
खंड ब: पूँजीगत							
6,682.68	**III स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित आरंभिक रोकड़ शेष**	**10,735.61**	**0.00**	**III भारतीय रिजर्व बैंक से आरंभिक ओवरड्राफ्ट**			
0.00	**IV विविध पूंजी प्राप्तियाँ**	**0.00**	**20,569.69**	**IV पूँजीगत व्यय**	**-47.01**	**18,456.99**	**18,409.98**
			968.79	**सामान्य सेवाएं**	**-6.87**	**777.50**	**770.63**
			6,614.16	**सामाजिक सेवाएं**	**0.00**	**4,528.95**	**4,528.95**
			747.28	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	0.00	601.41	601.41
			650.47	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.00	439.71	439.71
			4,196.17	जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	0.00	2,647.93	2,647.93
			5.67	सूचना एवं प्रसारण	0.00	17.15	17.15
			877.72	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0.00	628.14	628.14
			131.43	सामाजिक कल्याण और पोषण	0.00	109.88	109.88
			5.42	अन्य	0.00	84.73	84.73
			12,986.74	**आर्थिक सेवाएं**	**-40.14**	**13,150.54**	**13,110.40**
			907.33	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	-0.11	608.20	608.09
			3,514.09	ग्रामीण विकास	0.00	5,418.63	5,418.63
			0.00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
			1,506.66	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	0.00	1,758.86	1,758.86
			1,605.78	शक्ति	0.00	50.00	50.00
			163.42	उद्योग और खनिज	0.00	4.39	4.39
			5,259.56	परिवहन	-40.64	5,251.94	5,211.30
			29.90	सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.61	58.52	59.13
7,276.70	**V ऋणों और अग्रिमों की वसूली**	**196.69**	**4,290.85**	**V ऋण और अग्रिम संवितरित किए गए**	**193.68**	**4,043.41**	**4,237.09**
7,230.80	पावर प्रोजेक्ट्स से	151.92	4,227.75	विद्युत परियोजनाओं के लिए	0.00	4,043.41	4,043.41
44.87	सरकारी कर्मचारियों से	44.67	32.56	सरकारी कर्मचारियों को	174.21	0.00	174.21
1.03	अन्य से	0.10	30.54	अन्य को	19.47	0.00	19.47

2023-24	प्राप्तियाँ	2024-25	2023-24	संवितरण	2024-25		
					प्रशासनिक	योजना	कुल
11,252.08	**VI नीचे लाया गया राजस्व अधिशेष**	**7,923.57**		**VI नीचे लाया गया राजस्व घाटा**			
8,247.13	**VII सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ**	**9,160.62**	**6,384.02**	**VII सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान**			**7,679.63**
0.00	बाहरी ऋण	0.00	0.00	बाहरी ऋण			0.00
3,120.45	अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अलावा आंतरिक ऋण	5,789.78	6,042.06	अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अलावा आंतरिक ऋण			7,294.21
0.00	अर्थोपाय अग्रिम के तहत लेनदेन	440.93	0.00	अर्थोपाय अग्रिम के तहत लेनदेन			0.00
0.00	ओवरड्राफ्ट के तहत शुद्ध लेनदेन।	0.00	0.00	ओवरड्राफ्ट के तहत शुद्ध लेनदेन			0.00
5,126.68	केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम	2,929.91	341.96	केन्द्रीय सरकार को ऋण और अग्रिमों का पुनर्भुगतान			385.42
0.00	**VIII आकस्मिक निधि से विनियोजन**	**0.00**	**0.00**	**VIII आकस्मिक निधि से विनियोजन**			**0.00**
0.00	**IX आकस्मिक निधि में स्थानांतरित राशि**	**0.00**	**0.00**	**IX आकस्मिक निधि से व्यय**			**0.00**
51,123.39	**X लोक लेखा प्राप्तियाँ**	49,335.20	**42,601.81**	**X लोक लेखा संवितरण**			**43,729.32**
1,988.30	लघु बचत और भविष्य निधि	2,118.95	1,447.85	लघु बचत और भविष्य निधि			1,438.18
3,113.86	रक्षित निधि	3,062.11	249.99	रक्षित निधि			327.74
1,267.08	कर्णांकित निधि में निवेश	1,324.41					
635.81	उचंत और विविध	1,895.39	667.66	उचंत और विविध			1,913.50
13,118.70	प्रेषण	14,901.73	13,147.16	प्रेषण			14,725.44
30,999.64	जमा और अग्रिम	26,032.61	27,089.15	जमा और अग्रिम			25,324.46
0.00	अंतरराज्यीय भुगतान	0.00	0.00	अंतरराज्यीय भुगतान			0.00
0.00	**XI भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का अंतशेष**	**0.00**	**10,735.61**	**XI वर्ष के अंत में रोकड़ शेष**			**3,295.67**
			0.00	कोषागार में नकद और स्थानीय प्रेषण			0.00
			-86.66	रिज़र्व बैंक में जमा			-53.08
			37.06	स्थायी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष			53.47
			2,670.95	कर्णांकित निधि का निवेश			3,295.28
			8,114.26	रोकड़ शेष का निवेश			0.00
1,72,510.48	**कुल**	**1,71,840.30**	**1,72,510.48**	**कुल**			**1,71,840.30**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, झारखण्ड सरकार

परिशिष्ट - 1.4

(कंडिका 1.1.6 देखें)

31 मार्च 2025 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2024 को	देयताएं		31 मार्च 2025 को
70,658.82	**आंतरिक ऋण**		**69,595.32**
53,862.67	ब्याज सहित बाजार ऋण	52,412.65	
0.02	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.02	
5.59	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	5.59	
3,892.05	मुआवजा और अन्य बांड	3,336.71	
8,420.06	अन्य संस्थानों से ऋण	9,690.48	
0.00	अर्थोपाय अग्रिम	440.93	
4,478.43	केंद्र सरकार के एनएसएस निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	3,708.94	
0.00	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	0.00	
16,148.68	**केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम -**		**15,574.66**
0.00	1984-85 से पहले के ऋण	0.00	
7.09	गैर-योजना ऋण	5.41	
1,178.95	राज्य योजनाओं के लिए ऋण	1,041.73	
14,962.64	राज्य के लिए अन्य ऋण	14,527.52	
500.00	**आकस्मिकता निधि**		**500.00**
1,557.43	**लघु बचत, भविष्य निधि आदि**		**2,238.21**
30,847.92	**जमा**		**31,560.28**
10,666.62	**रक्षित निधि**		**14,725.39**
48.08	**प्रेषण शेष**		**224.38**
380.83	**उचंत और विविध शेष**		**362.72**
45,434.45	**व्यय पर प्राप्तियों की संचयी अधिकता**		**56,476.53**
1,76,242.83	**कुल**		**1,91,257.49**
	संपतियां		
1,39,979.87	**स्थायी परिसंपत्तियों पर सकल पूंजी परिव्यय -**		**1,58,389.84**
4,023.12	कंपनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश।	4,191.85	
1,35,956.75	अन्य पूँजीगत व्यय	1,54,197.99	
0.00	**अंतरराज्यीय भुगतान**		**0.00**
25,527.35	**ऋण और अग्रिम**		**29,567.76**
24,515.50	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	28,407.00	
1,059.99	अन्य विकास ऋण	1,079.35	
-48.14	सरकारी कर्मचारियों को ऋण और विविध ऋण	81.41	
0.00	**अग्रिम**		**4.22**
0.00	**उचंत और विविध शेष राशि**		**0.00**
10,735.61	**नकद**		**3,295.67**
0.00	कोषागार और स्थानीय प्रेषण में नकद	0.00	
-86.66	रिज़र्व बैंक के पास जमा	-53.08	
2,670.95	रक्षित निधि निवेश	3,295.28	
37.06	स्थायी अग्रिम सहित विभागीय नकद शेष	53.47	

31 मार्च 2024 को	देयताएं		31 मार्च 2025 को
8,114.26	नकद शेष निवेश	0.00	
0.00	**प्रेषण शेष**		**0.00**
0.00	**सरकारी लेखे में घाटा**		**0.00**
	(I) चालू वर्ष का राजस्व घाटा/ अधिशेष		
	(ii) विविध घाटा		
	वर्ष के आरंभ में संचित घाटा/ अधिशेष		
1,76,242.83	**कुल**		**1,91,257.49**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित लेखे, झारखण्ड सरकार

परिशिष्ट - 2.1

(कंडिका 2.5.3 देखें)

ऐसे मामले जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या और नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचत
	अ-राजस्व (दत्तमत)				
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2,396.15	79.30	1,385.97	1,010.18
2	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	499.62	14.82	335.53	164.09
3	8- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	85.71	20.21	67.87	17.84
4	12- वित्त विभाग	39.83	7.05	34.74	5.09
5	13- ब्याज भुगतान	7,054.57	116.35	5,863.09	1,191.48
6	17- वाणिज्यकर विभाग	134.61	4.61	75.59	59.02
7	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	2,800.25	1.11	1,302.88	1,497.68
8	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	1,351.39	153.08	923.63	427.76
9	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	6,303.12	439.52	4,797.77	1,505.35
10	21- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	1,929.67	2.36	1,602.53	327.14
11	23- उद्योग विभाग	481.11	39.58	435.70	45.41
12	26- श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग	945.27	98.27	923.93	27.34
13	27- विधि विभाग	729.46	28.25	593.84	135.62
14	28- झारखण्ड उच्च न्यायालय	180.00	46.33	175.22	4.82
15	30- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	6.65	1.30	4.83	1.82
16	32- विधान सभा	144.69	5.04	131.63	13.06
17	33- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)	50.24	0.75	37.32	12.92
18	35- योजना एवं विकास विभाग	415.24	1.32	342.03	73.21
19	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	495.17	14.82	185.62	309.55
20	38- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)	29.21	0.52	19.48	9.73
21	39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	1,630.99	989.23	1,522.88	108.11
22	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	746.78	40.42	667.00	76.78
23	41- पथ निर्माण विभाग	598.28	85.23	572.44	25.84
24	42- ग्रामीण विकास विभाग	11,148.07	309.02	7,422.23	3,725.84
25	43- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (तकनीकी शिक्षा प्रभाग)	232.10	60.88	153.00	79.10
26	45- सूचना प्रावैधिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	284.36	2.93	20.57	263.79
27	46- पर्यटन, कला संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)	80.23	1.18	54.71	25.52
28	47- परिवहन विभाग	169.46	30.00	31.98	137.48
29	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2,398.49	277.03	807.75	1,590.74
30	49- जल संसाधन विभाग	401.05	42.42	386.14	14.91
31	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	2,648.11	549.92	2,224.39	423.72

क्र. सं.	अनुदान की संख्या और नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचत
32	52- पर्यटन, कला संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य प्रभाग)	125.43	19.54	97.13	28.30
33	54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	406.90	21.77	190.49	216.41
34	55- ग्रामीण कार्य विभाग	250.63	5.55	191.53	59.10
35	56- पंचायती राज विभाग	2,060.08	806.92	1,175.83	884.25
36	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	8,656.49	638.23	8,332.23	324.26
कुल		**57,909.45**	**4,954.86**	**43,089.50**	**14,817.26**
ब-पूँजीगत (दत्तमत)					
37	3- भवन निर्माण विभाग	735.67	50.00	574.89	160.78
38	9- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	430.11	0.50	420.00	10.07
39	14- ऋण की वापसी/अदायगी	8,500.32	17.00	7,679.63	820.69
40	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	919.88	69.31	439.71	480.17
41	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	667.70	52.82	434.04	233.66
42	30- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	345.17	30.00	276.26	68.91
43	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	4,191.50	34.40	1,591.26	2,600.24
44	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	31.00	0.61	1.05	29.95
45	41- पथ निर्माण विभाग	5,800.00	170.00	5,215.97	584.03
46	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	43.20	27.50	23.17	20.03
कुल		**21,664.55**	**452.14**	**16,656.02**	**5,008.53**
सकल योग		**79,574.31**	**5,407.00**	**59,745.52**	**19,828.79**

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2024-25 के विनियोग लेखे

परिशिष्ट - 2.2

(कंडिका 2.5.3 देखें)

ऐसे मामले जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या उससे अधिक) अत्यधिक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल बजट	वास्तविक व्यय	अधिक पूरक प्रावधान (बचत)
अ-राजस्व (दत्तमत)						
1	4- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	73.87	74.10	147.97	121.99	25.98
2	6-मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग	754.62	318.04	1,072.66	1,009.64	63.02
3	9- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	255.66	412.12	667.78	626.10	41.68
4	10- ऊर्जा विभाग	4,820.88	3,810.09	8,630.97	8,114.88	516.09
5	11- उत्पाद शुल्क एवं निषेध विभाग	39.37	9.58	48.95	43.06	5.89
6	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	7,228.51	969.56	8,198.07	7,479.36	718.71
7	24- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	336.70	106.60	443.30	419.77	23.53
8	34- झारखण्ड लोक सेवा आयोग	35.52	35.60	71.12	52.62	18.50
9	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2,493.09	1,075.25	3,568.34	3,242.82	325.52
10	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	7,826.00	7,771.25	15,597.25	14,512.54	1,084.71
	कुल	**23,864.22**	**14,582.19**	**38,446.41**	**35,622.78**	**2,823.63**
ब-पूँजीगत (दत्तमत)						
11	8- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	27.22	30.00	57.22	37.28	19.94
12	12- वित्त विभाग	90.00	158.11	248.11	194.14	53.97
13	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	20.00	13.69	33.69	31.50	2.19
14	42- ग्रामीण विकास विभाग	168.00	126.20	294.20	250.50	43.70
15	49- जल संसाधन विभाग	1,454.55	345.00	1,799.55	1,528.08	271.47
16	55- ग्रामीण कार्य विभाग	4,863.40	867.77	5,731.17	5,168.14	563.03
	कुल	**6,623.17**	**1,540.77**	**8,163.94**	**7,209.64**	**954.30**
	सकल योग	**30,487.39**	**16,122.96**	**46,610.35**	**42,832.42**	**3,777.93**

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2024-25 के विनियोग लेखे

परिशिष्ट - 2.3

(कंडिका 2.5.4 देखें)

निधियों का अनुचित पुनर्विनियोग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या/ नाम तथा लेखा शीर्ष	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
प्रावधान में वृद्धि अनुचित सिद्ध हुई							
1	12-2052-00-090-08 वित्त विभाग	15.41	3.77	(+)0.87 (-)0.32	19.73	18.46	-1.27
2	13-2049-03-108-01 ब्याज संदाय	0.25	110.00	(+)8.42	118.67	8.54	-110.14
3	39-2235-01-001-01 गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	2.59	0.00	(+) 0.28	2.91	2.68	-0.23
4	49-4701-80-796-77 जल संसाधन विभाग	110.00	40.00	(+) 4.00	154.00	149.11	-4.88
5	60-2235-60-789-17 महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	-	856.13	(+) 79.00	935.13	892.35	-42.78
सकल योग		**128.25**	**1009.94**	**(+)92.25**	**1230.44**	**1071.14**	**-159.30**

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2024-25 के विनियोग लेखे

परिशिष्ट - 2.4

(कंडिका 2.5.5 देखें)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अभ्यर्पण के बाद बड़ी बचत वाले अनुदान (₹ 100 करोड़ से अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या और नाम	कुल बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित	बचत (अभ्यर्पण के बाद)
अ-राजस्व (दत्तमत)						
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2,475.45	1,385.97	1,089.48	469.42	620.06
2.	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	2,801.36	1,302.88	1,498.48	1,380.11	118.37
3	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	1,504.47	923.63	580.84	216.54	364.30
4	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	6,742.64	4,797.77	1,944.87	1,577.96	366.91
5	21- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	1,932.03	1,602.53	329.50	198.13	131.37
6	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	8,198.07	7,479.36	718.71	322.18	396.53
7	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	509.99	185.62	324.37	20.64	303.73
8	39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	2,620.22	1,522.88	1,097.34	450.00	647.34
9	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	787.20	667.00	120.20	15.88	104.32
10	42- ग्रामीण विकास विभाग	11,457.09	7,422.23	4,034.86	3,760.17	274.69
11	47- परिवहन विभाग	199.46	31.98	167.48	35.00	132.48
12	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2,675.52	807.75	1,867.76	1,507.16	360.60
13	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	3,198.03	2,224.39	973.64	795.91	177.73
14	56- पंचायती राज विभाग	2,867.00	1,175.83	1,691.17	758.00	933.17
15	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	3,568.34	3,242.82	325.53	10.59	314.94
16	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	9,294.72	8,332.23	962.49	235.83	726.66
17	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	15,597.25	14,512.54	1,084.71	46.25	1,038.46
	कुल	**76,428.84**	**57,617.41**	**18,811.43**	**11,799.77**	**7,011.66**
ब-राजस्व (भारित)						
18	13- ब्याज संदाय	**7,170.93**	**5,863.09**	**1,307.84**	**128.29**	**1,179.55**
स-पूँजीगत (दत्तमत)						
19	1- कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	394.00	183.25	210.75	20.01	190.74
20	3- भवन निर्माण विभाग	785.67	574.89	210.78	41.00	169.78
21	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	4,225.90	1,591.26	2,634.64	2,381.00	253.64
22	41- पथ निर्माण विभाग	5,970.00	5,215.97	754.03	635.88	118.15
23	55- ग्रामीण कार्य विभाग	5,731.17	5,168.14	563.03	192.75	370.28
24	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	1,114.76	484.58	630.18	520.95	109.23
	कुल	**18,221.50**	**13,218.09**	**5,003.41**	**3,791.59**	**1,211.82**
द-पूँजीगत (भारित)						
25	14- ऋण की वापसी/अदायगी	**8,517.32**	**7,679.63**	**837.69**	**4.19**	**833.50**
	सकल योग	**110,338.59**	**84,378.22**	**25,960.37**	**15,723.84**	**10,236.53**

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2024-25 के विनियोग खाते

परिशिष्ट - 2.5

(कंडिका 2.5.5 देखें)

वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सतत बचत (₹ 100 करोड़ से अधिक) वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या/ विभाग का नाम	बचत		
		2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व (दत्तमत)				
1	1- कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	1,898.32	1,103.04	1,089.48
2	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1,279.34	1,442.19	1,498.48
3	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	240.56	657.36	580.84
4	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	1,458.12	1,344.60	1,944.87
5	21- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	213.56	491.37	329.50
6	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	548.43	867.19	718.71
7	27- विधि विभाग	113.81	483.54	163.87
8	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	284.38	576.63	324.37
9	39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	915.57	1,708.79	1,097.34
10	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	211.77	101.49	120.20
11	41- पथ निर्माण विभाग	169.71	100.54	111.08
12	42- ग्रामीण विकास विभाग	3,400.84	4,608.30	4,034.86
13	45- सूचना प्रावैधिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	176.36	192.80	266.71
14	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	991.41	2,794.47	1,867.76
15	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	821.46	1,030.75	973.64
16	55- ग्रामीण कार्य विभाग	185.51	1,329.43	64.64
17	56- पंचायती राज विभाग	972.07	914.82	1,691.17
18	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	311.77	321.62	325.53
19	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	1,244.62	1,614.45	962.49
20	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	1,669.50	1,637.72	1,084.71
राजस्व (भारित)				
21	13- ब्याज संदाय	424.86	902.95	1,307.84
पूँजीगत (दत्तमत)				
22	10- ऊर्जा विभाग	141.98	108.80	464.20
23	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	329.76	457.27	286.48
24	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	1,662.97	1,493.32	2,634.64
25	41- पथ निर्माण विभाग	412.15	500.89	754.03
26	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	243.62	248.02	114.91
27	49- जल संसाधन विभाग	280.94	215.47	271.48
28	55- ग्रामीण कार्य विभाग	1,161.52	669.67	563.03

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग खाते

परिशिष्ट - 2.6

(कंडिका 2.5.5 देखें)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अनुदान-वार बजट उपयोग का प्रतिशत एवं बचत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या और नाम	कुल बजट	कुल व्यय	बचत	उपयोग का प्रतिशत	उपयोग की सीमा (प्रतिशत)
1	45- सूचना प्रावैधिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	306.42	20.57	285.84	6.71	50 तक
2	47- परिवहन विभाग	327.43	42.16	285.27	12.88	
3	16- वित्त लेखापरीक्षा	16.49	5.90	10.59	35.76	
4	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	4,735.88	1,776.87	2,959.01	37.52	
5	43- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (तकनीकी शिक्षा प्रभाग)	542.97	209.70	333.27	38.62	
6	56- पंचायती राज विभाग	2,873.00	1,178.53	1,694.47	41.02	
7	54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	433.67	190.49	243.18	43.93	
8	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	3,606.25	1,623.58	1,982.68	45.02	
9	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	2,861.38	1,346.44	1,514.94	47.06	
	कुल	**15,703.49**	**6,394.24**	**9,309.25**	**40.72**	
1	5- राज्यपाल का सचिवालय	23.40	12.17	11.23	52.00	51 से 75
2	53- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य पालन प्रभाग)	197.11	106.98	90.13	54.27	
3	17- वाणिज्यकर विभाग	139.22	75.59	63.62	54.30	
4	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2,869.45	1,569.22	1,300.23	54.69	
5.	39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	2,620.22	1,522.88	1,097.34	58.12	
6	29- खान एवं भूविज्ञान विभाग	67.30	40.30	27.00	59.88	
7	57- नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग)	100.66	60.52	40.14	60.12	
8	19- वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	1,538.16	955.13	583.03	62.10	
9	8- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	163.14	105.15	57.99	64.45	
10	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	536.45	347.70	188.75	64.82	
11	42- ग्रामीण विकास विभाग	11,751.29	7,672.72	4,078.57	65.29	
12	38- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)	29.73	19.48	10.25	65.53	
13	52- पर्यटन, कला संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य विभाग (कला, संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य प्रभाग)	200.47	134.09	66.38	66.89	

क्र. सं.	अनुदान की संख्या और नाम	कुल बजट	कुल व्यय	बचत	उपयोग का प्रतिशत	उपयोग की सीमा (प्रतिशत)
14	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	7,731.83	5,237.48	2,494.35	67.74	
15	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	3,721.65	2,576.27	1,145.37	69.22	
16	25- कोषागार एवं सांस्थिक वित्त	22.61	15.81	6.80	69.93	
17	31- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	1.84	1.31	0.54	70.88	
18	33- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)	52.99	37.89	15.10	71.50	
19	46- पर्यटन, कला संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)	156.40	113.23	43.18	72.39	
20	30- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	383.12	281.08	102.04	73.37	
21	3- भवन निर्माण विभाग	933.33	687.95	245.38	73.71	
22	34- झारखण्ड लोक सेवा आयोग	71.12	52.62	18.50	73.99	
	कुल	**33,311.49**	**21,625.57**	**11,685.92**	**64.92**	
1	28- झारखण्ड उच्च न्यायालय	226.37	175.22	51.15	77.40	76 से 90
2	12- वित्त विभाग	294.99	228.87	66.12	77.59	
3	27- विधि विभाग	757.71	593.84	163.87	78.37	
4	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	4,683.10	3,727.39	955.71	79.59	
5	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	382.61	309.65	72.96	80.93	
6	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	818.82	668.05	150.77	81.59	
7	13- ब्याज संदाय	7,170.93	5,863.09	1,307.84	81.76	
8	35- योजना एवं विकास विभाग	416.75	342.03	74.72	82.07	
9	4- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	147.97	121.98	25.98	82.44	
10	21- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	1,932.03	1,602.53	329.50	82.95	
11	23- उद्योग विभाग	524.45	439.45	85.00	83.79	
12	11- उत्पाद एवं मद्ध निषेध विभाग	51.55	43.47	8.08	84.33	
13	49- जल संसाधन विभाग	2,243.02	1,914.22	328.80	85.34	
14	44- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	7.11	6.13	0.97	86.29	
15	37- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (राजभाषा प्रभाग)	23.24	20.19	3.05	86.88	
16	41- पथ निर्माण विभाग	6,653.52	5,788.41	865.11	87.00	
17	32- विधान सभा	150.47	132.27	18.19	87.91	

क्र. सं.	अनुदान की संख्या और नाम	कुल बजट	कुल व्यय	बचत	उपयोग का प्रतिशत	उपयोग की सीमा (प्रतिशत)
18	26- श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग	1,151.54	1,014.89	136.64	88.13	
19	7- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)	51.73	45.69	6.04	88.33	
20	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	8,918.59	7,913.41	1,005.18	88.73	
21	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	9,365.42	8,355.41	1,010.02	89.22	
22	55- ग्रामीण कार्य विभाग	5,987.35	5,359.67	627.68	89.52	
	कुल	**51,959.26**	**44,665.88**	**7,293.38**	**85.96**	
1	14- ऋण की वापसी/अदायगी	9,109.32	8,271.63	837.69	90.80	91 से 100
2	10- ऊर्जा विभाग	13,188.58	12,208.29	980.29	92.57	
3	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	15,793.67	14,622.42	1,171.25	92.58	
4	6-मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग	1,072.66	1,009.64	63.02	94.12	
5	24- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	460.47	436.91	23.56	94.88	
6	9- कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	1,098.40	1,046.14	52.25	95.24	
	कुल	**40,723.11**	**37,595.03**	**3,128.07**	**92.32**	

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विनियोग लेखे

परिशिष्ट - 2.7
(कंडिका 2.5.5 देखें)
बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या और नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित नहीं की गई राशि
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2,790.15	79.30	2,869.45	1,569.22	1,300.23	810.81
2	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	521.62	14.82	536.45	347.70	188.75	39.70
3	3- भवन निर्माण विभाग	883.23	50.10	933.33	687.95	245.38	199.38
4	4- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	73.87	74.10	147.97	121.98	25.98	25.98
5	6-मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग	754.62	318.04	1,072.66	1,009.64	63.02	0.06
6	7- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)	51.32	0.41	51.73	45.69	6.04	0.83
7	8- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	112.93	50.21	163.14	105.15	57.99	0.02
8	9- कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	685.77	412.62	1,098.40	1,046.14	52.25	22.98
9	10- ऊर्जा विभाग	9,378.49	3,810.09	13,188.58	12,208.29	980.29	2.46
10	11- उत्पाद एवं मद्ध निषेध विभाग	41.97	9.58	51.55	43.47	8.08	5.95
11	12- वित्त विभाग	129.83	165.17	294.99	228.87	66.12	54.44
12	13- ब्याज संदाय	7,054.57	116.35	7,170.93	5,863.09	1,307.84	1,179.55
13	14- ऋण की वापसी/अदायगी	9,092.32	17.00	9,109.32	8,271.63	837.69	833.51
14	16- वित्त लेखापरीक्षा	16.43	0.06	16.49	5.90	10.59	0.00
15	17- वाणिज्यकर विभाग	134.61	4.61	139.22	75.59	63.62	61.62
16	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	2,860.27	1.11	2,861.38	1,346.44	1,514.94	124.47
17	19- वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	1,371.39	166.77	1,538.16	955.13	583.03	366.49
18	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	7,223.00	508.83	7,731.83	5,237.48	2,494.35	414.04
19	21- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	1,929.67	2.36	1,932.03	1,602.53	329.50	131.38
20	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	7,896.21	1,022.38	8,918.59	7,913.41	1,005.18	426.90
21	23- उद्योग विभाग	484.87	39.58	524.45	439.45	85.00	49.71
22	24- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	347.72	112.76	460.47	436.91	23.56	12.06
23	25- ट्रेजरी एवं सांस्थिक वित्त	22.45	0.16	22.61	15.81	6.80	6.80

क्र. सं.	अनुदान की संख्या और नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित नहीं की गई राशि
24	26- श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग	1,053.27	98.27	1,151.54	1,014.89	136.64	80.73
25	27- विधि विभाग	729.46	28.25	757.71	593.84	163.87	99.91
26	28- झारखण्ड उच्च न्यायालय	180.00	46.33	226.37	175.22	51.15	22.65
27	29- खान एवं भूविज्ञान विभाग	66.77	0.53	67.30	40.30	27.00	15.59
28	30- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	351.82	31.30	383.12	281.08	102.04	12.84
29	31- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	1.72	0.12	1.84	1.31	0.54	0.54
30	32- विधान सभा	145.35	5.11	150.47	132.27	18.19	0.71
31	33- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)	52.24	0.75	52.99	37.89	15.10	0.68
32	35- योजना एवं विकास विभाग	415.43	1.32	416.75	342.03	74.72	26.25
33	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	4,686.67	49.22	4,735.88	1,776.87	2,959.01	557.37
34	37- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग (राजभाषा प्रभाग)	23.21	0.03	23.24	20.19	3.05	1.68
35	38- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	29.21	0.52	29.73	19.48	10.25	10.25
36	39- गृह, जेल एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	1,630.99	989.23	2,620.22	1,522.88	1,097.34	647.34
37	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	777.78	41.04	818.82	668.05	150.77	121.91
38	41- पथ निर्माण विभाग	6,398.28	255.23	6,653.52	5,788.41	865.11	229.23
39	42- ग्रामीण विकास विभाग	11,316.07	435.22	11,751.29	7,672.72	4,078.57	305.40
40	43- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (तकनीकी शिक्षा प्रभाग)	482.10	60.88	542.97	209.70	333.27	63.64
41	44- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	6.68	0.43	7.11	6.13	0.97	0.97
42	46- पर्यटन, कला संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)	155.23	1.18	156.40	113.23	43.18	5.51
43	47- परिवहन विभाग	297.43	30.00	327.43	42.16	285.27	195.67
44	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	3,329.23	277.03	3,606.25	1,623.58	1,982.68	362.66
45	49- जल संसाधन विभाग	1,855.60	387.42	2,243.02	1,914.22	328.80	41.46

क्र. सं.	अनुदान की संख्या और नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित नहीं की गई राशि
46	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	382.46	0.15	382.61	309.65	72.96	12.23
47	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	3,171.73	549.92	3,721.65	2,576.27	1,145.37	231.52
48	52- पर्यटन, कला संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य प्रभाग)	180.93	19.54	200.47	134.09	66.38	6.62
49	53- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य पालन प्रभाग)	197.11	0.00	197.11	106.98	90.13	58.44
50	54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	411.90	21.77	433.67	190.49	243.18	1.33
51	55- ग्रामीण कार्य विभाग	5,114.03	873.32	5,987.35	5,359.67	627.68	418.38
52	56- पंचायती राज विभाग	2,066.08	806.92	2,873.00	1,178.53	1,694.47	936.47
53	57- नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग)	100.63	0.03	100.66	60.52	40.14	0.02
54	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	3,607.84	1,075.26	4,683.10	3,727.39	955.71	424.17
55	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	8,699.69	665.74	9,365.42	8,355.41	1,010.02	774.19
56	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	8,021.93	7,771.74	15,793.67	14,622.42	1,171.25	1,125.00
सकल योग		**119,796.23**	**21,500.18**	**141,296.41**	**110,195.37**	**31,101.04**	**11,560.49**

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विनियोग लेखे

परिशिष्ट - 2.8

(कंडिका 2.5.5 देखें)

मार्च 2025 में ₹ 100 करोड़ से अधिक राशि का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या और नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	मार्च में अभ्यर्पित राशि
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2,790.15	79.30	2,869.45	1,569.22	1,300.23	489.42
2	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	521.62	14.82	536.45	347.70	188.75	149.05
3	10- ऊर्जा विभाग	9,378.49	3,810.09	13,188.58	12,208.29	980.29	977.84
4	13- ब्याज संदाय	7,054.57	116.35	7,170.93	5,863.09	1,307.84	128.29
5	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	2,860.27	1.11	2,861.38	1,346.44	1,514.94	1,390.47
6	19- वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	1,371.39	166.77	1,538.16	955.13	583.03	216.54
7	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	7,223.00	508.83	7,731.83	5,237.48	2,494.35	2,080.31
8	21- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	1,929.67	2.36	1,932.03	1,602.53	329.50	198.13
9	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	7,896.21	1,022.38	8,918.59	7,913.41	1,005.18	578.29
10	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	4,686.67	49.22	4,735.88	1,776.87	2,959.01	2,401.64
11	39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	1,630.99	989.23	2,620.22	1,522.88	1,097.34	450.00
12	41- पथ निर्माण विभाग	6,398.28	255.23	6,653.52	5,788.41	865.11	635.88
13	42- ग्रामीण विकास विभाग	11,316.07	435.22	11,751.29	7,672.72	4,078.57	3,773.17
14	43- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (तकनीकी शिक्षा प्रभाग)	482.10	60.88	542.97	209.70	333.27	269.64
15	45- सूचना प्रावैधिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	303.49	2.93	306.42	20.57	285.84	285.84
16	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	3,329.23	277.03	3,606.25	1,623.58	1,982.68	1,620.02
17	49- जल संसाधन विभाग	1,855.60	387.42	2,243.02	1,914.22	328.80	287.34
18	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	3,171.73	549.92	3,721.65	2,576.27	1,145.37	913.85
19	54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	411.90	21.77	433.67	190.49	243.18	241.85
20	55- ग्रामीण कार्य विभाग	5,114.03	873.32	5,987.35	5,359.67	627.68	209.30
21	56- पंचायती राज विभाग	2,066.08	806.92	2,873.00	1,178.53	1,694.47	758.00
22	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	3,607.84	1,075.26	4,683.10	3,727.39	955.71	531.54
23	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	8,699.69	665.74	9,365.42	8,355.41	1,010.02	235.83
कुल		**94,099.08**	**12,172.09**	**106,271.17**	**78,960.02**	**27,311.15**	**18,822.23**

परिशिष्ट - 2.9

(कंडिका 2.5.7 देखें)

संशोधित परिव्यय में नीतिगत पहल के साथ संपूर्ण बजट राशि की निकासी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. और विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय
1	19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	24060110265000886	राष्ट्रीय बांस अभियान (60:40)	1.76	0
2	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	22178019173010679	स्वच्छ भारत अभियान (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित)	4.00	0
3		22178019173010679	स्वच्छ भारत अभियान (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित)	6.00	0
4	54-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	24040010267000331	परामर्श सेवाएं	1.50	0
5		24040010280050652	लाभार्थी उन्मुख कार्यक्रम	4.52	0
6		24040078980050652	लाभार्थी उन्मुख कार्यक्रम	0.96	0
7		24040079680050652	लाभार्थी उन्मुख कार्यक्रम	4.52	0
कुल				**23.26**	**0**

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2024-25 के विनियोग लेखे

परिशिष्ट - 2.10

(कंडिका 2.5.8.1 देखें)

अनुदान संख्या 20 में अंतिम तिमाही के दौरान व्यय का वेग

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिलों का नाम	इकाइयाँ	लेखा शीर्ष/ उप-शीर्षों की संख्या	कुल व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय	अंतिम तिमाही में व्यय का प्रतिशत
1	राँची	सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार	2210-04-101-03	514.00	215.17	42
			2210-01-796-ए8	435.65	194.89	45
			2210-01-796-39	16,575.11	7,460.12	45
			2210-01-103-ए1	1,105.94	506.02	46
			2210-01-103-39	59,027.66	27,030.66	46
			2210-01-001-ए8	682.41	319.21	47
			2210-01-001-49	9,203.05	4,566.24	50
			2210-02-101-31	2,162.84	1,086.00	50
			4210-01-110-45	30,082.01	15,606.66	52
			2210-01-796-71	1,368.73	715.71	52
			2210-01-789-39	13,852.00	7,588.00	55
			2210-01-001-94	5,044.13	2,810.91	56
			2210-01-789-39	10,136.89	5,862.25	58
			2210-01-110-69	24,845.07	14,945.26	60
			2210-03-101-20	65.53	40.11	61
			4210-01-110-48	3,413.86	2,121.43	62
			2210-01-789-91	505.67	321.06	63
			2210-01-789-91	758.51	481.60	63
			2210-01-796-91	1,312.92	845.67	64
			2210-01-796-91	1,969.38	1,268.51	64
			2210-01-110-71	3,225.13	2,654.68	82
			2210-02-200-02	445.50	392.15	88
			2210-01-110-एबी	10,130.34	9,146.07	90
			4210-01-796-26	42.82	39.21	92
			2210-03-796-20	144.04	132.08	92
			2210-01-110-91	2,532.55	2,379.71	94
			2210-01-110-91	3,798.83	3,569.57	94
			4210-01-796-46	182.40	172.78	95
			4210-01-200-46	246.96	234.32	95
			2210-02-101-24	80.63	80.44	100
			2210-01-001-ए7	3,000.00	3,000.00	100
			2210-01-001-ए9	3,000.00	3,000.00	100
			2210-01-102-77	10,000.00	10,000.00	100
			2210-01-103-78	6,200.00	6,200.00	100
			2210-01-110-89	9,992.90	9,992.90	100
			2210-01-789-78	1,200.00	1,200.00	100
			2210-01-789-89	1,060.00	1,060.00	100
			2210-01-796-77	5,000.00	5,000.00	100
			2210-01-796-78	2,600.00	2,600.00	100
			2210-01-796-89	1,971.46	1,971.46	100
			2210-01-796-ए7	2,000.00	2,000.00	100
			2210-01-796-ए9	2,000.00	2,000.00	100
			2210-02-101-01	0.01	0.01	100

क्र. सं.	जिलों का नाम	इकाइयाँ	लेखा शीर्ष/ उप-शीर्षों की संख्या	कुल व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय	अंतिम तिमाही में व्यय का प्रतिशत
			2210-02-200-23	59.42	59.42	100
			2210-02-200-27	3,206.02	3,206.02	100
			2210-02-200-27	2,137.35	2,137.35	100
			2210-02-200-28	2.00	2.00	100
			2210-03-103-01	0.11	0.11	100
			2210-03-103-01	5.45	5.45	100
			2210-05-105-25	1.54	1.54	100
			2210-05-796-33	25.53	25.53	100
			4210-01-109-51	100.00	100.00	100
			4210-01-200-47	1,200.00	1,200.00	100
			4210-01-796-47	300.00	300.00	100
			4210-01-796-51	100.00	100.00	100
कुल				**2,59,052.35**	**1,67,948.28**	
नमूना-जाँच की गई इकाइयाँ						
2	धनबाद	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	19	332.99	163.63	41 से 100
		सदर अस्पताल	08	157.14	85.07	42 से 100
		एसएनएम चिकित्सा महाविद्यालय	06	63.01	52.70	39 से 100
		एसएनएम चिकित्सा अस्पताल	08	1326.17	614.47	36 से 100
3	खूँटी	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	24	1120.06	713.02	50 से 100
		सदर अस्पताल	07	36.77	25.77	56 से 100
4	जमशेदपुर	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	21	1360.69	728.06	47 से 100
		सदर अस्पताल	05	158.85	75.36	37 से 84
		एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय	06	41.07	35.39	51 से 100
		एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल	05	136.81	126.83	52 से 100
5	सरायकेला-खरसावां	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	18	457.02	327.44	40 से 100
		सदर अस्पताल	07	78.81	71.08	86 से 100
6	हजारीबाग	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	20	3312.17	1599.26	42 से 100
		शेख भिखारी चिकित्सा (एसबीएम) महाविद्यालय	06	168.94	143.57	39 से 100
		एसबीएम महाविद्यालय अस्पताल	06	392.94	247.64	38 से 100
7	गुमला	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	15	732.03	516.98	45 से 100
		सदर अस्पताल	07	15.43	15.43	100
8	बोकारो	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	23	2447.50	1111.65	39 से 100
		सदर अस्पताल	06	168.80	167.52	51 से 100
9	राँची	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	19	3164.25	3105.78	48 से 100
		सदर अस्पताल	04	167.54	68.46	39 से 100
कुल				**15,838.99**	**9,995.11**	

परिशिष्ट - 2.11

(कंडिका 2.5.8.1 देखें)

अनुदान संख्या 20 में मार्च 2025 के महीने में व्यय का वेग

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला का नाम	सचिवालय/ कार्यालय	लेखा शीर्ष/ उप-शीर्षों की संख्या	कुल व्यय	मार्च मे व्यय	मार्च मे व्यय का प्रतिशत
1	राँची	सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार	4210-01-110-45	30,082.01	9,524.22	32
			2210-01-110-एबी	10,130.34	3,714.92	37
			2210-01-789-39	13,852.00	5,500.00	40
			2210-01-789-39	10,136.89	4,025.02	40
			2210-01-110-69	24,845.07	10,138.60	41
			2210-01-001-94	5,044.13	2,810.91	56
			2210-01-789-91	758.51	428.76	57
			2210-01-789-91	505.67	285.84	57
			2210-01-796-91	1,312.92	836.66	64
			2210-01-796-91	1,969.38	1,254.99	64
			4210-01-796-46	182.40	120.74	66
			2210-01-110-71	3,225.13	2,172.80	67
			2210-01-110-91	3,798.83	2,715.78	71
			2210-01-110-91	2,532.55	1,810.52	71
			4210-01-200-46	246.96	219.89	89
			2210-02-200-02	445.50	410.85	92
			2210-02-200-23	59.42	58.48	98
			2210-02-101-24	80.63	79.73	99
			2210-01-110-89	9,992.90	9,992.90	100
			2210-01-789-89	1,060.00	1,060.00	100
			2210-01-796-89	1,971.46	1,971.46	100
			2210-02-200-27	3,206.02	3,206.02	100
			2210-02-200-27	2,137.35	2,137.35	100
			2210-05-796-33	25.53	25.53	100
			4210-01-109-51	100.00	100.00	100
			4210-01-200-47	1,200.00	1,200.00	100
			4210-01-796-47	300.00	300.00	100
			4210-01-796-51	100.00	100.00	100
		कुल		**1,29,301.60**	**66,201.97**	**51**
नमूना-जाँच की गई इकाइयाँ						
2	धनबाद	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	10	241.53	89.19	26 से 100
		सदर अस्पताल	07	60.02	22.73	29 से 100
		एसएनएम चिकित्सा महाविद्यालय	07	685.17	338.84	33 से 100
		एसएनएम चिकित्सा महाविद्यालय	05	2,564.92	555.01	37 से 100
3	खूँटी	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	17	216.64	190.45	67 से 100
		सदर अस्पताल	05	36.77	25.77	100

क्र. सं.	जिला का नाम	सचिवालय/ कार्यालय	लेखा शीर्ष/ उप-शीर्षों की संख्या	कुल व्यय	मार्च मे व्यय	मार्च मे व्यय का प्रतिशत
4	जमशेदपुर	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	11	1,219.10	345.66	26 से 100
		सदर अस्पताल	04	71.29	36.59	37 से 84
		एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल	07	31.35	33.50	31 से 100
		एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल	04	132.06	107.21	25 से 100
5	सरायकेला-खरसावां	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	15	1,035.93	371.53	31 से 100
		सदर अस्पताल	06	41.04	29.56	40 से 100
6	हजारीबाग	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	18	3,195.00	115.36	30 से 100
		एसबीएम महाविद्यालय अस्पताल	03	119.16	104.96	33 से 100
		एसबीएम महाविद्यालय अस्पताल	04	50.81	29.72	30 से 100
7	गुमला	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	10	185.69	184.25	36 से 100
8	बोकारो	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	07	1,555.93	739.01	33 से 100
		सदर अस्पताल	02	40.36	10.25	23 और 29
9	राँची	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	14	3,097.55	2,457.80	33 से 100
		सदर अस्पताल	02	160.55	22.75	38 और 78
कुल			**157**	**14,740.87**	**5,810.14**	

परिशिष्ट: 2.12

(संदर्भ: कंडिका 2.5.8.2)

अनुदान संख्या 51 में माह मार्च 2025 में व्यय का वेग

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला का नाम	सचिवालय/प्रमंडल/ कार्यालय	लेखा शीर्ष/ उप-शीर्ष	कुल व्यय	मार्च मे व्यय	मार्च मे व्यय का प्रतिशत
1.	खूँटी	जिला कल्याण पदाधिकारी, खूँटी	22250100101000334	0.08	0.08	100
			22250178906000321	0.60	0.60	100
			22250227703000334	0.05	0.05	100
			22250228201000334	0.05	0.05	100
			22250279674000321	1.00	1.00	100
			42258079610000323	1.75	1.75	100
			222502796AB010679	14.99	7.07	47
			22250227704000325	211.05	73.30	35
			कुल	**229.57**	**83.90**	**36.55**
2.	सरायकेला-खरसावां	जिला कल्याण पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावां	22250178906000321	0.60	0.60	100
			22250227004000334	0.05	0.05	100
			22250279674000321	1.00	1.00	100
			22250279678000679	18.00	9.01	50.00
			22250227004000323	15.65	4.38	27.96
			22250178998010679	1.28	0.35	27.34
			22250379691010679	10.50	2.66	25.29
			कुल	**47.08**	**18.05**	**38.33**
3.	प. सिंहभूम	जिला कल्याण पदाधिकारी, चाईबासा, प. सिंहभूम	20710110110000284	2.49	1.32	52.93
			20710111503000105	47.14	25.18	53.42
			22250100101000315	0.30	0.10	33.33
			22250100101000333	0.04	0.04	100.00
			22250100101000334	0.10	0.10	100.00
			22250100101000442	0.99	0.99	100.00
			22250178998010679	1.24	0.49	39.68
			22250227703000334	0.43	0.43	100.00
			22250227704000315	2.99	2.99	100.00
			22250227704000325	163.37	69.85	42.76
			22250279678000101	45.37	20.59	45.38
			22250279678000679	12.41	3.78	30.50
			222502796AB010679	9.25	3.49	37.70
			22250379691010679	10.11	3.00	29.69
			कुल	**296.23**	**132.37**	**44.68**
4.	गढ़वा	जिला कल्याण पदाधिकारी, गढ़वा	22250178998010679	1.33	1.33	100
			22250227004000334	0.10	0.10	100
			222502277AB010679	2.80	2.80	100
			22250327791010679	5.71	5.71	100
			42250227733000545	46.93	34.53	73.58
			42258027703000545	250.85	121.46	48.41

क्र. सं.	जिला का नाम	सचिवालय/प्रमंडल/ कार्यालय	लेखा शीर्ष/ उप-शीर्ष	कुल व्यय	मार्च मे व्यय	मार्च मे व्यय का प्रतिशत
			कुल	**307.72**	**165.94**	**53.93**
5.	साहिबगंज	जिला कल्याण पदाधिकारी, साहिबगंज	22250227704000337	1.25	1.25	100
			22250228201000315	0.10	0.10	100
			22250279644000317	26.97	10.55	39.12
			86580010200020102	28.29	28.29	100
			कुल	**56.61**	**40.19**	**70.99**
		विशेष पहरिया पदाधिकारी, साहिबगंज	20710111503000105	20.39	8.70	42.69
			22250227704000337	5.41	5.41	100
			80110010700010102	3.48	1.72	49.45
			कुल	**29.28**	**15.83**	**54.06**
6.	गुमला	जिला कल्याण पदाधिकारी, गुमला	22250100101000315	0.25	0.20	80.99
			22250100101000334	0.08	0.08	100
			22250127702000334	0.03	0.03	100
			22250178906000321	1.00	1.00	100
			22250227703000334	0.10	0.10	100
			22250227703000337	5.69	5.69	100
			22250227704000315	4.90	4.90	100
			22250227704000323	67.31	64.96	96.51
			22250227704000325	298.92	259.17	86.70
			2250227704000337	9.00	9.00	100
			22250228201000315	0.14	0.14	100
			22250228201000317	0.14	0.14	100
			22250228201000323	0.14	0.14	100
			22250228201000336	0.42	0.42	100
			22250279619000336	2.70	2.70	100
			22250279674000321	2.00	2.00	100
			22250279678000679	17.41	11.11	63.80
			86580010200020102	0.26	0.26	100
			कुल	**410.47**	**362.01**	**88.19**
7.	राँची	जिला कल्याण पदाधिकारी, राँची	22250100101000317	0.05	0.05	100
			22250100101000333	0.20	0.10	50.00
			22250100101000334	0.56	0.56	100
			22250100101000442	2.00	1.00	50.03
			22250127703000315	3.80	2.16	56.78
			22250127703000334	0.20	0.20	100.00
			22250127703000337	4.00	3.12	77.92
			22250178905000323	3.98	3.98	100.00
			22250178906000321	1.00	1.00	100.00
			22250178941000679	0.05	0.05	100.00
			22250178994000315	0.70	0.70	100.00
			22250178994000333	0.15	0.15	100.00
			22250178994000442	0.50	0.50	100.00

क्र. सं.	जिला का नाम	सचिवालय/प्रमंडल/ कार्यालय	लेखा शीर्ष/ उप-शीर्ष	कुल व्यय	मार्च मे व्यय	मार्च मे व्यय का प्रतिशत
			22250227704000108	87.00	27.00	37.04
			2225022770400213	0.31	0.31	100.00
			22250227704000319	0.05	0.05	100.00
			22250227704000334	0.48	0.48	100.00
			22250227704000337	5.60	5.60	100.00
			22250228201000334	0.13	0.13	100.00
			22250279617000679	0.15	0.15	100.00
			22250279674000321	1.99	1.99	100.00
			22250279678000679	10.50	3.30	31.41
			222502796AB010679	11.02	3.20	29.04
			22250327718000213	0.06	0.06	100.00
			22250327718000319	0.30	0.14	47.57
			22250327718000325	90.79	26.22	28.88
			22250327718000334	0.15	0.15	100.00
			22250327718000337	2.00	2.00	100.00
			22250379611000323	2.00	2.00	100.00
			80110010701000102	1.98	1.98	100.00
			कुल	**231.71**	**88.33**	**38.12**
8.	लोहरदगा	जिला कल्याण पदाधिकारी, लोहरदगा	20710110110000284	0.51	0.51	100.00
			22250100101000317	0.05	0.05	100.00
			22250100101000334	0.10	0.10	100.00
			22250178906000321	0.60	0.60	100.00
			22250227704000108	44.93	15.11	33.64
			22250227704000323	24.85	9.45	38.02
			22250227704000325	124.98	50.15	40.12
			22250228201000334	0.15	0.15	100.00
			22250279674000321	1.00	1.00	100.00
			222502796AB010679	2.83	1.38	48.76
			कुल	**200.01**	**78.50**	**39.25**

परिशिष्ट - 2.13

(कंडिका 2.6.1.2 देखें)

अनुदान संख्या 51 के तहत नमूना-जाँच की गई इकाइयों में एसएनए का बचत

(₹ में)

क्र. सं.	कार्यालय	एसएनए योजना	आवंटन	व्यय	बचत	उपयोगिता (प्रतिशत में)
1	जिला कल्याण पदाधिकारी, खूँटी	जनजातीय उप-योजना (टीएसएस) को विशेष केन्द्रीय सहायता	19,65,22,305	8,87,08,425	10,78,13,880	45.14
2		प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	2,67,16,038	1,11,17,513	1,55,98,525	41.61
3		झारखण्ड प्रवर्तन के लिए मशीनरी का सुदृढ़ीकरण	4,75,000	3,25,000	1,50,000	68.42
4		प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति ओबीसी	51,10,870	50,49,000	61,870	98.79
5		पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ओबीसी	2,97,12,737	2,95,62,877	1,49,860	99.50
6		प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति एससी	25,62,464	14,97,600	10,64,864	58.44
7		पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एससी	10,07,561	9,78,710	28,851	97.14
8		प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति एसटी	3,54,19,042	3,51,31,500	2,87,542	99.19
9		पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एसटी	10,67,96,440	8,79,47,538	1,88,48,902	82.35
10		झारखण्ड ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट (जेटीआरएआई)	1,17,03,000	1,17,02,880	120	100.00
कुल			**41,60,25,457**	**27,20,21,043**	**14,40,04,414**	**65.39**
1	जिला कल्याण पदाधिकारी., चाईबासा, प. सिंहभूम	जनजातीय उप योजना (टीएसएस) को विशेष केन्द्रीय सहायता(एससीए)	59,78,68,903	50,71,855	59,27,97,048	0.85
2		प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति ओबीसी	2,71,76,190	2,71,62,000	14,190	99.95
3		पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ओबीसी	6,55,80,567	6,22,03,516	33,77,051	94.85
4		प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति एससी	43,12,705	28,67,400	14,45,305	66.49
5		पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एससी	82,34,345	47,84,665	34,49,680	58.11
6		प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति एसटी	15,18,60,988	11,22,21,000	3,96,39,988	73.90
7		पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एसटी	21,43,04,658	17,83,90,993	3,59,13,665	83.24
कुल			**1,06,93,38,356**	**39,27,01,429**	**67,66,36,927**	**36.72**
1	जिला कल्याण पदाधिकारी, साहिबगंज	जनजातीय उप योजना (टीएसएस) को विशेष केंद्र सहायता (एससीए)	1,41,22,000	0	1,41,22,000	0.00
2		प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति ओबीसी	2,81,14,245	2,80,57,500	56,745	99.80
3		पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ओबीसी	6,30,32,148	6,29,81,012	51,136	99.92
4		प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति एससी	46,53,465	37,06,800	9,46,665	79.66
5		पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एससी	1,47,42,051	24,32,472	1,23,09,579	16.50
6		प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति एसटी	1,41,01,619	1,20,69,000	20,32,619	85.59
7		पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एसटी	5,76,30,545	3,68,33,599	2,07,96,946	63.91
8		झारखण्ड नागरिक अधिकारों के संरक्षण अधिनियम के प्रवर्तन के लिए मशीनरी का सुदृढ़ीकरण	12,30,092	4,12,500	8,17,592	33.53
कुल			**19,76,26,165**	**14,64,92,883**	**5,11,33,282**	**74.13**
1	जिला कल्याण पदाधिकारी, राँची	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का विकास	30,66,752	30,66,752	0	100.00
2		प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति ओबीसी	6,18,16,577	6,18,16,500	77	100.00
3		पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ओबीसी	1,78,85,76,081	1,77,60,78,542	1,24,97,539	99.30

क्र. सं.	कार्यालय	एसएनए योजना	आवंटन	व्यय	बचत	उपयोगिता (प्रतिशत में)
4		प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति एससी	93,58,103	34,02,600	59,55,503	36.36
5		पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एससी	9,84,62,083	7,23,38,166	2,61,23,917	73.47
6		प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति एसटी	11,08,65,659	7,30,12,500	3,78,53,159	65.86
7		पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एसटी	1,96,95,77,722	1,75,07,28,351	21,88,49,371	88.89
8		प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना	29,87,655	23,06,938	6,80,717	77.22
9		नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रवर्तन के लिए तंत्र को मजबूत करना	50,60,656	50,46,250	14,406	99.72
		कुल	**4,04,97,71,288**	**3,74,77,96,599**	**30,19,74,689**	**92.54**
1	जिला कल्याण पदाधिकारी, गुमला	जनजातीय उप योजना (टीएसएस) को विशेष केन्द्रीय सहायता(एससीए)	39,45,81,772	7,47,20,918	31,98,60,854	18.94
2		प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति ओबीसी	1,28,59,850	89,82,000	38,77,850	69.85
3		पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ओबीसी	6,41,56,779	6,09,71,689	31,85,090	95.04
4		प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति एससी	50,70,741	13,46,400	37,24,341	26.55
5		पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एससी	37,40,571	31,50,311	5,90,260	84.22
6		प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति एसटी	6,60,05,776	4,09,45,500	2,50,60,276	62.03
7		पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एसटी	21,56,35,522	15,22,23,219	6,34,12,303	70.59
8		झारखण्ड नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रवर्तन के लिए मशीनरी का सुदृढ़ीकरण	12,62,500	12,62,500	0	100.00
9		प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	9,76,77,301	3,00,00,000	6,76,77,301	30.71
10		विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (सीसीडी) का विकास	25,00,000	0	25,00,000	0.00
11		पीएम जनमन	1,22,37,000	62,37,000	60,00,000	50.97
		कुल	**87,57,27,812**	**37,98,39,537**	**49,58,88,275**	**43.37**
1	जिला कल्याण पदाधिकारी., लोहरदगा	जनजातीय उप योजना (टीएसएस) को विशेष केंद्र सहायता (एससीए)	87,62,054	17,91,903	69,70,151	20.45
2		प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति ओबीसी	71,56,211	71,23,500	32,711	99.54
3		पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ओबीसी	5,12,18,011	5,07,87,257	4,30,754	99.16
4		प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति एससी	12,04,392	11,91,000	13,392	98.89
5		पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एससी	44,85,665	19,49,860	25,35,805	43.47
6		प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति एसटी	2,83,21,996	2,82,06,000	1,15,996	99.59
7		पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एसटी	11,12,79,884	10,98,00,692	14,79,192	98.67
8		एससी, एसटी अत्याचार अधिनियम	92,37,580	44,53,750	47,83,830	48.21
		कुल	**22,16,65,793**	**20,53,03,962**	**1,63,61,831**	**92.62**
1	जिला कल्याण पदाधिकारी, गढ़वा	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (सीसीडी) का विकास	32,30,835	32,30,835	0	100.00
2		प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति ओबीसी	4,14,63,581	3,88,93,500	25,70,081	93.80
3		पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ओबीसी	15,07,31,975	14,00,38,942	1,06,93,033	92.91
4		प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति एससी	2,21,58,889	1,47,62,100	73,96,789	66.62
5		पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एससी	4,22,67,333	1,69,86,181	2,52,81,152	40.19
6		प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति एसटी	2,37,32,016	78,43,500	1,58,88,516	33.05

क्र. सं.	कार्यालय	एसएनए योजना	आवंटन	व्यय	बचत	उपयोगिता (प्रतिशत में)
7		पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एसटी	7,80,67,091	1,92,16,013	5,88,51,078	24.61
8		नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रवर्तन के लिए तंत्र को मजबूत करना	2,50,000	2,50,000	0	100.00
9		प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	4,05,09,691	5,90,297	3,99,19,394	1.46
कुल			**40,24,11,411**	**24,18,11,368**	**16,06,00,043**	**60.09**
1	परियोजना निदेशक, सरायकेला-खरसावां	प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति एससी	42,43,867	38,06,400	4,37,467	89.69
2		प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति ओबीसी	2,66,84,998	2,66,84,998	0	100.00
3		प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति एसटी	4,81,87,347	4,81,86,000	1,347	100.00
4		पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एसटी	14,29,33,474	13,67,59,191	61,74,283	95.68
5		पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एससी	80,79,936	80,22,241	57,695	99.29
6		पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, ओबीसी	24,80,21,788	24,60,17,031	20,04,757	99.19
7		नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रवर्तन के लिए तंत्र को मजबूत करना	2,75,000	2,75,000	0	100.00
कुल			**47,84,26,410**	**46,97,50,861**	**86,75,549**	**98.19**

परिशिष्ट - 2.14

(कंडिका 2.6.1.2 देखें)

एसएनए ब्याज की जमा में विलंब

(₹ में)

वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	विगत वित्तीय वर्ष में अर्जित ब्याज	विगत वित्तीय वर्ष में अर्जित ब्याज (केन्द्रीय हिस्सा)	संबंधित खाते में अंतरण की नियत तिथि	केन्द्रीय निधि में जमा करने की तिथि	विलंब (दिनों में)
2022-23	एससी छात्र के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	26,16,219	26,16,219	अप्रैल 2023 का पहला सप्ताह	21.09.23	167
	ओबीसी, ईबीसी के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	71,25,730	35,62,865		18.09.23	164
	एसटी के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	83,54,136	62,65,602		18.09.23	164
	एससी छात्र के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	23,62,238	23,62,238		22.09.23	168
	ओबीसी, ईबीसी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	66,52,383	66,52,383		18.09.23	164
	एसटी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	87,69,001	87,69,001		28.04.23	21
	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (सीसीडी) का विकास	40,86,778	40,86,778		18.09.23	164
	एससीए से टीएसएस	2,29,72,923	2,29,72,923		22.09.23	168
	जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता	1,33,155	1,33,155		08.05.23	31
	पीएम अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना	1,34,93,161	1,34,93,161		23.05.23	46
	नागरिक अधिकारों के संरक्षण को लागू करने के लिए मशीनरी	10,90,300	5,45,150		13.06.23	67
	पीएम जन विकास कार्यक्रम	72,93,588	43,76,153		16.05.23	39
2023-24	एससी छात्र के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	19,08,273	19,08,273	अप्रैल 2024 का पहला सप्ताह	11.12.24	247
	ओबीसी, ईबीसी के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	87,73,085	43,86,543		11.12.24	247
	एसटी के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	72,01,051	54,00,788		11.12.24	247
	एससी छात्र के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	68,17,596	68,17,596		11.07.24	95
	ओबीसी, ईबीसी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	1,60,22,945	1,60,22,945		11.07.24	95
	एसटी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	2,15,67,109	1,61,75,332		04.07.24	88
	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (सीसीडी) का विकास	51,31,430	51,31,430		11.07.24	95
	एससीए से टीएसएस	12,30,12,557	12,30,12,557		05.09.24	150
	जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता	2,50,593.22	2,50,593.22		11.07.24	95

वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	विगत वित्तीय वर्ष में अर्जित ब्याज	विगत वित्तीय वर्ष में अर्जित ब्याज (केन्द्रीय हिस्सा)	संबंधित खाते में अंतरण की नियत तिथि	केन्द्रीय निधि में जमा करने की तिथि	विलंब (दिनों में)
	पीएम अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना	1,66,40,331	1,66,40,331		11.07.24	95
	नागरिक अधिकारों के संरक्षण को लागू करने के लिए मशीनरी	4,49,273	2,24,636		11.07.24	95
	पीएम जन विकास कार्यक्रम	83,79,066	50,27,440		11.07.24	95
2024-25	एससी छात्र के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	65,76,121	65,76,121	अप्रैल 2025 का पहला सप्ताह	24.07.25 (₹ 34,46,707 जमा किया गया)	108
	ओबीसी, ईबीसी के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	85,76,620	47,86,794		24.07.25 (₹ 29,90,900 जमा किया गया)	108
	एसटी के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	2,21,56,991	1,66,17,744		24.07.25 (₹ 65,73,212 जमा किया गया)	108
	एससी छात्र के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	5,71,73,247	4,28,79,936		24.07.25 (₹ 2,75,80,966 जमा किया गया)	108
	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (सीसीडी) का विकास	43,41,496	43,41,496		16.05.25 (₹ 19,98,073 जमा किया गया)	39
	एससीए से टीएसएस	11,48,76,762	11,48,76,762		20.05.25 (₹ 5,50,80,670 जमा किया गया)	43
	पीएम जनमन	90,224	90,224		24.07.25	108

परिशिष्ट - 2.15

(कंडिका 2.7.1 देखें)

सतत बचत

(₹ करोड़ में)

	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		बचत की सीमा (प्रतिशत में)
	सीएस	एसएस	सीएस	एसएस	सीएस	एसएस	सीएस	एसएस	
1. 2225-01-789-एओ- प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (सीएसएस)									
बजट	0.00	0.00	93.80	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	27 और 100 के बीच
कुल बजट	0.00		93.80		30.00		30.00		
बचत	0.00	0.00	25.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
कुल बचत (प्रतिशत)	0.00		26.65		100		100		
2. 2225-02-277-01-विशेष केंद्रीय सहायता के लिए अनुदान (अतिरिक्त केंद्रीय सहायता) (सीएसएस)									
बजट	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	94 और 100 के बीच
कुल बजट	10.00		10.00		5.00		10.00		
बचत	9.36	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	
कुल बचत (प्रतिशत)	93.60		100.00		100		100		
3. 2225-02-277-98-शहीद ग्राम विकास योजना (एसएस)									
बजट	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100
कुल बजट	0.00		2.00		2.00		2.00		
बचत	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	
कुल बचत (प्रतिशत)	0.00		0.00		100		100		
4. 2225-02-277-A7-संरक्षण सह विकास (सीसीडी)-पीवीटीजी (सीएसएस)									
बजट	0.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	1.00	0.00	71 और 100 के बीच
कुल बजट	0.00		10.00		5.00		1.00		
बचत	0.00	0.00	7.07	0.00	3.64	0.00	1.00	0.00	
कुल बचत (प्रतिशत)	0.00		70.70		72.80		100		
5. 2225-02-796-A7- संरक्षण सह विकास (सीसीडी)-पीवीटीजी (सीएसएस)									
बजट	20.00	0.00	50.00	0.00	1.00	0.00	10.00	0.00	56 और 100 के बीच
कुल बजट	20.00		50.00		1.00		10.00		
बचत	11.16	0.00	35.97	0.00	1.00	0.00	10.00	0.00	
कुल बचत (प्रतिशत)	55.80		71.94		100		100		
6. 4225-02-796-43-पीवीटीजी गांवों के उत्थान के लिए योजना (एसएस)									
बजट	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	34 और 100 के बीच
कुल बजट	0.00		4.00		4.00		4.00		
बचत	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	4.00	0.00	4.00	
कुल बचत (प्रतिशत)	0.00		34.00		100		100		

परिशिष्ट - 2.16

(कंडिका 2.7.4 देखें)

अनुदान संख्या 20 में संपूर्ण बजट प्रावधान का अनुपयोग

(₹ लाख में)

क्र. सं.	शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण
1	2210-01-001-64	800.00	0.00	800.00
2.	2210-01-001-92	100.00	0.00	100.00
3	2210-01-001-46	2,500.00	0.00	2,500.00
4	2210-01-001-97	1,500.00	0.00	1,500.00
5	2210-01-001-ए5	400.00	0.00	400.00
6	2210-01-001-एए	2,000.00	0.00	2,000.00
7	2210-01-103-78	5.00	0.00	5.00
8	2210-01-103-87	2.00	0.00	2.00
9	2210-01-103-88	2.00	0.00	2.00
10	2210-01-103-ए0	3.00	0.00	3.00
11	2210-01-103-ए0	2.00	0.00	2.00
12	2210-01-796-64	200.00	0.00	200.00
13	2210-01-796-93	5,000.00	0.00	5,000.00
14	2210-01-796-95	1,500.00	0.00	1,500.00
15	2210-01-796-96	500.00	0.00	500.00
16	2210-01-796-97	500.00	0.00	500.00
17	2210-01-796-ए5	100.00	0.00	100.00
18	2210-01-796-एए	500.00	0.00	500.00
19	2210-02-789-27	1,200.72	0.00	1,200.72
20	2210-02-789-27	813.33	0.00	813.33
21	2210-02-796-27	2,601.57	0.00	2,601.57
22	2210-02-796-27	1,762.22	0.00	1,762.22
23	2210-05-105-33	800.00	0.00	800.00
24	2210-05-796-32	100.00	0.00	100.00
25	2210-06-101-11	427.70	0.00	427.70
26	2210-06-101-12	10.00	0.00	10.00
27	2210-06-101-21	2.00	0.00	2.00
28	4210-01-110-31	300.00	0.00	300.00
29	4210-01-110-42	100.98	0.00	100.98
30	4210-01-110-42	66.58	0.00	66.58
31	4210-01-110-49	2,591.60	0.00	2,591.60
32	4210-01-110-49	1,705.00	0.00	1,705.00
33	4210-01-110-53	800.00	0.00	800.00
34	4210-01-789-49	501.60	0.00	501.60
35	4210-01-789-49	330.00	0.00	330.00
36	4210-01-796-31	200.00	0.00	200.00
37	4210-01-796-49	1,086.80	0.00	1,086.80

क्र. सं.	शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण
38	4210-01-796-49	715.00	0.00	715.00
39	4210-01-796-53	200.00	0.00	200.00
40	4210-03-105-11	620.00	0.00	620.00
41	4210-03-105-11	413.54	0.00	413.54
42	4210-03-789-11	80.04	0.00	80.04
43	4210-03-796-11	260.00	0.00	260.00
44	4210-01-796-11	173.42	0.00	173.42
कुल		**33,476.10**	**0.00**	**33,476.10**

परिशिष्ट - 2.17

(कंडिका 2.7.4 देखें)

अनुदान संख्या 51 में संपूर्ण बजट प्रावधान का अनुपयोग

(₹ लाख में)

क्र.सं.	शीर्ष	उप-शीर्ष का विवरण	बजट प्रावधान	अभ्यर्पित/ पुनर्विनियोजित राशि
राजस्व				
1.	2225-01-001-93 (एसएस)	झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति आयोग को अनुदान	9.17	9.17
2.	2225-01-789-09 (सीएएस)	नागरिक सुरक्षा अधिनियम (केन्द्रीय हिस्सा) के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाना	50.00	50.00
3.	2225-01-789-09 (सीएएस)	नागरिक सुरक्षा अधिनियम (राज्य हिस्सेदारी) के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक प्रणाली को मजबूत करना	50.00	50.00
4.	2225-01-789-21 (एसएस)	प्रशिक्षण	10.00	10.00
5.	2225-01-789-92 (एसएस)	आवासीय विद्यालय में ई-लर्निंग कार्यक्रम/ प्रयोगशाला और पुस्तकालय	30.00	30.00
6.	2225-01-789-96 (एसएस)	झारखण्ड कल्याण निधि	27.00	27.00
7.	2225-01-789-AO (सीएसएस)	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (केन्द्रीय क्षेत्र योजना-100% केन्द्रीय)	3,000.00	3,000.00
8.	2225-01-789-A2(एसएस)	अनुसूचित जाति छात्रावास पोषण योजना	450.00	450.00
9.	2225-01-789-A3 (सीएएस)	अनुसूचित जाति के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्रीय हिस्सा)	2,250.00	2,250.00
10.	2225-02-001-87(एसएस)	झारखण्ड जनजातीय सलाहकार परिषद के लिए सहायता अनुदान	5.00	5.00
11.	2225-02-277-01 (सीएसएस)	विशेष केंद्र सहायता के लिए अनुदान (अतिरिक्त केंद्रीय सहायता)	1,000.00	1,000.00
12.	2225-02-277-20(एसएस)	आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्रों का नवीनीकरण और पुनर्गठन	6.00	6.00
13	2225-02-277-98(एसएस)	सहीद ग्राम विकास योजना	200.00	200.00
14.	2225-02-277-AO (एसएस)	ई-लर्निंग कार्यक्रम/ आवासीय विद्यालय में प्रयोगशाला और पुस्तकालय	15.00	15.00
15.	2225-02-277-A7 (सीएसएस)	संरक्षण सह विकास (सीसीडी) - पीवीटीजी	100.00	100.00
16.	2225-02-277-AD- (एसएस)	मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना	800.00	800.00
17.	2225-02-277-AE (एसएस)	अनुसूचित जनजाति छात्रावास पोषण योजना	200.00	200.00
18.	2225-02-277-AF (एसएस)	मनकी, मुंडा, दकुआ, परगनाइत आदि को दोपहिया वाहन की आपूर्ति	100.00	100.00
19.	2225-02-796-01 (सीएसएस)	विशेष केंद्र सहायता के लिए अनुदान (अतिरिक्त केंद्रीय सहायता)	10,000.00	10,000.00
20.	2225-02-796-20 (एसएस)	आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्रों का नवीनीकरण और पुनर्गठन	21.00	21.00
21.	2225-02-796-52 (एसएस)	झारखण्ड जनजातीय विकास कार्यक्रम (बाहय रूप से सहायता प्राप्त परियोजना) के लिए शिक्षा-अनुदान	4.00	4.00
22.	2225-02-796-83 (एसएस)	झारखण्ड जनजातीय सशक्तिकरण और आजीविका परियोजना के लिए अनुदान	4.00	4.00
23.	2225-02-796-89 (सीएएस)	लाख और लघु वन उत्पाद विपणन और विकास कार्यक्रम (केंद्रीय हिस्सा)	30.00	30.00

क्र.सं.	शीर्ष	उप-शीर्ष का विवरण	बजट प्रावधान	अभ्यर्पित/ पुनर्विनियोजित राशि
24.	2225-02-796-89 (सीएएस)	लाख और लघु वन उत्पाद विपणन और विकास कार्यक्रम (राज्य हिस्सेदारी)	10.00	10.00
25	2225-02-796-AO- (एसएस)	ई-लर्निंग कार्यक्रम/ आवासीय विद्यालय में प्रयोगशाला और पुस्तकालय	80.00	80.00
26.	2225-02-796-A7 (सीएसएस)	बातचीत सह विकास (सीसीडी) - पीवीटीजी	1,000.00	1,000.00
27.	2225-02-796-AD- (एसएस)	मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना	1,000.00	1,000.00
28.	2225-02-796-AE (एसएस)	अनुसूचित जनजाति छात्रावास पोषण योजना	1,000.00	1,000.00
29.	2225-02-796-AF (एसएस)	मानकी, मुंडा, डाकुआ, परगनैत आदि को दोपहिया वाहन की आपूर्ति	1,000.00	1,000.00
30.	2225-02-796-AK- (एसएस)	जनजातीय आजीविका विकास कार्यक्रम (टीएलडीपी)	100.00	100.00
31.	2225-03-277-02 (एसएस)	छात्रावासों का रखरखाव	9.40	9.40
32.	2225-03-277-88 (एसएस)	ई-लर्निंग कार्यक्रम/ आवासीय विद्यालय में प्रयोगशाला और पुस्तकालय	5.00	5.00
33.	2225-03-277-93 (एसएस)	पिछड़ा वर्ग छात्रावास पोषण योजना	150.00	150.00
34.	2225-03-796-88- (एसएस)	ई-लर्निंग कार्यक्रम / आवासीय विद्यालय में प्रयोगशाला और पुस्तकालय	5.00	5.00
35.	2225-03-796-93 (एसएस)	पिछड़ा वर्ग छात्रावास पोषण योजना	50.00	50.00
		कुल	**22,770.57**	**22,770.57**
पूँजीगत				
1.	4225-01-789-02 (सीएएस)	वृहत कार्य-लड़के/ लड़कियों के छात्रों के लिए छात्रावास (केन्द्रीय हिस्सा)	5.00	5.00
2.	4225-01-789-02 (सीएएस)	वृहत कार्य-लड़के/ लड़कियों के छात्रों के लिए छात्रावास (राज्य का हिस्सा)	5.00	5.00
3.	4225-01-789-22 (एसएस)	छात्रावासों में पुस्तकालय की स्थापना	450.00	450.00
4.	4225-02-277-42 (एसएस)	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण	1.00	1.00
5.	4225-02-277-43 (एसएस)	पीवीटीजी गांवों के उत्थान के लिए योजना	100.00	100.00
6.	4225-02-277-48 (एसएस)	आईटीडीए, डीडब्ल्यूओ कार्यालयों आदि का निर्माण और नवीनीकरण	100.00	100.00
7.	4225-02-277-49 (एसएस)	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण	3,000.00	3,000.00
8.	4225-02-277-50 (एसएस)	छात्रावासों में पुस्तकालय की स्थापना	200.00	200.00
9.	4225-02-277-52 (सीएएस)	प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (केंद्रीय हिस्सा)	1,280.00	1,280.00
10.	4225-02-283-06 (एसएस)	बिरसा आवास योजना	500.00	500.00
11.	4225-02-796-06 (एसएस)	बिरसा आवास योजना	1,800.00	1,800.00
12.	4225-02-796-42 (एसएस)	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण	1.00	1.00
13	4225-02-796-43 (एसएस)	पीवीटीजी गांवों के उत्थान के लिए योजना	400.00	400.00
14.	4225-02-796-48 (एसएस)	आईटीडीए, डीडब्ल्यूओ कार्यालयों आदि का निर्माण और नवीनीकरण	150.00	150.00
15.	4225-02-796-50 (एसएस)	छात्रावासों में पुस्तकालय की स्थापना	900.00	900.00
16.	4225-03-277-02 (सीएएस)	वृहत कार्य-लड़के/ लड़कियों के छात्रों के लिए छात्रावास (केन्द्रीय हिस्सा)	5.00	5.00

क्र.सं.	शीर्ष	उप-शीर्ष का विवरण	बजट प्रावधान	अभ्यर्पित/ पुनर्विनियोजित राशि
17.	4225-03-277-02 (सीएएस)	वृहत कार्य-लड़के/ लड़कियों के छात्रों के लिए छात्रावास (राज्य का हिस्सा)	5.00	5.00
18.	4225-03-277-08 (एसएस)	छात्रावासों में पुस्तकालय की स्थापना	150.00	150.00
19.	4225-03-796-02 (सीएएस)	वृहत कार्य-लड़के/ लड़कियों के छात्रों के लिए छात्रावास (केन्द्रीय हिस्सा)	5.00	5.00
20.	4225-03-796-02 (सीएएस)	वृहत कार्य-लड़के/ लड़कियों के छात्रों के लिए छात्रावास (राज्य का हिस्सा)	5.00	5.00
21.	4225-03-796-06 (एसएस)	आवासीय विद्यालय का नवीकरण और निर्माण	2,450.00	2,450.00
22.	4225-03-796-08 (एसएस)	छात्रावासों में पुस्तकालय की स्थापना	50.00	50.00
कुल (पूँजीगत)			**11,562.00**	**11,562.00**
सकल योग (राजस्व + पूँजीगत)			**34,332.57**	**34,332.57**

परिशिष्ट - 2.18

(कंडिका 2.7.4 देखें)

निधियों की अनुपयोगिता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	योजना	वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25	
			अनुदान	बचत (%)	अनुदान	बचत (%)
1.	2225-01-789-A4	अनुसूचित जाति (सीएससी) के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	45.00	45.00 (100%)	45.00	44.65 (99.22%)
2.	2225-01-789-AO	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (सीएसएस)	30.00	30.00 (100%)	30.00	30.00 (100%)
3.	2225-01-789-A2	अनुसूचित जाति छात्रावास पोषण योजना (एसएस)	4.00	4.00 (100%)	4.50	4.50 (100%)
4.	2225-01-789-A3	अनुसूचित जाति (सीएससी) के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	16.50	16.50 (100%)	22.50	22.50 (100%)
5.	2225-02-277-01	विशेष केंद्र सहायता के लिए अनुदान (अतिरिक्त केंद्रीय सहायता) (सीएसएस)	5.00	5.00 (100%)	10.00	10.00 (100%)
6.	2225-02-277-98	शहीद ग्राम विकास योजना (एसएस)	2.00	2.00 (100%)	2.00	2.00 (100%)
7.	2225-02-277-AE	अनुसूचित जनजाति छात्रावास पोषण योजना (एसएस)	2.00	2.00 (100%)	2.00	2.00 (100%)
8.	2225-02-796-01	विशेष केंद्र सहायता के लिए अनुदान (अतिरिक्त केंद्रीय सहायता) (सीएसएस)	77.00	77.00 (100%)	100.00	100.00 (100%)
9.	2225-02-796-A7	संरक्षण सह विकास (सीसीडी)- पीवीटीजी (सीएसएस)	1.00	1.00 (100%)	10.00	10.00 (100%)
10.	2225-02-796-AE	अनुसूचित जनजाति छात्रावास पोषण योजना (एसएस)	10.00	10.00 (100%)	10.00	10.00 (100%)
11.	2225-03-277-93	पिछड़ा वर्ग छात्रावास पोषण योजना (एसएस)	1.50	1.50 (100%)	1.50	1.50 (100%)
12.	4225-01-789-22	छात्रावासों (एसएस) में पुस्तकालय की स्थापना	4.00	4.00 (100%)	4.50	4.50 (100%)
13	4225-02-277-43	पीवीटीजी गांवों (एसएस) के उत्थान के लिए योजना	1.00	1.00 (100%)	1.00	1.00 (100%)
14.	4225-02-277-48	आईटीडीए, डीडब्ल्यूओ कार्यालयों आदि का निर्माण और नवीनीकरण (एसएस)	0.70	0.70 (100%)	1.00	1.00 (100%)
15.	4225-02-277-49	अनुसूचित जनजाति (एसएस) के छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण	30.00	30.00 (100%)	30.00	30.00 (100%)
16.	4225-02-277-50	छात्रावासों (एसएस) में पुस्तकालय की स्थापना	2.00	2.00 (100%)	2.00	2.00 (100%)
17.	4225-02-796-43	पीवीटीजी गांवों (एसएस) के उत्थान के लिए योजना	4.00	4.00 (100%)	4.00	4.00 (100%)
18.	4225-02-796-48	आईटीडीए, डीडब्ल्यूओ कार्यालयों आदि का निर्माण और नवीनीकरण (एसएस)	1.30	1.30 (100%)	1.50	1.50 (100%)
19.	4225-02-796-50	छात्रावासों (एसएस) में पुस्तकालय की स्थापना	10.00	10.00 (100%)	9.00	9.00 (100%)
20.	4225-03-277-08	छात्रावासों (एसएस) में पुस्तकालय की स्थापना	1.50	1.50 (100%)	1.50	1.50 (100%)
कुल			**248.50**	**248.50 (100%)**	**292.00**	**291.65 (99.88%)**

परिशिष्ट - 2.19

(कंडिका 2.7.5 देखें)

बचत के अभ्यर्पण नहीं होने के कारण व्यपगत राशि

(₹ लाख में)

क्र. सं.	शीर्ष	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत	पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण	व्यपगत
1	2210-01-001-49	6,200.00	4,000.00	10,200.00	9,212.62	987.38	0.00	987.38
2	2210-01-001-86	100.06	18.00	118.06	109.18	8.88	0.65	8.23
3	2210-01-001-94	2,300.00	2,800.00	5,100.00	5,044.13	55.87	0.00	55.87
4	2210-01-001-95	3,500.00	0.00	3,500.00	1,124.35	2,375.65	2,115.19	260.46
5	2210-01-001-A4	5,673.71	224.43	5,898.14	4,522.99	1,375.15	0.00	1,375.15
6	2210-01-001-A8	2,000.00	0.00	2,000.00	682.41	1,317.59	1,072.06	245.53
7	2210-01-103-39	43,896.00	0.00	43,896.00	25,123.00	18,773.00	5,708.34	13,064.66
8	2210-01-103-A1	8,526.19	0.00	8,526.19	1,834.23	6,691.96	6,419.35	272.61
9	2210-01-103-A1	5,688.19	0.00	5,688.19	1,105.94	4,582.25	4,283.63	298.62
10	2210-01-110-66	3,880.67	0.00	3,880.67	3,500.77	379.90	304.53	75.37
11	2210-01-110-71	3,500.00	1,500.00	5,000.00	3,225.13	1,774.87	1,271.92	502.95
12	2210-01-110-89	30,518.88	0.00	30,518.88	9,992.90	20,525.98	20,410.14	115.84
13	2210-01-110-91	13,020.00	0.00	13,020.00	3,798.83	9,221.17	7,952.00	1,269.17
13	2210-01-110-91	8,680.00	0.00	8,680.00	2,532.55	6,147.45	5,301.33	846.12
15	2210-01-110-A3	27,403.14	4,310.06	31,713.20	27,203.00	4,510.20	0.00	4,510.20
16	2210-01-110-AB	0.00	11,650.00	11,650.00	10,130.34	1,519.66	0.00	1,519.66
17	2210-01-789-49	1,200.00	0.00	1,200.00	1,194.82	5.18	0.00	5.18
18	2210-01-789-66	500.00	0.00	500.00	499.39	0.61	0.00	0.61
19	2210-01-789-91	2,520.00	0.00	2,520.00	758.51	1,761.49	1,519.25	242.24
20	2210-01-789-91	1,680.00	0.00	1,680.00	505.67	1,174.33	1,012.83	161.50
21	2210-01-796-49	2,600.00	0.00	2,600.00	2,581.87	18.13	0.00	18.13
22	2210-01-796-66	3,500.00	0.00	3,500.00	2,957.21	542.79	328.90	213.89
23	2210-01-796-69	5,000.00	0.00	5,000.00	4,990.79	9.21	2.68	6.53
24	2210-01-796-71	1,500.00	0.00	1,500.00	1,368.73	131.27	0.00	131.27
25	2210-01-796-85	800.00	34.62	834.62	533.13	301.49	23.77	277.72
26	2210-01-796-89	12,798.24	0.00	12,798.24	1,971.46	10,826.78	10,821.49	5.29
27	2210-01-796-91	5,460.00	0.00	5,460.00	1,969.38	3,490.62	3,301.75	188.87
28	2210-01-796-91	3,640.00	0.00	3,640.00	1,312.92	2,327.08	2,201.17	125.91
29	2210-01-796-94	700.00	0.00	700.00	651.31	48.69	0.00	48.69
30	2210-01-796-A8	500.00	0.00	500.00	435.65	64.35	6.94	57.41
31	2210-02-101-24	63.07	20.13	83.20	80.63	2.57	0.00	2.57
32	2210-02-101-31	1,463.91	985.17	2,449.08	2,162.84	286.24	0.00	286.24
33	2210-02-200-02	268.80	227.30	496.10	445.50	50.60	0.00	50.60
34	2210-02-200-04	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
35	2210-02-200-13	2.00	0.00	2.00	1.29	0.71	0.00	0.71
36	2210-02-200-23	38.24	30.17	68.41	59.42	8.99	0.00	8.99
37	2210-03-101-02	9,101.71	934.05	10,035.76	7,200.91	2,834.85	0.00	2,834.85
38	2210-03-101-20	700.00	0.00	700.00	65.53	634.47	380.20	254.27
39	2210-03-103-21	47,547.25	296.28	47,843.53	37,181.09	10,662.44	0.00	10,662.44
40	2210-03-110-04	6,959.55	3.40	6,962.95	4,452.49	2,510.46	0.00	2,510.46
41	2210-03-796-20	300.00	0.00	300.00	144.04	155.96	24.60	131.36
42	2210-04-101-03	440.60	174.19	614.79	514.00	100.79	0.00	100.79
43	2210-04-102-01	166.40	0.00	166.40	86.96	79.44	0.00	79.44

क्र. सं.	शीर्ष	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत	पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण	व्यपगत
44	2210-04-103-01	63.24	4.14	67.38	52.19	15.19	0.00	15.19
45	2210-05-105-04	50.00	6.00	56.00	47.71	8.29	0.00	8.29
46	2210-05-105-39	11,352.49	129.84	11,482.33	9,488.63	1,993.70	0.00	1,993.70
47	2210-06-001-26	953.68	0.25	953.93	681.62	272.31	0.00	272.31
48	2210-06-101-10	1,521.33	0.00	1,521.33	1,072.31	449.02	245.68	203.34
49	2210-06-101-13	293.61	12.67	306.28	205.02	101.26	0.00	101.26
50	2210-06-101-25	8,310.80	5,824.54	14,135.34	10,796.96	3,338.38	0.00	3,338.38
51	2210-06-102-01	306.86	30.21	337.07	294.83	42.24	0.00	42.24
52	2210-06-104-24	727.81	275.85	1,003.66	743.77	259.89	0.00	259.89
53	2210-06-106-01	402.58	0.00	402.58	393.40	9.18	0.00	9.18
54	2211-00-103-01	635.76	7.16	642.92	604.90	38.02	0.00	38.02
55	2251-00-090-07	595.48	54.08	649.56	584.83	64.73	0.00	64.73
56	4210-01-110-26	250.00	9.00	259.00	133.36	125.64	0.00	125.64
57	4210-01-110-45	46,500.00	6,921.74	53,421.74	30,082.01	23,339.73	20,000.00	3,339.73
58	4210-01-110-48	15,000.00	0.00	15,000.00	3,413.86	11,586.14	10,753.60	832.54
59	4210-01-200-46	300.00	0.00	300.00	246.96	53.04	9.47	43.57
60	4210-01-796-26	50.00	0.00	50.00	42.82	7.18	0.00	7.18
61	4210-01-796-45	10,500.00	0.00	10,500.00	7,342.05	3,157.95	3,135.01	22.94
62	4210-01-796-46	200.00	0.00	200.00	182.40	17.60	0.00	17.60
63	4210-01-796-48	5,000.00	0.00	5,000.00	814.79	4,185.21	4,035.79	149.42
64	4210-03-200-08	923.89	0.00	923.89	12.31	911.58	856.92	54.66
65	4210-03-789-11	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00
कुल		**3,78,396.14**	**40,483.28**	**418,879.42**	**2,50,504.64**	**1,68,374.78**	**113,499.19**	**54,875.59**
अतिरिक्त व्यय से प्रतिपूर्ति								
1	2210-01-103-39	65844.00	0.00	65844.00	59027.66	6816.34	19881.00	-13064.66
2.	2210-01-110-69	15000.00	10000.00	25000.00	24845.07	154.93	554.28	-399.35
3	2210-02-101-01	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.00	-0.01
4	2210-03-103-01	0.00	0.00	0.00	0.11	-0.11	0.00	-0.11
5	2210-03-103-03	0.00	0.00	0.00	5.45	-5.45	0.00	-5.45
6	2210-05-105-25	0.00	0.00	0.00	1.54	-1.54	0.00	-1.54
7	4210-01-796-47	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.16	-0.16
कुल		**81,144.00**	**10,000.00**	**91,144.00**	**84,179.84**	**6,964.16**	**20,435.44**	**-13,471.28**
सकल योग		**4,59,540.14**	**50,483.28**	**5,10,023.42**	**3,34,684.48**	**1,75,338.94**	**1,33,934.63**	**41,404.31**

स्रोत: विनियोग लेखे 2024-25.

परिशिष्ट - 2.20

(कंडिका 2.7.6 देखें)

वित्तीय वर्ष के अंत में निधि का अभ्यर्पण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिलों का नाम	कार्यालयों का नाम	उप-शीर्ष जिसमे अभ्यर्पण किया गया	आवंटन	व्यय	अभ्यर्पण	प्रतिशत	अभ्यर्पण की तिथि
1	धनबाद	सदर अस्पताल	03	0.37	0.12	0.25	65 से 100	29.03.2025
		एसएनएम चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल	01	95.00	51.73	43.27	46	29.03.2025
2	खूँटी	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	05	338.44	188.18	150.26	36 से 100	31.03.2025
		सदर अस्पताल	01	3.27	1.62	1.65	50	31.03.2025
3	जमशेदपुर	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	08	48.68	3.39	45.29	38 से 100	29.03.2025
		सदर अस्पताल	03	45.51	25.06	20.75	45 से 100	29.03.2025
		एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय	07	39.00	8.58	30.42	44 से 100	11.03.2025 और 28.03.2025
		एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल	08	1,323.21	539.16	784.05	36 से 100	29.03.2025
4	सरायकेला-खरसावां	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	12	430.13	115.71	314.42	46 से 100	29.03.2025
		सदर अस्पताल	04	75.59	11.18	64.41	85 से 100	29.03.2025
5	हजारीबाग	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	16	76.25	2.02	74.23	49 से 100	31.03.2025
		शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय	04	1,160.96	654.68	506.28	33 से 81	29.03.2025
		शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल	03	333.52	222.05	111.47	29 से 100	28.03.2025
6	गुमला	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	02	0.93	0.00	0.93	100	26.03.2025
		सदर अस्पताल	02	1.35	0.65	0.70	24 और 100	31.03.2025
7	बोकारो	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	04	0.92	0.00	0.92	100	04.03.2025 और 17.03.2025
8	राँची	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	10	819.14	55.41	763.73	36 से 100	29.03.2025
		सदर अस्पताल	01	8.48	3.41	5.06	60	29.03.2025
कुल			**94**	**4,801.05**	**1,882.95**	**2,918.09**	**60**	

परिशिष्ट - 2.21

(कंडिका 2.7.10 देखें)

बैंक खातों में पड़ी अवरुद्ध राशि

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	कार्यालयों का नाम	उद्देश्य	31 मार्च 2025 को शेष राशि	अभ्युक्ति
1	धनबाद	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	क्लिनिकल स्थापना	89.61	कुल शेष राशि में से ₹ 56.63 लाख दो वित्तीय वर्षों से अधिक समय तक अप्रयुक्त था।
			पीसी एवं पीएनडीटी	33.13	कुल शेष राशि में से ₹ 5.29 लाख दो वित्तीय वर्षों से अधिक समय तक अप्रयुक्त था।
		एसएनएम चिकित्सा महाविद्यालय		111.76	कुल शेष राशि में से ₹ 77.86 लाख मार्च 2021 (चार साल से अधिक) से अप्रयुक्त था।
				1,228.75	कुल शेष राशि में से ₹ 1,128.62 लाख मार्च 2021 (चार साल से अधिक) से अप्रयुक्त था।
		एसएनएम चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल	विविध	52.96	शेष राशि अप्रयुक्त थी तथा पाँच वर्षों से अधिक समय तक बैंक खातों में अवरुद्ध था।
			ट्रॉमा सेंटर का निर्माण	124.75	
2	खूँटी	सदर अस्पताल	....	2.37	विवरणी के अनुसार शेष राशि सात वर्षों से अधिक समय से अप्रयुक्त था।
3	जमशेदपुर	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	विविध शीर्ष	430.08	कुल शेष राशि में से ₹ 10.67 लाख तीन वर्षों से अधिक समय तक अप्रयुक्त था।
			-----	0.11	ब्याज राशि
			-----	1.61	ब्याज राशि
			अटल मोहल्ला क्लिनिक	22.07	शेष राशि में से ₹ 12.95 लाख ब्याज के रूप में था।
4	सरायकेला-खरसावां	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	पीएम अभीम (भवन रहित स्वास्थ्य उप-केंद्र का निर्माण आदि)	381.04	फरवरी 23 से जुलाई 23 के दौरान ₹ 1,301.96 लाख प्राप्त हुए। जिसमें से शेष ₹ 330.11 लाख (दस वर्षों से अधिक) तथा ब्याज के रूप में ₹ 50.93 लाख मार्च 2025 तक जमा था।
			विविध शीर्ष (पीवीटीजी, आरएसएम आदि)	264.75	पीवीटीजी के तहत सितंबर 2023 में ₹ 10.24 लाख प्राप्त हुआ था। अन्य शीर्षों से संबंधित शेष राशि व्यय किया जा चुका तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान व्यय की जा रही है।
5	हजारीबाग	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	गंभीर बीमारी	17.21	कुल शेष राशि में से ₹ 16.98 लाख दो वर्षों से अधिक समय तक अप्रयुक्त थे, जो अस्पताल से प्रतिदाय है।
			ट्रॉमा सेंटर	152.03	एम्बुलेंस, सिविल कार्य, उपकरण एवं संचार के तहत ₹ 25.20 लाख (दस वर्षों से अधिक समय से) शेष था तथा शेष ₹ 126.83 लाख सितंबर 2024 तक ब्याज के रूप में जमा था।
			पीसी एवं पीएनडीटी	24.00	मार्च 23 से ₹ 23.49 लाख की शेष राशि अगले वर्ष ले जाया गया (दो साल से अधिक)।

क्र. सं.	जिला	कार्यालयों का नाम	उद्देश्य	31 मार्च 2025 को शेष राशि	अभ्युक्ति
			क्लिनिकल स्थापना	32.81	शेष राशि में से, ₹ 30.52 लाख एक वर्ष से अधिक समय से अप्रयुक्त था।
6	बोकारो	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	मुख्यमंत्री गम्भीर बीमारी योजना के तहत अस्पतालों से वापसी	28.59 (बीओबी)	रोकड़ बही के अनुसार ₹ 67.21 लाख तीन वर्षों से अधिक समय तक अप्रयुक्त था।
				137.64 (ऐक्सिस बैंक)	
			पीसी एवं पीएनडीटी	16.31	रोकड़बही के अनुसार ₹ 10.95 लाख आठ वर्षों से अधिक समय तक अप्रयुक्त था।
			पीसी एवं पीएनडीटी	26.88	
			ब्याज राशि	1.81	रोकड़बही के अनुसार जनवरी 22 तक अर्जित ब्याज ₹ 6.47 लाख था।
			ब्याज राशि	4.02	
			क्लिनिकल स्थापना	42.06	रोकड़बही के अनुसार ₹ 13.54 लाख पाँच वर्षों से अधिक समय तक अप्रयुक्त था।
			कोविड-19	1.52	रोकड़बही के अनुसार शेष राशि नवंबर 2020 से था।
		सदर अस्पताल	ब्याज	0.31	
7	गुमला	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	क्लिनिकल स्थापना	9.15	₹ 8.06 लाख एक वर्ष से अधिक समय से था।
8	राँची	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	पीसी एवं पीएनडीटी	129.25	शेष राशि से ₹ 101.68 लाख अक्टूबर 2021 से था।
कुल				**3,366.58**	

परिशिष्ट - 2.22

(कंडिका 2.7.11 देखें)

15वें वित्त आयोग के तहत प्रदान की गई निधि का प्रावधान एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यालयों / डीडीओ के नाम	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल	व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	सीएस-सह-सीएमओ, धनबाद	3.81	0.00	3.68	8.53	16.01	2.98	13.03	शेष राशि ₹ 12.21 करोड़ को पीएनबी बैंक में रखा गया था।
2	सीएस-सह-सीएमओ, खूँटी	2.65	1.88	0.74	0.00	5.27	1.80	3.47	शेष ₹ 3.47 करोड़ जिसमें ब्याज भी शामिल है, आईसीआईसीआई बैंक में रखा गया था।
3	सीएस-सह-सीएमओ, जमशेदपुर	0.00	4.93	4.84	7.72	17.49	2.89	14.60	ब्याज ₹ 0.38 करोड़ के साथ शेष ₹ 14.60 करोड़ को आईडीबीआई बैंक में रखा गया था।
4	सीएस-सह-सीएमओ, सरायकेला	0.00	3.34	3.57	2.15	9.06	0.00	9.06	ब्याज ₹ 0.22 करोड़ के साथ ₹ 3.34 करोड़ बीओआई बैंक में तथा ब्याज ₹ 0.10 के साथ ₹ 5.72 करोड़ बीओबी बैंक में रखा गया था।
5	सीएस-सह-सीएमओ, हजारीबाग	--	----	--	--	--	--	--	लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।
6	सीएस-सह-सीएमओ, गुमला	0.00	1.43	7.17	1.25	9.85	6.40	3.45	ब्याज ₹ 0.18 करोड़ के साथ ₹ 3.45 करोड़ आईडीबीआई बैंक में रखा गया था।
7	सीएस-सह-सीएमओ, बोकारो	3.01	0.00	4.29	6.07	13.37	2.03	11.34	ब्याज ₹ 0.36 करोड़ के साथ ₹ 11.34 करोड़ आईडीबीआई बैंक तथा एचडीएफसी बैंक में रखा गया था।
8	सीएस-सह-सीएमओ, राँची	0.00	0.00	16.90	7.76	24.66	6.52	18.14	ब्याज के साथ शेष राशि पीएनबी बैंक तथा बीओआई में रखा गया था।
कुल		**9.47**	**11.58**	**41.19**	**33.48**	**95.71**	**22.62**	**73.09**	

परिशिष्ट - 2.23

(कंडिका 2.7.14 देखें)

राशियों की निकासी के लिए निर्धारित फॉर्म का उपयोग नहीं किया गया

(₹ लाख में)

कार्यालयों का नाम	उप-शीर्ष	निकासी के लिए जेटीसी नियम के तहत निर्धारित प्रपत्र	निकासी के लिए प्रयुक्त प्रपत्र	निकासी की गई राशि	टिप्पणियां
सीएस-सह-सीएमओ, धनबाद	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी)	जेटीसी फॉर्म 26 (एसी बिल) जेटीसी नियम 184 के तहत	जेटीसी फॉर्म 51 (विविध विपत्र)	9.84	विभाग के निर्देशानुसार, राशि की निकासी एसी बिलों के माध्यम से की जानी चाहिए।
एसएनएमएम चिकित्सा महाविद्यालय, धनबाद	चिकित्सा महाविद्यालय तथा 100 बिस्तर वाले अस्पतालों का बुनियादी ढाँचा	जेटीसी फॉर्म 26 (एसी बिल) जेटीसी नियम 184 के तहत	जेटीसी फॉर्म 25 (पूर्णतः प्रमाणित आकस्मिक विपत्र)	110.00	संकल्प 361 (9) दिनांक 31.07.24 के अनुसार, राशि की निकासी एसी बिलों के माध्यम से की जानी चाहिए।
सीएस-सह-सीएमओ, जमशेदपुर	मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना (सहायता-अनुदान)	जेटीसी फॉर्म 41 जेटीसी नियम 261 के तहत (सहायता-अनुदान)	जेटीसी फॉर्म 25 (पूर्णतः प्रमाणित आकस्मिक विपत्र)	3.99	
एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, जमशेदपुर	सहायता-अनुदान (वृत्ति/छात्रवृत्ति)	जेटीसी फॉर्म 41 जेटीसी नियम 261 के तहत (सहायता-अनुदान)	जेटीसी फॉर्म 25 (पूर्णतः प्रमाणित आकस्मिक विपत्र)	502.00	
एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर	सहायता-अनुदान (वृत्ति/छात्रवृत्ति)	जेटीसी फॉर्म 41 जेटीसी नियम 261 के तहत (सहायता-अनुदान)	जेटीसी फॉर्म 25 (पूर्णतः प्रमाणित आकस्मिक विपत्र)	684.45	
	चिकित्सा महाविद्यालय तथा 100 बिस्तर वाले अस्पतालों का बुनियादी ढाँचा	जेटीसी फॉर्म 26 (एसी बिल) जेटीसी नियम 184 के तहत	जेटीसी फॉर्म 51 (विविध विपत्र)	500.00	संकल्प 361 (9) दिनांक 31.07.24 के अनुसार, राशि की निकासी एसी बिलों के माध्यम से की जानी चाहिए।
सीएस-सह-सीएमओ, सरायकेला-खरसावां	मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना (सहायता-अनुदान)	जेटीसी फॉर्म 41 जेटीसी नियम 261 के तहत (सहायता-अनुदान)	जेटीसी फॉर्म 25 (पूर्णतः प्रमाणित आकस्मिक विपत्र)	150.57	
सीएस-सह-सीएमओ, हजारीबाग	मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना (सहायता-अनुदान)	जेटीसी फॉर्म 41 जेटीसी नियम 261 के तहत (सहायता-अनुदान)	जेटीसी फॉर्म 25 (पूर्णतः प्रमाणित आकस्मिक विपत्र)	782.40	
सीएस-सह-सीएमओ, गुमला				548.19	
सीएस-सह-सीएमओ, बोकारो				569.65	
सीएस-सह-सीएमओ, राँची				504.43	
	सहायता-अनुदान (वृत्ति/छात्रवृत्ति)	जेटीसी फॉर्म 41 जेटीसी नियम 261 के तहत (सहायता-अनुदान)	जेटीसी फॉर्म 25 (पूर्णतः प्रमाणित आकस्मिक विपत्र)	3.62	
कुल				**4,369.14**	

परिशिष्ट - 3.1

(कंडिका 3.2.2 देखें)

परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के तहत अंशदान और निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राप्तियां				वितरण (एनएसडीएल को हस्तांतरित)	कम अंतरण (-)/ अतिरिक्त अंतरण (+)
	प्रारंभिक शेष	कर्मचारियों का हिस्सा	सरकारी अंशदान	कुल		
1	2	3	4	5	6	7 (6-5)
2008-09	0.00	13.20	0.00	13.20	0.84	-12.36
2009-10	13.20	51.69	59.00	110.69	118.20	7.51
2010-11	5.69	45.19	68.86	114.05	107.17	-6.88
2011-12	12.57	70.89	58.98	129.87	125.72	-4.15
2012-13	16.71	106.48	110.01	216.49	219.79	3.30
2013-14	13.41	138.36	133.44	271.80	266.65	-5.15
2014-15	18.56	168.77	171.70	340.47	343.17	2.70
2015-16	15.86	212.57	214.57	427.14	428.87	1.73
2016-17	14.13	284.84	289.44	574.28	578.70	4.42
2017-18	9.70	386.30	383.16	769.46	765.63	-3.83
2018-19	13.52	425.66	427.31	852.97	853.86	0.89
2019-20	12.64	522.43	496.27	1,018.70	991.78	-26.92
2020-21	39.55	566.86	582.16	1,149.02	1,163.24	14.22
2021-22	25.33	637.17	820.53	1,457.70	1,458.88	1.18
2022-23	24.15	341.30	400.85	742.15	687.36	-54.79
2023-24	78.94	4.61	7.66	12.27	11.94	-0.33
2024-25	79.27	5.29	200.00	205.29	260.69	55.40
कुल		**3,984.61**	**4,427.94**	**8,410.55**	**8,388.49**	**-22.06**

परिशिष्ट - 3.2

(कंडिका 3.4.1 देखें)

अनुदान संख्या 20 में बकाया डीसी विपत्र

(₹ में)

क्र. सं.	जिला	कार्यालय का नाम	वर्ष	शीर्ष	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र संख्या	तिथि	संक्षिप्त आकस्मिक राशि	विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत किया गया	डीसी जमा करने के लिये बकाया संक्षिप्त आकस्मिक राशि
1	धनबाद	एसएनएमएम चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल	2009-10	4210	641/09-10	20-03-2010	7,00,000.00	6,30,210.00	69,790.00
2	खूँटी	सीएस-सह-सीएमओ	2012-13	2210	12/23/2013	31-03-2013	9,04,166.00	0.00	9,04,166.00
			2015-16	2210	19/15-16	19-02-2016	1,50,00,000.00	68,55,793.00	81,44,207.00
			2016-17	2210	29/16-17	31-03-2017	88,81,627.00	88,63,380.00	18,247.00
			2021-22	2210	206/21-22	10-03-2022	6,67,200.00	0.00	6,67,200.00
			2023-24	2210	83/23-24	08-11-2023	10,24,000.00	0.00	10,24,000.00
			2024-25	2210	214/24-25	01-03-2025	9,84,000.00	0.00	9,84,000.00
3	जमशेदपुर	सीएस-सह-सीएमओ	2004-05	4210	49/04-05	08-11-2001	17,17,197.00	16,72,400.00	44,797.00
			2023-24	2210	144/23-24	09-11-2023	1,54,19,000.00	1,23,40,142.00	30,78,858.00
		एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल	2006-07	4210	305/06-07	31-03-2007	31,09,376.00	0.00	31,09,376.00
					312/06-07	31-03-2007	3,28,044.00	0.00	3,28,044.00
					169/06-07	26-12-2006	6,84,380.00	0.00	6,84,380.00
					128/06-07	12-10-2006	9,80,920.00	0.00	9,80,920.00
					168/06-07	28-12-2006	10,43,900.00	0.00	10,43,900.00
					191/06-07	21-12-2006	5,51,488.00	0.00	5,51,488.00
					311/06-07	31-03-2007	11,02,400.00	0.00	11,02,400.00
					208/06-07	21-03-2007	25,00,350.00	0.00	25,00,350.00
			2007-08	4210	171/07-08	10-12-2007	1,28,10,000.00	0.00	1,28,10,000.00
					172/07-08	15-11-2007	23,48,104.00	0.00	23,48,104.00
					370/07-08	28-03-2008	5,53,488.00	0.00	5,53,488.00
					397/07-08	31-03-2008	12,16,800.00	0.00	12,16,800.00
					337/07-08	18-03-2008	11,96,000.00	0.00	11,96,000.00
					338/07-08	18-03-2008	25,59,856.00	0.00	25,59,856.00
					396/07-08	31-03-2008	1,45,579.00	0.00	1,45,579.00
			2010-11	2210	61	14-07-2010	92,536.00	0.00	92,536.00
		एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय	2004-05	4210	190	18-02-2005	1,01,42,190.00	0.00	1,01,42,190.00
			2007-08	4210	49/07-08	16-10-2007	12,65,526.00	11,24,483.00	1,41,043.00
			2007-08	4210	144/07-08	27-11-2007	9,88,000.00	0.00	9,88,000.00
			2017-18	4210	184/2017-2018	05-02-2018	4,22,12,254.00	2,32,85,466.00	1,89,26,788.00
			2016-17	2210	211/2016-2017	31-03-2017	3,00,00,000.00	1,34,18,444.40	1,65,81,555.60
4	सरायकेला-खरसावां	सीएस-सह-सीएमओ	2011-12	2210	47/2001	31-03-2012	28,30,658.00	0.00	28,30,658.00
				2210	46/2011	31-03-2012	4,67,382.00	0.00	4,67,382.00
				2210	50/2011	31-03-2012	94,568.00	0.00	94,568.00
				2210	51/2011	31-03-2012	4,33,525.00	0.00	4,33,525.00
			2014-15	2210	29/2014-15	27-03-2015	2,00,00,000.00	1,30,22,032.00	69,77,968.00
			2023-24	2210	88/2023-24	02-09-2023	10,24,000.00	0.00	10,24,000.00
5	हजारीबाग	सीएस-सह-सीएमओ	2006-07	4210	85/06-07	28-03-2007	5,58,447.00	0.00	5,58,447.00
			2007-08	2210	69/07-08	12-12-2007	6,300.00	0.00	6,300.00
			2023-24	2210	156/23-24	06-11-2023	10,24,000.00	0.00	10,24,000.00

क्र. सं.	जिला	कार्यालय का नाम	वर्ष	शीर्ष	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र संख्या	तिथि	संक्षिप्त आकस्मिक राशि	विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत किया गया	डीसी जमा करने के लिये बकाया संक्षिप्त आकस्मिक राशि
		शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय	2023-24	4210	185/23-24	20-03-2024	2,49,38,610.00	2,47,34,315.00	2,04,295.00
6	गुमला	सीएस-सह-सीएमओ	2007-08	2210	24/2007-08	28-11-2007	6,300.00	0.00	6,300.00
			2015-16	4210	57/15-16	31-03-2016	4,34,200.00	4,29,760.00	4,440.00
			2016-17	4210	48/16-17	31-03-2017	13,63,000.00	13,55,039.00	7,961.00
			2022-23	2210	375/22-23	31-03-2023	20,48,000.00	13,07,674.00	7,40,326.00
			2024-25	2210	298/24-25	28-02-2025	19,68,000.00	0.00	19,68,000.00
		सदर अस्पताल	2004-05	2210	69/04-05	28-12-2004	5,000.00	0.00	5,000.00
7	राँची	सीएस-सह-सीएमओ	2021-22	2210	505/21-22	25-02-2022	78,56,400.00	78,34,096.00	22,304.00
			2022-23		126/22-23	21-06-2022	10,79,291.00	10,35,100.00	44,191.00
			2023-24		300/23-24	21-11-2023	20,48,000.00	0.00	20,48,000.00
			2024-25		352/24-25	20-03-2025	19,68,000.00	0.00	19,68,000.00
कुल							**23,12,82,062.00**	**11,79,08,334.40**	**11,33,73,727.60**

परिशिष्ट - 3.3

(कंडिका 3.4.1.1 देखें)

वित्तीय वर्ष के अंत में एसी विपत्रों की निकासी

(₹ में)

जिला	कार्यालय	वित्तीय वर्ष	मुख्य शीर्ष	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र संख्या	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र की तिथि	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र राशि	शेष राशि
धनबाद	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	2013-14	2210	55/13-14	30-3-2014	1,84,13,266.00	0.00
		2021-22	2210	258/21-22	31-3-2022	68,34,000.00	0.00
	एसएनएम चिकित्सा महाविद्यालय	2007-08	4210	194/2007-08	26-3-2008	18,34,716.00	0.00
		2007-08	4210	204/2007-08	26-3-2008	10,53,000.00	0.00
		2007-08	4210	205/2007-08	26-3-2008	6,18,566.00	0.00
		2007-08	4210	203/2007-08	26-3-2008	4,78,400.00	0.00
		2007-08	4210	210/2007-08	27-3-2008	33,01,974.00	0.00
		2007-08	4210	225/2007-08	27-3-2008	1,68,480.00	0.00
		2007-08	4210	224/2007-08	27-3-2008	16,31,448.00	0.00
		2007-08	4210	231/2007-08	29-3-2008	79,481.00	0.00
		2007-08	4210	234/2007-08	29-3-2008	85,321.00	0.00
		2007-08	4210	233/2007-08	29-3-2008	4,96,080.00	0.00
		2007-08	4210	235/2007-08	29-3-2008	2,24,106.00	0.00
		2007-08	4210	236/2007-08	29-3-2008	25,281.00	0.00
खूँटी	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	2011-12	2210	11/30/2012	31-03-2012	33,200.00	0.00
		2012-13	2210	12/23/2013	31-03-2013	9,04,166.00	904,166.00
		2013-14	2210	23/13-14	27-03-2014	1,16,66,682.00	0.00
		2014-15	2210	38/2014-15	31-03-2015	1,50,00,000.00	0.00
		2016-17	2210	29/16-17	31-03-2017	88,81,627.00	18,247.00
		2021-22	2210	206/21-22	10-03-2022	6,67,200.00	667,200.00
		2024-25	2210	214/24-25	01-03-2025	9,84,000.00	984,000.00
जमशेदपुर	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	2006-07	2210	72/06-07	31-3-2007	16,65,000.00	0.00
		2012-13	2210	yc/151/12-13	31-3-2013	16,39,000.00	0.00
		2013-14	2210	yc/89/13-14	31-3-2014	41,66,666.00	0.00
		2021-22	2210	433/21-22	23-3-2022	84,70,000.00	0.00
		2022-23	2210	392/22-23	06-3-2023	1,81,69,600.00	0.00
	एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय	2006-07	4210	271/06-07	28-03-2007	39,50,000.00	0.00
			4210	268/06-07	28-03-2007	2,61,000.00	0.00
			4210	270/06-07	28-03-2007	7,83,941.00	0.00
			4210	201/06-07	19-03-2007	32,61,572.00	0.00
		2007-08	4210	236/07-08	26-03-2008	48,37,244.00	0.00
			4210	250/07-08	28-03-2008	65,76,370.00	0.00
		2008-09	4210	296/08-09	31-03-2009	7,63,011.00	0.00
		2009-10	2210	233	22-02-2010	4,62,960.00	0.00
			2210	225	22-02-2010	55,500.00	0.00
			2210	274	16-03-2010	22,228.00	0.00

जिला	कार्यालय	वित्तीय वर्ष	मुख्य शीर्ष	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र संख्या	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र की तिथि	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र राशि	शेष राशि
			2210	266	16-03-2010	55,500.00	0.00
			2210	284	16-03-2010	2,31,480.00	0.00
			2210	267	11-03-2010	15,475.00	0.00
			2210	277	13-03-2010	1,99,092.00	0.00
			2210	227	22-02-2010	4,00,000.00	0.00
			2210	228	22-02-2010	85,358.00	0.00
			2210	286	19-03-2010	5,922.00	0.00
			2210	269	11-03-2010	10,150.00	0.00
		2011-12	2210	296/11-12	31-03-2012	5,00,00,000.00	0.00
		2016-17	2210	211/16-17	31-03-2017	3,00,00,000.00	1,65,81,556.00
	एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल	2004-05	2210	348	13-3-2005	96,61,000.00	0.00
		2005-06	2211	57	28-3-2006	10,000.00	0.00
			2211	56	28-3-2006	10,000.00	0.00
			2211	58	28-3-2006	10,000.00	0.00
		2006-07	4210	305/06-07	31-3-2007	31,09,376.00	3,109,376.00
			4210	312/06-07	31-3-2007	3,28,044.00	328,044.00
			4210	311/06-07	31-3-2007	11,02,400.00	1,102,400.00
			4210	208/06-07	21-3-2007	25,00,350.00	2,500,350.00
		2007-08	4210	370/07-08	28-3-2008	5,53,488.00	553,488.00
			4210	397/07-08	31-3-2008	12,16,800.00	1,216,800.00
			4210	330/07-08	18-3-2008	20,00,000.00	0.00
			4210	337/07-08	18-3-2008	11,96,000.00	1,196,000.00
			4210	338/07-08	18-3-2008	25,59,856.00	25,59,856.00
			4210	396/07-08	31-3-2008	1,45,579.00	1,45,579.00
		2008-09	4210	395/08-09	30-3-2009	40,09,586.00	0.00
हजारीबाग	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	2011-12	2210	334/21-22	31-03-2022	12,44,400.00	0.00
	शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय	2023-24	4210	185/23-24	20-03-2024	2,49,38,610.00	2,04,295
सरायकेला-खरसावां	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	2011-12	2210	47/2001	31-3-2012	28,30,658.00	28,30,658.00
			2210	46/2011	31-3-2012	4,67,382.00	4,67,382.00
			2210	50/2011	31-3-2012	94,568.00	94,568.00
			2210	45/2011	31-3-2012	30,70,450.00	0.00
			2210	51/2011	31-3-2012	4,33,525.00	4,33,525.00
		2012-13	2210	Dec-12	26-3-2013	30,00,000.00	0.00
		2013-14	2210	32/2013-14	5-3-2014	60,00,000.00	0.00
		2014-15	2210	29/2014-15	27-3-2015	2,00,00,000.00	69,77,968.00
		2015-16	4210	50/2015-16	31-3-2016	49,00,000.00	0.00
		2021-22	2210	336/2021-22	28-3-2022	20,01,600.00	0.00

जिला	कार्यालय	वित्तीय वर्ष	मुख्य शीर्ष	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र संख्या	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र की तिथि	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र राशि	शेष राशि
		2016-17	4210	49/2016-17	31-3-2017	18,60,000.00	0.00
		2015-16	2210	52/2015-16	31-3-2016	4,68,333.00	0.00
गुमला	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	2013-14	2210	66/2013-14	21-3-2014	1,34,16,666.00	0.00
		2015-16	4210	57/2015-16	31-3-2016	4,34,200.00	4,440.00
		2016-17	4210	48/2016-17	31-3-2017	13,63,000.00	7,961.00
		2022-23	2210	375/2022-23	31-3-2023	20,48,000.00	7,40,326.00
बोकारो	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	2015-16	4210	41/15-16	18-3-2023	29,30,000.00	0.00
राँची	सिविल सर्जन-सह-सीएमओ	2012-13	2210	12/2012-13	31-3-2013	52,39,182.00	0.00
		2013-14	2210	7/13-14	31-3-2014	1,56,99,276.00	0.00
		2014-15	2210	73/14-15	31-3-2015	5,00,00,000.00	0.00
		2015-16	2210	94/15-16	16-3-2016	5,00,00,000.00	0.00
		2019-20	2210	736/19-20	31-3-2020	10,00,000.00	0.00
		2024-25	2210	352/24-25	20-3-2025	19,68,000.00	19,68,000.00
कुल						**45,32,88,392.00**	**4,55,96,185.00**

परिशिष्ट - 3.4

(कंडिका 3.4.1.2 देखें)

संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र विलंब से जमा

(₹ में)

क्र. सं.	जिला	कार्यालय का नाम	शीर्ष	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र सं.	तिथि (वर्ष -माह -दिन)	संक्षिप्त आकस्मिक राशि	विस्तृत आकस्मिक विपत्र जमा करने की नियत तिथि	विस्तृत आकस्मिक विपत्र जमा करने की तिथि	विस्तृत आकस्मिक. राशि	विलंब (वर्ष-माह-दिन)
1	धनबाद	सीएस-सह-सीएमओ	2210	55/13-14	2014-03-30	1,84,13,266.00	2014-09-30	2016-02-15	1,84,13,266.00	1y4m16d
				258/21-22	2022-03-31	68,34,000.00	2022-09-30	2023-11-28	68,34,000.00	1y1m29d
		शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय	4210	194/2007-08	2008-03-26	18,34,716.00	2008-09-30	2019-11-27	18,34,716.00	11y1m28d
			4210	204/2007-08	2008-03-26	10,53,000.00	2008-09-30	2019-11-27	10,53,000.00	11y1m28d
			4210	205/2007-08	2008-03-26	6,18,566.00	2008-09-30	2019-11-27	6,18,566.00	11y1m28d
			4210	203/2007-08	2008-03-26	4,78,400.00	2008-09-30	2019-11-27	4,78,400.00	11y1m28d
			4210	210/2007-08	2008-03-27	33,01,974.00	2008-09-30	2019-11-27	33,01,974.00	11y1m28d
			4210	225/2007-08	2008-03-27	1,68,480.00	2008-09-30	2019-11-27	1,68,480.00	11y1m28d
			4210	224/2007-08	2008-03-27	16,31,448.00	2008-09-30	2019-11-27	16,31,448.00	11y1m28d
			4210	231/2007-08	2008-03-29	79,481.00	2008-09-30	2019-11-27	79,481.00	11y1m28d
			4210	234/2007-08	2008-03-29	85,321.00	2008-09-30	2019-11-27	85,321.00	11y1m28d
			4210	233/2007-08	2008-03-29	4,96,080.00	2008-09-30	2019-11-27	4,96,080.00	11y1m28d
			4210	235/2007-08	2008-03-29	2,24,106.00	2008-09-30	2019-11-27	2,24,106.00	11y1m28d
			4210	236/2007-08	2008-03-29	25,281.00	2008-09-30	2019-11-27	25,281.00	11y1m28d
			2210	322/18-19	2019-02-13	15,71,00,000.00	2019-08-31	2021-08-16	15,71,00,000.00	1y11m16d
		एसएनएमएम अस्पताल	2210	52/10-11	2010-06-04	8,75,729.00	2010-12-31	2015-05-15	8,75,729.00	4y4m14d
			4210	641/09-10	2010-03-20	7,00,000.00	2010-09-30	2022-11-09	6,30,210.00	12y1m10d
2	खूँटी	सीएस-सह-सीएमओ	2210	11/30/2012	2012-03-31	33,200.00	2012-09-30	2013-07-24	33,200.00	0y9m24d
			2210	38/2014-15	2015-03-31	1,50,00,000.00	2015-09-30	2016-02-15	1,50,00,000.00	0y4m16d
			2210	23/13-14	2014-03-27	1,16,66,682.00	2014-09-30	2015-03-20	1,16,66,682.00	0y5m18d
3	जमशेदपुर	सीएस-सह-सीएमओ	2210	72/06-07	2007-03-31	16,65,000.00	2007-09-30	2012-07-18	16,65,000.00	4y9m18d
			2210	54/14-15	2015-02-14	2,00,00,000.00	2015-08-31	2015-11-27	2,00,00,000.00	0y2m27d
			2210	69/15-16	2015-12-03	2,00,00,000.00	2015-06-30	2016-02-17	2,00,00,000.00	0y7m18d
			2210	yc/151/12-13	2013-03-31	16,39,000.00	2013-06-30	2014-03-27	16,39,000.00	0y8m25d
			2210	433/21-22	2022-03-23	84,70,000.00	2022-09-30	2023-05-30	84,70,000.00	0y8m0d
			2210	yc/89/13-14	2014-03-31	41,66,666.00	2014-06-30	2015-01-23	41,66,666.00	0y6m24d
			2210	34/17-18	2017-09-20	2,08,61,500.00	2018-03-31	2018-06-18	2,08,61,500.00	0y2m18d
			2210	392/22-23	2023-03-06	1,81,69,600.00	2023-09-30	2024-09-04	1,81,69,600.00	0y11m5d
		एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल	2210	348	2005/03/13	96,61,000.00	2005-09-30	2007-02-28	96,61,000.00	1y4m29d
			4210	330/07-08	2008/03/18	20,00,000.00	2008-09-30	201-07-25	20,00,000.00	4y9m25d
			2211	58	2006/03/28	10,000.00	2006-09-30	2015-03-10	10,000.00	8y5m8d
				57	2006/03/28	10,000.00	2006-09-30	2015-03-10	10,000.00	8y5m8d
				56	2006/03/28	10,000.00	2006-09-30	2015-03-10	10,000.00	8y5m8d
			4210	395/08-09	2009/03/30	40,09,586.00	2009-09-30	2018-03-22	40,09,586.00	8y5m20d
		एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय	4210	268/06-07	2007/03/28	2,61,000.00	2007-09-30	2015-04-16	2,61,000.00	7y6m17d
			2210	296/11-12	2012/03/31	5,00,00,000.00	2012-09-30	2013-11-26	5,00,00,000.00	1y1m27d
			4210	296/08-09	2009/03/31	7,63,011.00	2009-09-30	2014-09-11	7,63,011.00	4y11m12d
			2210	24	2010/05/19	7,99,130.00	2010-11-30	2015-04-16	7,99,130.00	4y4m17d
			2210	156A	2010/01/19	3,88,659.00	2010-07-31	2015-04-16	3,88,659.00	4y8m16d
			2210	284	2010/03/16	2,31,480.00	2010-09-30	2015-04-16	2,31,480.00	4y6m17d

क्र. सं.	जिला	कार्यालय का नाम	शीर्ष	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र सं.	तिथि (वर्ष -माह -दिन)	संक्षिप्त आकस्मिक राशि	विस्तृत आकस्मिक विपत्र जमा करने की नियत तिथि	विस्तृत आकस्मिक विपत्र जमा करने की तिथि	विस्तृत आकस्मिक. राशि	विलंब (वर्ष-माह-दिन)
			4210	271/06-07	2007/03/28	39,50,000.00	2007-09-30	2015-04-16	39,50,000.00	7y6m17d
			4210	236/07-08	2008/03/26	48,37,244.00	2008-09-30	2015-04-16	48,37,244.00	6y6m17d
			4210	175/07-08	2007/12/24	41,64,740.00	2008-06-30	2015-04-16	41,64,740.00	6y9m17d
4	सरायकेला-खरसावां	सीएस-सह-सीएमओ	2210	45/2011	2012/03/30	30,70,450.00	2012-09-30	2013-03-21	30,70,450.00	0y5m19d
			2210	29/2014-15	2015/03/27	2,00,00,000.00	2015-09-30	2016-02-17	1,30,22,032.00	0y4m18d
			2210	32/2013-14	2014/03/05	60,00,000.00	2014-09-30	2015-03-24	60,00,000.00	0y5m22d
			4210	50/2015-16	3/31/2016	49,00,000.00	9/30/2016	2020-07-17	49,00,000.00	3y9m17d
			2210	52/2015-16	2016/03/31	4,68,333.00	2016-09-30	2019-11-16	4,68,333.00	3y1m17d
			2210	09/2016-17	2016/07/01	1,93,72,000.00	2017-01-31	2023-01-19	1,93,72,000.00	5y11m19d
5	हजारीबाग	सीएस-सह-सीएमओ	2210	37/10-11	2010/11/29	37,50,000.00	2011-05-31	2022-09-11	37,50,000.00	11y3m11d
			2210	38/10-11	2010/11/29	12,50,000.00	2011-05-31	2022-09-11	12,50,000.00	11y3m11d
			2210	21/2012-13	2012-10-19	50,00,000.00	2013-04-30	2013-08-05	50,00,000.00	0y3m6d
			2210	22/2012-13	2012-10-19	50,00,000.00	2013-04-30	2013-08-05	50,00,000.00	0y3m6d
			2210	59/14-15	2015/02/26	3,00,00,000.00	2015-08-31	2016-02-01	3,00,00,000.00	0y5m1d
6	गुमला	सीएस-सह-सीएमओ	2210	14/2010-11	2010/11/22	4,58,000.00	2011-05-31	2012-07-19	4,58,000.00	1y1m18d
			2210	66/13-14	2014/03/21	1,34,16,666.00	2014-09-30	2019-06-26	1,34,16,666.00	4y8m27d
			2210	11/16-17	2016/06/23	1,86,47,000.00	2016-12-31	2019-07-24	1,86,47,000.00	2y6m23d
		सदर अस्पताल	2210	79/2015-16	2016/03/18	70,26,289.00	2016-09-30	2019-07-18	70,26,289.00	2y9m18d
7	बोकारो	सीएस-सह-सीएमओ	4210	27	2009/08/20	2,00,00,000.00	2010-02-28	2012-08-28	2,00,00,000.00	2y6m0d
			4210	28	2009/08/20	1,50,00,000.00	2010-02-28	2022-08-06	1,50,00,000.00	12y5m9d
			2210	18	2010/10/07	9,99,500.00	2011-04-30	2016-02-13	9,99,500.00	4y9m14d
			2210	12/15-16	2016/02/26	2,00,00,000.00	2016-08-31	2022-08-23	2,00,00,000.00	5y11m23d
			2210	13/14-15	2014/10/25	2,00,00,000.00	2015-04-30	2016-02-13	2,00,00,000.00	0y9m14d
			4210	41/15-16	2016/03/18	29,30,000.00	2016-09-30	2022-12-03	29,30,000.00	6y2m3d
			2210	214/2023-24	2023/12/06	5,12,000.00	2024-06-30	2024-12-23	5,12,000.00	0y5m23d
8	राँची	सीएस-सह-सीएमओ	2210	12/2012-13	2013-03-31	52,39,182.00	2013-09-30	2014-03-28	52,39,182.00	0y5m26d
				7/2013-14	2014-03-31	1,56,99,276.00	2014-09-30	2015-03-24	1,56,99,276.00	0y5m22d
				73/2014-15	2015-03-31	5,00,00,000.00	2015-09-30	2016-03-01	5,00,00,000.00	0y5m0d
				736/2019-20	2020-03-31	10,00,000.00	2020-09-30	2021-10-09	10,00,000.00	1y0m9d
				94/2015-16	2016-03-16	5,00,00,000.00	2016-09-30	2021-10-09	5,00,00,000.00	5y0m9d
कुल						**73,64,26,042.00**				

परिशिष्ट - 3.5
(कंडिका 3.4.1.2 देखें)
संक्षिप्त आकस्मिक राशि का अनुपयोग और कोषागार को प्रेषण

(₹ करोड़ में)

कार्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष	संक्षिप्त आकस्मिक राशि	कोषागार में प्रेषित राशि	चेक / चालान / जीआरएन	उद्देश्य	टिप्पणियां
अवर सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार	2008-09	16.40	5.25	2105160393/22.03.21	मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना	राशि पीएल खाते में पड़ी हुई थी। इसे निकासी के 12 साल बाद कोषागार में भेज दिया गया था।
			4.75	2105160284/22.03.21		
			3.20	2105160377/22.03.21		
			3.20	2105160349/22.03.21		
	2022-23	2.38	0.14	2503169941/04.07.2025		तीन साल बाद इसे कोषागार में प्रेषित किया गया था।
	2023-24	2.71	0.17	2503169941/04.07.2025		इसे दो साल बाद कोषागार में प्रेषित किया गया था।
सिविल सर्जन-सह-सीएमओ, सरायकेला-खरसावां	2014-15	2.00	1.01	14/05.02.2016		राशि बैंक में पड़ी थी। इसे एक साल बाद कोषागार में प्रेषित किया गया था।
	2015-16	0.19	0.19	2001424393/14.07.2020	स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण	राशि चालू खाते में पड़ी हुई है, और इसे चार साल बाद प्रेषित किया था।
	2016-17	0.19	0.19	2001424271/14.07.2020		राशि चालू खाते में पड़ी हुई है, और इसे तीन साल बाद प्रेषित किया गया था।
सिविल सर्जन-सह-सीएमओ, बोकारो	2015-16	0.29	0.02	114/26.11.2022 एवं 134/30.11.2022		इसे बैंक में रखा गया था, और इसे कोषागार में छह साल बाद प्रेषित किया गया था।
सिविल सर्जन-सह-सीएमओ, राँची	2014-15	5.00	1.89	1162/24.02.2016	मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना	इसे एक साल बाद कोषागार में प्रेषित किया गया था।
	2019-20	0.10	0.01	2001286405/29.06.2020		-----
कुल		**29.26**	**20.02**			

परिशिष्ट - 3.6

(कंडिका 3.4.2 देखें)

अनुदान संख्या 51 में बकाया डीसी विपत्र

(₹ में)

क्र. सं.	शीर्ष	डीडीओ	वर्ष	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र संख्या	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र राशि	विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत किया गया	शेष संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र राशि
खूँटी							
1	2225	RNCWSBK01	2011-12	56/11-12	19,54,100	19,51,427	2,673
2		KHNWSBK30	2013-14	246/13-14	6,32,044	40,042	2,31,621
3		RNCWSB002	2014-15	385/14-15	42,15,284	22,75,971	19,39,313
4			2014-15	394/14-15	5,15,300	4,20,770	,94,530
5		KHNDADK01	2015-16	407/15-16	83,96,000	74,78,831	9,17,169
6	4225	RNCWSB002	2014-15	384/14-15	19,61,067	14,08,016	5,53,051
कुल					**1,76,73,795**	**1,39,35,438**	**37,38,357**
सरायकेला							
1	2225	SKLSSW003	2005-06	271/05-06	67,000	00	67,000
2		SKLDAD015	2006-07	132/06-07	22,550	00	22,550
3				128/06-07	14,300	00	14,300
4				126/06-07	25,500	00	25,500
5		SKLSSW002	2012-13	28/12-13	10,26,88,000	9,70,26,972	56,61,028
6		SKLSSW001	2004-05	19/04-05	7,99,920	00	7,99,920
7			2011-12	81/11-12	1,40,67,000	88,22,428	52,44,572
8			2011-12	85/2001	66,00,000	61,22,800	4,77,200
9			2015-16	01/15-16	84,08,000	00	84,08,000
10	4225	SKLSSW002	2015-16	342/15-16	10,00,000	8,65,294	1,34,706
11		SKLSSW001	2010-11	45/10-11	19,60,000	00	19,60,000
कुल					**13,56,52,270**	**11,28,37,494**	**2,28,14,776**
चाईबासा							
1	2225	SGHDAD040	2004-05	80/27	80,850	00	80,850
2				79/26	4,13,160	00	4,13,160
3				77/24	2,30,010	00	2,30,010
4				78/25	45,210	00	45,210
5				76/23	69,960	00	69,960
6				70/17	3,77,190	00	3,77,190
7				71/18	2,31,330	00	2,31,330
8				72/19	69,300	00	69,300
9				73/20	2,00,310	00	2,00,310
10				74/21	1,59,060	00	1,59,060
11				75/22	7,31,940	00	7,31,940
12				111	96,360	00	96,360
13				112	2,02,950	00	2,02,950
14				102/41	10,230	00	10,230
15				101	6,930	00	6,930
16				100/39	6,930	00	6,930
17				97/36	15,840	00	15,840
18				96/35	11,880	00	11,880
19				109/48	3,300	00	3,300
20				108/47	1,320	00	1,320

क्र. सं.	शीर्ष	डीडीओ	वर्ष	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र संख्या	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र राशि	विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत किया गया	शेष संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र राशि
21				107/46	3,960	00	3,960
22				106/45	13,860	00	13,860
23				105/44	6,270	00	6,270
24				104/43	19,140	00	19,140
25				103/42	1,320	00	1,320
26				87/34	10,890	00	10,890
27				86	660	00	660
28				85/32	4,950	00	4,950
29				84	7,260	00	7,260
30				83/30	1,650	00	1,650
31				82	660	00	660
32				81/28	990	00	990
33		SGHSSW016		26	21,85,200	00	21,85,200
34				7/2	4,55,000	00	4,55,000
35				8/3	4,55,000	00	4,55,000
36				115	1,50,000	00	1,50,000
37		SGHDAD004		31/1	13,860	00	13,860
38				33/3	49,410	00	49,410
39				32/2	4,62,870	00	4,62,870
40		SGHDAD009		40/1	5,89,545	00	5,89,545
41				41/2	25,740	00	25,740
42				42/3	48,675	00	48,675
43		SGHDAD029		144	92,730	00	92,730
44				149	21,120	00	21,120
45				150	47,850	00	47,850
46				151	26,400	00	26,400
47				145	3,630	00	3,630
48				146	1,320	00	1,320
49				147	52,470	00	52,470
50				148	27,390	00	27,390
51				152	37,620	00	37,620
52				153	12,870	00	12,870
53				129	1,650	00	1,650
54				128	990	00	990
55				131	3,300	00	3,300
56				130	1,320	00	1,320
57				137	330	00	330
58				132	3,630	00	3,630
59				136	7,920	00	7,920
60				135	5,940	00	5,940
61				134	330	00	330
62				133	990	00	990
63		SGHDAD007		1055	49,680	00	49,680
64		SGHSSW020	2005-06	21	35,700	00	35,700
65				20	1,000	00	1,000
66				22	20,000	00	20,000
67		SGHDAD040	2006-07	142	7,50,000	00	7,50,000

क्र. सं.	शीर्ष	डीडीओ	वर्ष	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र संख्या	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र राशि	विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत किया गया	शेष संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र राशि
68				143	30,00,000	00	30,00,000
69				14	40,00,000	00	40,00,000
70		SGHDAD008		9	22,350	00	22,350
71		SGHSSW021		111	1,950	00	1,950
72				90	4,000	00	4,000
73				112	15,000	00	15,000
74				89	350	00	350
75				106	2,400	00	2,400
76				338	6,000	00	6,000
77				70	14,000	00	14,000
78				71	700	00	700
79				79	5,000	00	5,000
80				110	5,000	00	5,000
81				135	600	00	600
82				136	4,000	00	4,000
83				134	13,000	00	13,000
84		SGHSSW014		87	4,300	00	4,300
85				106	17,500	00	17,500
86				107	3,300	00	3,300
87				36	6,125	00	6,125
89				39	35,00,000	00	35,00,000
90		SGHDAD037		63	2,25,000	00	2,25,000
91		SGHSSW020		13	11,25,950	00	11,25,950
92				14	26,95,450	00	26,95,450
93		SGHSSW016	2008-09	46	4,20,83,800	00	4,20,83,800
94				34	40,33,000	37,20,312	3,12,688
95		SGHSSW018	2009-10	35	1,72,03,414	1,51,38,294	20,65,120
96		SGHSSW016	2010-11	399/2010-11	20,340	00	20,340
97		SGHSSW018		19/02/2010-11	15,250	00	15,250
98				29/01/201011	4,07,53,000	3,58,19,053	49,33,947
99		SGHSSW016	2014-15	583/14-15	28,53,970	28,16,250	37,720
100	4225			639/14-15	42,15,284	26,67,058	15,48,226
101		SGHSSW016	2005-06	15	3,24,580	00	3,24,580
102				14	7,24,580	00	7,24,580
103				44	4,29,800	00	4,29,800
104		SGHSSW016	2006-07	27	19,54,000	00	19,54,000
105				367	26,54,700	10,32,210	16,22,490
106		SGHSSW018	2007-08	15	19,54,000	14,59,508	4,94,492
107		SGHSSW018	2008-09	37	19,54,000	00	19,54,000
108				43	1,17,77,900	1,16,97,189	80,711
109				50	2,28,107	00	2,28,107
110				49	2,97,744	00	2,97,744
111				51	6,90,000	00	6,90,000
112				42	21,56,000	00	21,56,000
113		SGHSSW018	2010-11	41/2010-11	1,57,71,441	38,92,480	1,18,78,961
कुल					**17,54,82,580.12**	**25,37,18,484.12**	**35,09,20,165.12**

क्र. सं.	शीर्ष	डीडीओ	वर्ष	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र संख्या	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र राशि	विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत किया गया	शेष संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र राशि
राँची							
1	2225	RNCSSW006	2005-06	38	25,00,000	17,24,580	7,75,420
2				39	26,73,740	00	26,73,740
3			2006-07	116	1,830	00	1,830
4		RNCWSB011	2014-15	476/14-15	42,13,310	39,76,290.18	2,37,019.82
5	4225	RNCSSW006	2005-06	50	30,85,000	00	30,85,000
6			2006-07	442	25,08,000	00	25,08,000
7				441	50,00,000	00	50,00,000
कुल					**1,99,81,880**	**57,00,870.18**	**1,42,81,009.82**
साहिबगंज							
1	2225	SBJSSW013	2010-11	234/10-11	4,052	0	4,052
2				232/10-11	24,000	0	24,000
3				208/10-11	58,202	0	58,202
4		SBJSSW017	2011-12	59/11-12	3,58,02,000	2,34,61,896	1,23,40,104
5			2012-13	39/12-13	3,81,35,000	0	3,81,35,000
6	4225		2010-11	36/10-11	12,60,300	12,59,803	497
7				115/10-11	56,15,147	55,16,099	99,048
कुल					**8,08,98,701**	**3,02,37,798**	**5,06,60,903**
गढ़वा							
1	2225	GRHSSW001	2004-05	82	1,800	00	1,800
2				79	1,500	00	1,500
3				66	1,625	00	1,625
4				67	2,01,013	00	2,01,013
5				68	975	00	975
6				69	975	00	975
7				70	2,600	00	2,600
8				71	1,300	00	1,300
9				91	3,250	00	3,250
10				84	3,445	00	3,445
11			2006-07	223	10,00,000	00	10,00,000
12				173	2,54,760	00	2,54,760
13				170	10,00,000	00	10,00,000
14				224	6,00,000	00	6,00,000
15				177	3,000	00	3,000
16				179	3,600	00	3,600
17				219	7,91,000	00	7,91,000
18				234	10,000	00	10,000
19		GRHDAD030		116	19,99,740	00	19,99,740
20				60	1,69,840	00	1,69,840
21				76	8,000	00	8,000
22				59	7,74,160	00	7,74,160
23				75	2,000	00	2,000
24				77	2,400	00	2,400
25		GRHSSW001	2008-09	225	1,25,000	00	1,25,000
26				227	6,71,100	00	6,71,100
27				217	78,92,000	00	78,92,000
28				381	19,54,000	00	19,54,000

क्र. सं.	शीर्ष	डीडीओ	वर्ष	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र संख्या	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र राशि	विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत किया गया	शेष संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र राशि
29		GRHWSB003	2010-11	182/10-11	2,500	00	2,500
30		GRHWSB001	2011-12	20/11-12	15,000	00	15,000
31		GRHWSB002	2012-13	424/12-13	28,887	00	28,887
32		GRHWSB002	2014-15	305/14-15	2,46,206	00	2,46,206
33		GRHDAD016	2015-16	257/15-16	42,82,000	00	42,82,000
34	4225	GRHSSW001	2004-05	252	10,14,300	00	10,14,300
35				204	3,00,000	00	3,00,000
36			2005-06	234	3,10,000	00	3,10,000
37			2006-07	171	60,000	00	60,000
38			2007-08	52	9,23,200	00	9,23,200
39				53	7,92,000	00	7,92,000
40			2008-09	197	9,92,200	00	9,92,200
41				230	19,54,000	00	19,54,000
42				218	9,98,000	00	9,98,000
43				229	19,54,000	00	19,54,000
44				224	23,00,000	00	23,00,000
45			2012-13	335/12-13	32,50,000	00	32,50,000
46			2015-16	349/15-16	64,32,104	50,49,222	13,82,882
कुल					**4,33,33,480**	**50,49,222**	**3,82,84,258**
गुमला							
1	2225	GMLSSW001	2005-06	230	20,32,000	0	20,32,000
2				233	26,600	0	26,600
3	4225	GMLSSW001	2005-06	234	20,00,000	0	20,00,000
4				231	4,00,000	0	4,00,000
5		GMLSSW001	2006-07	291	19,39,130	0	19,39,130
6		GMLSSW008	2008-09	37	1,66,38,000	1,65,66,162	71,838
कुल					**2,30,35,730**	**1,65,66,162**	**64,69,568**
लोहरदगा							
1	2225	LDGSSW001	2006-07	45/06-07	1,000	0	1, 000
2				38/06-07	6,500	6,000	500
3				30/06-07	9,911	9,892	19
4				44/06-07	8,864	8,819	45
5	4225	LDGSSW001	2007-08	22/07-08	4,01,275	3,25,775	75,500
6			2008-09	68/08-09	78,10,500	29,76,500	48,34,000
7			2010-11	40/10-11	72,00,000	0	72,00,000
कुल					**1,54,38,050**	**33,26,986**	**1,21,11,064**
सकल योग					**51,14,57,941**	**26,58,96,324**	**24,55,61,617**

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
https://cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/jharkhand/hi